पंचदश माला, खंड 2, अंक 1

गुरुवार, 2 जुलाई, 2009

11 आषाढ़, 1931 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)



(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय सूची

पंचदश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 2009/1931 (शक)
अंक 1, गुरुवार, 2 जुलाई, 2009/11 आषाढ़, 1931 (शक)

विषय	कॉलम
पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	i-x
लोक सभा के पदाधिकारी	xi
मंत्रिपरिषद	xiii-xvi
राष्ट्रगान	1
सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण	1
निधन संबंधी उल्लेख	1-3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 1 और 2	4-16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 3 से 20	16-75
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 173	75-352
सभा पटल पर रखे गए पत्र	353
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	
40वां प्रतिवेदन	353-354
सदस्यों द्वारा निवेदन	
देश में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में हुई वृद्धि	354-379
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) ई.आई. टैन्ड लेदर पर निर्यात शुल्क समाप्त किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चित्तन	379-380
(दो) सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों पर थोपी गई शुल्क वृद्धि की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	381

*किसी सदस्य के नाम पर + अंकित चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

(तीन) शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए बनाई गई योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नि:शक्तता अधिनियम, 1995 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश अग्रवाल 381-382

(चार) उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय पूल से अतिरिक्त बिजली का आवंटन किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल 382

(पांच) केरल में तुरावूर से काल्लीक्काविला के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर दो लेन वाले बाईपास का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. वेणुगोपाल 383

(छह) हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरिपार (जौनसार बाबर) क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कश्यप 383-384

(सात) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ 384

(आठ) हिमाचल प्रदेश में भानुपल्ली-बिलासपुर-बेर, घनौली-बद्दी, नांगल-तलवारा और बिलासपुर-मंडी-मनाली-लेह रेल लाइन परियोजनाओं पर कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री अनुराग सिंह ठाकुर 384-385

(नौ) आगरा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन शहर के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रामशंकर 385-386

(दस) उत्तर प्रदेश के सूखा प्रभावित कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 386

(ग्यारह) बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार 386-387

विषय **कॉलम**

(बारह) कोलकाता विश्वविद्यालय के पात्र चिकित्सकों (रेडियोथेरेपिस्ट) को एम्स, नई दिल्ली में डी.एम. मेडिकल ऑनकोलॉजी का अध्ययन करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. रत्ना डे 387

(तेरह) तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में रह रहे बीड़ी कर्मकारों के लिए पर्याप्त कल्याणकारी उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 387-388

(चौदह) मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र बनाने संबंधी पर्सी मिस्त्री समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुप्रिया सुले 388-389

(पन्द्रह) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर अनाईकराई में कोल्लीडैम नदी पर सड़क पुल का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता

श्री ओ.एस. मणियन 389-390

(सोलह) दिल्ली और हरिद्वार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री संजय सिंह चौहान 390

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 391-392

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 392-396

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 397-398

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 398-400

पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अंगड़ी, श्री सुरेश (बेलगाम)

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (उत्तर-पूर्व दिल्ली)

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र (मेरठ)

अजनाला, डा. रतन सिंह (खडूर साहिब)

अजमल, श्री बदरूद्दीन (धुबरी)

अजहरूद्दीन, श्री मोहम्मद (मुरादाबाद)

अडसुल, श्री आनंदराव (अमरावती)

अधिकारी, श्री शिशिर (कांथी)

अधिकारी, श्री सुवेन्दु (तामलुक)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनुरागी, श्री घनश्याम (जालौन)

अब्दुल्ला, डा. फारूख (श्रीनगर)

अमलाबे, श्री नारायण सिंह (राजगढ़)

अर्गल, श्री अशोक (भिण्ड)

अलागिरी, श्री एम.के. (मदुरै)

अलागिरी, श्री एस. (कुड्डालोर)

अहमद, श्री ई. (मालापुरम)

अहमद, श्री सुल्तान (उलूबेरिया)

अहीर, श्री हंसराज गं. (चन्द्रपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री कीर्ति (दरभंगा)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आधि शंकर, श्री (कल्लाकुरिची)

आनंदन, श्री एम. (विलुपुरम)

आरुन रशीद, श्री जे.एम. (थेनी)

आवले, श्री जयवंत गंगाराम (लातूर)

इंग्ती, श्री बिरेन सिंह (स्वशासी जिला-असम)

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस. (चेन्नई उत्तर)

इस्लाम, शेख नूरूल (बसीरहाट)

ईरींग, श्री निनोंग (अरुणाचल पूर्व)

उदासी, श्री शिवकुमार (हावेरी)

उपाध्याय, श्रीमती सीमा (फतेहपुर सीकरी)

एंटोनी, श्री एंटो (पथनमथीट्टा)

ऐरन, श्री प्रवीण सिंह (बरेली)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)

कछाड़िया, श्री नारनभाई (अमरेली)

कटारिया, श्री लालचन्द (जयपुर ग्रामीण)

कटील, श्री नलिन कुमार (दक्षिण कन्नड)

कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)

'कमांडो', श्री कमल किशोर (बहराइच)

करवारिया, श्री कपिल मुनि (फूलपुर)

करूणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)

कश्यप, श्री बलीराम (बस्तर)

कश्यप, श्री वीरेन्द्र (शिमला)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कामत, श्री गुरूदास (मुंबई उत्तर-पश्चिम)

किल्ली, डॉ. क्रुपारानी (श्रीकाकुलम)

कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालन्दा)

कुमार, श्री पी. (तिरुचिरापल्ली)

कुमार, श्री मिथिलेश (शाहजहांपुर)

कुमार, श्री रमेश (दक्षिण दिल्ली)

कुमार, श्री विश्व मोहन (सुपौल)

कुमार, श्री वीरेन्द्र (टीकमगढ़)

कुमार, श्री शैलेन्द्र (कौशाम्बी)

कुमार, श्रीमती मीरा (सासाराम)

कुमारास्वामी, श्री एच.डी. (बंगलौर ग्रामीण)

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश (जोधपुर)

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर (कोल्लम)

कृष्णास्वामी, श्री एम. (अरानी)

कुष्टप्प, श्री एन. (हिन्दुपुर)

केपी, श्री महिन्दर सिंह (जालंधर)

कोड़ा, श्री मधु (सिंहभूम)

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी (गडचिरोली-चिमुर)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

खंडेला, श्री महादेव सिंह (सीकर)

खतगावकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील (नांदेड़)

खत्री, डॉ. निर्मल (फैजाबाद)

खर्गे, श्री मल्लिकार्जुन (गुलबर्गा)

खान, श्री हसन (लद्दाख)

खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रूखाबाद)

खैरे, श्री चंद्रकांत (औरंगाबाद)

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी (बनासकांठा)

गणेशमूर्ति, श्री ए. (इरोड)

गद्दीगौदर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

गवली, श्रीमती भावना पाटील (यवतमाल-वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्री वरुण (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती मेनका (आंवला)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गांधीसेलवन, श्री एस. (नामाक्कल)

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव (मुम्बई दक्षिण-मध्य)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रायगढ़)

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द (उज्जैन)

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर (फरीदकोट)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

गोहैन, श्री राजेन (नोगोंग)

गौड़ा, श्री डी.बी. चन्द्रे (बंगलौर उत्तर)

गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द (उदूपी चिकमगलूर)

गौडा, श्री शिवराम (कोप्पल)

घाटोवार, श्री पबन सिंह (डिब्रूगढ़)

धुबाया, श्री शेर सिंह (फिरोजपुर)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (दिडोरी)

चांग, श्री सी.एम. (नागालैंड)

चाको, श्री पी.सी. (थ्रिसूर)

चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डॉ. (तिरुपति)

चौधरी, डॉ. तुषार (बारडोली)

चौधरी, श्री अधीर (बहरामपुर)

चौधरी, श्री अबू हशीम खां (मालदा दक्षिण)

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार (बस्ती)

चौधरी, श्री जयंत (मथुरा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री बंस गोपाल (आसनसोल)

चौधरी, श्री भूदेव (जमुई)

चौधरी, श्री हरीश (बाड़मेर)

चौधरी, श्रीमती श्रुति (भिवानी महेन्द्रगढ़)

चौधरी, श्रीमती संतोष (होशियारपुर)

चौहान, श्री दारा सिंह (घोसी)

चौहान, श्री प्रभातसिंह पी. (पंचमहल)

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी. (साबरकांठा)

चौहान, श्री संजय सिंह (बिजनौर)

चौहान, श्रीमती राजकुमारी (अलीगढ़)

जगतरक्षकन, डॉ. एस. (अराकोनम)

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा (नागरकुरनूल)

जतुआ, श्री चौधरी मोहन (मथुरापुर)

जेयदुरई, श्री एस.आर. (थूथुकुडी)

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

जरदोश, श्रीमती दर्शना (सूरत)

जहां, श्रीमती कैसर (सीतापुर)

जाखड़, श्री बद्री राम (पाली)

जाट, श्रीमती पूनम बेलजीभाई (कच्छ)

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव (बुलढाणा)

जाधव, श्री बलीराम (पालघर)

जायसवाल, डॉ. संजय (पश्चिम चम्पारण)

जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद (देवरिया)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जावले, श्री हरिभाऊ (रावेर)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरुक्षेत्र)

जिगजिणगी, श्री रमेश (बीजापुर)

जूदेव, श्री दिलीप सिंह (बिलासपुर)

जेना, श्री मोहन (जाजपुर)

जेना, श्री श्रीकांत (बालासोर)

जैन, श्री प्रदीप (झांसी)

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर (वाराणसी)

जोशी, डॉ. सी.पी. (भीलवाड़ा)

जोशी, श्री कैलाश (भोपाल)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड़)

जोशी, श्री महेश (जयपुर)

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा (विजयनगरम)

टन्डन, श्रीमती अनु (उन्नाव)

टन्डन, श्री लालजी (लखनऊ)

टम्टा, श्री प्रदीप (अल्मोड़ा)

टुडु, श्री लक्ष्मण (मयूरभंज)

टैगौर, श्री मानिक (विरुद्धनगर)

टोप्पो, श्री जोसेफ (तेजपुर)

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह (हमीरपुर)

ठाकोर, श्री जगदीश (पाटन)

डे, डॉ. रत्ना (हुगली)

डेका, श्री रमेन (मंगलदोई)

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन (कन्याकुमारी)

डोम, डॉ. रामचन्द्र (बोलपुर)

तम्बिदुरई, डॉ. एम. (करूर)

तंवर, श्री अशोक (सिरसा)

तकाम, श्री संजय (अरुणाचल पश्चिम)

तरई, श्री बिभु प्रसाद (जगतसिंहपुर)

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ (भिवन्डी)

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर (दाहोद)

तिरकी, श्री मनोहर (अलीपुरद्वार)

तिरूमावलावन, श्री थोल (चिदम्बरम)

तिवारी, श्री मनीष (लुधियाना)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (उत्तर-पश्चिम दिल्ली)

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह (मुरैना)

त्रिवेदी, श्री दिनेश (बैरकपुर)

थरूर, डॉ. शशी (तिरूवनंतपुरम)

थामराई सेलवन, श्री आर. (धर्मापुरी)

थॉमस, प्रो. के.वी. (एर्नाकुलम)

थॉमस, श्री पी.टी. (इदुक्की)

दत्त, श्रीमती प्रिया (मुम्बई उत्तर-मध्य)

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष (बारासात)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी)

दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)

दासगुप्त, श्री गुरुदास (घाटल)

दासमुंशी, श्रीमती दीपा (रायगंज)

दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)

दुबे, श्री निशिकांत (गोड्डा)

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव (परभणी)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र (आरूकु)

देवरा, श्री मिलंद (मुंबई-दक्षिण)

देवी, श्रीमती अश्वमेध (उजियारपुर)

देवी, श्रीमती रमा (शिवहर)

देवेगौडा, श्री एच.डी. (हसन)

देशमुख, श्री के.डी. (बालाघाट)

धनपालन, श्री के.पी. (चालाकुडी)

धुर्वे, श्रीमती ज्योति (बेतूल)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

ध्रुवनारायण, श्री आर. (चामराजनगर)

नकवी, श्री जफर अली (खीरी)

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी (मंदसौर)

नटराजन, श्री पी.आर. (कोयम्बटूर)

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नास्कर, श्री गोविन्द चन्द्र (बनगांव)

नाईक, डॉ. संजीव गणेश (ठाणे)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा)

नागपाल, श्री देवेन्द्र (अमरोहा)

नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह (गौतम बुद्ध नगर)

नामधारी, श्री इन्दर सिंह (चतरा)

नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप (धुले)

नारायणसामी, श्री (पुडुचेरी)

निरूपम, श्री संजय (मुम्बई-उत्तर)

निषाद, कैप्टन जयनारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

नूर, कुमारी मौसम (मालदा उत्तर)

नैपोलियन, श्री डी. (पेरम्बलूर)

पक्कीरप्पा, श्री एस. (रायचूर)

पटले, श्रीमती कमला देवी (जांजगीर-चम्पा)

पटेल, श्री आर.के. सिंह (बांदा)

पटेल, श्री किसनभाई वी. (वलसाड़)

पटेल, श्री दिनशा (खेडा)

पटेल, श्री देवजी एम. (जालौर)

पटेल, श्री देवराज सिंह (रीवा)

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई (दादरा और नगर हवेली)

पटेल, श्री प्रफुल (भन्डारा गोंदिया)

पटेल, श्री बाल कुमार (मिर्जापुर)

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई (दमन और दीव)

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली (सुरेन्द्रनगर)

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन (मेहसाणा)

परांजपे, श्री आनन्द प्रकाश (कल्याण)

पलानीमनिकम, श्री एस.एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (माधा)

पांगी, श्री जयराम (कोरापुट)

पांडा, श्री वैजयंत (केन्द्रपाड़ा)

पाण्डेय, श्री राकेश (अम्बेडकर नगर)

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव (उस्मानाबाद)

पाटील, श्री ए.टी. नाना (जलगांव)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री प्रतीक पी. (सांगली)

पाटील, श्री संजय दिना (मुम्बई उत्तर पूर्व)

पाटील, श्री सी.आर. (नवसारी)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद पूर्व)

पाण्डा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पाण्डेय, कुमारी सरोज (दुर्ग)

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ (भदोही)

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार (श्रावस्ती)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पायलट, श्री सचिन (अजमेर)

पाल, श्री जगदम्बिका (डुमरियागंज)

पाल, श्री राजाराम (अकबरपुर)

पाल, श्री विन्सेंट एच. (शिलांग)

पासवान, श्री कमलेश (बांसगांव)

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (विशाखापटनम)

पुनिया, श्री पन्ना लाल (बाराबंकी)

पाल, श्री तापस (कृष्णानगर)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

पोन्नम, श्री प्रभाकर (करीमनगर)

प्रधान, श्री अमरनाथ (सम्बलपुर)

प्रधान श्री नित्यानंद (अस्का)

प्रसाद, श्री जितिन (धौरहरा)

प्रेमदास, श्री (इटावा)

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप (कोलकाता उत्तर)

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह (हाथरस)

बनर्जी, कुमारी ममता (कोलकाता दक्षिण)

बनर्जी, श्री अम्बिका (हावड़ा)

बनर्जी, श्री कल्याण (श्रीरामपुर)

बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान (संभल)

बलराम, श्री पी. (महबूबाबाद)

बलीराम, डॉ. (लालगंज)

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद (पोन्नानी)

बासवराज, श्री जी.एस. (टुमकुर)

बहुगुणा, श्री विजय (टिहरी गढ़वाल)

बाइते, श्री थांगसो (बाह्य मणिपुर)

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता (विष्णुपुर)

बाजवा, श्री प्रताप सिंह (गुरदासपुर)

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर (भटिंडा)

बापीराजू, श्री के. (नरसापुरम)

बाबर, श्री गजानन ध. (मावल)

बाबा, श्री के.सी. सिंह (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर)

बालू, श्री टी.आर. (श्रीपेरूम्बुदूर)

बाल्मीकि, श्री कमलेश (बुलन्दशहर)

बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई (राजकोट)

बासके, श्री पुलीन बिहारी (झाड़ग्राम)

बिसवाल, श्री हेमानंद (सुन्दरगढ़)

बीजू, श्री पी.के. (अलथूर)

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह (खजुराहो)

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब (अनंतनाग)

बेसरा, श्री देवीधन (राजमहल)

बैठा, श्री कामेश्वर (पलामू)

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल (करौली-धोलपुर)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

भगत, श्री सुदर्शन (लोहरदगा)

भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)

भजन लाल, श्री (हिसार)

भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भुजबल, श्री समीर (नासिक)

भूरिया, श्री कांति लाल (रतलाम)

भैया, श्री शिवराज (दमोह)

भोंसले, श्री उदयनराजे (सतारा)

भोई, श्री संजय (बारगढ़)

मंडल, डॉ. तरूण (जयनगर)

मंडल, श्री मंगनी लाल (झंझारपुर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार (बलूरघाट)

मणि, श्री जोस के. (कोट्टायम)

मणियन, श्री ओ.एस. (मयिलादुतुरई)

मरांडी, श्री बाबू लाल (कोडरमा)

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह (सोनीपत)

मलिक, श्री शक्ति मोहन (आरामबाग)

मसराम, श्री बसोरी सिंह (मंडला)

महन्त, डॉ. चरण दास (कोरबा)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री नरहरि (पुरूलिया)

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद (वाल्मीकिनगर)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महापात्र, श्री सिद्धांत (बरहामपुर)

महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

माझी, श्री प्रदीप कुमार (नवरंगपुर)

माझी, श्री हरि (गया)

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)

मारन, श्री दयानिधि (चेन्नई मध्य)

मित्रा, श्री सोमेन (डायमंड हार्बर)

मिर्धा, डॉ. ज्योति (नागौर)

मिश्रा, श्री गोविन्द प्रसाद (सीधी)

मिश्रा, श्री पिनाकी (पुरी)

मिश्रा, श्री महाबल (पश्चिम दिल्ली)

मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल (दौसा)

मीणा, श्री नमोनारायन (टौंक-सवाई माधोपुर)

मीणा, श्री रघुवीर सिंह (उदयपुर)

मुण्डा, श्री अर्जुन (जमशेदपुर)

मुंडे, श्री गोपीनाथ (बीड)

मुखर्जी, श्री प्रणब (जंगीपुर)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर)

मेघवाल, श्री भरत राम (श्रीगंगानगर)

मेघे, श्री दत्ता (वर्धा)

मैन्या, डॉ. टोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मोइली, श्री एम. वीरप्पा (चिकबल्लापुर)

मोहन, श्री पी.सी. (बंगलौर मध्य)

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, श्री अरुण सुभाषचंद्र (खंडवा)

यादव, श्री अंजनकुमार एम. (सिकन्दराबाद)

यादव, श्री ओम प्रकाश (सीवान)

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (खगड़िया)

यादव, श्री धर्मेन्द्र (बदायूं)

यादव, श्री मधुसूदन (राजनंदगांव)

यादव, श्री मुलायम सिंह (मैनपुरी)

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद (पाटलिपुत्र)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

यादव, श्री हुकुमदेव नारायण (मधुबनी)

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)

रहमान, श्री अब्दुल (वेल्लोर)

राघवन, श्री एम.के. (कोझिकोड)

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई. (शिमोगा)

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)

राजभर, श्री रमाशंकर (सलेमपुर)

राजा, श्री ए. (नीलगिरि)

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाडा)

राजेन्द्रन, श्री सी. (चेन्नई दक्षिण)

राजेश, श्री एम.बी. (पालक्काड़)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राठौर, श्री रमेश (अदीलाबाद)

राणा, श्री कादिर (मुजफ्फरनगर)

राणा, श्री जगदीश सिंह (सहारनपुर)

राणा, श्री राजेन्द्र सिंह (भावनगर)

राणे, श्री निलेश नारायण (रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग)

रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई (पोरबंदर)

राम, श्री पूर्णमासी (गोपालगंज)

रामकिशुन, श्री (चन्दौली)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (वडकरा)

रामशंकर, प्रो. (आगरा)

रामासुब्बू, श्री एस. (तिरुनेलवेली)

राय, श्री अर्जुन (सीतामढ़ी)

राय, श्री नृपेन्द्र नाथ (कूचबिहार)

राय, श्री प्रेम दास (सिक्किम)

राय, श्री महेन्द्र कुमार (जलपाईगुडी)

राय, श्री रुद्रमाधव (कंधमाल)

राय, श्री विष्णु पद (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

राय, प्रो. सौगत (दमदम)

राय, श्रीमती शताब्दी (बीरभूम)

राव, श्री के. नारायण (मछलीपटनम)

राव, श्री के.एस. (एलूरू)

राव, श्री के. चन्द्रशेखर (महबूबनगर)

राव, श्री नामा नागेश्वर (खम्माम)

राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)

रावत, श्री अशोक कुमार (मिसरिख)

रावत, श्री हरीश (हरिद्वार)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रुआला, श्री सी.एल. (मिजोरम)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (चेवेल्ला)

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री के.आर.जी. (भोंगीर)

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री मोदुगुला वेणुगोपाल (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री वाई.एस. जगन मोहन (कडापा)

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका (बापतला)

लागुरी, श्री यशवंत (क्योंझर)

लाल, श्री पकौड़ी (रॉबर्ट्सगंज)

लालू प्रसाद, श्री (सारण)

लिंगम, श्री पी. (तेनकासी)

वर्धन, श्री हर्ष (महाराजगंज)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (गोंडा)

वर्मा, श्री सज्जन (देवास)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाक्चौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम (शिरडी)

वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव (हिंगोली)

वासनिक, श्री मुकुल (रामटेक)

विजय शान्ति, श्रीमती एम. (मेडक)

विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)

विवेकानन्द, डॉ. जी. (पेड्डापल्ली)

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच. (मैसूर)

विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश (चिक्कोडी)

विश्वनाथन, श्री पी. (कांचीपुरम)

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार (राजामुन्दरी)

वेणुगोपाल, श्री के.सी. (अलप्पुझा)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुवन्नामलाई)

वेणुगोपाल, डॉ. पी. (तिरुवल्लूर)

व्यास, डॉ. गिरिजा (चित्तौड़गढ़)

शंकर, श्री भीष्म उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर)

शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार (करनाल)

शर्मा, श्री जगदीश (जहानाबाद)

शर्मा, श्री मदन लाल (जम्मू)

शानवास, श्री एम.आई. (वयनाड)

शांता, श्रीमती जे. (बेल्लारी)

शारिक, श्री शरीफुद्दीन (बारामूला)

शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश (रामनाथपुरम)

शिवप्रसाद, डॉ. एन. (चित्तूर)

शिवाजी, श्री अधलराव पाटील (शिरूर)

शिवासामी, श्री सी. (तिरूपुर)

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव (वडोदरा)

शेखर, श्री नीरज (बलिया)

शेटकर, श्री सुरेश कुमार (जहीराबाद)

शेट्टी, श्री राजू (हातकंगले)

संगमा, कुमारी अगाथा के. (तुरा)

सईद, श्री हमदुल्लाह (लक्षद्वीप)

सचान, श्री राकेश (फतेहपुर)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री सर्वे (मल्काजगिरि)

सम्पत, श्री ए. (अट्टिंगल)

सरोज, श्री तूफानी (मछलीशहर)

सरोज, श्रीमती सुशीला (मोहनलाल गंज)

सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)

साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी (दक्षिण गोवा)

साहा, डॉ. अनूप कुमार (बर्धमान-उत्तर)

साहू, श्री चंदुलाल (महासमुन्द)

सिंगला, श्री विजय इन्दर सिंह (संगरूर)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे (ग्वालियर)

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण (बोलनगिर)

सिंह, कुंवर आर.पी.एन. (कुशीनगर)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, डॉ. संजय (सुल्तानपुर)

सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)

सिंह, राव इन्द्रजीत (गुड़गांव)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री इज्यराज (कोटा)

सिंह, श्री उदय (पूर्णिया)

सिंह, श्री उदय प्रताप (होशंगाबाद)

सिंह, श्री उमाशंकर (महाराजगंज)

सिंह, श्री एन. धरम (बीदर)

सिंह, श्री कल्याण (एटा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री गोपाल (राजसमन्द)

सिंह, श्री जगदानंद (बक्सर)

सिंह, श्री जसवंत (दार्जीलिंग)

सिंह, श्री जितेन्द्र (अलवर)

सिंह, श्री दिग्विजय (बांका)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

सिंह, श्री धनंजय (जौनपुर)

सिंह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद)

सिंह, श्री प्रदीप कुमार (अररिया)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (कैसरगंज)

सिंह, श्री भूपेन्द्र (सागर)

सिंह, श्री भोला (नवादा)

सिंह, श्री महाबली (काराकाट)

सिंह, श्री मुरारीलाल (सरगुजा)

सिंह, श्री यशवीर (नगीना)

सिंह, श्री रतन (भरतपुर)

सिंह, श्री रवनीत (आनंदपुर साहिब)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री राजनाथ (गाजियाबाद)

सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन (मुंगेर)

सिंह, श्री राधा मोहन (पूर्वी चम्पारण)

सिंह, श्री राधे मोहन (गाजीपुर)

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)

सिंह, श्री विजय बहादुर (हमीरपुर)

सिंह, श्री वीरभद्र (मंडी)

सिंह, श्री सुखदेव (फतेहगढ़ साहिब)

सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद)

सिंह, श्रीमती मीना (आरा)

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी (शहडोल)

सिद्देश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे)

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)

सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न (पटना साहिब)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सिरिसिल्ला, श्री राजैया (वारंगल)

सुगावनम, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)

सुगुमार, श्री के. (पोल्लाची)

सुधाकरण, श्री के. (कन्नूर)

सुमन, श्री कबीर (जादवपुर)

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मवेलीकारा)

सुले, श्रीमती सुप्रिया (बारामती)

सुशान्त, डॉ. राजन (कांगड़ा)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)

सेम्मलई, श्री एस. (सलेम)

सैलजा, कुमारी (अम्बाला)

सोरेन, श्री शिबू (दुमका)

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई (अहमदाबाद पश्चिम)

सोलंकी, श्री दीनूभाई (जूनागढ़)

सोलंकी, श्री भरतसिंह (आनन्द)

सोलंकी, श्री मकनसिंह (खरगौन)

स्वराज, श्रीमती सुषमा (विदिशा)

स्वामी, श्री जनार्दन (चित्रदुर्ग)

स्वामी, श्री एन. चेलुवरया (मांडया)

हक, मोहम्मद असरारुल (किशनगंज)

हक, श्री शेख सैदुल (बर्धमान-दुर्गापुर)

हजारी, श्री महेश्वर (समस्तीपुर)

हरि, श्री सब्बम (अनाकापल्ली)

हर्ष कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन (रणघाट)

हसन, डॉ. मोनाजिर (बेगूसराय)

हसन, श्रीमती तबस्सुम (कैराना)

हान्डिक, श्री बी.के. (जोरहाट)

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हुसैन, श्री इस्माइल (बारपेटा)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर)

हेगड़े, श्री अनंत कुमार (उत्तर कन्नड़)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एस. तम्बिदुरई

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

मंत्रिपरिषद्

कैबिनेट मंत्री

डॉ. मनमोहन सिंह	प्रधानमंत्री तथा उन मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी, जो विशेष रूप से किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किये गये हैं, जैसे:
	1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय;
	2. योजना मंत्रालय;
	3. परमाणु ऊर्जा विभाग;
	4. अंतरिक्ष विभाग; और
	5. संस्कृति मंत्रालय
श्री प्रणब मुखर्जी	वित्त मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री ए.के. एंटनी	रक्षा मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम	गृह मंत्री
कुमारी ममता बनर्जी	रेल मंत्री
श्री एस.एम. कृष्णा	विदेश मंत्री
श्री वीरभद्र सिंह	इस्पात मंत्री
श्री विलासराव देशमुख	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
श्री गुलाम नबी आजाद	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री सुशील कुमार शिन्दे	विद्युत मंत्री
श्री एम. वीरप्पा मोइली	विधि और न्याय मंत्री
डॉ. फारूख अब्दुल्ला	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	शहरी विकास मंत्री
श्री कमल नाथ	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
श्री वायालार रवि	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
श्री दयानिधि मारन	वस्त्र मंत्री
श्री ए. राजा	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

श्री मुरली देवरा	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्रीमती अम्बिका सोनी	सूचना और प्रसारण मंत्री
श्री मल्लिकार्जुन खरगे	श्रम और रोजगार मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री बी.के. हान्डिक	खान मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री
श्री आनन्द शर्मा	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
डॉ. सी.पी. जोशी	ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री
कुमारी सैलजा	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री
श्री सुबोध कांत सहाय	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
डॉ. एम.एस. गिल	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री
श्री जी.के. वासन	पोत परिवहन मंत्री
श्री पवन कुमार बंसल	संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री
श्री मुकुल वासनिक	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री कांतिलाल भूरिया	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री एम.के. अलागिरी	रसायन और उर्वरक मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री प्रफुल पटेल	नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	विज्ञान और प्रौद्यौगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री सलमान खुर्शीद	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री दिनशा पटेल	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती कृष्णा तीरथ	महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री जयराम रमेश	पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री श्रीकांत जेना	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ई. अहमद	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. नारायणसामी	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.एच. मुनियप्पा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अजय माकन	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नमो नारायन मीणा	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.एम. पल्लम राजू	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. सौगत राय	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस.एस. पलानीमनिकम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जितिन प्रसाद	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए. साई प्रताप	इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती परनीत कौर	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री गुरूदास कामत	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हरीश रावत	श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. के.वी. थॉमस	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री भरतसिंह सोलंकी	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री महादेव सिंह खंडेला	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिनेश त्रिवेदी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री शिशिर अधिकारी	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुल्तान अहमद	पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री मुकुल राय	पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री चौधरी मोहन जतुआ	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री डी. नैपोलियन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. एस. जगतरक्षकन	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. गांधीसेलवन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. तुषार चौधरी	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सचिन पायलट	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अरूण यादव	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रतीक पाटील	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
कुंवर आर.पी.एन. सिंह	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. शशी थरूर	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विन्सेंट एच. पाला	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रदीप जैन	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
कुमारी अगाथा संगमा	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/2/1/2009 (एन.)
230

© 2009 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, द्वारा मुद्रित।

लोक सभा

गुरुवार, 2 जुलाई, 2009/11 आषाढ़, 1931 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*)

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण

झारखंड

श्री शिबू सोरेन - शपथ - हिन्दी

पूर्वाह्न 11.02½ बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने दो पूर्व सहयोगियों श्री शिव चरण माधुर और श्री फसी-उर्ररहमान मुन्नन खान के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री शिव चरण माथुर 1964 से 1967 तक तीसरी लोक सभा और 1991 से 1996 तक दसवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री माथुर सात बार राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। एक सक्षम प्रशासक श्री माथुर 1981 से 1985 और 1988 से 1989 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। वह राजस्थान कैबिनेट में 1967 से 1972 तक शिक्षा, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग और जनसंपर्क तथा 1973 से 1977 तक खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, डेयरी और योजना मंत्री रहे।

श्री माथुर दसवीं लोक सभा के दौरान विशेषाधिकार समिति के सभापति रहे। वह राजस्थान विधान सभा में भी कई समितियों से जुड़े रहे। श्री माथुर ने 1994 से 1996 तक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया।

एक स्वतंत्रता सेनानी श्री माथुर ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। श्री माथुर ने अपना राजनीतिक जीवन जमीनी स्तर से शुरू किया। वह 1956 से 1957 तक नगरपालिका बोर्ड, भीलवाड़ा के चेयरमैन और 1960 से 1964 तक जिला परिषद भीलवाड़ा के प्रमुख रहे।

श्री माथुर ने कई देशों का दौरा किया।

श्री माथुर जून 2008 में असम के राज्यपाल के पद पर सुशोभित हुए और अपने निधन तक इस पद पर आसीन रहे।

श्री माथुर के निधन से देश ने एक ऐसा कुशल प्रशासक और राजनेता खो दिया है जिसने अपना संपूर्ण जीवन जनता को समर्पित कर दिया।

श्री शिव चरण माथुर का निधन 83 वर्ष की आयु में 25 जून, 2009 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री फसी-उर्ररहमान मुन्नन खान 1989 से 1991 तक नौवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले श्री खान 1985 से 1989 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

नौवीं लोक सभा के दौरान श्री खान श्रम और कल्याण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

व्यवसाय से एक कृषक श्री खान ने कृषकों, श्रमिकों, विकलांगों और शिक्षित बेरोजगारों के कल्याण के लिए अनवरत रूप से कार्य किया। उन्होंने बच्चों को शिक्षित करने और समाज के समग्र विकास के लिए अथक प्रयास किया। श्री खान गरीबों के लिए नेत्र-शिविर आयोजित करने में और विधवाओं के पुनर्वास में भी सक्रिय रहे।

श्री खान को जन समस्याओं पर 'एलाने जंग' शीर्षक से एक पुस्तक लिखने का भी श्रेय प्राप्त है।

श्री फसी-उर्ररहमान मुन्नन खान का निधन लम्बी बीमारी के पश्चात् 64 वर्ष की आयु में 25 जून, 2009 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मैंने प्रश्न काल के निलंबन हेतु सूचना दी है...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आपने जिस भी विषय पर सूचना दी है, मैं आपको अपनी बात कहने के लिए प्रश्न काल के बाद समय दूंगी।

प्रश्न संख्या 1 - श्री एकनाथ महादेव गायकवाड।

...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य: बजट सत्र आरंभ होने से पूर्व जिस प्रकार से पेट्रोलियम और अन्य ईंधनों के मूल्यों में वृद्धि की गई है वह संसद की अवमानना है...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: मैं आपको प्रश्न काल के बाद समय दूंगी।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा

(*व्यवधान*)*...

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 1 श्री एकनाथ महादेव गायकवाड।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग के लिए व्यापक पैकेज

+

***1. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**

श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण वस्त्र क्षेत्र में चल रहे संकट से निपटने के लिए एक व्यापक पैकेज पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संकट के कारण रोजगार के अवसरों में कमी का समाधान करने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में रोजगार कम हो जाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूएनसटीएडी) के हाल के अध्ययन पर भी ध्यान दिया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) सरकार को भारतीय वस्त्र उद्योग और इसकी रोजगार संभावना पर वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव की जानकारी है और यह उद्योग जो एक चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है, के साथ सतत् बातचीत करती रही है। अप्रैल-फरवरी 2008-09 के दौरान भारतीय वस्त्र निर्यात में पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.31% की

मामूली गिरावट आई है। सरकार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों आर्थिक घटनाक्रमों को निकटता से मॉनिटर कर रही है और निर्यात को बढ़ावा देने, आर्थिक मंदी के प्रभाव को रोकने और तरलता में सुधार लाने के लिए 7 दिसम्बर, 2008 तथा 2 जनवरी, 2009 को दो प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की थी। इन उपायों/पैकेजों से संकट से काफी हद तक उबरने में सहायता मिली है। सरकार सतत् रूप से स्थिति की मॉनिटरिंग कर रही है और प्रोत्साहन पैकेजों के प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद और उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।

उपर्युक्त दो प्रोत्साहन पैकेजों के तहत घोषित उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के समग्र बैक लॉग को निपटाने के लिए 1400 करोड़ रु. का अतिरिक्त आबंटन।

(ii) हस्तशिल्प की सभी मदों को "विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना" (वी.के. एवं जी.यू.वाई.) में शामिल करना।

(iii) 31-3-2009 तक एड-वेलोरम सेनवेट दर में 4% की कटौती।

(iv) पूर्व एवं पश्च शिपमैंट निर्यात ऋण पर 31-3-2009 तक न्यूनतम 7% प्रति वर्ष के अध्यधीन 2% की ऋण सहायता (केन्द्रीय बजट 2009-10 में 30-9-2009 तक बढ़ा दिया गया है)।

(v) टर्मिनल उत्पाद शुल्क/केन्द्रीय बिक्री कर की पूर्ण वापसी के लिए अतिरिक्त निधियों का प्रावधान।

(vi) दुर्लभ बाजारों/उत्पादों को निर्यात के लिए ई.सी.जी.सी. को बढ़ी हुई बैक अप गारंटी।

(vii) निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 10% तक विदेशी एजेंट कमीशन संबंधी सेवा कर और साथ ही साथ शुल्क वापसी योजना के तहत लाभ लेते समय आउटपुट सेवा पर सेवा कर की वापसी।

(viii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण लक्ष्यों को संशोधित कर बढ़ाया गया है ताकि अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को परिलक्षित किया जा सके।

(ix) एम.एस.एम.ई. के ऋण मामलों के हल के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैठकें आयोजित करेगी।

(x) ऋण गारंटी योजना के तहत गारंटी कवर को 50% कवर के साथ दुगुना कर 1 करोड़ कर दिया गया है।

(xi) डी.ई.पी.बी. दरों को नवम्बर, 2008 के पूर्व की दरों पर पुनः निर्धारित कर 31-12-2009 तक बढ़ाया गया है।

(xii) नीटिड फैब्रिक्स पर शुल्क वापसी को 1-9-2008 के पूर्व प्रभाव से बढ़ा दिया गया है।

उपर्युक्त उपाय निम्नलिखित राहत उपायों के अतिरिक्त हैं जिन्हें विगत में विनिर्माता उद्योग द्वारा सामान्यतः सामना किए जा रहे संकट से उभरने के लिए लागू किया गया था:-

(i) आई.टी. अधिनियम की धारा 19(बी) के तहत शत प्रतिशत ई.ओ.यू. को मिल रहे आयकर लाभ को सरकार द्वारा 31-3-2009 के बाद और एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है।

(ii) ई.पी.सी.जी. योजना के तहत देय सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 3% कर दिया गया है।

(iii) प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस के लिए ई.पी.सी.जी. के तहत औसत निर्यात दायित्व की गणना विकल्प के रूप में, वर्तमान तीन वर्षों की बजाय पिछले पांच वर्षों के निर्यात औसत आधार पर की जाएगी।

(iv) ई.पी.सी.जी. योजना के तहत निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए किए गए निर्यात संवर्द्धनात्मक योजनाओं के तहत प्रोत्साहन/पुरस्कार के पात्र होंगे।

(v) वस्त्र एवं ग्रेनाइट क्षेत्र ई.ओ.यू. होने की स्थिति में डी.टी.ए. बिक्री पर केवल उत्पाद शुल्क का भुगतान, यदि शुल्क प्रदत्त आयातित इनपुट का प्रयोग निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य के 3% तक हो।

(vi) उच्च मूल्यवर्धित विनिर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए 2.5% की (एफ.पी.एस. के तहत सामान्य 1.25% की बजाय) बढ़ी हुई शुल्क ऋण स्क्रिप की अनुमति होगी।

(vii) फोकस मार्किट स्कीम के क्षेत्र में 10 और देशों को शामिल करना।

(viii) निर्यातकों की लेन-देन लागत को कम करने और

प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय शुरू किए गए हैं।

इसके अलावा निम्नलिखित लाभों को भी विशिष्ट रूप से वस्त्र एवं क्लोदिंग क्षेत्र के लिए लागू किया गया है:-

फोकस मार्किट स्कीम (एफ.एम.एस.) को विदेश व्यापार नीति 2004-09 (एफ.टी.पी. 2004-09) के भाग के रूप में अप्रैल-2006 में शुरू किया गया था जिसके तहत 83 विदेशी बाजारों को फोकस बाजारों के रूप में अधिसूचित किया गया था। इन बाजारों के लिए सभी वस्त्र उत्पादों का निर्यात, निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य के 2.5% पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए पात्र हैं। इसी प्रकार फोकस उत्पाद स्कीम (एफ.पी.एस.) को एफ.टी.पी. 2004-09 के भाग के रूप में अप्रैल 2006 में शुरू किया गया था जिसके अनुसार रेशम यार्न को 1-4-2008 से निर्यात के 1.25% पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हस्तनिर्मित कालीनों और अन्य वस्त्र फ्लोर कवरिंग को भी 23-2-2009 से निर्यात पर 5% प्रोत्साहन के साथ इस योजना के तहत शामिल किया गया है। बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद योजना 1-4-2008 को शुरू की गई थी और आस्ट्रेलिया, जापान तथा ब्राजील को परिधानों के निर्यात के लिए 1-1-2009 से निर्यात पर 2.5% प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अलावा ई.यू.-27 और यू.एस.ए. को निर्यात किए गए परिधान 1-4-2009 से 30-9-2009 तक एफ.ओ.बी. मूल्य पर निर्यात के 2% प्रोत्साहन के पात्र हैं।

सरकार द्वारा प्रश्नगत अवधि के दौरान वस्त्र के निर्यात के लिए प्रदान किए गए अन्य प्रोत्साहनों में विशेष कृषि एवं ग्रामीण उद्योग योजना (वी.के.जी.यू.वाई.) जो कृषि, मेरिन, फोरेस्ट्री और ग्रामीण मूल के उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए बनाई गई योजना है, के तहत 71 हस्तशिल्प मदें शामिल हैं। कच्ची कपास के निर्यात को भी 1-4-2008 से 30-6-2009 तक की अवधि के लिए वी.के.जी.यू.वाई. योजना के तहत प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

सरकार ने वस्त्र क्षेत्र की हालत और उत्पादकता में सुधार लाने की दृष्टि से अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि के लिए नीतियां तैयार की हैं ताकि यह अधिकतम रोजगार अवसर सृजित करने में सक्षम हो सके। इस नीति में वस्त्र उद्योग के संबंध में राजकोषीय ढांचे को युक्तिसंगत बनाना, शुल्क और कर रियायतें लागू करना, ऋण सुविधाएं बढ़ाना, अवसंरचना में सुधार लाने और वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप इस उद्योग को नई दिशा देने के अलावा मौजूदा योजनाओं जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) और एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस.आई.टी.पी.) को और अधिक कार्यक्षम बनाना शामिल है।

(ङ) और (च) व्यापार और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड), भारत ने "भारत के निर्यात और रोजगार पर वैश्विक मंदी का प्रभाव" के बारे में एक प्रारूप रिपोर्ट तैयार की है। अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है। संपूर्ण विश्व में विनिर्माण क्षेत्रों की तरह भारत में भी वस्त्र क्षेत्र सहित विनिर्माण क्षेत्र ने वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव का सामना किया है। सरकार वस्त्र क्षेत्र में किसी प्रकार के संभावित रोजगार नुकसान के प्रति सचेत है और इसने ऊपर बताए गए अनुसार अब तक घोषित राहतों और रियायतों के रूप में कदम उठाए हैं। इन कदमों से भारतीय वस्त्र उद्योग पर वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रतिकूल प्रभाव में कमी आएगी। सरकार सतत् रूप से स्थिति का आकलन कर रही है और जब कभी आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से कदम उठाएगी।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: अध्यक्ष महोदया, आर्थिक मंदी के कारण आज वस्त्र उद्योग संकट में है। मुंबई और अन्य शहरों में अधिकांश मिलें बन्द हैं। वे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन मिलों के कामगारों और उनकी फैमिलीज को फिर से रोजी-रोटी देने और उनकी देय रकम देने के लिए क्या कोई कार्ययोजना तैयार करने का सरकार का विचार है?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन : मिलों के लिए पुनरुद्धार पैकेज है।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सरकार ने कल पेट्रोल और

डीजल के दाम बढ़ा दिए, जबकि आज से संसद का सत्र शुरू हो रहा है।...(*व्यवधान*) सरकार नियमों और परम्पराओं का कोई पालन नहीं कर रही है।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप कृपा करके बैठ जाएं। मुझे कुछ कहना है। मुझे आपके नोटिसिज मिले हैं। मैं आप सबको प्रश्न काल के पश्चात् समय दूंगी, तब आप अपने सम्बन्धित विषयों को शून्य काल में उठा सकते हैं।

...(*व्यवधान*)

श्री अनंत गंगाराम गीते: देश में कई जगहों पर सूखे की स्थिति पैदा हो गई है...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया बैठ जाएं। अभी प्रश्न काल चलने दें।

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मन्त्रालय इस बात से अवगत है कि समय समय पर कुछ मिलें बन्द होती रहती हैं। मन्त्रालय में बन्द मिलों के कपड़ा मजदूरों के लिए एक पैकेज अर्थात कपड़ा मजदूर पूनर्वास निधि योजना है। उस के माध्यम से हम उन मजदूरों, जो मिलों के बन्द हो जाने के कारण बेरोजगार और बेकार हो जाते हैं, की सहायता करने का प्रयास करते हैं। हम लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं और हमारे पास उनकी सहायता करने के लिए एक पैकेज है...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि एन.टी.सी. की मिल्स बंद हैं और उनके बहुत से कामगार बेरोजगार हैं। मुम्बई में एन.टी.सी. की छ: नम्बर इंदू मिल की जमीन बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक के लिए मांगी गई है। मिल के कामगार बेरोजगार हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन्हें कोई स्पेशल पैकेज देने वाली है और मिलों को चालू करने की उसकी क्या योजना है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इंदू मिल की जमीन पर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक बनाने का कोई विचार है?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: एन.टी.सी. मिलों के मामले में सरकार इनको पुन: चालू करने और उनका पुनरुद्धार करने का प्रयास कर रही है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ये मिलें चालू हो जायें। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नई सं.प्र.ग. सरकार के आ जाने के बाद हमने घोषणा की है कि सात एन.टी.सी. मिलें पुन: खुलने जा रही हैं। उनमें से चार मुम्बई में हैं...

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदया, हम चाहते हैं कि यह सदन चले, लेकिन सरकार ने वादा किया था कि 100 दिनों में महंगाई खत्म करेगी...(*व्यवधान*) हमारी बात सुन लें।

अध्यक्ष महोदया: आप कृपा करके बैठ जाएं। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...(*व्यवधान*)*

[अनुवाद]

श्री मधु गौड यास्खी: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया, हम पिछले 80 वर्षों में सबसे बुरी मंदी का सामना कर रहे हैं। भारत के निर्यात और रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में व्यापार और उद्योग संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन द्वारा करवाए गए एक अध्ययन में कपड़ा क्षेत्र में रोजगार धंधे खत्म हो जाने पर गंभीर चिन्ता दर्शाई गई है। अनुमान यह दर्शाते हैं कि वर्ष 2008-09 में निर्यात के क्षेत्र में विकास दर कम रहने और वर्ष 2008-09 में उठाए गए सुधारात्मक कदमों के बावजूद लगभग 1.16 मिलियन नौकरियां चली गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2009-10 में 1.3 मिलियन और अतिरिक्त नौकरियों के चले जाने की आशंका है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2010-11 में सकारात्मक और थोड़ी सी बेहतर निर्यात वृद्धि दर्शाने के बावजूद कपड़ा उद्योग वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान हुई रोजगार की कमी की संभवत: क्षतिपूर्ति न कर सके। आज ही एक समाचार छपा है कि निर्यात में

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

29 प्रतिशत से भी अधिक की कमी हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्रालय ने रिपोर्ट की गई सिफारिशों को लागू करने के संबंध में कोई कदम उठाए हैं...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: श्री यास्खी, कृपया संक्षेप में बोलें।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया बैठ जाइये और प्रश्नकाल चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद आपके विषय लिये जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: महोदया, मन्त्रालय इस बात से अवगत है कि कुछ कारक, विशेषकर निर्यात बाजार में, हमारे नियन्त्रण में पूरी तरह से नहीं हैं। हम जानते हैं कि अमरीका और यूरोपीय संघ, दोनों के बाजार आर्थिक मन्दी के चपेट में हैं। इससे हमारे कपड़ा निर्यातों पर जबरदस्त असर पड़ा है। हम जानते हैं कि निर्यात बाजार लक्ष्य से पिछड़ रहा है जबकि घरेलू बाजार स्थिर बना हुआ है। हम महसूस करते हैं कि घरेलू बाजार में रोजगार का बहुत अधिक नुकसान नहीं है। सरकार इसके बारे में जानती है और समय समय पर हम निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठा रहे हैं और निर्यात बाजार को प्रोत्साहन देने के लिए हमें वास्तव में बहुत अच्छे क्रयादेशों की आवश्यकता है। लेकिन यदि हमें अच्छे क्रयादेश नहीं मिलें तो हम अपने कपड़ा निर्यातकों की सहायता करते हैं ताकि उनके लिए निर्यात करना संभव होगा।

इसके साथ साथ हम स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं और हम आश्वासन देते हैं कि हम इस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बार-बार आवश्यक कदम उठाएंगे।

श्री भर्तृहरि महताब: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि वर्ष 2008-09 में कपड़ा निर्यातों में 2 प्रतिशत अर्थात 21.75 बिलियन डॉलर की कमी हुई है जिसके कारण इस क्षेत्र को हाल ही के महीनों में सात लाख नौकरियों का नुकसान हुआ है।

महोदया, जब वस्त्र उद्योग कृषि के पश्चात् दूसरा सबसे बड़ा नियोजक है तथा देश के कुल निर्यात किये जाने वाले माल का 13.5% इस क्षेत्र से किया जाता है। इसीलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राज्य अमरीका जैसे बड़े बाजारों हेतु हमारे निर्यातों में सुधार करने हेतु कौन से कदम उठा रही है। ई.यू. 27 तथा अमरीका को निर्यात किये गये सिले-सिलाये वस्त्र दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से 30 सितम्बर, 2009 तक एफ.ओ.बी. मूल्य पर निर्यात के 2% के प्रोत्साहन हेतु पात्र हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ब्याज दर में वृद्धि करने तथा तिथि को भी आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आपसे निवेदन है कि प्रश्नकाल के 45 मिनट शेष हैं, आप प्रश्नकाल पूरा हो जाने दीजिए। प्रश्नकाल समाप्त हो जाने के बाद आप बोलिये।

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: महोदया, यह एक तथ्य है कि ई.यू. तथा अमरीका में आर्थिक मंदी है तथा इसने हमारे निर्यात को अत्यधिक प्रभावित किया है। सरकार को इसके बारे में जानकारी है तथा अब हम अन्य बाजारों पर नजर डालने के लिये कदम उठा रहे हैं। हम अब पूर्व के बाजारों विशेषकर जापान तथा आस्ट्रेलिया जैसे देशों में बाजारों की ओर ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे है। हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं वे यही दर्शाते हैं कि निर्यात क्षेत्र में नौकरियां कम हो रही है परन्तु इसके साथ-साथ घरेलू क्षेत्र में थोड़ा सा सुधार भी है। मूलत:, हमें सारी चीज को व्यापक रूप में देखना होगा तथा हम केवल निर्यात क्षेत्र में ही नौकरी छूटने को नहीं देख सकते परन्तु हमें यह भी देखना होगा कि नौकरियों में वृद्धि हो तथा घरेलू खपत में भी वृद्धि हो। हमें इसके बारे में जानकारी है तथा हम इसकी समय समय पर तथा आवधिक रूप में निगरानी कर रहे हैं। हमें यह आशा है कि आने वाले महीनों में ई.यू. तथा अमरीका के बाजार हमारे निर्यातकों को आर्डर देंगे। यदि सरकार से किसी मदद की आवश्यकता होगी तो हम

सहायता देने में संकोच नहीं करेंगे और ऐसा हमने पहले भी किया है।

अध्यक्ष महोदया: श्री पी. करूणाकरन - उपस्थित नहीं।

डा. एम. तम्बिदुरई: महोदया, मैं करूर निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो दक्षिण भारत में मुख्य वस्त्र शहर है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग की आवश्यकता की पूर्ति करता है। वैश्विक मंदी तथा कई अन्य घटकों के कारण करूर में तथा उसके आस-पास वस्त्र उद्योग को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उन उद्योगों में कई पालियों को बंद कर दिया गया है। इस कारण बेरोजगारी की काफी समस्या है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वह इस बेरोजगारी की समस्या के हल हेतु कौन से कदम उठाने जा रहे हैं। हाल ही के वर्षों में उन उद्योगों का टर्नओवर 3,000 करोड़ रुपये था। अब, यह 1,500 करोड़ रुपये तक रह गया है ...(*व्यवधान*)

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वह उन उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु कौन से कदम उठाने जा रहे हैं तथा क्या उनकी करूर में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिये 'व्यापार केन्द्र' स्थापित करने में रुचि है...(*व्यवधान*)

श्री दयानिधि मारन: महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। महोदया, मैं यह जानता हूं कि जिस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का वह प्रतिनिधित्व करते हैं उसका वस्त्र उद्योग में सबसे बड़ा योगदान है...(*व्यवधान*) महोदया, जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि कुछ बातें हमारे नियंत्रण से परे हैं। यदि यूरोपियन बाजार तथा अमरीका के बाजार आर्डर नहीं दे रहे हैं तो हमारे उद्योग के लिये इसके साथ काम करना मुश्किल होगा। यही कारण है कि हम अन्य बाजारों की तरफ ध्यान देने के लिये पूर्व की ओर अपने उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। परन्तु, महोदया, सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से हमारे उद्योग ने सभी चीजों को एक जगह लाकर रख दिया है। हमारा अधिकांश वस्त्र निर्यात अमरीका तथा यूरोपियन यूनियन को किया जाता है। जब ये दो अर्थव्यवस्थायें वैश्विक मंदी से ग्रस्त हैं तो हम इससे अत्यधिक प्रभावित होते हैं...(*व्यवधान*)

महोदया, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हम और अधिक समुदायों की ओर देख रहे हैं जो निश्चित तौर पर तमिलनाडु में आ रहे हैं...(*व्यवधान*) महोदया, आने वाले महीनों तथा वर्षों में काफी प्रगति होगी। हमने पहले ही अर्थव्यवस्था हेतु दो प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा कर दी है। हम उनकी निगरानी कर रहे हैं...(*व्यवधान*), हमें वस्त्र क्षेत्र पर उन दो प्रोत्साहन पैकेजों के प्रभाव को देखना है। महोदया, हम निश्चित तौर पर उनकी गहन निगरानी करेंगे तथा हम यह महसूस करते हैं कि सरकार वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने तथा सहायता देने में कोई भी कदम उठाने में संकोच नहीं करेगी...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: सभा पूर्वाह्न 11.40 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11.22 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.40 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.40 बजे

लोक सभा ग्यारह बजकर चालीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** पीठासीन हुईं]

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 2 - श्री आनन्दराव अडसुल।

...(*व्यवधान*)

एयर इंडिया के समक्ष वित्तीय संकट

+

***2. श्री आनन्दराव अडसुल:**

श्री शक्ति मोहन मलिक:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एअर इंडिया ने सरकार से संकट से उबारने के लिए पैकेज प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय विमान कंपनी कर्मचारियों की छंटनी करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां। यह एयरलाइन पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय संकट का सामना कर रही है। एअर इंडिया के ऋण नवंबर, 2007 में 6550 करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर जून, 2009 में 15241 करोड़ रुपये हो गए हैं। मुख्य रूप से इसका कारण नए विमानों को खरीदने के लिए लिये गये ऋण के भुगतान के साथ-साथ प्रचालन हानियां रहीं, जो वर्तमान आर्थिक मंदी और पिछले वर्ष तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से और बढ़ गई हैं।

(ग) और (घ) नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इक्विटी इंडक्शन तथा ऋणों के प्रावधान के लिए एक ठोस प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

...*(व्यवधान)*

श्री आनन्दराव अडसुल: महोदया, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि माननीय मंत्री जी ने सभा पटल पर पूरा वक्तव्य नहीं रखा है, लेकिन, फिर भी मैं अपने अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं।

मैंने लिखित प्रश्न में पूछा था कि क्या एयर इंडिया को घाटे हो रहे हैं; वह आर्थिक संकट में है और क्या इसने सरकार से 'वेल आउट पैकेज' देने का अनुरोध किया है।

मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न यह है। एयर इंडिया कई वर्षों से सामाजिक दायित्व के रूप में देश की सेवा कर रही है। लेकिन मेरा दृष्टिकोण है कि इस क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने के साथ ही निजी कंपनियों को लाभकारी वायु मार्ग मिल गए...*(व्यवधान)* दूसरा यह कि नए विमान खरीद लिए हैं। जबकि एयर इंडिया के पास लम्बे समय से वही पुराने विमान हैं, मैं समझता हूं कि यही मुख्य कारण है जिससे एयर इंडिया को घाटे हो रहे हैं...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

न्यायिक सुधार

***3. श्री टी.आर. बालू:**
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में न्यायिक सुधार के लिए कोई रूपरेखा तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण न्यायालयों ने पूरे देश में कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) सरकार देश में न्यायिक सुधार के लिए रूपरेखा तैयार कर रही है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधीशों की जवाबदेही आरंभ करके और वादियों के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता ला के न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करना है समुचित विधायी उपायों से भिन्न, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोजन, अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता तथा अधिक न्यायालयों के गठन जैसे उपायों के माध्यम से इस प्रयोजन के लिए न्यायपालिका में क्षमता निर्माण के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ग) और (घ) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 जिसे 9 जनवरी, 2009 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, अभी भी उन राज्यों में प्रवृत्त नहीं हुआ है जिनको यह लागू होता है और अधिनियम के क्रियान्वय के लिए राज्यों की प्रतिक्रिया की अब भी प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

रेल पुलों का रख-रखाव

***4. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में विशेष रूप से पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने रेल पुलों की संख्या कितनी है जिन्हें व्यापक स्तर पर मजबूत किए जाने तथा उनका पुनर्निर्माण किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या देश में इन पुराने तथा क्षतिग्रस्त पुलों को मजबूत करने तथा उनका पुनर्निर्माण करने के संबंध में कोई व्यापक योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (ग) रेल पुलों की सूचना जोन-वार रखी जाती है। भारतीय रेल प्रणाली पर लगभग 36,700 रेल पुल सौ वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। बहरहाल, ये पुल गाड़ी परिचालन के लिए सुरक्षित हैं। भारतीय रेलों पर पुलों का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण एक सतत् कार्य है। फील्ड में किए गए नियमित निरीक्षणों के दौरान पाई गई पुलों की वास्तविक स्थिति के आधार पर रेलवे उन पुलों का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण करती है न कि आयु के आधार पर। अत: यह आवश्यक नहीं कि सभी पुराने पुलों का पुन:र्स्थापन/सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण अपेक्षित हो।

वास्तविक स्थिति में गिरावट के संकेत दर्शाने वाले कतिपय पुलों को, जिनके पुनर्स्थापन आदि की आवश्यकता होती है, डिस्ट्रेस्ड पुलों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बहरहाल, ये पुल न तो असुरक्षित होते हैं और न ही जीर्ण-शीर्ण। डिस्ट्रेस्ड पुलों के शीघ्र पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जाती है। यदि अपेक्षित होता है तो ऐसे पुलों के पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा होने तक उपयुक्त गति प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। कभी-कभार भारी धुरा भार और उच्चतर कर्षण भार को ध्यान में रखते हुए पुलों का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। इन आधारों पर पहचाने गए पुलों के पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए वार्षिक रूप से धनराशि आवंटित की जाती है और आवश्यकतानुसार इन कार्यों की यथोचित प्राथमिकता निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2001-02 से मार्च, 2009 तक भारतीय रेल पर कुल 913 अदद डिस्ट्रेस्ड पुलों का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण किया गया है। भारतीय रेल प्रणाली पर 1-4-2009 को कुल 48 अदद डिस्ट्रेस्ड पुल मौजूद हैं जिनमें से 31-5-09 तक 3 डिस्ट्रेस्ड पुलों का पुनर्स्थापन कर दिया गया है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता

***5. डा. एम. तम्बिदुरई:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान शताब्दी तथा राजधानी एक्सप्रेस सहित रेलगाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में गिरावट के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलगाड़ियों में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (ग) रेल गाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। रेलवे, एक महत्वपूर्ण यात्री सुविधा क्षेत्र के रूप में अच्छे गुणवत्ता वाले भोजन की आपूर्ति करने पर विचार कर रही है। इस मामले की बारीकी से समीक्षा की जा रही है और एक वृहत कार्य योजना तैयार की जा रही है।

नये विमानपत्तनों का निर्माण

***6. श्री एम.के. राघवन:**
श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में कन्नूर विमानपत्तन सहित देश में नए विमानपत्तनों के निर्माण हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए भूमि के अधिग्रहण में कठिनाइयां पेश आ रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) सरकार ने देश में बनाए जाने वाले नये ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए एक नीति अनुमोदित की है। इस नीति में यह उल्लिखित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार का यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहेगा कि इस मामले में सभी अनुमोदन और क्लीयरेंस समयबद्ध तरीके से दिये जाएं। ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकार के क्लीयरेंस के समन्वय तथा मॉनीटरिंग के लिए सचिव, नागर विमानन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक संचालन कमेटी का गठन किया गया है।

कन्नूर हवाईअड्डे की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन दिनांक 19-2-2008 को केरल राज्य सरकार को भेजा गया था। कन्नूर हवाईअड्डे के निर्माण के लिए आगे की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

(ग) और (घ) परियोजना के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण समेत आवश्यक कार्रवाई नये हवाईअड्डे के प्रमोटरों द्वारा की जानी है।

दलालों के कारण समस्या

***7. श्री रूद्रमाधव राय:**

श्री वृजभूषण शरण सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का ध्यान दलालों के कार्यरत होने की ओर आकर्षित किया गया है जो कथित रूप से फर्जी नामों पर बड़ी संख्या में टिकट खरीद लेते हैं तथा उन्हें कथित रूप से कुछ विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से अधिक मूल्य पर बेच देते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान रेल प्राधिकारियों की जानकारी में ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(ग) इन गतिविधियों को रोकने के लिए रेल प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) आंतरिक जांच के दौरान, दलालों/असामाजिक तत्वों द्वारा फर्जी नाम से टिकटें खरीदने के कुछ मामले नोटिस में आए हैं।

(ख) यात्रियों द्वारा हस्तांतरित टिकटों पर यात्रा करते पकड़े गए यात्रियों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	हस्तांतरित टिकटों पर यात्रा के मामलों की संख्या
2006-07	16,404
2007-08	20,298
2008-09	20,240
2009-10 (मई, 09 तक)	4,226

(ग) इन गतिविधियों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई है-(i) आरक्षण कार्यालयों, स्टेशनों और गाड़ियों में वाणिज्यिक और सतर्कता विभागों द्वारा गहन जांच करना, पिछले एक वर्ष, अर्थात 2008-09 और मौजूदा वर्ष, 2009-10 (मई, 2009 तक) के दौरान क्रमश: 2,521 और 298 दलालों को पकड़ा गया और मुकदमा चलाया गया। (ii) अप्राधिकृत व्यक्तियों से टिकट खरीदने से बचने के लिए आम जनता को शिक्षित करने हेतु अभियान चलाना; (iii) स्पेशल गाड़ियां चलाने, नई गाड़ियां चलाने, मौजूदा गाड़ियां बढ़ाने आदि के जरिए मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटना और (iv) आरक्षित टिकटों की बुकिंग सुसाध्य बनाने के लिए ई-टिकट की सुविधा की व्यवस्था करना।

सी.एन.जी. का मूल्य

***8. श्री नामा नागेश्वर राव:**

श्री जगदीश शर्मा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी अवधि के दौरान देश में सी.एन.जी. के उपभोक्ता मूल्य में कोई परिवर्तन हुआ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) हाल ही में पिछले दिनों तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार-चढ़ाव रहा है। कच्चे तेल की भारतीय बास्केट 24-12-2008 को 35.83 अमरीकी डालर/प्रति बैरल तक तेजी से गिरने से पहले, 3-7-2008 को 142.04 अमरीकी डालर/प्रति बैरल के अप्रत्याशित स्तर पर ऊंचे पहुंच गई थी। तथापि, हाल के महीनों में कच्चे तेल की भारतीय बास्केट के मूल्य ने वृद्धि का रुख दर्शाया है जो दिसंबर 2008 में 40.61 अमरीकी डालर/प्रति बैरल से बढ़ कर जून 2009 (26-6-2009 तक) में 69.03 अमरीकी डालर/प्रति बैरल हो गया है।

(ग) और (घ) नगर गैस वितरण (सी.जी.डी.) कंपनियों द्वारा सूचित किया गया है, पिछले बारह महीनों में बढ़ाए गए सी.एन.जी. के मूल्य निम्नानुसार है:-

कंपनी का नाम	शहरों के नाम	सी.एन.जी. का मूल्य (संशोधन से पहले) प्रति कि.ग्रा.	सी.एन.जी. का मूल्य (संशोधन के बाद) प्रति कि.ग्रा.	वृद्धि	संशोधन का वर्ष/मास
इन्द्रप्रस्थ गैस लि. (आई.जी.एल.)	दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	रु. 18.90	रु. 21	11%	जून, 2009
सेंट्रल यू.पी. गैस लि. (सी.यू.जी.एल.)	कानपुर और बरेली	रु. 27	रु. 29	7.4%	जनवरी, 2009
ग्रीन गैस लि. (जी.जी.एल.)	लखनऊ	रु. 27	रु. 29	7.4%	जनवरी, 2009
	आगरा	रु. 28	रु. 33	17.8%	दिसम्बर, 2008
भाग्यनगर गैस लि. (बी.जी.एल.)	विजयवाड़ा	रु. 24	रु. 25	4.2%	जनवरी, 2009
	हैदराबाद	रु. 33	रु. 35	6%	जनवरी, 2009

सी.जी.डी. कंपनियों ने सूचित किया है कि यह वृद्धि ए.पी.एम. से भिन्न गैस जुटाने और प्रचालन खर्चों में हुई वृद्धि के कारण, करनी पड़ी है।

सी.एन.जी. के मूल्यों में मुंबई और उपनगरों, गुजरात के शहरों/कस्बों, नोएडा, पुणे, इंदौर और उज्जैन में, पिछले बारह महीनों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

***9. श्री गुरुदास दासगुप्त:**
श्री पी.टी. थॉमस:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों से देश में सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और उन्हें हुए घाटे का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा उनके कार्यनिष्पादन में सुधार लाने हेतु तैयार की गई नई कार्ययोजना क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री विलासराव देशमुख): (क) लोक उद्यम सर्वेक्षण 2007-08 दिनांक 25-02-2009 को संसद में प्रस्तुत किया गया था और उक्त सर्वेक्षण के अनुसार विगत तीन वर्षों अर्थात 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की संख्या 39 थी। इन उद्यमों का राज्य वार विवरण (उनके पंजीकृत कार्यालय के अनुसार) तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उद्यम के घाटे का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार ने दिसम्बर, 2004 में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना की थी जिसे अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के मामलों पर विचार करने और सरकार को उपयुक्त अनुशंसाएं करने का दायित्व सौंपा गया था। सबसे पहले प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग रूग्ण उद्यमों की पहचान करते हैं और तत्पश्चात पुनरुद्धार से सम्बन्धित विस्तृत प्रस्ताव बी.आर.पी.एस.ई. को प्रस्तुत करते हैं जो उन पर विचार करता है तथा उपयुक्त अनुशंसाएं करता है।

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कार्यनिष्पादन सुधार एक सतत प्रक्रिया है; इन उद्यमों के आमूलचूल परिवर्तन के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा उद्यम सापेक्ष-उपाय किए जाते हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ (क) वित्तीय पुनर्गठन, यथा ऋण का इक्विटी में परिवर्तन, दण्डात्मक ब्याज सहित ऋण एवं ब्याज में छूट, ऋण प्राप्त करने के लिए सरकार की गारण्टी, ब्याज/ऋण के भुगतान का स्थगन (ख) व्यापारिक पुनर्गठन, यथा संयुक्त उद्यमों की स्थापना, अन्य सरकारी उद्यमों के साथ विलय, आधुनिकीकरण तथा विपणन की बेहतर रणनीतियां आदि शामिल हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान घाटा उठाने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों की सूची

(लाख रुपये)

क्र.सं.	केंद्रीय सरकारी उद्यम	2007-08	2006-07	2005-06
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लि.	-2673	-3470	-7138
असम				
2.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि.	-10584	-6237	-9978
बिहार				
3.	भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कं. लि.	-1362	-2414	-2488
हरियाणा				
4.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	-29824	-35116	-35391
जम्मू और कश्मीर				
5.	एच.एम.टी. चिनार वाचेज लि.	-4904	-3991	-3088
6.	जे. एंड के. मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लि.	-20	-18	-342
कर्नाटक				
7.	एच.एम.टी. मशीन टूल्स लि.	-4050	-14978	-656
8.	एच.एम.टी. वाचेज लि.	-14695	-19581	-7631
9.	आई.टी.आई. लि.	-36682	-40526	-42876
10.	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लि.	-2045	-3750	-3008

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश				
11.	नेपा लि.	-3767	-4447	-5193
महाराष्ट्र				
12.	होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	-2497	-1271	-304
13.	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि.	-5960	-3762	-4259
मेघालय				
14.	नॉर्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एंड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.	-246	-247	-263
उड़ीसा				
15.	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि.	-61	-71	-134
16.	उत्कल अशोक होटल कार्पोरेशन लि.	-121	-119	-116
राजस्थान				
17.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.	-3337	-2780	-2451
तमिलनाडु				
18.	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यु. कं. लि.	-78948	-65306	-56090
19.	आई.डी.पी.एल. (तमिलनाडु) लि.	-276	-120	-42
20.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	-13485	-11478	-13174
उत्तर प्रदेश				
21.	बिर्टिश इंडिया कार्पोरेशन लि.	-1396	-1340	-2087
22.	ब्रशवेयर लि.	-7	-6	-3
23.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	-5080	-4685	-4891
पश्चिम बंगाल				
24.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	-1069	-469	-845
25.	बर्न स्टैडर्ण्ड कंपनी लि.	-15129	-15186	-44274
26.	हिंदुस्तान केबल्स लि.	-43500	-31068	-29532
27.	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि.	-2672	-8350	-8597
28.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	-5189	-7297	-3803

1	2	3	4	5
29.	जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	-1380	-4404	-1777
30.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कार्पोरेशन लि.	-48713	-79449	-42431
31.	टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	-4888	-4793	-4769
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह				
32.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, वन और बागान विकास कार्पोरेशन लि.	-3193	-1340	-1215
दिल्ली				
33.	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि.	-5916	-8536	-5654
34.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	-150483	-143259	-129400
35.	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि.	-110198	-106514	-96461
36.	हिंदुस्तान प्रीफेब लि.	-1375	-1463	-1383
37.	हिंदुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कार्पोरेशन लि.	-2109	-2291	-3433
38.	कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लि.	-14499	-23328	-23561
39.	नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लि.	-151467	-53580	-700

[हिन्दी]

मिश्रित उर्वरकों के लिए नई मूल्य-निर्धारण प्रणाली

***10. श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूक्ष्म पोषक तत्वों पर आधारित मिश्रित उर्वरकों के लिए नई मूल्य-निर्धारण प्रणाली लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मिश्रित उर्वरक कौन-कौन से हैं; और

(ग) उक्त मूल्य-निर्धारण प्रणाली कब तक लागू कर दी जाएगी?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम.के. अलागिरी): (क) से (ग) वर्तमान में रियायत/राजसहायता डी.ए.पी., एम.ए.पी., टी.एस.पी., एस.एस.पी., यूरिया, अमोनियम सल्फेट और मिश्रित उर्वरकों के 12 ग्रेडों पर सुपुर्दगी लागत के आधार पर दी जाती है। मिश्रित उर्वरकों पर रियायत मिश्रित उर्वरकों में निहित चार पोषक तत्वों नामत: नाइट्रोजन 'एस', फॉस्फेट 'पी', पोटाश 'के' और सल्फर 'एस' के आधार पर दी जाती है। लेपित/पुष्ट उर्वरकों की उपलब्धता को द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे बोरोन, जिंक, मेगनीज, मैगनिशियम आदि के साथ प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने उत्पादकों को लेपित/पुष्ट उर्वरकों की बिक्री एम.आर.पी. के 5% (जिंकयुक्त यूरिया और बोरोनेटयुक्त एस.एस.पी. पर यह 10% है) और अधिक दर पर करने की अनुमति दी है। यूरिया, टी.एस.पी., एम.ए.पी., एस.एस.पी. का प्रयोग करके दानेदार अथवा भौतिक मिश्रण के माध्यम से तैयार किए गए मिश्रित उर्वरक, उर्वरक विभाग द्वारा चलाई जा रही रियायत/राजसहायता योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं है। देश में उत्पादन किए जा रहे मिश्रित उर्वरकों की संख्या काफी अधिक है और इन्हें मृदा तथा फसल विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर स्थानबद्ध किया गया है। तथापि, मिश्रित उर्वरकों के उत्पादकों को मिश्रित उर्वरक तैयार करने के लिए आदानों के रूप में राजसहायता प्राप्त उर्वरक नामत: यूरिया, डी.ए.पी., एम.ए.पी., टी.एस.पी., एम.ओ.पी. और एस.एस.पी. का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। इस

प्रकार वे राजसहायता प्राप्त कच्ची सामग्री की सुविधा का फायदा उठाते हैं। मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन, बिक्री और मूल्यों का विनियमन और नियंत्रण उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफ.सी.ओ.) 1984 के खण्ड 12 से 18 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। मिश्रित उर्वरकों के विशिष्टकरण और ग्रेडों का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है। सरकार पोषक-तत्व आधारित राजसहायता व्यवस्था सहित उर्वरक राजसहायता के वितरण के विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है। तथापि, यह मामला अभी विचाराधीन है।

[अनुवाद]

यूरिया संयंत्रों को गैस आधारित संयंत्रों में बदलना

***11. श्रीमती सुप्रिया सुले:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नई नीति में फर्नेस ऑयल से चल रहे विद्यमान यूरिया संयंत्रों को गैस आधारित इकाइयों में बदलने के लिए एक विशेष निर्धारित लागत की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र की कुछ कंपनियों का विचार अपने संयंत्रों के फीडस्टॉक को अगले कुछ वर्षों में बदलने हेतु बड़ा निवेश करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उर्वरक कंपनियों को कुछ विशिष्ट अवधि के लिए फीडस्टॉक बदलने हेतु प्रोत्साहन दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इन नीतियों से लाभ पहुंचा है तथा ये कितनी लाभप्रद रही हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम.के. अलागिरी): (क) से (ङ) सरकार ने ईंधन तेल/एल.एस.एच.एस. आधारित यूरिया इकाइयों को प्राकृतिक गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तित करने को प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में एक नीति की घोषणा की है। यह नीति यूरिया इकाई के परिवर्तन के बाद 5 वर्ष तक एक विशेष निर्धारित लागत प्रतिपूर्ति प्रदान करती है ताकि परिवर्तन परियोजना में किए गए पूंजी निवेश को वसूल करने में इकाई सक्षम हो सके।

मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, द्वारा अगले तीन वर्षों में लगभग 4000 करोड़ रुपए के निवेश से नांगल, बठिण्डा और पानीपत स्थित अपनी ईंधन तेल/एल.एस.एच.एस. आधारित इकाइयों को प्राकृतिक गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव करता है। परिवर्तन परियोजना के लिए निविदा कंपनी को प्राप्त हो चुकी हैं और इन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसी प्रकार गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड (जी.एन.एफ.सी.) जो गुजरात का सार्वजनिक क्षेत्र का एक राज्य उपक्रम है, लगभग 1200 करोड़ रुपए के निवेश से भरूच स्थित अपने ईंधन तेल/एल.एस.एच.एस. संयंत्रों को गैस आधारित संयंत्रों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव करता है।

यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना चरण-III के अंतर्गत सभी गैर-गैस आधारित यूरिया इकाइयों को 3 वर्ष के अन्दर अर्थात् मार्च 2010 तक अनिवार्य रूप से गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तित किया जाना है। इन्हें गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि इकाइयों को परिवर्तन के बाद उत्पादन के पहले पांच वर्षों के लिए ऊर्जा बचत की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, ईंधन तेल/एल.एस.एच.एस. आधारित इकाइयों के लिए यह निर्णय लिया गया था कि इन इकाइयों को गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए पूंजी सहायता उपलब्ध कराने हेतु उर्वरक विभाग द्वारा व्यय विभाग के परामर्श से अलग से एक योजना को अधिसूचित किया जाएगा। तदनुसार, ऊपर दिए गए अनुसार एक विशेष निर्धारित लागत के जरिए लागत प्रतिपूर्ति आधार पर सरकार द्वारा एक परिवर्तन योजना को अधिसूचित किया गया है।

आज तक मैसर्स श्रीराम फर्टिलाइजर्स, कोटा जो एक नेफ्था आधारित इकाई थी, को नई मूल्य निर्धारण योजना चरण-III की अवधि के दौरान गैस में परिवर्तित किया गया है। इकाई यूरिया के उत्पादन में ऊर्जा बचत का लाभ उठा रही है ताकि यह अपने परिवर्तन की लागत को वसूल कर सके। दूसरी ओर, सरकार को ऊर्जा लागत में अत्यधिक बचत होने से लाभ हुआ है जिससे राजसहायता परिव्यय में कमी आई है।

[हिन्दी]

रेल डिब्बों की कमी

***12. श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रेल डिब्बों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार रेल डिब्बों की अनुमानित कमी कितनी है तथा कितने रेल डिब्बे ऐसे हैं जिनकी मियाद समाप्त हो चुकी है किन्तु वे अभी भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं;

(ग) क्या रेलवे सवारी डिब्बों के विनिर्माण हेतु नयी विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (घ) गाड़ियों को प्रारंभ करने की पूरी नहीं की गई मांगों के दृष्टिगत भारतीय रेल पर सवारी डिब्बों की कमी है।

इस समय, अपनी जीवट आयु पूरी कर लेने वाले लगभग 555 ई.एम.यू. सवारी डिब्बों और 91 बड़ी लाइन के परंपरागत सवारी डिब्बों का उनके सुरक्षित चालन को सुनिश्चित करने तथा सभी यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने के बाद गाड़ी सेवाओं में इस्तेमाल किया जा रहा है।

रायबरेली, उत्तर प्रदेश में एक नए रेल सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना की जा रही है। भूमि अधिग्रहण और इस कारखाने की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। पालक्काड, केरल में दूसरे रेल सवारी डिब्बा कारखाना की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए आवश्यक अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण

***13. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:**

श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस भंडार के अन्वेषण हेतु अलग-अलग क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा देश के विभिन्न भागों में तेल के कितने कुओं की ड्रिलिंग की गयी है तथा उनसे कितनी मात्रा में तेल और गैस मिलने की संभावना है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन कुओं की ड्रिलिंग पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में और अधिक तेल के कुओं की खुदाई के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.), आयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) और निजी/संयुक्त उद्यम (जे.वी.) कंपनियों के लिए 785-914 मिलियन मीट्रिक टन तेल समकक्ष (एम.एम.टी.ओ.ई.) की रेंज में हाइड्रोकार्बन तत्स्थान भंडार अभिवृद्धि के लिए अनुमान थे। नौवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान, अनुमानित हाइड्रोकार्बन तत्स्थान भंडार 2129.44 एम.एम.टी.ओ.ई. के हैं।

दसवीं योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-09) के दो वर्षों में ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. द्वारा गहरे समुद्र सहित जमीनी और अपतट क्षेत्रों में वेधित अन्वेषणात्मक कूप, अन्वेषणात्मक कूपों पर किया गया व्यय और तत्स्थान तेल और गैस भंडार की अभिवृद्धि निम्नानुसार हैं-

	ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. द्वारा वेधित अन्वेषणात्मक कूप	अन्वेषणात्मक कूपों पर व्यय (करोड़ रुपये)	तत्स्थान भंडार अभि. वृद्धि (एम.एम.टी.ओ.ई.)
10वीं योजना (2002-07)	612	11,547.91	782.5
11वीं योजना (2007-09)	228	7,660.84	514.11

11वीं योजनावधि के अंत तक सरकार का अनुमान है कि 80% भारतीय तलछटी बेसिन क्षेत्र अन्वेषणाधीन होगा। अन्वेषण के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का प्रस्ताव करने में अन्वेषणात्मक कूपों को वेधने के लिए प्रचालकों की ओर से

वचनबद्धता शामिल है। अन्वेषण की प्रक्रिया में की जाने वाली हाइड्रोकार्बन की खोजों से देश के लिए तेल और गैस के भंडारों में अभिवृद्धि होने की संभावना है।

एल.पी.जी. की कमी

***14. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:**

श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सहित देश में एल.पी.जी. की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या गैस एजेंसियों/डीलरों द्वारा एल.पी.जी. की जमाखोरी और कालाबाजारी के मामलों का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है तथा उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने तथा एल.पी.जी. की कालाबाजारी/जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) ने सूचित किया है कि 01-06-2009 की स्थिति के अनुसार वे देश में अपने 9378 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से 1067 लाख एल.पी.जी. ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रही हैं जिसमें लगभग 55% घर शामिल हैं। अप्रैल और मई, 2009 के दौरान ओ.एम.सी. ने देश में 10.07 लाख नए एल.पी.जी. कनेक्शन जारी किए हैं।

इस समय ओ.एम.सीज ने सूचित किया है कि कर्नाटक राज्य सहित देश में एल.पी.जी. की समग्र रूप से कोई कमी नहीं है और ओ.एम.सीज द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरों को एल.पी.जी. की आपूर्तियां एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार घरेलू उत्पादन और आयातों के जरिए की जा रही है।

ओ.एम.सीज ने सूचित किया है कि उन्होंने पिछले वर्ष के दौरान 10298.56 हजार मीट्रिक टन (टी.एम.टी.) घरेलू एल.पी.जी. की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान देश में 10633.81 टी.एम.टी. घरेलू एल.पी.जी. की आपूर्ति की है जो 3.26% की वृद्धि दर दर्शाती है। इसी प्रकार ओ.एम.सीज ने सूचित किया है कि उन्होंने वर्ष 2008-09 के दौरान कर्नाटक राज्य में 646.14 टी.एम.टी. घरेलू एल.पी.जी. की आपूर्ति की है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 622.59 टी.एम.टी. घरेलू आपूर्ति की गई थी जोकि 3.78% की वृद्धि दर दर्शाती है। 22-6-2009 की स्थिति के अनुसार ढुलाई वाहनों में भंडार सहित अखिल भारतीय आधार पर एल.पी.जी. का भंडार लगभग 401 टी.एम.टी. है जोकि 11 दिनों की मांग के समतुल्य है।

कुछ बेईमान तत्वों द्वारा राजसहायता प्राप्त एल.पी.जी. सिलेंडरों की कालाबाजारी/विपथन की संभावना से वाणिज्यिक एल.पी.जी. के बाजार मूल्य और घरेलू एल.पी.जी. के खुदरा बिक्री मूल्य के बीच भारी अंतर के कारण इंकार नहीं किया जा सकता।

एल.पी.जी. सिलेंडरों की कालाबाजारी/विपथन को रोकने के लिए सरकार ने "तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000" विनिर्मित किया है और "विपणन अनुशासन दिशानिर्देश, 2001" बनाए हैं जिनमें एल.पी.जी. के विपथन/कालाबाजारी में लिप्त होने वाले एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

जब कभी ओ.एम.सीज को शिकायतें प्राप्त होती हैं इनकी जांच की जाती है। ओ.एम.सीज के बिक्री अधिकारी भी स्वयं औचक निरीक्षण करते हैं। यदि शिकायत की पुष्टि हो जाती है अथवा किसी अनियमितता का पता चलता है तो एम.डी.जी. के प्रावधानों के अनुसार एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटर/ डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। एम.डी.जी. में डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं-

- पहले अपराध पर 20,000 रुपये का जुर्माना तथा वाणिज्यिक दर पर विपथित एल.पी.जी. का मूल्य।
- दूसरे अपराध पर 50,000 रुपये का जुर्माना तथा वाणिज्यिक दर पर विपथित एल.पी.जी. का मूल्य।
- तीसरे अपराध पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त करना।

ओ.एम.सीज द्वारा की गई कार्रवाई के अलावा राज्य सरकारें घरेलू एल.पी.जी. की कालाबाजारी/विपथन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन प्रख्यापित एल.पी.जी. (आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन)

आदेश 2000 के अधीन शक्ति प्रदत्त हैं। इसी प्रकार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के माप तथा तौल विभाग एल.पी.जी. सिलेंडरों की कालाबाजारी/विपथन में लिप्त पाए जाने वाले एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आरंभ करते हैं। राज्य सरकारों को अनधिकृत उपयोग के लिए घरेलू सिलिंडरों की कालाबाजारी/विपथन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समय समय पर सावधान किया गया है।

[हिन्दी]

उड़ान के दौरान विमानचालकों का सोना/झपकी लेना

***15. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उड़ान के दौरान विमान चालकों के सो जाने और झपकी लेने की घटनाएं सरकार के ध्यान में आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत छह माह के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं सरकार के ध्यान में आयी हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले 6 महीने की समयावधि में उड़ान के दौरान विमानचालकों के सो जाने/झपकी लेने संबंधी किसी भी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय ने ऐसी स्थितियों से बचने के लिए विमान कर्मीदल के लिए उड़ान समय, उड़ान ड्यूटी समय तथा विश्राम संबंधी अपेक्षाएं निर्धारित की हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने वर्ष 2009 के अपने हवाई संरक्षा परिपत्र सं. 2 में भी इन अपेक्षाओं को पुन: उद्धृत किया है तथा उड़ान के दौरान कर्मीदल की थकान के बारे में प्रबंधन के लिए और उपाय निर्धारित किए हैं।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में अपराध

***16. श्री अधीर चौधरी:**

श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि चलती रेलगाड़ियों/रेल परिसरों में डकैती सहित आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चलती रेलगाड़ियों और रेल परिसरों में जोनवार चोरी, डकैती तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों के कितने मामले सामने आए हैं;

(ग) ऐसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या ऐसी आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल के बीच गहन समन्वय है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) और (ख) रेल गाड़ियों और रेल परिसरों में विगत तीन वर्षों में अपराधों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	रेलगाड़ियों में				रेल परिसरों में			
	चोरी	डकैती	अन्य अपराध	जोड़	चोरी	डकैती	अन्य अपराध	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2006	5806	118	1581	7505	4297	38	6024	10359
2007	6179	89	1592	7860	4760	22	5531	10313

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008	6432	77	1437	7948	5065	21	5494	10580
2009 (मार्च तक)	1640	14	345	1999	1208	3	1365	2576

पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष अर्थात 2006, 2007, 2008 और 2009 (मार्च तक) भारतीय रेल पर रेलगाड़ियों में और रेल परिसरों में अपराध के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए मामलों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है (राज्यवार, क्योंकि यात्रियों के खिलाफ वारदातें संबंधित राज्य की राजकीय रेल पुलिस को रिपोर्ट किए जाते हैं और उनके द्वारा दर्ज एवं छानबीन की जाती है)।

(ग) से (ङ) भारत के संविधान की राज्य सूची में प्रविष्टि सं. 2 के अनुसार, 'पुलिस' (रेलवे और ग्रामीण पुलिस सहित) एक राज्य विषय है। इसलिए रेल परिसरों और चालित रेलगाड़ियों में वारदातों की रोकथाम, मामलों को दर्ज करना, उनकी छानबीन और कानून एवं व्यवस्था का रखरखाव राज्य पुलिस का सांविधिक उत्तरदायित्व है जिसका निर्वहन वह संबंधित राज्य की राजकीय रेल पुलिस (रा.रे.पु.) के माध्यम से करती हैं।

बहरहाल, गाड़ियों और यात्री क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 और रेल अधिनियम, 1989 में संशोधन किया गया था ताकि रेल सुरक्षा बल के माध्यम से रेलवे को रेलों पर वारदातों को नियंत्रित करने में राज्य सरकारों के प्रयासों का प्रभावी तरीके से संपूरण किया जा सके। रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 में संशोधन करके रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की रक्षा करने के लिए रेल सुरक्षा बल की ड्यूटियों में संशोधन किया गया है। इसी प्रकार, रेल अधिनियम 1989 में संशोधन करके रेल सुरक्षा बल को कुछ छोटी-मोटी वारदातों (29 अपराध) जैसे छत पर यात्रा करना, खतरे की जंजीर खींचना, दलाली, बिना टिकट यात्रा, महिला सवारी डिब्बों में अनाधिकार प्रवेश आदि पर संव्यवहार करने की शक्ति प्रदान की गई है।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए जा रहे हैं:-

1. राजकीय रेल पुलिस के समन्वय के साथ रे.सु.ब. द्वारा महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण।

2. रेल सुरक्षा बल द्वारा औसतन 1257 गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है। उसके अलावा, राजकीय रेल पुलिस द्वारा 2329 गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है।

3. रेलगाड़ी मार्गरक्षी दलों को प्रभावित स्टेशनों/खंडों पर विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

4. रेलगाड़ी में यात्रा के दौरान या प्लेटफार्म पर अनाधिकृत फेरीवालों और अज्ञात व्यक्तियों से खाद्य वस्तुएं खरीदने/स्वीकार करने से यात्रियों को रोकने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से आवश्यक घोषणाएं बार-बार की जाती हैं। अखबारों और अन्य मीडिया में इश्तिहारों के जरिये भी यात्रियों को सतर्क किया जाता है।

5. अपराध रूझानों पर चर्चा करने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी नीतियां बनाने के लिए विभिन्न स्तरों अर्थात जोनल और मंडल स्तरों पर राज्य पुलिस और राजकीय रेल पुलिस के साथ नियमित समन्वय बैठकों का आयोजन किया जाता है। इन बैठकों के कार्यवृत्त बनाए जाते हैं जो राजकीय रेल पुलिस एवं स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त निवारक एवं खोजी उपाय करने के लिए फील्ड अधिकारियों को परिपत्रित किए जाते हैं। यात्रियों के खिलाफ वारदातों की समस्या पर चर्चा करने के लिए राजकीय रेल पुलिस प्रमुखों और पुलिस महानिरीक्षकों के साथ भी समन्वय बैठकें की जाती हैं।

विवरण-I

2006, 2007, 2008 और 2009 (मार्च तक) रेलगाड़ियों में रिपोर्ट किए गए अपराध के मामलों की संख्या

राज्य	वर्ष	हत्या	डकैती	चोरी/लूट	नशीली दवा खिलाना	टी.ओ.बी.पी.	अन्य आई.पी.सी. अपराध	कुल अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	2006	0	3	5	74	439	44	565
	2007	2	1	7	35	307	33	385
	2008	2	0	3	16	370	28	419
	2009	0	0	0	3	97	16	116
असम	2006	1	3	8	20	58	32	122
	2007	0	11	9	29	46	17	112
	2008	1	6	5	13	60	22	107
	2009	0	0	0	5	7	1	13
बिहार	2006	6	53	35	15	378	383	870
	2007	5	17	29	14	709	134	908
	2008	7	20	20	32	699	102	880
	2009	1	7	9	6	154	23	200
छत्तीसगढ़	2006	1	1	4	2	150	17	175
	2007	0	0	1	3	132	22	158
	2008	0	0	1	3	161	16	184

	2009	0	0	0	3	36	2	41
दिल्ली	2006	4	0	1	4	197	20	226
	2007	0	0	0	3	164	110	277
	2008	0	0	1	0	178	31	210
	2009	0	0	0	0	41	0	41
गुजरात	2006	1	3	41	34	655	33	767
	2007	2	7	13	46	519	1	588
	2008	1	2	2	41	504	7	557
	2009	1	0	1	11	165	0	178
हरियाणा	2006	0	3	2	0	46	35	86
	2007	1	0	1	0	68	41	111
	2008	0	1	7	1	96	108	213
	2009	0	0	5	0	15	28	48
झारखण्ड	2006	6	20	30	4	176	5	241
	2007	0	18	5	7	110	1	141
	2008	3	16	13	4	84	15	135
	2009	1	5	2	6	30	0	44
कर्णाटक	2006	0	9	6	27	233	1	276
	2007	0	4	11	45	314	0	374
	2008	0	2	15	8	203	3	231
	2009	1	0	3	4	48	6	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
केरल	2006	0	0	5	4	128	23	160
	2007	0	0	4	8	100	19	131
	2008	0	0	1	1	107	27	136
	2009	0	0	1	1	24	7	33
मध्य प्रदेश	2006	1	1	13	21	847	64	947
	2007	4	1	6	53	779	61	904
	2008	1	4	6	43	811	51	916
	2009	0	0	3	9	199	10	221
महाराष्ट्र	2006	9	12	21	62	1098	35	1237
	2007	3	8	30	72	1381	54	1548
	2008	3	12	29	60	1605	86	1795
	2009	0	0	11	26	476	17	530
उड़ीसा	2006	0	0	8	10	236	37	291
	2007	0	3	5	19	153	13	193
	2008	1	1	4	15	133	12	166
	2009	0	0	0	8	59	2	69
पंजाब	2006	1	0	1	1	16	2	21
	2007	0	0	0	0	4	1	5
	2008	0	1	1	0	12	3	17

	2009	0	0	0	0	4	0	4
राजस्थान	2006	1	1	1	28	387	58	476
	2007	1	1	0	19	333	72	426
	2008	0	0	2	25	202	32	261
	2009	0	1	0	4	75	17	97
तमिलनाडु	2006	0	0	1	0	60	59	120
	2007	1	0	1	2	81	71	156
	2008	1	0	7	8	179	65	260
	2009	1	0	2	0	42	14	59
उत्तराखंड	2006	0	0	0	0	24	5	29
	2007	0	0	0	0	9	1	10
	2008	1	0	1	0	34	2	38
	2009	0	0	0	0	7	1	8
उत्तर प्रदेश	2006	7	2	10	8	255	91	373
	2007	12	11	10	29	587	207	856
	2008	1	11	14	18	493	161	698
	2009	1	0	3	2	57	30	93
पश्चिम बंगाल	2006	2	7	15	49	423	27	523
	2007	1	7	9	139	359	37	552
	2008	4	1	8	175	499	34	721
	2009	1	1	4	26	104	5	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अन्य (गोवा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और संघशासित क्षेत्र)	2006	0	0	0	0	0	0	0
	2007	0	0	0	0	24	1	25
	2008	0	0	0	0	2	0	2
	2009	1	0	0	0	0	0	1
जोड़	2006	40	118	207	363	5806	971	7505
	2007	32	89	141	523	6179	896	7860
	2008	26	77	140	466	6432	805	7946
	2009 (मार्च तक)	8	14	44	114	1640	179	1999

विवरण-II

2006, 2007, 2008 और 2009 (मार्च तक) भारतीय रेल पर रेल परिसरों में रिपोर्ट किए गए अपराध के मामलों की संख्या

राज्य	वर्ष	हत्या	डकैती	चोरी/लूट	नशीली दवा खिलाना	टी.ओ.बी.पी.	अन्य आई.पी.सी. अपराध	कुल अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	2006	8	1	6	1	152	100	268
	2007	4	0	2	1	187	77	271
	2008	2	0	3	1	175	72	253
	2009	0	0	0	0	47	12	59
असम	2006	6	0	3	6	34	185	234
	2007	5	1	0	6	31	179	222
	2008	7	0	1	6	23	175	212
	2009	2	0	1	0	3	30	36
बिहार	2006	40	18	26	22	283	788	1177
	2007	35	9	22	34	389	689	1178
	2008	46	4	18	38	467	804	1377
	2009	10	0	4	4	125	183	326
छत्तीसगढ़	2006	7	0	2	0	78	97	184
	2007	1	0	1	0	61	73	136
	2008	6	0	3	0	47	80	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2009	1	0	1	0	11	14	27
दिल्ली	2006	2	0	1	5	609	75	692
	2007	7	0	2	8	424	154	595
	2008	4	1	1	12	448	57	523
	2009	1	0	0	4	103	13	121
गुजरात	2006	12	1	17	7	183	197	417
	2007	15	1	22	12	284	219	553
	2008	9	1	11	12	259	159	451
	2009	4	0	3	0	42	40	89
हरियाणा	2006	18	0	4	6	186	559	773
	2007	17	0	20	23	253	797	1110
	2008	21	0	13	5	382	641	1062
	2009	10	0	3	1	90	215	319
झारखण्ड	2006	15	3	13	3	31	256	321
	2007	10	3	9	2	74	155	253
	2008	18	2	5	4	141	132	302
	2009	5	0	1	0	25	44	75
कर्नाटक	2006	14	3	4	2	130	128	281
	2007	18	0	8	0	117	77	220
	2008	11	3	11	8	96	95	224

	2009	4	1	4	0	33	17	59
केरल	2006	1	0	1	0	30	22	54
	2007	0	0	2	0	50	31	83
	2008	1	0	0	0	42	31	74
	2009	1	0	2	0	13	13	29
मध्य प्रदेश	2006	7	0	19	31	450	523	1030
	2007	8	0	15	5	424	436	888
	2008	6	0	9	9	419	474	917
	2009	1	0	4	1	102	87	195
महाराष्ट्र	2006	15	1	30	9	1432	212	1699
	2007	11	5	35	8	1536	230	1825
	2008	12	6	29	28	1693	301	2069
	2009	3	0	9	5	417	70	504
उड़ीसा	2006	7	6	12	5	46	350	426
	2007	5	2	15	1	105	245	373
	2008	8	0	13	3	130	199	353
	2009	1	2	1	0	37	59	100
पंजाब	2006	11	0	0	1	22	246	280
	2007	14	0	0	1	18	224	257
	2008	10	0	1	1	18	300	330

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2009	2	0	0	0	2	100	104
राजस्थान	2006	6	1	10	8	158	374	557
	2007	3	0	2	4	145	392	546
	2008	0	0	3	2	104	276	385
	2009	0	0	0	0	33	52	85
तमिलनाडु	2006	0	1	2	0	35	287	325
	2007	3	0	3	0	57	217	280
	2008	0	0	1	2	99	160	262
	2009	0	0	1	0	31	43	75
उत्तराखंड	2006	1	0	0	1	20	11	33
	2007	0	0	1	1	8	7	17
	2008	1	0	0	0	6	25	32
	2009	0	0	0	1	2	3	6
उत्तर प्रदेश	2006	5	1	1	1	231	562	801
	2007	4	0	3	3	352	552	914
	2008	7	0	9	3	322	755	1096
	2009	1	0	2	1	43	184	231
पश्चिम बंगाल	2006	25	2	1	6	187	567	788
	2007	19	1	1	10	209	252	492

	2008	18	4	3	8	184	282	499
	2009	11	0	3	0	48	71	133
अन्य (गोवा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और संघशासित क्षेत्र)	2006	0	0	0	0	0	19	19
	2007	6	0	1	7	36	50	100
	2008	0	0	0	0	10	13	23
	2009	0	0	0	0	1	2	3
जोड़	2006	200	38	152	114	4297	5558	10359
	2007	185	22	164	126	4760	5056	10313
	2008	187	21	134	142	5065	5031	10580
	2009 (मार्च तक)	57	3	39	17	1208	1252	2576

हथकरघा क्षेत्र को सहायता

***17. श्री पी. करुणाकरन:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत लोगों की असंतोषजनक स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को केरल राज्य सहित विभिन्न राज्यों से हथकरघा क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) और (ख) जी, हां। हथरकघा क्षेत्र में लगे बुनकरों की दशा यार्न, ऋण, करघे, उचित दरों पर अतिरिक्त उपकरणों जैसे बुनियादी निविष्टियों की नियमित आपूर्ति विशेषकर संगठित मिल तथा विद्युतकरघा क्षेत्रों के साथ ही सज्जित उत्पादों के विपणन में उनके द्वारा सामना की जा रही कड़ी स्पर्धा पर निर्भर होती है। इन समस्याओं से बुनकरों को उबारने तथा उनके कार्य की स्थितियों में सुधार लाने के ध्येय से भारत सरकार ने करघे प्राप्त करने, विपणन आयोजनों, धागे की आपूर्ति तथा अन्य सुविधाओं के अलावा स्वास्थ्य और जीवन बीमा की सुविधा प्रदान करने में उनकी मदद करने हेतु योजनाएं बनाई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार को केरल राज्य सहित अनेक राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अवरुद्ध ऋण सुविधाओं को खोलने तथा उत्पादन और रोजगार चक्र के पुनरुद्धार के लिए बुनकर सहकारी समितियों के दीर्घकालीन बकाया ऋण तथा ब्याज की माफी का अनुरोध किया गया है। ऋण और ब्याज की माफी के लिए एक वित्तीय पैकेज भारत सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

(ङ) भारत सरकार 11वीं योजना अवधि में हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन, उत्पादकता तथा दक्षता संवृद्धि तथा कुशलता उन्नयन के माध्यम से बुनकरों की आय बढ़ाने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने तथा अवसंरचनात्मक एवं विपणन सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

1. एकीकृत हथकरघा विकास योजना।

2. विपणन तथा निर्यात संवर्धन योजना।

3. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना।

4. मिल गेट कीमत योजना।

5. विविधीकृत हथकरघा विकास योजना।

नागर विमानन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***18. श्री वैजयंत पांडा:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू विमान कंपनियों में विदेशी विमान कंपनियों को निवेश करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को घाटे में चल रही विमान कंपनियों तक ही सीमित रखने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) विदेशी एयरलाइनों को घरेलू एयरलाइन में निवेश करने की अनुमति दिये जाने संबंधी प्रस्ताव की जांच-पड़ताल की जा रही है।

बंद पड़े/रुग्ण उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार

***19. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:**

श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बंद पड़े/रुग्ण उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और उनके बंद/रुग्ण होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन संयंत्रों का पुनरुद्धार करने का है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या पुनरुद्धार कार्यक्रम में तलचर उर्वरक संयंत्र को शामिल किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकारी क्षेत्र की उर्वरक इकाइयों के लिए प्रस्तावित आधुनिकीकरण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम.के. अलागिरी): (क) से (च) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र की नौ उर्वरक कंपनियों में से तीन रुग्ण हैं जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) में पंजीकृत हैं। ये फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफ.सी.आई.एल.), हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.एफ.सी.एल.) और मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम.एफ.एल.) हैं। इन तीन कंपनियों में से एफ.सी.आई.एल. और एच.एफ.सी.एल. की इकाइयां वर्तमान में 2002 से बंद हैं। एम.एफ.एल. को बी.आई.एफ.आर. में 2007 से एक रुग्ण कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। बंद/रुग्ण इकाइयों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

I. बंद पड़ी इकाइयां

1. पी.एस.यू. का नाम: फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफ.सी.आई.एल.)

इकाई का नाम	राज्य जिसमें स्थित है	इकाई के बंद होने की तारीख	बंद करने संबंधी सरकार का निर्णय	बंद होने के कारण
सिंदरी	झारखण्ड	मार्च, 2002	5-9-2002	एफ.सी.आई.एल. नामक मूल कंपनी को विभिन्न कारणों जैसे संयंत्रों के पुरानेपन, पुरानी प्रौद्योगिकी, उपकरण/क्षमता के बेमेल होने और उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए निवेश के अभाव के कारण लगातार घाटा हो रहा था।
गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	1990	18-7-2002	
तलचर	उड़ीसा	1-4-1999	18-7-2002	
रामागुण्डम	आन्ध्र प्रदेश	1-4-1999	18-7-2002	
कोरबा उर्वरक परियोजना	छत्तीसगढ़	कभी चालू नहीं हुई	लागू नहीं होता	

2. पी.एस.यू. का नाम: हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.एफ.सी.एल.)

दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल	1997	5-9-2002	मूल कंपनी अर्थात् एच.एफ.सी.एल. को अनेक कारणों जैसे पुरानी प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उपकरणों के अभाव, बिजली की कमी, औद्योगिक संबंधों की समस्याओं, अधिशेष जनशक्ति तथा संसाधन कमी के कारण लगातार घाटा हो रहा था।
बरौनी	बिहार	1999	5-9-2002	
हल्दिया फर्टि-लाइजर परियोजना	पश्चिम बंगाल	कभी चालू नहीं हुई	18-7-2002	

II. रुग्ण उर्वरक पी.एस.यू.

पी.एस.यू. का नाम: मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम.एफ.एल.)

एम.एफ.एल. की मनाली में केवल एक इकाई है जो तमिलनाडु में स्थित है। यह इकाई लगातार घाटे में चल रही है, लेकिन उत्पादन को बनाए रखा जा रहा है, यद्यपि यह स्थापित क्षमता से कम है।

III. संयंत्रों का पुनरुद्धार करने के लिए सरकार का प्रस्ताव

(क) बंद इकाइयों का पुनरुद्धार

दिनांक 12-4-2007 को सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में सरकार द्वारा एफ.सी.आई.एल. और एच.एफ.सी.एल. की विभिन्न बंद इकाइयों के पुनरुद्धार की संभावना की जांच की गई थी बशर्ते की गैस की सुनिश्चित उपलब्धता हो। प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पी.डी.आई.एल.), जो उर्वरक क्षेत्र में एक अग्रणी परामर्शी संगठन है, द्वारा बंद इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए तैयार की गई प्रौद्यो-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्टों के अनुसार नई निवेश नीति के अंतर्गत गैस पर आधारित बंद इकाइयों का पुनरुद्धार आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाया गया है। पी.डी.आई.एल. ने मत व्यक्त किया था कि पुनरुद्धार आर्थिक रूप से व्यवहार्य था बशर्ते कि भारत सरकार के बकाया ऋणों और इकाइयों की ब्याज देनदारियों को माफ कर दिया जाए तथा अन्य बकाया राशि को संबंधित ऋणदाताओं से निपटा लिया जाए। तदनुसार, सरकार ने 30 अक्तूबर, 2008 को उर्वरक विभाग के उर्वरक पी.एस.यू./सहकारी समितियों द्वारा समर्थित विशेष प्रयोजन तंत्र (एस.पी.वी.) के जरिए हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन की बरौनी इकाई के पुनरुद्धार के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव पर विचार किया। एस.पी.वी. द्वारा बरौनी में बंद उर्वरक इकाई की पूर्ण अनुबंधित पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत की जाएगी।

2. सरकार ने प्रत्येक बंद इकाई के पुनरुद्धार के लिए सभी वित्तीय मॉडलों पर विचार करने के लिए सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति का गठन करने का भी अनुमोदन दिया है जिसके सदस्य व्यय विभाग, विनिवेश विभाग, योजना आयोग, लोक उद्यम विभाग तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव हैं। समिति बंद इकाइयों के पुनरुद्धार की सुविधा प्रदान करने के लिए गैस सहित विभिन्न संपर्कों पर भी विचार-विमर्श करेगी। समिति सरकार को प्रत्येक बंद इकाई के पुनरुद्धार के लिए मॉडल सहित अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

3. सरकार ने एफ.सी.आई.एल. और एच.एफ.सी.एल. पर भारत सरकार के ऋण और ब्याज देनदारियों को बट्टे खाते में डालने पर विचार करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन भी प्रदान किया है। माफी पर अंतिम निर्णय सरकार को पूर्ण अनुबंधित प्रस्ताव प्राप्त होने पर लिया जाएगा।

(ख) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की रुग्ण इकाई का पुनरुद्धार

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के वित्तीय पुनर्गठन का प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है। कंपनी ने उपाय सुझाने तथा कंपनी के वित्तीय पुनरुद्धार के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए मैसर्स डेलोईट कंसलटेन्ट्स को नियुक्त किया था। परामर्शदाता की रिपोर्ट पर कंपनी द्वारा विचार किया जा रहा है। चूंकि प्रस्ताव में कंपनी की शेयर पूंजी का पुनर्गठन करना भी शामिल है, अतः मामले पर लघु शेयरधारकों अर्थात् मैसर्स नैफ्टीरन इंटर-ट्रेड कंपनी लिमिटेड (एन.आई.सी.ओ.) के साथ परामर्श किया जा रहा है जिनके द्वारा इस मामले में दी गई प्रतिक्रिया पर भी विचार किया जा रहा है।

इसके अलावा, सरकार ने यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य-निर्धारण योजना, चरण-III में हाल में एक संशोधन को अनुमोदित किया है जिससे यूरिया प्रचालनों पर एम.एफ.एल. का घाटा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और कंपनी के लिए यूरिया का उत्पादन एक लाभप्रद उद्यम बन जाएगा। इसी प्रकार, 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी रियायत योजना के अंतर्गत एम.एफ.एल. द्वारा मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन लाभप्रद हो गया है।

IV. पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

दिनांक 30-10-2008 के निर्णय के अनुसरण में अधिकार प्राप्त सचिवों (ई.सी.ओ.एस.) की एक समिति का गठन किया गया है। ई.सी.ओ.एस. द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एच.एफ.सी.एल. और एफ.सी.आई.एल. द्वारा ब्राउन फील्ड उर्वरक परियोजना के जरिए इन इकाइयों के पुनरुद्धार और उस पर वित्त-पोषण हेतु विभिन्न व्यवहार्य विकल्पों का सुझाव देने के लिए तकनीकी और वित्तीय परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है। परामर्शदाताओं की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

एफ.सी.आई.एल. के तलचर उर्वरक संयंत्र के पुनरुद्धार की स्थिति

तलचर इकाई आठ बंद इकाइयों में से एक है जिसके लिए उर्वरक विभाग तथा कंपनियों द्वारा ऊपर उल्लिखित अनुसार पुनरुद्धार हेतु विभिन्न कार्रवाइयां प्रारम्भ की गई हैं।

V. उर्वरक पी.एस.यू. के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा

पी.एस.यू. द्वारा सूचित किए गए अनुसार आधुनिकीकरण कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर.सी.एफ.)

आर.सी.एफ. ने 488.75 करोड़ रुपए की लागत से थाल अमोनिया संयंत्रों का पुनरुद्धार प्रारम्भ किया है। योजना में अमोनिया क्षमता को बढ़ाकर 2x1750 एम.टी.पी.डी. करने तथा मौजूदा यूरिया क्षमता को 17.07 लाख मी.टन से बढ़ाकर 20 लाख मी.टन वार्षिक करने की संबंधित वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

ख. फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (फैक्ट)

मिश्रित उर्वरक: वर्तमान में, फैक्ट की स्थापित क्षमता उत्पादन 6.33 लाख मी.टन प्रतिवर्ष मिश्रित 20:20:0:13 (उद्योगमंडल प्रभाग और कोचीन प्रभाग दोनों) है। फैक्ट द्वारा वार्षिक मिश्रित उर्वरक उत्पादन को कोचीन प्रभाग में मौजूदा संयंत्र का 200 करोड़ रुपए की कुल लागत से पुनरुद्धार करके 10 लाख मी.टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने की योजना है।

ग. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एन.एफ.एल.)

नांगल, भठिण्डा और पानीपत में कंपनी के यूरिया इकाई आधारित ईंधन तेल (एफ.ओ.)/लो सल्फर हैवी स्टॉक (एल.एस.एच.एस.) को 4,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से प्राकृतिक गैस आधारित इकाई में परिवर्तित किया जाना है।

15-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

***20. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु इस समय कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम को पूरी तरह से कार्यान्वित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को सभी राज्यों में कार्यान्वित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं से राज्यवार अभी तक कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यान्वित योजनाएं इस प्रकार हैं:-

- मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना
- मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
- मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना
- नि:शुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना
- बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ऋण मुहैया कराने हेतु योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को इक्विटी योगदान
- शिक्षा को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता-अनुदान

योजनाओं से संबंधित विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.nic.in पर उपलब्ध है:-

(ख) और (ग) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में हुई थी। इस नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य, पद्दलितों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के अलाभान्वित वर्गों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यकों को समान रूप से प्राप्त हो, नए कार्यक्रम में विकास परियोजनाओं का कुछ भाग अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अवस्थित करने की व्यवस्था की गई है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जहां कहीं सम्भव हो, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों और परिव्ययों का 15 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

15-सूत्री कार्यक्रम में शामिल वे योजनाएं जो अल्प-संख्यकों के लिए निर्धारण हेतु सुविधाजनक है, की सूची इस प्रकार है:-

- समन्वित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना जिसके तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करायी जाती है (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)
- सर्व शिक्षा अभियान (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) (आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय)
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) का उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उन्नयन (श्रम व रोजगार मंत्रालय)
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत बैंक ऋण (वित्तीय सेवा विभाग)
- इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 8-01-2007 को सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को इस आशय के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सरकारी तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अल्पसंख्यकों की भर्ती पर विशेष ध्यान दिया जाए। गृह मंत्रालय ने भी जून, 2008 में सभी राज्यों/संघ राज्यों को साम्प्रदायिक सौहार्द संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया है। 15-सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल इन सभी योजनाओं और पहलों को देश भर में सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

(घ) और (ङ) सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सभी तीन योजनाओं अर्थात मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति और मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है तथा इन योजनाओं के तहत स्वीकृत छात्रवृत्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्रमशः संलग्न विवरण I, II और III में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	
		2007-08	2008-09
1	2	3	4
1.	अण्डमान व निकोबार	0	5
2.	आन्ध्र प्रदेश	889	1411
3.	असम	504	1372
4.	बिहार	1595	2500
5.	छत्तीसगढ़	11	78
6.	चण्डीगढ़	6	25
7.	दिल्ली	178	322
8.	गोवा	29	52

1	2	3	4
9.	गुजरात	195	526
10.	हरियाणा	132	344
11.	हिमाचल प्रदेश	11	19
12.	जम्मू-कश्मीर	1012	1392
13.	झारखंड	399	620
14.	कर्नाटक	879	1383
15.	केरल	1786	2239
16.	मध्य प्रदेश	393	490
17.	महाराष्ट्र	1126	2006
18.	मणिपुर	83	158
19.	मेघालय	3	51
20.	मिजोरम	88	179
21.	उड़ीसा	84	188
22.	पुडुचेरी	4	10
23.	पंजाब	528	592
24.	राजस्थान	550	882
25.	तमिलनाडु	1311	1659
26.	त्रिपुरा	2	23
27.	उत्तर प्रदेश	3539	4268
28.	उत्तराखंड	24	65
29.	पश्चिम बंगाल	1897	3336
	योग	17258	26195

विवरण-II

वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए स्वीकृत मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	
		2007-08	2008-09
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2070	7178
2.	असम	562	7917
3.	बिहार	5442	12750
4.	छत्तीसगढ़	148	415
5.	गोवा	110	159
6.	गुजरात	1878	3885
7.	हरियाणा	256	1934
8.	हिमाचल प्रदेश	63	158
9.	जम्मू-कश्मीर	129	1738
10.	झारखंड	973	3500
11.	कर्नाटक	5721	7232
12.	केरल	4321	13018
13.	मध्य प्रदेश	1615	4319
14.	महाराष्ट्र	5170	11551
15.	मणिपुर	147	908
16.	मेघालय	9	56
17.	मिजोरम	682	1226
18.	नागालैंड	0	27
19.	उड़ीसा	125	837
20.	पंजाब	1585	2647
21.	राजस्थान	1905	4341

1	2	3	4
22.	तमिलनाडु	2858	8004
23.	त्रिपुरा	71	203
24.	उत्तर प्रदेश	12503	31995
25.	उत्तराखंड	193	71
26.	पश्चिम बंगाल	8054	23235
27.	अण्डमान व निकोबार	25	24
28.	चंडीगढ़	10	110
29.	दादरा व नगर हवेली	0	17
30.	दमन व द्वीप	0	4
31.	दिल्ली	456	951
32.	पुडुचेरी	31	122
	योग	57112	150532

विवरण-III

वर्ष 2008-09 के लिए स्वीकृत मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	25923
2.	बिहार	43582
3.	छत्तीसगढ़	1600
4.	गोवा	151
5.	हरियाणा	3727
6.	हिमचाल प्रदेश	540
7.	जम्मू-कश्मीर	4842
8.	झारखंड	12003
9.	कर्नाटक	21018
10.	केरल	46347
11.	मध्य प्रदेश	13719
12.	महाराष्ट्र	58052
13.	मणिपुर	1960
14.	मेघालय	5479
15.	मिजोरम	2661
16.	उड़ीसा	3542
17.	पंजाब	49996
18.	राजस्थान	18775
19.	तमिलनाडु	24135
20.	त्रिपुरा	821

1	2	3
21.	उत्तर प्रदेश	97785
22.	पश्चिम बंगाल	68235
23.	अण्डमान व निकोबार	220
24.	चंडीगढ़	398
25.	दादरा व नगर हवेली	21
26.	दमन व द्वीप	30
27.	दिल्ली	6918
28.	पुडुचेरी	177
	योग	512657

पश्चिम बंगाल में उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोत्तरी

1. श्री नरहरि महतो: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में उर्वरकों की कीमतें चिन्ताजनक रूप से बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य में उर्वरकों की कालाबाजारी के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस कालाबाजारी को रोकने तथा पश्चिम बंगाल में किसानों को राजसहायता प्राप्त दरों पर उर्वरक की आपूर्ति करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) जी नहीं। उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफ.सी.ओ.), 1985 के खंड 21 के तहत सभी प्रकार के उर्वरकों के कंटेनर पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित करना अनिवार्य है, चाहे वे सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं अथवा सांविधिक मूल्य नियंत्रण के प्रावधानों से बाहर हैं। कोई भी व्यक्ति बैग पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल नहीं करेगा। एफ.सी.ओ. के इस अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को एफ.सी.ओ. के प्रावधानों और अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत दोषी ठहराया जाता है। इन नियमों को लागू करने वाली एजेंसी के रूप में राज्य सरकारों को उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं ताकि वे कालाबाजारी सहित किसी भी प्रकार के कदाचार में शामिल अपराधी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई कर सकें।

[हिन्दी]

आन्ध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2. श्री अंजनकुमार एम. यादव: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में वर्तमान में कार्य कर रहे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन उद्योगों द्वारा उद्योग-वार, मात्रा-वार निर्यात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम होने के लिए इन उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश समेत देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/इकाइयों संबंधी आंकड़े तथा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के ब्यौरे केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार संबंधी स्कीम के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का 25% की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है तथा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) चूंकि, वित्तीय सहायता स्कीमें परियोजना उन्मुखी हैं, अत: धनराशि का राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है।

2007-08 तथा 2008-09 के दौरान आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रमुख विभिन्न स्कीमों के तहत विभिन्न इकाइयों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

स्कीम का नाम	2007-08		2008-09	
	संख्या	वित्तीय सहायता (लाख रुपये में)	संख्या	वित्तीय सहायता (लाख रुपये में)
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/ प्रौद्योगिकी उन्नयन/विस्तार/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम	43	947.49	48	908.999
बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम	-	-	4	989.715
खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं	2	1.75	1	1.32
मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम	1	0.25	1	0.245

वित्तीय सहायता के त्वरित संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने 01-04-2007 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार संबंधी स्कीम के तहत ई-पोर्टल के जरिए बैंकों के माध्यम से संवितरण प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण किया है।

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य संवर्धनात्मक उपायों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधा विकास का सृजन, अनुसंधान एवं विकास को समर्थन, मानव संसाधन विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजना स्कीमें तैयार और कार्यान्वित की हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर विचार करते हुए विशिष्ट खाद्य वस्तुओं पर कर में कमी, उत्पाद शुल्क को समाप्त करने/कमी करने, उत्पाद शुल्क में कमी जैसे अनेक उपाए किए हैं। इसके अलावा, यह मंत्रालय खाद्य गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट, जैसी गुणवत्ता प्रणालियों के कार्यान्वयन, अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास संबंधी अपनी योजना स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराता है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें।

[अनुवाद]

विमान यातायात नियंत्रकों की कमी

3. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने विमान यातायात नियंत्रकों (ए.टी.सी.) की आवश्यकता है तथा उनकी वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या ए.टी.सी. की कमी के कारण विमान टकराव की घटनाएं होते-होते बची हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने और अधिक ए.टी.सी. की भर्ती करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) विमान यातायात नियंत्रकों (ए.टी.सी.) की स्वीकृत संख्या 2107 है जबकि इस समय कुल मिलाकर 1630 नियंत्रक ही तैनात हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) देश में नये हवाईअड्डों, नये ए.टी.सी. सेक्टरों के खुल जाने और हवाई यातायात में वृद्धि होने की वजह से नियंत्रकों की अतिरिक्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2008 में कनिष्ठ इंजीनियरों (जे.ई.) (ए.टी.सी.) के 300 पद भरे गये और प्रबंधक (ए.टी.सी.) के 68 पदों को भरे जाने की प्रक्रिया अग्रिम अवस्था में है। जे.ई. (ए.टी.सी.) के 100 पदों के लिए विज्ञापन दिया जा चुका है और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभिक अवस्था में है। प्रबंधक (ए.टी.सी.) के अतिरिक्त 62 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी प्रारंभिक अवस्था में है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

त्वरित न्यायालय

4. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए दंगा मामलों हेतु विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा, संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श कर त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना की गई है। बलवा संबंधी मामलों के लिए विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के बारे में ऐसा कोई सुझाव न्याय विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाएं

5. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में चालू/लंबित रेल परियोजनाओं सहित किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने नये रेल मंडल बनाने का कोई प्रस्ताव किया है और इस परियोजना में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) मनमाड-धुले-सूरत तथा नासिक जिला में नासिक-पुणे मार्ग परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) (क) महाराष्ट्र में सर्वेक्षण सहित चल रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	चल रही परियोजना का नाम	किमी.	प्रत्याशित लागत	मौजूदा स्थिति तथा लक्ष्य जहां कहीं निर्धारित हों
1	2	3	4	5
नई लाइन				
1.	अहमदनगर-बीड-पर्ली वैद्यनाथ	261.25	262.67	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। अहमदनगर-नारायणदोह खण्ड पर 71% मिट्टी संबंधी कार्य, सभी बड़े तथा छोटे पुलों संबंधी कार्य पूरे हो चुके हैं।

1	2	3	4	5
2.	अमरावती-नारखेड़	138	284.27	अमरावती से चांदूर बाजार तक (44 किमी.) का खण्ड पूरा हो चुका है। चांदूर बाजार नारखेड़ खण्ड में मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी कार्य, गिट्टी इकट्ठा करने संबंधी कार्य शुरू हो चुका है।
3.	बारामती-लोनाड	54	138.48	लोनाड-फाल्टन (27 किमी.) - सभी बड़े पुलों तथा 16 छोटे पुलों संबंधी कार्य पूरा हो चुका है।
4.	पुनताम्बा-शिरडी	17.8	79.77	पूरा हो चुका है तथा यातायात के लिए खोल दिया गया है।
5.	वर्धा-नांदेड़	270	697	वर्धा-देवली (16 किमी.) के लिए भूमि अधिग्रहण तथा बड़े पुलों के लिए आकलन की मंजूरी मिल चुकी है तथा कार्य शुरू हो चुका है।
आमान परिवर्तन				
1.	अकोला-पुर्ना	210	245.22	पूरा हो चुका है तथा यातायात के लिए खोल दिया गया है।
2.	बालाघाट-कटांगी सहित जबलपुर-गोंदिया	285	524.88	गोंदिया-बालाघाट पूरा हो चुका है। शेष हिस्सों पर भूमि अधिग्रहण, मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य शुरू हो चुका है।
3.	मिरज-लातूर	374	515.57	कुर्डूवाडी-पंढरपुर तथा लातूर-लातूर रोड नई लाइन के भाग का आमान परिवर्तन पूरा हो चुका है। पंढरपुर-मिरज (13.7 किमी.) खण्ड के शेष भाग में मिट्टी, पुल संबंधी कार्य शुरू हो चुका है।
4.	सोलापुर (होटगी)-गदक	284	357.7	पूरा हो चुका है तथा यातायात के लिए खोल दिया गया है।
5.	छिंदवाड़ा-नागपुर	149.52	383.79	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। मिट्टी संबंधी कार्य तथा पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है।
दोहरीकरण				
1.	दीवा-कल्याण-5वीं और 6ठी लाइन	10.73	70	कार्य पूरा हो चुका है तथा यातायात के लिए खोल दिया गया है।

1	2	3	4	5
2.	पनकी-मोहोल	17	42.73	कार्य पूरा हो चुका है तथा यातायात के लिए खोल दिया गया है।
3.	पनकी-सोलापुर	16.28	38.52	कार्य पूरा हो चुका है तथा यातायात के लिए खोल दिया गया है।
4.	पनवेल-पेन	35.46	96.16	मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है।
5.	पेन-रोहा	40	98.74	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है।
मुंबई शहरी यातायात परियोजना				
1.	मुंबई शहरी परिवहन परियोजना	-	3480.7	विभिन्न चरणों में संतोषजनक रूप से कार्य प्रगति पर और इसके दिसंबर, 2010 तक पूरा होने की संभावना है।
2.	मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (चरण-2)-रेल कलपुर्जा	-	5300	इस कार्य को 2008-09 के बजट में शामिल कर लिया गया है और निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।
3.	सांताक्रुज-बोरीवली-5वीं लाइन	16.37	93.71	कार्य पूरा हो चुका है और इसे यातायात के लिए खोल दिया है।
रेल विद्युतीकरण				
1.	रेल विद्युतीकरण-उधना-जलगांव	306	144.42	कार्य पूरा हो चुका है और इसे यातायात के लिए खोल दिया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरा किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	सर्वेक्षण का नाम	किमी.
1.	बल्लारशाह-काजीपेट-तीसरी लाइन	234
2.	चिंचवाड-रोहा	105
3.	मनमाड-इंदौर बरास्ता मालेगांव-धूले	350
4.	अचलपुर-मुर्तिजापुर-यवतमाल, पुलगांव-अरवी	221
5.	इटारसी-नागपुर-वर्धा-बल्लारशाह - तीसरी लाइन	306
6.	पुणे-मिरज-कोल्हापुर	326

1	2	3	4	5
	7.	शिरपुर-महू		185
	8.	वाडसा-अमरौली-गडचिरौली		183

(ख) जी नहीं, महाराष्ट्र में फिलहाल, कोई नया रेल मंडल सृजित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजनाएं प्रगति पर हैं। ठेके के विफल होने के कारण मिरज-लातूर के मिरज-पंढरपुर का आमान परिवर्तन कार्य निर्धारित समय से पिछड़ गया है। ग्रामवासियों के विरोध के कारण पेन-रोहा के दोहरीकरण के कार्य में विलंब हो रहा है।

(च) मनमाड से इंदौर नई लाइन के प्रस्ताव को अपेक्षित अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। धूले-सूरत और पुणे-नासिक के सर्वेक्षण की स्वीकृति नहीं मिली है।

वक्फ बोर्ड का आधुनिकीकरण

6. श्री गणेश सिंह: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में वक्फ बोर्ड का आधुनिकीकरण करने तथा उनके अधिकार बढ़ाने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय किये जाने की संभावना है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विवरण तैयार किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

मंड्या रेलवे स्टेशन का विस्तार तथा आधुनिकीकरण

7. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का कर्नाटक में मंड्या रेलवे स्टेशन का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के कब तक शुरू होने की संभावना है तथा इसे कब तक पूरा किया जाना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) आधुनिकीकरण तथा सौंदर्यीकरण के लिए कर्नाटक में मंडया रेलवे स्टेशन का मॉडर्न स्टेशन के रूप में चयन किया गया है।

(ख) से (घ) मंडया स्टेशन पर पूरे किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में स्टेशन भवन का सौंदर्यीकरण तथा ढांचे में परिवर्तन, वाहनों का उचित ढंग से प्रवेश/निकास सुनिश्चित करने के लिए परिचलन क्षेत्र में सुधार, प्लेटफार्म, कनकॉर्स पर उन्नत आधुनिक, लागत प्रभावी रोशनी की व्यवस्था आदि, नवीनतम पानी के बूथ, नवीनतम आधुनिक "भुगतान करो और इस्तेमाल करो" शौचालय, आधुनिक फर्नीचर के साथ प्रतीक्षा एवं विश्राम कक्ष, लंबी गाड़ियों को समायोजित करने के लिए प्लेटफार्म का विस्तार तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था शामिल है।

यात्री आरक्षण प्रणाली कार्यालय में सुधार, रेलवे सुरक्षा बल आउट पोस्ट के निर्माण तथा मौजूदा ऊपरी पैदल पुल को कवर करने का कार्य 31-3-2010 तक पूरा किया जाना है।

[हिन्दी]

बहराइच-तुलसीपुर रेल लिंक

8. डा. विनय कुमार पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का उत्तर-पूर्व रेलवे के अंतर्गत बहराइच रेलवे स्टेशन को बरास्ता सिरसिया-तुलसीपुर रेलवे स्टेशन भिंगा से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हाल ही में प्राप्त मांग की जांच की जा रही है।

पुराने रेल ईंजन

9. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पठानकोट-जोगिन्दर नगर रेल मार्ग पर रेलगाड़ियों में पुराने रेल ईंजन जोड़े जा रहे हैं जो अक्सर रास्ते में ही खराब हो जाते हैं जिससे रेलगाड़ियां स्टेशनों पर समय से नहीं पहुंच पाती हैं तथा सवारी डिब्बे भी काफी पुराने हैं जिससे यात्रियों को यात्रा में असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार चरणबद्ध तरीके से इन्हें बदलने हेतु योजना तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दावणगेरे रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

10. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को दावणगेरे सहित कर्नाटक में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दावणगेरे में रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का कार्य कब तक शुरू और पूरा होने की संभावना है; और

(घ) अब तक इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित व जारी की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) दावनगेरे स्टेशन सहित कर्नाटक में 32 स्टेशनों को आधुनिकीकरण के प्रयोजन हेतु और सौन्दर्यीकरण के लिए आधुनिक स्टेशनों के रूप में चयन किया गया है।

(ग) दावनगेरे स्टेशन पर आधुनिकीकरण कार्यों जैसे स्टेशन भवन का सौंदर्यीकरण और परिचलन क्षेत्र का सुधार, 2007-08 के दौरान शुरू किया गया था, कार्य अब समाप्त हो चुका है।

(घ) वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान दावनगेरे स्टेशन के आधुनिकीकरण के प्रयोजन हेतु आवंटित/विनिर्मुक्त राशि क्रमश: 1 लाख रु., 64.30 लाख रु. और 112.15 लाख रु. है।

[हिन्दी]

रेल दुर्घटनाएं

11. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वचालित सिग्नलिंग की विफलता तथा सीमित रेल पटरियों की क्षमता से ज्यादा रेलगाड़ियां चलाने के कारण रेलगाड़ी दुर्घटनाओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो रेल पटरी क्षमता में वृद्धि हेतु रेलवे द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलगाड़ी सुरक्षा तथा चेतावनी प्रणाली का उपयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) कुछ विचार प्राप्त हुए हैं, जो यह सुझाव देते हैं कि लदान में वृद्धि होने से रेल पथों के निष्पादन पर दीर्घकाल में प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले पर सघन निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में आंकड़े समेकित किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) जी हां। गाड़ी सुरक्षा तथा चेतावनी प्रणाली (टी.पी.डब्ल्यू.एस.) की दो पॉयलट परियोजनाएं, एक

दक्षिण रेलवे पर चेन्नै सेन्ट्रल तथा गुम्मीदीपुंडी के बीच तथा दूसरी उत्तर तथा उत्तर मध्य रेलवे के दिल्ली-आगरा खंड पर स्वीकृत की गई है।

[अनुवाद]

रेल डिब्बों में आग लगने की घटनाएं

12. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे रेल डिब्बों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुई ऐसी घटनाओं का मंडलवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन घटनाओं में कितने यात्री घायल हुए/मारे गए तथा रेलवे संपत्ति का कितना नुकसान हुआ;

(घ) क्या रेलवे ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। रेलवे सवारी डिब्बों में आग लगने की घटनाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) वर्ष 2006, 2007 और 2008 में सवारी डिब्बों में आग लगने की घटनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। निवारक उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है:

1. रेलगाड़ियों में ज्वलनशील सामग्रियों और खतरनाक सामानों की ढुलाई के विरुद्ध अक्सर अभियान चलाए जाते हैं। दोषियों को रेल अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत बुक किया जाता है और मुकदमा दर्ज किया जाता है।
2. रेलगाड़ियों में धूम्रपान के खिलाफ नियमित रूप से जांचें की जाती हैं और अपराधियों के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 167 के अंतर्गत मुकदमें दर्ज किए जाते हैं।
3. रेलवे आपातकाल में उपयोग हेतु रेल इंजनों, वातानुकूल सवारीडिब्बों, एस.एल.आर. और रसोई यानों में अग्निशामक उपलब्ध करा रही है।
4. रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर सामानों और पार्सलों की रे.सु.ब./रा.रे.पु. और वाणिज्य कर्मचारियों द्वारा औचक जांचें की जाती हैं। रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन के लिए बुक किए गए दुपहिया वाहनों की भी जांचें की जाती हैं और अगर वाहनों में पेट्रोल पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गरक्षी रे.सु.ब./रा.रे.पु. अपनी ड्यूटी पर सतर्क हैं अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा भी औचक जांचें की जाती हैं।
5. जनउद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को शिक्षित किया जा रहा है और प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से रेलगाड़ियों में ज्वलनशील सामग्री की ढुलाई के खतरों के बारे में यात्री सजगता अभियान चलाए जा रहे हैं।
6. संदिग्ध तत्वों की हरकतों पर निगरानी रखने के लिए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर निगरानी कैमरे लगाए गए हैं।
7. सभी मार्गरक्षी रेलगाड़ी कर्मचारियों और स्टेशन ड्यूटी कर्मचारियों को अग्निशामक इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और किसी संभावित घटना की स्थिति में नजदीकी दमकल स्टेशन को सूचित करने के लिए भी कहा जाता है।

विवरण

रेलवे	मंडल	वर्ष	आग लगने की घटना की संख्या	घायल यात्रियों की संख्या	मारे गए यात्रियों की संख्या	रेलवे संपत्ति की क्षति (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	मुंबई वीटी	2006	02	शून्य	शून्य	शून्य
		2007	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2008	01	शून्य	शून्य	85200
	भुसावल	2006	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2007	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2008	01	शून्य	शून्य	2100000
	पुणे	2006	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2007	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2008	01	शून्य	शून्य	100000
पूर्व		शून्य				
पूर्व मध्य	दानापुर	2006	01	शून्य	शून्य	निश्चित नहीं हो सका
		2007	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2008	01	शून्य	शून्य	2350000
	मुगलसराय	2006	01	शून्य	शून्य	43000
		2007	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

पूर्व तट		शून्य				
उत्तर	लखनऊ	2006	01	शून्य	शून्य	9000
		2007	01	शून्य	शून्य	1300000
		2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दिल्ली-I	2006	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2007	02			26500
		2008	01	शून्य	शून्य	1750000
	दिल्ली-II	2006	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2007	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2008	01	शून्य	शून्य	12000000
उत्तर मध्य	इलाहाबाद	2006	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2007	04	शून्य	शून्य	1510000
		2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आगरा	2006	01	शून्य	शून्य	800000
		2007	01	शून्य	शून्य	120000
		2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	झांसी	2006	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2007	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2008	01	शून्य	शून्य	1745000
पूर्वोत्तर	लखनऊ	2006	01	शून्य	शून्य	745000
		2007	02	शून्य	शून्य	2300000

1	2	3	4	5	6	7
		2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वाराणसी	2006	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2007	05	शून्य	शून्य	365700
		2008	01	शून्य	शून्य	शून्य
पूर्वोत्तर सीमा	अलीपुर द्वार	2006	01	शून्य	शून्य	1002992
		2007	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	रंगिया	2006	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2007	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2008	01	शून्य	शून्य	87000
उत्तर पश्चिम		शून्य				
दक्षिण	चेन्नै	2006	02	शून्य	शून्य	1095000
		2007	01	शून्य	शून्य	35000
		2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	तिरुचिरापल्लि	2006	01	शून्य	शून्य	2000
		2007	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2008	01	शून्य	शून्य	500000
	मदुरै	2006	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2007	01	शून्य	शून्य	347816
		2008	02	शून्य	शून्य	2519456

दक्षिण पूर्व	खड़गपुर	2006	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2007	01	शून्य	शून्य	1500000
		2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	रांची	2006	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2007	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2008	02	शून्य	शून्य	841655*
			*(एक घटना की लागत अभी निश्चित की जानी है)			
दक्षिण पूर्व मध्य	बिलासपुर	2006	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2007	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2008	01	शून्य	शून्य	अभी निश्चित की जानी है
	रायपुर	2006	01	शून्य	शून्य	19000
		2007	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दक्षिण मध्य	सिकंदराबाद	2006	01	शून्य	शून्य	18822190
		2007	02	शून्य	शून्य	12442000
		2008	01	10	27	19894900
	विजयवाड़ा	2006	02	शून्य	शून्य	200000
		2007	01	शून्य	शून्य	शून्य
		2008	01	शून्य	शून्य	250000
दक्षिण पश्चिम	बेंगलुरू	2006	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2007	01	शून्य	शून्य	461487

1	2	3	4	5	6	7
		2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पश्चिम	मुंबई सेंट्रल	2006	01	शून्य		70000
		2007	02	शून्य	शून्य	188000
		2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वड़ोदरा	2006	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2007	02	शून्य	शून्य	3414700
		2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	भावनगर	2006	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2007	01	शून्य	शून्य	47000
		2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पश्चिम मध्य	कोटा	2006	01	शून्य	शून्य	897000
		2007	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोंकण रेलवे		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जोड़		**2006**	**17**	**शून्य**	**शून्य**	**22610182**
		2007	**27**	**शून्य**	**शून्य**	**26158203**
		2008	**17**	**10**	**27**	**43218211**
सकल योग			61	10	27	91986596

आम आदमी को न्याय

13. श्री नामा नागेश्वर राव : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आम आदमी को वहनीय तथा सुलभ न्याय दिलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (घ) जी हां। सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है जो मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए या जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है, वहां निकटवर्ती ग्राम पंचायतों के समूह के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए उपबंध करता है। ये न्यायालय, ग्रामीण क्षेत्रों में, आम आदमी को सुलभ और सुगम न्याय प्राप्त कराएगा।

सरकार ने, (i) सभी संबद्ध राज्यों में एक बार अधिनियम के प्रवृत्त होने पर सभी राज्यों में संभावित 5067 ग्राम न्यायालयों की स्थापना किए जाने के लिए प्राक्कलित 912.06 करोड़ रुपये राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना पर अनावर्ती लागत के रूप में वहन करने, और (ii) प्राक्कलित 486.43 करोड़ रुपयों की आवर्ती व्यय के 50 प्रतिशत की पूर्ति करने का विनिश्चय किया है।

[हिन्दी]

देवरिया रेलवे स्टेशन पर ठहराव

14. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे संपूर्ण क्रांति रेलगाड़ी का देवरिया रेलवे स्टेशन पर ठहराव प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) 2393/2394 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस देवरिया सदर्न रेलवे स्टेशन के रास्ते नहीं गुजरती है।

रेल परियोजनाओं का पूरा न होना

15. श्री गणेश सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकतर रेल परियोजनाओं के समय और लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के निर्धारित समय में पूरा नहीं होने के क्या कारण हैं;

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ङ) क्या रेलवे का विचार परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए अपने निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) रेलों के पास चालू परियोजनाओं, नई लाइनों के अन्तर्गत आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, रेल विद्युतीकरण तथा महानगर परिवहन परियोजनाओं का भारी थ्रोफारवर्ड है। संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण परियोजनाएं पूरा होने में अधिक समय लेती हैं। परियोजनाओं के लिए लक्ष्य सामान्यत: संसाधनों की उपलब्धता और प्रगति वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं तथा कई परियोजनाओं को चरणों में पूरा करना होता है। देरी के मुख्य कारण निधियों की तंगी, भूमि अधिग्रहण तथा वन विभाग क्लीयरेंस में विलंब, ठेकों की विफलता, कानून एवं व्यवस्था की प्रतिकूल परिस्थितियां तथा अन्य बाजार दबाव प्रगति को प्रभावित करते हैं। निर्माण और प्रौद्योगिकी के मानकों में परिवर्तन, कार्यक्षेत्र, मुद्रास्फीति आदि जैसे विभिन्न कारणों के कारण चालू परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो जाती है। निधियों की वर्तमान उपलब्धता तथा अत्यधिक थ्रोफारवर्ड से कई तथ्यों को निर्धारित करना तथा बनाए रखना व्यावहारिक नहीं है। इसके अलावा, परियोजनाओं को शुरू करते समय अपेक्षित निधियों की

निश्चित उपलब्धता न होने से बढ़े हुए समय और लागत को आंका जाना व्यावहारिक नहीं है। ऐसे परिदृश्य में, सभी परियोजनाओं के समापन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है।

(ङ) और (च) परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए क्षेत्रीय रेलवे तथा मंत्रालय स्तर पर पर्याप्त निगरानी तंत्र विद्यमान है। आवश्यकतानुसार जब कभी तंत्र का सुदृढ़ीकरण अपेक्षित होता है, किया जाता है।

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

16. श्री प्रेमचन्द गुड्डू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सहित देश में कतिपय रेलमार्गों के विद्युतीकरण हेतु अनुमोदन प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी लंबी रेल लाइन के लिए अनुमोदन किया गया है;

(ग) क्या इंदौर-उज्जैन रेल लाइन के विद्युतीकरण हेतु अनुमति भी दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इन लाइनों पर कब तक विद्युतीकरण का कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां। 2006-07 से 2008-09 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान कतिपय रेल लाइनें विद्युतीकरण के लिए अनुमोदित कर दी गई हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) विद्युतीकरण के लिए अनुमोदित किए गए रेल लाइनों की कुल लंबाई निम्नानुसार है:

वर्ष	मार्ग किलोमीटर
2006-07	1180
2007-08	1165
2008-09	1944
कुल	4289

(ग) और (घ) जी हां। इंदौर-उज्जैन रेल लाइन पर विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है और मार्च, 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

विवरण

2006-07 से 2008-09 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकरण के लिए अनुमोदित रेल लाइनों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सेक्शन	मार्ग किलोमीटर
1	2	3
	वर्ष 2006-07	
1.	बीना-कोटा	309
2.	उत्तरेटिया-सुलतानपुर-मुगलसराय	288
3.	विल्लुपुरम-तिरुचिरापल्ली	178
4.	लिंगमपल्ली-वाडी	161
5.	उज्जैन-इंदौर और देवास-मक्सी	115

1	2	3
6.	अंदल-पंडावेश्वर	20
7.	त्रिचुर-गुरुवायूर और तिरुवनंतपुरम-कन्याकुमारी	109
	कुल	**1180**
	वर्ष 2007-08	
1.	जालंधर-जम्मूतवी	222
2.	तिरुचिरापल्ली-मदुरै	154
3.	बाराबंकी-गोंडा-गोरखपुर-बरौनी	729
4.	शकूरबस्ती-रोहतक	60
	कुल	**1165**
	वर्ष 2008-09	
1.	ऐत-कोंच सहित झांसी-कानपुर एवं अनवरगंज-कल्याणपुर	244
2.	वेल्लौर-विल्लुपुरम	145
3.	मदुरै-तुतीकोरीन-नगरकोईल	262
4.	बरौनी-कटिहार-गुवाहाटी	809
5.	फाफामऊ-प्रयाग-इलाहाबाद सहित वाराणसी-जंघाई-ऊंचाहार	207
6.	लोनी-शाहदरा	9
7.	जम्मूतवी-ऊधमपुर	53
8.	गाजियाबाद-मेरठ	48
9.	कटिहार-वरसोई	41
10.	केंगेरी-मैसूर	126
	कुल	**1944**

[अनुवाद]

महानगरों में पी.एन.जी. कनेक्शन

17. श्री एन.एस.वी. चित्तन:

श्री गणेश सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सहित देश के प्रत्येक महानगर में किन-किन स्थानों पर पाइपलाइन के माध्यम से गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां सहकारी समितियां स्थित हैं;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त महानगरों के उन प्रत्येक क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं तथा इसके क्या कारण है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) वर्तमान में पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पी.एन.जी.) की दिल्ली और मुंबई महानगरों में आपूर्ति की जा रही है। पी.एन.जी. निम्नलिखित कालोनियों/क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही है:

दिल्ली

काका नगर, बापा नगर, पंडारा रोड/पार्क, सुजान सिंह पार्क, निजामुदीन, सुन्दर नगर, गोल्फ लिंक, खान मार्केट, आई.आई.पी.ए., डी.आई.जेड. एरिया, औरंगजेब रोड, एम.पी. फ्लैट डा. बी.डी. मार्ग, पालिका वास, गांधी सदन, पालिका निकेतन, पेशवा रोड, बाल्मीकि सदन, एम.एस.फ्लैट शाहजहां रोड, आराम बाग, हेली लेन, सरिता विहार, जसोला विहार, सुखदेव विहार, जाकिर बाग, ईश्वर नगर, कालिंदी कालोनी, फ्रेन्ड्स कालोनी, महारानी बाग, न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी, भारत नगर, श्रीनिवास पुरी, लोदी कालोनी, लोदी काम्प्लेक्स, जोर बाग, एशियन खेल गांव, जंगपुरा, पंत नगर, प्रगति विहार होस्टल, गुलमोहर पार्क, नीति बाग, एंड्रूजगंज, मेफेयर गार्डेन, हुडको, गुलमोहर एनक्लेव, आनन्द लोक, सादिक नगर, रविन्द्र नगर, भारती नगर, लोदी एस्टेट, पालिका निवास, पालिका कुंज, अलीगंज, आदित्य सदन, एशिया हाऊस, सरोजनी नगर, नेताजी नगर, किदवई नगर, आर.के. पुरम, मोती बाग, नानक पुरा, चाणक्य पुरी, नौरोजी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, सत्य सदन, नार्थ एवेन्यू, साऊथ एवेन्यू, राष्ट्रपति संपदा, अशोक पुलिस लाइन, पालिका सदन, चरक सदन, बापू धाम, सिक्किम हाऊस स्टाफ क्वाटर्स, एन.बी.सी.सी. न्यू मोती बाग, एन.ई.ए. क्वाटर्स, राधा कृष्ण मार्ग, हौज खास, मोहम्मदपुर, मुनीरका विहार, पुष्प विहार, वसंत एनक्लेव, पालिका निकेतन, वसंत कुंज, पटपड़गंज, मयूर विहार, वसुन्धरा एनक्लेव, जनकपुरी, दिलशाद गार्डन और पश्चिम विहार।

मुंबई

कोलाबा (दक्षिण मुंबई), बोरीवली/दहीसर (महानगर की उत्तर-पश्चिम सीमा), मुलुंड (महानगर की उत्तर-पूर्व सीमा), मीरा रोड क्षेत्र एल.बी.एस. रोड पर मुलुंड चेक नाका, घोड़बन्दर रोड, मानपाड़ा, नौपाड़ा, वागले एस्टेट,वर्तकनगर आदि।

वर्तमान में अन्य महानगरों में पी.एन.जी. का कोई नेटवर्क नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य में नगर गैस परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, गेल और एच.पी.सी.एल. ने जून, 2006 में अवन्तिका गैस लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी का प्रवर्तन किया है। कंपनी ने इंदौर शहर में परियोजना क्रियान्वयन कार्यों की शुरुआत की है और इसी प्रकार की परियोजनाएं उज्जैन और ग्वालियर में शुरू करने की योजना है।

(ख) और (ग) जी नहीं, पी.एन.जी. पाइपलाइन नेटवर्क उस क्षेत्र में आवासीय इकाइयों के प्रकार पर ध्यान दिए बिना विभिन्न क्षेत्रों/कालोनियों में उपलब्ध/विस्तारित किया जाता है।

(घ) देश के विभिन्न शहरों में पी.एन.जी. बुनियादी ढांचे का विस्तार प्राकृतिक गैस ट्रंक पाइपलाइन की निकटता और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर एक चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। देश भर में ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और नगर/स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों से निवेश को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (पी.एन.जी.आर.बी.) अधिनियमित किया है।"

[हिन्दी]

हथकरघा श्रमिकों की कार्यकुशलता में सुधार

18. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
डा. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र में नियोजित लोगों की वास्तविक संख्या का कोई आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन श्रमिकों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सरकार द्वारा क्या योजना तैयार की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) संयुक्त हथकरघा तथा विद्युतकरघा संगणना 1995-96 के अनुसार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई तथा उससे जुड़े कार्यकलापों में 65.51 लाख व्यक्ति लगे हुए हैं।

(ख) हथकरघा क्षेत्र में बुनाई और उससे जुड़े कार्यकलापों में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

संयुक्त हथकरघा और विद्युतकरघा रिपोर्ट 1995-96 संगणना के अनुसार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई और उससे जुड़े कार्यकलापों में लगे व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	बुनाई (बुनकर) तथा संबद्ध कार्यकलापों में संलग्न व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	490616
2.	अरुणाचल प्रदेश	53473
3.	असम	2322268
4.	बिहार	110732
5.	छत्तीसगढ़	28362
6.	दिल्ली	6708
7.	गोवा	25
8.	गुजरात	57936
9.	हरियाणा	22810
10.	हिमाचल प्रदेश	65099
11.	जम्मू-कश्मीर	51847
12.	झारखंड	56975
13.	कर्नाटक	177562
14.	केरल	63153
15.	मध्य प्रदेश	27744
16.	महाराष्ट्र	80901
17.	मणिपुर	462087
18.	मेघालय #	#
19.	मिजोरम #	#
20.	नागालैंड	126228
21.	उड़ीसा	246782
22.	पुडुचेरी	7369
23.	पंजाब	13160
24.	राजस्थान	71915
25.	सिक्किम **	1228
26.	तमिलनाडु	607675
27.	त्रिपुरा	291761
28.	उत्तर प्रदेश	401362
29.	उत्तराखंड	19322
30.	पश्चिम बंगाल	686254
	कुल अखिल भारत	6551354

मेघालय और मिजोरम से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

प्लेटफार्मों पर शौचालय सुविधाएं

19. श्री पूर्णमासी राम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने प्लेटफार्मों, प्रतीक्षालयों तथा शेडों पर शौचालय तथा मूत्रालय जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश रेलवे प्लेटफार्मों, प्रतीक्षालयों तथा शेडों पर निर्धारित संख्या में शौचालय तथा मूत्रालय नहीं हैं तथा कई विद्यमान शौचालय तथा मूत्रालय अनुपयोगी स्थिति में हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। स्टेशनों पर शौचालयों और मूत्रालयों सहित यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के लिए पहले से ही व्यापक अनुदेश मौजूद हैं। स्टेशन की विभिन्न कोटियों पर शौचालयों और मूत्रालयों के लिए न्यूनतम आनिवार्य सुविधाओं की मात्रा हेतु मानदंडों के ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार है:

स्टेशन की कोटि	ए-1	ए	बी	सी	डी	ई	एफ
मूत्रालयों की संख्या	12	10	6	4	4	1	-
शौचालयों की संख्या	12	10	6	2	4	1	-

महाप्रबंधक के अनुमोदन से रेलों द्वारा जल अभाव वाले क्षेत्रों में शौचालयों/मूत्रालयों की संख्या घटाई जा सकती है।

(ग) से (ङ) निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों और प्रतीक्षालयों/शेडों पर शौचालयों और मूत्रालयों सहित सभी न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त निधियों की उपलब्धता और अन्य सापेक्ष प्राथमिकताओं के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर वार्षिक निर्माण कार्यक्रम के जरिए शौचालय और मूत्रालयों में वृद्धि की जाती है। मौजूदा शौचालयों और मूत्रालयों की नियमित सफाई करके और अनुरक्षण के जरिए प्रयोज्य स्थिति में रखा जाता है।

प्लेटफार्मों पर स्वच्छता और स्वास्थ्यकर स्थिति बनाए रखने हेतु मशीनों द्वारा सफाई शुरू करके "भुगतान करो और उपयोग करो" की व्यवस्था, स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियानों आदि जैसे उपाय शुरू किए गए हैं। स्वच्छता पर निगरानी रखने और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने और निवारक उपाय के लिए भी विभिन्न अधिकारियों द्वारा रेलवे स्टेशनों पर नियमित निरीक्षण आयोजित किए जाते हैं।

पक्षियों के टकराने की संख्या में वृद्धि

20. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली हवाईअड्डे पर हवाईअड्डे के नजदीक के क्षेत्रों में अवैध बूचड़खानों के परिचालन से पक्षियों के विमान से टकराने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन बूचड़खानों को बंद करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सरकार ने पक्षियों के विमान से टकराने की घटना में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय पक्षी नियंत्रण समिति को पुनर्गठित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) हालांकि, दिल्ली हवाईअड्डे पर पक्षियों के टकराने की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है, इस वृद्धि की वजह केवल बूचड़खाने ही नहीं हैं।

(ख) जिन हवाईअड्डों पर अनुसूचित उड़ानें प्रचालित होती हैं, वहां पक्षियों के आकर्षण के स्रोतों की पहचान करने और ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए उपचारी कदम उठाने के लिए हवाईअड्डा क्षेत्र पर्यावरण प्रबंधन समितियां (ए.ई.एम.सी.) गठित की गई हैं। दिल्ली हवाईअड्डे पर सचिव, पर्यावरण, दिल्ली सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 28-4-2009 को हुई ए.ई.एम.सी. की बैठक में अध्यक्ष द्वारा दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस को अवैध बूचड़खानों और मांस की दुकानों को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की सलाह दी गई।

(ग) और (घ) जी, हां। पक्षियों के टकराव की घटनाओं

की रोकथाम के विभिन्न उपायों का प्रभावी समन्वयन स्थापित करने के लिए सचिव, नागर विमानन मंत्रालय की अध्यक्षता में और रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरलाइनों तथा हवाईअड्डा प्रचालकों के प्रतिनिधियों तथा पक्षी विज्ञानियों सहित एक उच्चाधिकार प्राप्त राष्ट्रीय पक्षी नियंत्रण समिति (एन.बी.सी.सी.) का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली और गोरखपुर के बीच हवाई सेवा

21. योगी आदित्यनाथ: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया द्वारा दिल्ली-गोरखपुर के बीच हवाई सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सेवा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) माननीय सदस्य की ओर से दिल्ली-गोरखपुर सेक्टर पर विमान सेवा आरंभ करने के बारे में मंत्रालय को पहले एक पत्र प्राप्त हुआ था।

(ग) इस मामले को नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) के साथ उठाया गया था। नैसिल ने, फिलहाल, दिल्ली-गोरखपुर के बीच विमान सेवा आरंभ करने में अपनी असमर्थता जताई है। तथापि, यदि निजी एयरलाइनें इस सेक्टर पर प्रचालन करने की इच्छुक हों तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पांच किलो के वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों को शुरू करना

22. श्री संजय सिंह चौहान: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में पांच किलो के वाणिज्यिक गैस सिलेंडर शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए बड़े गैस सिलेंडरों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे गैस सिलेंडरों की बढ़ती कालाबाजारी को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ङ) जी नहीं। वर्तमान में, पांच किलोग्राम के वाणिज्यिक एल.पी.जी. सिलेंडर शुरू करने अथवा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए बड़े गैस सिलेंडरों (अर्थात् 19 किलोग्राम, 35 किलोग्राम और 47.5 किलोग्राम) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

घरेलू एल.पी.जी. के दुरुपयोग को रोकने के लिए तेल विपणन कंपनियों के अधिकारी नियमित और आकस्मिक जांच करते हैं, रिफिल की जांचें करते हैं, ग्राहकों के परिसरों में आकस्मिक जांच करते हैं, सुपुर्दगी वाहनों की रास्ते में आकस्मिक जांच करते हैं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर छापा मारने में राज्य सरकार की सहायता करते हैं, सिलेंडरों का दुरुपयोग करने वाले वाहनों की आकस्मिक जांच के लिए आर.टी.ओ. के साथ कार्य करते हैं, उपभोक्ता के फीडबैक एकत्रित करते हैं, तेल विपणन कंपनियों के एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों के आफटेक की नियमित निगरानी करते हैं और इसके साथ-साथ पूर्वाधार पर खपत और उपभोक्ता धारिता, ग्राहक शिक्षा और प्रचार अभियानों आदि जैसे कई कदम उठाते हैं। यदि एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटर दोषी पाए जाते हैं तो विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एम.डी.जी.) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

गैर-मैट्रो विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

23. श्री के.एस. राव:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गैर-मैट्रो विमानपत्तनों के लिए चलाई जा रही विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण योजना की स्थिति क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित धनराशि और अवसंरचना के उन्नयन हेतु इसकी उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्धारित कार्यक्रमानुसार परियोजना को पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अपनी मूल योजना पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) देश में गैर-मैट्रो विमानपत्तनों में निधियों की आवश्यकताओं समेत उनके स्तरोन्नयन तथा आधुनिकीकरण की योजना की स्थिति निम्नानुसार है:

विभिन्न गैर-मैट्रो विमानपत्तनों पर पूरे किए जा चुके विकास कार्य इस प्रकार हैं: विजाग (आन्ध्र प्रदेश)-94.94 करोड़ रुपये की लागत से नये एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण; सूरत (गुजरात)-105 करोड़ रुपये की लागत से हवाईअड्डे का विकास; औरंगाबाद (महाराष्ट्र)-99.60 करोड़ रुपये की लागत से नये एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण; नागपुर (महाराष्ट्र)-79.03 करोड़ रुपये की लागत से अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए टर्मिनल भवन का विस्तार तथा सुधार; जयपुर (राजस्थान)-94.87 करोड़ रुपये की लागत से नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल परिसर का निर्माण; उदयपुर (राजस्थान)-77.44 करोड़ रुपये की लागत से नये टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण; त्रिची (तमिलनाडु)-74.70 करोड़ रुपये की लागत से नये टर्मिनल भवन का निर्माण; देहरादून (उत्तराखण्ड)-72.50 करोड़ रुपये की लागत से नये टर्मिनल भवन का निर्माण।

विभिन्न गैर-मैट्रो विमानपत्तनों पर चल रहे विकास कार्य इस प्रकार हैं:

रायपुर (छत्तीसगढ़)-135.72 करोड़ रुपये की लागत से नये टर्मिनल भवन का निर्माण; अहमदाबाद (गुजरात)-291 करोड़ रुपये की लागत से नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण; रांची (झारखंड)-137.79 करोड़ रुपये की लागत से नये टर्मिनल भवन का निर्माण; मंगलौर (कर्नाटक)-145 करोड़ रुपये की लागत से एप्रेन सहित नये टर्मिनल भवन का निर्माण; भोपाल (मध्य प्रदेश)-135.04 करोड़ रुपये की लागत से नये एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण; इंदौर (मध्य प्रदेश)-135.06 करोड़ रुपये की लागत से नये एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण: पुणे (महाराष्ट्र)-96.30 करोड़ रुपये की लागत से टर्मिनल भवन का विस्तार एवं सुधार; कोयम्बटूर (तमिलनाडु)-145 करोड़ रुपये की लागत से मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार; मदुरै (तमिलनाडु)-128 करोड़ रुपये की लागत से नये एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण; लखनऊ (उत्तर प्रदेश)-129.40 करोड़ रुपये की लागत से नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण; वाराणसी (उत्तर प्रदेश)-94.11 करोड़ रुपये की लागत से एयरोब्रिज सहित नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण; चण्डीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)-47.58 करोड़ रुपये की लागत से नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण; त्रिवेन्द्रम (केरल)-245 करोड़ रुपये की लागत से नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल परिसर का निर्माण; खजुराहो (मध्य प्रदेश)-75.32 करोड़ रुपये की लागत से नये एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण तथा अमृतसर (पंजाब)-145 करोड़ रुपये की लागत से टर्मिनल भवन का मोड्यूलर विस्तार।

इन परियोजनाओं के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पर्याप्त निधियां उपलब्ध करायेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को रोजगार

24. श्री एस. सेम्मलई: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में वे परिवार जिनकी भूमि सेलम इस्पात संयंत्र हेतु अधिग्रहीत की गई है, वे प्रति परिवार एक व्यक्ति को रोजगार देने की मांग के साथ आंदोलन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें रोजगार देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) और (ख) जी हां। तमिलनाडु सरकार ने 1970-83 की अवधि के दौरान सेलम इस्पात संयंत्र के लिए 3002 परिवारों की 3973.08 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की थी। विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के बारे में केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सरकारी दिशा-निर्देशों तथा न्यायालयों के आदेशों द्वारा शासित होते हैं। विस्थापित व्यक्तियों द्वारा सेलम में दायर रिट याचिकाएं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की सिंगल बैंच द्वारा खारिज कर दी गई थी और यह

निदेश दिए गए कि सेलम इस्पात संयंत्र की अधिसूचना के संबंध में विस्थापित व्यक्तियों के नाम रोजगार केन्द्र द्वारा वैयक्तिक रूप से भेजे जाने चाहिए तथा अन्य बातें समान होने पर विस्थापित परिवारों के व्यक्तियों को तरजीह दी जा सकती है। यह मुद्दा विस्थापित व्यक्तियों द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच के समक्ष भी लाया गया था जिसने सिंगल बैंच के निर्णय को बरकरार रखा।

संयंत्र के आकार तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की स्थापना के कारण रोजगार के सीमित अवसर होने के बावजूद सेलम इस्पात संयंत्र अब तक 212 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करा चुका है।

केरल में इदुक्की में एयरोड्रोम का निर्माण

25. श्री पी.टी. थॉमस: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के इदुक्की जिले में एक एयरोड्रोम बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) केरल सरकार के अनुरोध पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने केरल के इदुक्की जिले के उदमबंचोला ताल्लुक में अन्नाकरा गांव में एक नये ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया है। रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है जो उनके विचाराधीन है।

[हिन्दी]

न्यायाधीशों का अनुपात

26. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुल जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों के अनुपात के बारे में कोई आकलन किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) विधि आयोग ने अपनी 120वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि प्रति दस लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या 10.5 से बढ़ाकर 50 न्यायाधीश की जाए। भारत में वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या प्रति दस लाख जनसंख्या पर 14 है (लगभग)।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या का पुनर्विलोकन प्रत्येक तीन वर्षों में किया जाता है। विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या का अंतिम त्रिवर्षीय पुनर्विलोकन 2006 में किया गया था। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या के त्रिवर्षीय पुनर्विलोकन के लिए उच्च न्यायालयों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और संख्या बढ़ाने के लिए नियत मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार केवल 8 उच्च न्यायालयों को अपने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए अर्ह पाया गया। अधीनस्थ न्यायपालिका के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संगम और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य वाले मामले में 21 मार्च,2002 के अपने निर्णय में यह निदेश दिया कि विद्यमान प्रति 10 लाख लोगों पर 10.5 या 13 न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर प्रति 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीश की जाए और इसे केन्द्रीय विधि मंत्रालय द्वारा अवधारित और निदेशित चरणबद्ध रीति से पांच वर्षों की अवधि के भीतर प्रवृत और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय में यह अनुरोध करते हुए शपथ पत्र फाइल किया है कि संघ राज्य क्षेत्रों में जिनके लिए केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है, न्यायाधीशों की संख्या, कार्यभार और मामलों की लंबित स्थिति के आधार पर अनुज्ञात की जाए। मामला विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में सड़क उपरिपुल

27. कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद रेलवे स्टेशन की लिंक रोड की तरफ सड़क उपरिपुल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जी.डी.ए.) से प्राप्त

उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के निकट समपार सं. 156-सी के बदले में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को निक्षेप शर्तों पर स्वीकृत किया गया है। मामले पर जी.डी.ए. के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में रेल परियोजनाएं

28. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु राज्य से संबंधित आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, नई रेल लाइनों और विद्युतीकरण परियोजनाओं की स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने उक्त परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) तमिलनाडु राज्य में पूरी तरह/आंशिक रूप से पड़ने वाली नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण के लिए चालू परियोजनाओं के लिए लक्ष्य तारीख जहां-कहीं निर्धारित की गई है, सहित स्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	स्थिति
1.	अत्तिपत्तु-पुत्तुर (88.3 कि.मी.)	कार्य निष्पादन के लिए रेल विकास निगम लि. (आर.वी.एन.एल.) को सौंप दिया गया है।
2.	बेंगलोर-सत्यमंगलम (260 कि.मी.)	तमिलनाडु वन विभाग ने आरक्षित वन क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की अनुमति प्रदान नहीं की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केन्द्रीय उच्चाधिकार समिति द्वारा भी इस परियोजना की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि इससे हाथी वन्य जीव अभ्यारण को नुकसान पहुंचेगा। इस परियोजना को बंद करने से संबंधित अपने विचार देने के लिए तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।
3.	चेन्नै-कुड्डालोर बरास्ता महाबलीपुरम (179.28 कि.मी.)	चेन्नै उपनगरीय खण्ड में स्टेशन शुरू करने पर विचार करने के लिए संभाव्यता अध्ययन शुरू किया गया है।
4.	इरोड-पलानी (91.05 कि.मी.)	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
5.	करूर-सलेम (85 कि.मी.)	भूमि अधिग्रहण संबंधी सभी कानूनी मामलों का निपटान हो गया है तथा अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।
6.	टिंडीवरम-गिंगी-तिरूवन्नामलै (70 कि.मी.)	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। 04 बड़े पुलों पर कार्य शुरू हो गया है।
7.	टिंडीवरम-नागरी (179.2 कि.मी.)	पलार नदी के बड़े पुल पर कार्य शुरू हो गया है। मिट्टी संबंधी, छोटे पुलों संबंधी तथा ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल संबंधी ठेके दे दिए गए हैं।

क्र.सं.	परियोजना	स्थिति
आमान परिवर्तन		
1.	दिंडीगुल-पोलाची-पालघाट तथा पोलाची-कोयम्बटूर (224.88 कि.मी.)	पोडानूर-कोयम्बटूर (6 कि.मी.) खण्ड पर कार्य शुरू हो गया है तथा पोलाची-पालघाट (58 कि.मी.) तथा दिंडीगुल-पोलाची (141 कि.मी.) खण्डों पर भी कार्य शुरू हो गया है।
2.	मदुरै-बोडीनयाकनूर (90.41 कि.मी.)	कुछ पुलों से संबंधी निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं।
3.	मनामदुरै-विरुद्धनगर (66.55 कि.मी.)	मिट्टी, पुल कार्य तथा गिट्टी इकट्ठा करने संबंधी कार्य शुरू हो गए हैं।
4.	मईलादुतुरै-केरैकुडी तथा तिरूतुरैपुण्डी-अगस्तियापल्लि (224 कि.मी.)	मिट्टी, पुल, स्टेशन भवन तथा प्लेटफार्म संबंधी कार्यों के लिए निविदाएं प्रस्तुत कर दी गई है।
5.	कोलन-तिरूनेलवेली-तिरूचेंडुर तथा तेनकासी-विरुद्धनगर (357 कि.मी)	विरुद्धनगर-तेनकासी-संगोत्तै (131 कि.मी.) तथा तिरूनेलवेली-तिरूचेंडुर (61 कि.मी.) खण्ड चालू हो गए हैं। कोलन-पुनालुर (45 कि.मी.) खण्ड पूरा होने वाला है तथा 2009-10 के दौरान इसे चालू कर दिया जाएगा। तिरूनेलवेली-तेनकासी (72 कि.मी.) खण्ड पर भी कार्य शुरू हो गया है। पोनालुर-सेनगोट्टै (48 कि.मी.) खण्ड पर निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।
6.	तिरूकुवेली (43 कि.मी.) से होकर नागापट्टिनम-वेलनकन्नी-तिरूतुरैपुण्डी के विस्तार सहित तरुच्चिरापल्लि-नागोर-करैकल (200 कि.मी.)	तिरुच्चिरापल्लि-तंजावूर-त्रिवरूर-नागोर खंड (135.37 कि.मी.) पर निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। नागापट्टिनम-वेलनकानी नई लाइन 2009-10 के दौरान पूरा होने की संभावना है। नागोर-करैकल (11 कि.मी.) नई लाइन पर 39.09 हेक्टेयर भूमि में से 34.36 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है कार्य शुरू हो गया है। नागापत्तिनम-तिरूतुरैपुण्डी खण्ड पर भूमि अधिग्रहण कार्य प्रक्रियाधीन है। फिलहाल, एक बड़े पुल पर कार्य शुरू हो गया है।
7.	विल्लुपुरम-कटपाडी (161 कि.मी.)	कटपाडी-वेलूर (10 कि.मी.) खण्ड पहले ही यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष भाग पर निर्माण कार्य अर्थात वेलूर-विल्लुपुरम (151 कि.मी.) शुरू किया जा चुका है।
8.	तंजावुर-विषुपुरम (192 कि.मी.)	तंजावुर-मइलादुतुरै-सिरकाजी (91 कि.मी.) पहले ही शुरू हो चुका है तथा कुड्डालोर-विल्लुपुरम (47 कि.मी.) पर कार्य पूरा हो चुका है। शेष भाग अर्थात कुड्डालोर-सिरकाजी (54 कि.मी.) का कार्य पूरा होने वाला है। परियोजना 2009-10 में चालू कर दी जाएगी।
दोहरीकरण		
1.	चेंगलपट्टु-विषुपुरम (103 कि.मी.)	मिट्टी संबंधी, पुल कार्य तथा गिट्टी इकट्ठा करने से संबंधी कार्य शुरू हो चुका है।

क्र.सं.	परियोजना	स्थिति
2.	चेन्नै बीच-अट्टीपट्टु चौथी लाइन (22.1 कि.मी.)	इसमें रोयापुरम में रेलवे भूमि का चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के साथ आदान-प्रदान करने से संबंधी कार्य शामिल है तथा इस पर कार्यवाही की गई है।
3.	चेन्नै बीच-कोरूकुपेट तीसरी लाइन (4.1 कि.मी.)	इसमें रोयापुरम में रेलवे भूमि का चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के साथ आदान-प्रदान करने से संबंधी कार्य शामिल है तथा इस पर कार्यवाही की गई है।
4.	इरूगुर-कोयम्बटूर (17.7 कि.मी.)	कोयम्बटूर-कोयम्बटूर नार्थ के बीच अप लाइन (2.7 कि.मी.) पहले ही शुरू हो गयी है। कार्य पूरा होने वाला है तथा लाइन को 2009-10 के दौरान चालू कर दिया जाएगा।
5.	तिरूवलूर-अरक्कोणम 4थी लाइन (26.83. कि.मी.)	यह कार्य शुरू करने के लिए आर.वी.एन.एल. को हस्तांतरित कर दिया गया है। अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित कागजात प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
6.	विल्लुपुरम-डिंडीगुल विद्युतीकरण सहित (273 कि.मी.)	यह कार्य को शुरू करने के लिए आर.वी.एन.एल. को हस्तांतरित कर दिया गया है। अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
7.	अट्टिपट्टु-कोरूकुपेट्टै तीसरी लाइन (18 कि.मी.)	कोरूकुपपट्टै-इन्नौर (12 कि.मी.) खण्ड पर कार्य पूरा हो चुका है। इन्नौर-अट्टीपट्टु (6 कि.मी.) खण्ड पर विभिन्न कार्य शुरू हो चुके हैं। मिट्टी संबंधी कार्य शुरू करने से पहले इसमें मरसी लैंड तथा मिट्टी सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्य शामिल हैं। इस कार्य को वर्ष 2009-10 के दौरान पूरा होने की संभावना है।
8.	पट्टाबिरम-तिरूवलूर चौथी लाइन (15.06 कि.मी.) तथा तिरूवल्लुर-अरक्कोणम तीसरी लाइन (26.83 कि.मी.)	पट्टाबिरम-तिरूवल्लुर चौथी लाइन पहले ही शुरू हो चुकी है। तिरूवल्लुर-अरक्कोणम तीसरी लाइन भी पूरी हो गयी है तथा चालू होने की प्रतीक्षा में है।
9.	मदुरै-दिंडीगुल (62.05 कि.मी.)	दिंडीगुल-कोडैकनाल रोड (22 कि.मी.) पहले ही शुरू हो गया है। कोडैकनाल रोड-मदुरै (40.05 कि.मी.) के बीच शेष कार्य पूरा हो गया है तथा चालू होने की प्रतीक्षा में है।
विद्युतीकरण		
1.	विल्लुपुरम-तिरुच्चिरापल्लि (178 मार्ग कि.मी.)	संपूर्ण खण्ड को विद्युतीकृत कर दिया गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान बिजली कर्षण को शुरू करने की योजना है।
2.	तिरुच्चिरापल्लि-त्रिवेन्द्रम (154 मार्ग कि.मी.)	91 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण कर दिया गया है तथा शेष 63 मार्ग किलोमीटर को मार्च, 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
3.	तिरूवनंतपुरम-कन्याकुमारी तथा त्रिचुर-गुरूवयूर सहित एर्णाकुलम-तिरूवनंतपुरम (429 मार्ग कि.मी.)	एर्णाकुलम-तिरूवनंतपुरम तथा त्रिचुर-गुरूवायूर खण्डों के विद्युतीकरण पहले ही पूरा कर लिया गया है। तिरूवनंतपुरम-कन्याकुमारी का विद्युतीकरण सितंबर, 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

क्र.सं.	परियोजना	स्थिति
4.	मदुरै-तुतीकोरिन-नागरकोइल (262 कि.मी)	विस्तृत अनुमान पर कार्यवाही की गई है। इस परियोजना को मार्च 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ख) और (ग) संसाधन की उपलब्धता के अनुसार अपेक्षित निधियां मुहैया कराई जा रही हैं तथा परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

(घ) सीमित संसाधनों के साथ चालू परियोजनाओं का भारी थ्रोफारवर्ड है। इस दृष्टि से, उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्य की प्रगति हो रही है। बहरहाल, चालू आमान परिवर्तन तथा विद्युतीकरण परियोजनाओं को लगभग 5 वर्ष की अवधि में पूरा करने की संभावना है।

प्राकृतिक गैस के मूल्यों को नियंत्रण-मुक्त करना

29. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्राकृतिक गैस के मूल्यों को नियंत्रण-मुक्त करने और दोहरी मूल्य निर्धारित नीति को समाप्त करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका विद्युत और उर्वरक के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) प्राकृतिक गैस के मूल्यों को नियंत्रणमुक्त करने और मौजूदा मूल्यनिर्धारण नीति को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क उपरिपुल

30. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वतटीय मंडल में सड़क उपरिपुलों का निर्माण कार्य इसके पूरा होने के मूल कार्यक्रम से काफी पीछे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इंडिया गेट स्थित बौदपुर रेलवे स्टेशन और भद्रक रेलवे स्टेशन के बीच सड़क उपरिपुलों का काम पूरा होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त काम को निर्धारित समय-सीमा के भीतर जल्दी पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) ऊपरी सड़क पुलों का कार्य पूरा होना रेलवे द्वारा रेलपथ पर पुल विशेष तथा राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का भाग पूरा करने पर निर्भर करता है। पूर्व तटीय रेलवे पर 22 स्वीकृत कार्यों में से, 3 पहले ही यातायात के लिए खोल दिए गए हैं। बहरहाल, सामान्य व्यवस्था आरेखण, पहुंच मार्गों के लिए अनुमानों के अनुमोदित न होने, पहुंच मार्गों के लिए भूमि का अधिग्रहण न होने, सड़क के मार्ग परिवर्तन अथवा अतिक्रमणों को हटाने में समस्या तथा संविदात्मक विवाद आदि के कारण कुछ कार्य विलंबित हो गए हैं।

(ग) से (ङ) जी हां। कार्य प्रगति पर है। प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा इसकी आवधिक रूप से समीक्षा की जा रही है। संपूर्ण कार्य 31-3-2010 तक पूरा करना निर्धारित है।

तिरूविला रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

31. **श्री एंटो एंटोनी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की तिरूविला रेलवे स्टेशन का आधुनिकी-करण करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) तिरुविला स्टेशन को अपग्रेडेड सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पहले ही मॉडल स्टेशन के रूप में चुन लिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में शुरू किए महत्वपूर्ण कार्य में सर्कुलेटिंग क्षेत्र का विकास, बहुउद्देशीय पूछताछ प्रणाली का प्रावधान, नेटवर्क प्लाजमा आधारित आगमन/प्रस्थान डिस्पले बोर्ड, सवारी डिब्बा डिस्पले बोर्ड जल आपूर्ति व्यवस्थाओं में सुधार, प्लेटफार्म एवं सर्कुलेटिंग क्षेत्रों में प्रकाश की व्यवस्था, प्लेटफार्म की सतह को ऊंचा उठाना इत्यादि शामिल है।

छोटे विमानपत्तनों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन

32. **श्री निशिकांत दुबे:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ छोटे एवं नॉनमैट्रो विमानपत्तनों से सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें परिचालित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विमानपत्तनों से विमानपत्तन-वार ऐसी उड़ानों का परिचालन कब शुरू किया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) भारत में 18 पर्यटक स्थलों यथा अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, भुवनेश्वर, कालीकट, कोचीन, गया, गोवा, गुवाहाटी, जयपुर, खजुराहो, लखनऊ, पटना, पोर्टब्लेयर, त्रिवेन्द्रम, त्रिची, वाराणसी तथा विशाखापटनम के लिए/से सार्क (पाकिस्तान को छोड़कर) तथा एशियाई सदस्य देशों की नामित एयरलाइनों को असीमित पहुंच अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में, कुछ देशों की नामित एयरलाइनों को लखनऊ, चण्डीगढ़, बागडोगरा तथा कोयंबटूर के लिए नये अवतरण-स्थल प्रदान किये गये हैं। बहरहाल, किसी अवतरण-स्थल के लिए/से किसी एयरलाइन द्वारा वास्तविक प्रचालन सेवा हमेशा उनके वाणिज्यिक विवेक के अनुसार गाइड की जाती है।

पवनहंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड

33. **श्री सुरेश कलमाडी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र की किसी कंपनी को मिनी रत्न दर्जा देने का मानदंड क्या है;

(ख) क्या देश की सबसे बड़े हेलिकॉप्टर परिचालक कंपनी पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड, इस मानदंड को पूरा करती है;

(ग) क्या पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड ने आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने का दावा किया है और गत चार वर्षों में कर पूर्व लाभ दर्शाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कंपनी ऋण लेकर अपने बेड़े को बड़ा करने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (डी.पी.ई.) को मिनी रत्न दर्जा प्रदान करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करता है।

(ख) पवनहंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड (पी.एच.एच.एल.) डी.पी.ई. द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करती।

(ग) और (घ) पी.एच.एच.एल. ने वर्ष 2005-06 में 64.59 करोड़ रुपये, 2006-07 में 18.61 करोड़ रुपये 2007-08 में 30.17 करोड़ रुपये तथा 2008-09 में 47.93 करोड़ रुपये (अनंतिम) का कर-पूर्व लाभ दर्शाया है।

(ङ) और (च) पी.एच.एच.एल. के बोर्ड ने 394 करोड़ रुपये की लागत से 10 हेलीकाप्टरों (3 हल्के तथा 7 मध्यम श्रेणी के) की खरीद की मंजूरी दे दी है जिसमें से लगभग 282 करोड़ रुपये बाहरी ऋणों से जुटाए जाएंगे।

फूड पार्क्स के लिए विशेषज्ञ समिति

34. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में फूड पार्क योजना के कार्यकरण की समीक्षा के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) कृषकों/निवेशकों के लिए स्कीमों/कार्यक्रमों को अधिक समर्थकारी बनाने तथा विजन, 2015 के अंतर्गत लक्ष्य

प्राप्त करने पर विचार करते हुए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे पर उप-समूह गठित किया है। उप-समूह ने 8वीं से 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान खाद्य पार्कों के कार्यकरण की समीक्षा की और स्थान, मूल बुनियादी ढांचा विकास सुविधाओं, वित्तीय सहायता के साथ बाजार और उत्पादकों के बीच कमजोर लिंकेज से संबंधित समस्याओं की पहचान की। उप-समूह के सुझावों के आधार पर, 11वीं पंचवर्षीय योजना में उपचारी उपाए किए गए और बुनियादी ढांचा के अंतर्गत नई स्कीम, अर्थात मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना कार्यान्वित की गई।

नई स्कीम में सुदृढ़ बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज वाले समेकित दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। नई स्कीम के तहत, सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50% तक तथा दुर्गम क्षेत्रों में 75% तक सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 50.00 करोड़ रुपये है। यह स्कीम मांग प्रेरित तथा समूह आधारित है जिसमें मेगा खाद्य पार्कों की व्यावसायिक व्यवहार्यता को बनाये रखने के लिए समूह में कच्चे माल की उपलब्धता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

अहमदाबाद से उदयपुर के बीच आमान परिवर्तन

35. श्री हरिन पाठक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद से उदयपुर के बीच आमान परिवर्तन का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुमानित लागत हेतु कितनी बजटीय सहायता दी गई है;

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) क्या रेलवे का विचार इस मार्ग पर 'पैलेस ऑन व्हील्स' की तरह की रेलगाड़ी शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण, नक्शे बनाना, अनुमान तैयार करने आदि जैसे प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं। 2009-10 के अंतरिम बजट में परियोजना के लिए 30.00 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया किया गया है। परियोजना की प्रत्याशित लागत 742.88 करोड़ रु. है।

(ग) कार्य की समापन अवधि संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्भर करेगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तत्काल सेवा

36. श्री प्रदीप माझी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार तत्काल सेवा योजना को संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे ने इस आकलन से पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संशोधित तत्काल आरक्षण योजना यात्रियों को कब तक उपलब्ध होगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की पीठ

37. श्री ए. सम्पत: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की पीठ तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों की संबंधित राज्यों की राजधानी के अलावा अन्य नगरों में पीठों की स्थापना करने संबंधी कोई सुझाव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) सरकार को दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की पीठ स्थापित करने के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार, संविधान के अनुच्छेद 130 के उपबंधों के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से

प्राप्त ऐसे प्रस्ताव/सिफारिश के पश्चात् विचार कर सकती है।

उच्च न्यायालयों की प्रधान पीठों से दूर उनकी पीठों का गठन राज्य सरकार से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिसमें संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति हो केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

विशाखापटनम विमानपत्तन पर उड़ानों का प्रचालन

38. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापटनम विमानपत्तन पर विमानों के रात में उतरने की सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विशाखापटनम विमानपत्तन से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालन की कोई मांग है; और

(घ) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू उड़ानों का चौबीसों घंटे प्रचालन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं। विशाखापटनम हवाईअड्डे पर रात्रि-अवतरण सुविधा उपलब्ध है और उड़ानों को 22.00 बजे तक उतरने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) किसी घरेलू उड़ान को 22.00 बजे के बाद प्रचालन करने की कोई मांग नहीं रही है। यह हवाईअड्डा, यथापेक्षित आधार पर 24 घंटे प्रचालनिक सुविधाओं के लिए सुलभ है।

[हिन्दी]

हाजीपुर-वैशाली-सुगौली रेल लाइन

39. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में हाजीपुर-वैशाली-सुगौली रेल लाइन गत तीन वर्षों से निर्माणधीन है;

(ख) क्या भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में विलंब है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) नई लाइन का कार्य 2003-04 में शुरू किया गया था।

(ख) और (ग) 50% से अधिक भूमि अधिगृहीत की जा चुकी है। भूमि अधिग्रहण के लिए आवेदन दायर करने और भूमि स्वामित्व प्राप्त करने के बीच लिया गया औसतन समय 2 से 3 वर्षों के बीच है।

(घ) कार्य का पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

रेलवे भूमि पर वाणिज्यिक परियोजनाएं

40. शेख सैदुल हक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे की अप्रयुक्त भूमि का वाणिज्यिक परियोजनाओं हेतु प्रयोग करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) मैसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेन्शियल सर्विसिज लि. (आई.एल.एफ. एंड एस.) ने नवम्बर, 2006 में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर रेलों के साथ संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में रेलवे संपत्ति के विकास का प्रस्ताव किया है तथा मैसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेन्शियल सर्विसिज लि. ने एक पायलट परियोजना के रूप में बांद्रा (ईस्ट)/मुंबई में खाली रेलवे भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) प्रस्ताव को व्यवहारिक नहीं समझा गया था क्योंकि रेल मंत्रालय ने रेलवे भूमि के वाणिज्यिक विकास के लिए एक सांविधिक निकाय यथा रेल भूमि विकास प्राधिकरण स्थापित किया है। बाजार अध्ययन तथा अन्य कारकों पर निर्भर करते हुए ऐसे वाणिज्यिक उपयोग में आवासीय अथवा वाणिज्यिक परिसर का विकास शामिल है।

प्रतिकूल मौसम दशाओं के दौरान अनुभवी पायलटों द्वारा उड़ानों का प्रचालन

41. डॉ. मन्दा जगन्नाथ: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यात्रियों की सुरक्षा पर विचार करते हुए सरकार ने सभी एयरलाइन्स प्रचालन कंपनियों को आदेश जारी किया है कि प्रतिकूल मौसम दशाओं एवं भारी वर्षा के दौरान केवल उन पायलटों को विमान उड़ानें की अनुमति दी जाए जिसके पास 100 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी "खराब मौसम/मानसून के दौरान प्रचालन सेवाओं" के संबंध में दिनांक 22-4-2009 के अपने प्रचालन परिपत्र संख्या 10/2009 में प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान पायलटों के लिए उड़ान अनुभव परीक्षण आवश्यकताओं के संबंध में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इस परिपत्र के अनुसार कमांडर रेटिंग वाले पायलटों के लिए ऐसी परिस्थितियों में पायलट-इन-कमांड (पी.आई.सी.) के रूप में उड़ान के लिए भेजे जाने से पूर्व प्रतिकूल मौसम/मानसून प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा दो सेक्टर प्रतिकूल मौसम क्वालिफिकेशन रूट चेक्स से गुजरना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उसे कम से कम एक मानसून के दौरान एक बार पायलट 2 के रूप में प्रचालन सेवा की होनी चाहिए और रूट चेक्स करने से पूर्व कम से कम 100 घंटों का पायलट-इन-कमांड का अनुभव होना चाहिए।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और आपूर्ति

42. श्री संजय निरुपम:

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पाद-वार वर्तमान मांग और आपूर्ति कितनी है तथा कुल उत्पादन में हमारे घरेलू तेल क्षेत्रों का कुल कितना योगदान है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों से देश में कच्चे तेल के उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(घ) देश के उन तेल क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां खोज कार्य चल रहा है तथा अधिष्ठापित क्षमता, संभावित उत्पादन, तेल क्षेत्र-वार निवेश कितना है एवं खोज में लगी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) सहित सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने देश की मांग को पूरा करने के लिए तेल उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(च) नयी खोज लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) के अंतर्गत निगरानी तंत्र सहित खोज हेतु लाइसेंस जारी करने के मानदंड क्या है;

(छ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में इस नीति के उल्लंघन का कोई मामला आया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) वर्ष 2008-09 के दौरान प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की खपत उत्पादन, आयात तथा निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

आंकड़े हजार मीट्रिक टन (टी.एम.टी. में)
(अनन्तिम)

	खपत	उत्पादन	आयात	निर्यात
1	2	3	4	5
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.)	12193	9170	2347	109

1	2	3	4	5
मोटर स्पिरिट (एम.एस.)	11257	16021	397	5330
हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.)	51668	63031	2734	13769
मिट्टी तेल	9303	8461	1449	77

वर्ष 2008-09 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादन में स्वदेशी तेल क्षेत्रों का कुल योगदान (अनन्तिम) इस प्रकार है:

आंकड़े टी.एम.टी. में

स्वदेशी कच्चे तेल से उत्पादों का उत्पादन	2700
फ्रैक्शनेटरों से उत्पाद	4191

(ख) और (ग) जी नहीं। तथापि, वर्ष 2008-09 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में मामूली गिरावट हुई है। वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन क्रमशः 33.980 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.), 34.053 मिलियन मीट्रिक टन तथा 33.404 मिलियन मीट्रिक टन था।

वर्ष 2008-09 में उत्पादन में मामूली गिरावट का कारण अपतट भंडारों में वर्तमान अधिक तेल निकासी (आई.ओ.आर.) तथा वर्द्धित तेल निकासी (ई.ओ.आर.) स्कीमों से परिकल्पित प्राप्ति से कम होना, पुराने तेल क्षेत्रों का प्राकृतिक ह्रास तथा प्रमुख परिपुष्ट क्षेत्रों में जल कटाव में वृद्धि होना, आदि है।

(घ) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) आयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियां अर्थात् हार्डी, एच.ओ.ई.सी., कैर्न, आर.आई.एल., बी.जी.ई.पी.आई.एल., ज्यो एन्ग्रो, कनोरो, हेरामेक, सेलन, इंटरलिंक, ओयलेक्स एन.एल., जोशी टेक्नोलॉजी, नाइको, जी.एस.पी.सी.एल., एस्सार तथा जी.ई.ई.सी.एल. देश में तेल तथा गैस उत्पादन कार्यकलापों में लगी हुई हैं। असम, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा और साथ ही देश के अपतट क्षेत्रों से कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। वर्ष 2009-10 के दौरान कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन क्रमशः 38.1 मिलियन मीट्रिक टन तथा 52.16 बिलियन घन मीटर (बी.सी.एम.) होने की संभावना है। ओ.एन.जी.सी. द्वारा 31 मार्च, 2009 तक अन्वेषण कार्यकलापों में किया गया कुल निवेश 154085.33 करोड़ रुपए तथा निजी संयुक्त उद्यमों द्वारा किया गया निवेश 112236.170 लाख अमरीकी डालर है। मार्च, 2009 तक नई अन्वेषण लाईसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) ब्लाकों में ओ.आई.एल. ने कुल 1109.48 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

(ङ) ओ.एन.जी.सी. ने विद्यमान कूपों की मरम्मत, आर्टीफिशियल लिफ्ट तथा कूपों के उद्दीपन पर बल देने के अलावा, विद्यमान क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए आई.ओ.आर. तथा ई.ओ.आर. तथा उद्दीपन तकनीकों के उपयोग सहित कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने/कायम रखने के लिए विभिन्न प्रयास/पहलें आरंभ की हैं।

(च) भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (आई.सी.बी.) प्रक्रिया के माध्यम से एन.ई.एल.पी. के अधीन अन्वेषण ब्लाकों का प्रस्ताव कर रही है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन.ओ.सीज), भारतीय तथा विदेशी तेल कंपनियों को समान स्तर पर एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करनी होती है ताकि पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेंस (पी.ई.एल.एस.) प्राप्त किए जा सकें।

सफल बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) में इन कार्यकलापों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए एक प्रबंधन समिति (एम.सी.) के गठन का प्रावधान है। इसमें सरकार के दो मनोनीत अधिकारी होते हैं जो प्रबंधन समिति में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि ठेकेदार में शामिल प्रत्येक कंपनी प्रबंधन समिति में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक-एक सदस्य मनोनीत करती है। यदि ठेकेदार के रूप में केवल एक कंपनी है तो उस कंपनी को प्रबंधन समिति में दो सदस्य रखने होंगे।

(छ) और (ज) पिछले दो वर्षों में सरकार को इस नीति के किसी उल्लंघन की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली और हावड़ा रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़

43. श्री नरहरि महतो:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे दिल्ली और हावड़ा के सभी रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़भाड़ से निपटने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य-योजना को कब तक बनाए जाने एवं लागू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) दिल्ली और हावड़ा क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़भाड़ से निबटने हेतु किए जा रहे तात्कालिक उपायों में अतिरिक्त बुकिंग खिड़कियां खोलना, विशेष गाड़ियां चलाना और मौजूदा गाड़ियों में सवारी डिब्बों को बढ़ाना और यात्रियों के मार्ग-निर्देश हेतु पर्यवेक्षक और निरीक्षात्मक स्टाफ की तैनाती आदि शामिल हैं।

दीर्घकालिक उपायों में यात्री यातायात की बढ़ती जा रही मांग को पूरा करने हेतु दिल्ली और कोलकाता में टर्मिनलों का विकास शामिल है।

[हिन्दी]

आदर्श रेलवे स्टेशन

44. श्री अंजनकुमार एम. यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित करने के मानदंड क्या हैं;

(ख) इस समय आन्ध्र प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन इन मानदण्डों को पूरा करते हैं;

(ग) क्या इन मानदण्डों को पूरा करने के बावजूद कुछ रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित नहीं किया गया है; और

(घ) आंध्र प्रदेश के किन-किन रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) अपग्रेड की गई यात्री सुविधाएं मुहैया करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानदंड में 'ए-1', 'ए' तथा 'बी' कोटि के स्टेशनों का मॉडल स्टेशनों के रूप में चयन करने की व्यवस्था है।

(ख) इस समय आंध्र प्रदेश राज्य के 67 स्टेशन इन मानदंडों को पूरा करते हैं।

(ग) जी हां, ये वे स्टेशन हैं जिन्हें हाल ही में 'ए' अथवा 'बी' कोटि में अपग्रेड किया गया है।

(घ) आंध्र प्रदेश में मॉडल रेलवे स्टेशनों के रूप में घोषित रेलवे स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

धर्मावरम जंक्शन, गुंतकल, गुंटूर, हैदराबाद, काचेगुडा, काकीनाडा टाउन, नेल्लोर, राजामुद्री, सिकन्दराबाद, तिरुपति, विजयवाड़ा, पलासा, विशाखापटनम, वारंगल, विजयानगरम, श्रीकाकुलम, अनाकापल्ली, अनंतपुर, भीमावरम टाउन, कुड्प्पा, इलुरू, गोदावरी, काजीपेट, खम्मम, ओनगोले, समालकोट, तेनाली, अडोनी, चिराला, कुर्नूल टाउन, मछलीपट्टनम, मंचिराचल, पालकोल्लू, रामगुंडम, तांडेपाल्लीगुंडम, तंडुर, तनुकू, तुनी, भीमावरम, धोन, डर्नाकल, गुटी, गुडीवडा, गुडूर, नाडीकुडी, नीदादावोलु, पकाला, रेनीगुंटा, वीकाराबाद, अन्नावरम, कसार, भद्राचलम रोड, मंत्रालयम रोड, नालगोंडा, श्रीखलाहस्ती, नांदयाल तथा निजामाबाद।

[अनुवाद]

कैटालिटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम

45. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने हेतु ग्यारहवीं योजना में प्रस्तावित कैटालिटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से कैटालिटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) देश में रेशम उद्योग का संवर्धन करने के लिए 11वीं योजना में प्रस्तावित उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) का लक्ष्य और उद्देश्य मलबरी और अन्य स्थानीय पौधों के तहत क्षेत्र को बढ़ाना, रेशम का उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाना, गरीबी उपशमन, रोजगार और आय का सृजन और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों की पारिवारिक आय में वृद्धि भी करना है। सी.डी.पी. का कार्यान्वयन मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों के तहत अर्थात बीज, कोया और कोया पश्चात जिनका समर्थन किसानों, रीलरों और बुनकरों जैसी सभी श्रेणी के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पैकेज के रूप में परियोजना माध्यम से केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) द्वारा किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सी.डी.पी. के तहत, सी.एस.बी. के मध्यम से सरकार द्वारा विचार किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए कर्नाटक तमिलनाडु, जे एंड के, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा राज्यों और एक बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (असम) द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। असम में परम्परागत प्रथा के रूप में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के लिए अलग से निधियां जारी की जाती हैं। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 11वीं योजना के प्रथम दो वर्षों अर्थात 2007-08 और 2008-09 के दौरान, सरकार ने सी.एस.बी. के माध्यम से सी.डी.पी. के तहत विभिन्न योजनाओं/संघटकों के कार्यान्वयन के लिए क्रमशः 80.82 करोड़ रु. और 90.74 करोड़ रु. का अपना हिस्सा जारी किया था। चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए बजट प्राक्कलन 2009-10 में सी.डी.पी. के तहत 75.58 करोड़ रु. का परिव्यय रखा गया है जिसमें से 18.89 करोड़ रु. की राशि सी.एस.बी. को जारी की गई है और राज्यों को निधियों की रिलीज के वास्ते सी.एस.बी. द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सी.डी.पी. के तहत 2007-08 और 2008-09 के दौरान खर्च/जारी की गई राशि का ब्यौरा (राज्यवार) नीचे दर्शाया गया है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	खर्च/जारी की गई राशि (लाख रु.)	
		2007-08	2008-09
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	1015.22	1901.63
2.	तमिलनाडु	745.20	1004.48
3.	जम्मू-कश्मीर	181.85	316.07
4.	आन्ध्र प्रदेश	979.88	1504.84
5.	पश्चिम बंगाल	102.04	273.32
6.	महाराष्ट्र	95.21	200.23
7.	मध्य प्रदेश	172.35	518.96
8.	उड़ीसा	65.20	75.18
9.	बिहार	0.00	50.90
10.	उत्तर प्रदेश	321.01	381.98

1	2	3	4
11.	केरल	87.33	147.17
12.	गुजरात	0.00	32.57
13.	पंजाब	0.00	26.63
14.	हिमाचल प्रदेश	53.93	165.63
15.	छत्तीसगढ़	344.07	378.22
16.	झारखंड	43.60	255.70
17.	उत्तरांचल	143.02	208.72
18.	सिक्किम	50.04	32.29
19.	असम	1486.64	388.51
20.	अरुणाचल प्रदेश	220.40	113.83
21.	मणिपुर	594.59	89.97
22.	मेघालय	74.81	267.14
23.	मिजोरम	249.10	230.29
24.	नागालैण्ड	217.11	163.32
25.	त्रिपुरा	434.13	144.62
	कुल	**7676.73**	**8872.20**
	परिषद		
1.	बोडालैंड क्षेत्रीय परिषद	404.88	201.95
	कुल योग	8081.61	90,74.15

आमान परिवर्तन हेतु बजटीय प्रावधान

46. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार के पास कतिपय रेल लाइनों के संबंध में ब्रॉड गेज परियोजनाओं के आमान परिवर्तन/उन्नयन हेतु पर्याप्त बजटीय प्रावधान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परिवर्तन/उन्नयन हेतु अनुमोदित प्रत्येक लाइन के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया है; और

(घ) परिवर्तन/उन्नयन से संबंधित कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। राजस्व, आपदा प्रबंधन, सड़क एवं भवन, कैपिटल परियोजना, महिला और बाल कल्याण मंत्री, गुजरात सरकार ने फरवरी, 2008 में एक पत्र भेजा था जिसमें

आमान परिवर्तन सहित चालू परियोजनाओं हेतु पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

(ग) संसद में रेल बजट पेश होने के बाद ही 2009-10 के लिए विभिन्न चालू परियोजनाओं के लिए निधियों के ब्यौरे का पता चल पाएगा।

(घ) चालू परियोजनाओं को पूरा करने हेतु समय सीमा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

दुर्गापुर में रेल समपार

47. डा. विनय कुमार पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के कौनवापुर और गनाहवा रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित दुर्गापुर में मानवरहित रेल समपार का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी नहीं। स्थानीय लोग किमी. 170/8-9 पर चौकीदार रहित समपार की मांग कर रहे हैं लेकिन नजदीकी किमी. 169/6-7 पर एक चौकीदार रहित समपार सं. 134 पहले ही मौजूद है। मौजूदा नीति के अनुसार, समपारों की व्यवस्था एक नई लाइन बिछाने के समय या इसके यातायात को शुरू करने की तारीख से 10 वर्ष के भीतर राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है। इसके बाद, कोई अकोमोडेशन कार्य जैसे समपार को निक्षेप शर्तों पर तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थान पर मुहैया कराया जा सकता है, यदि ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय निकायों जिन्होंने समपार के निर्माण की प्रारंभिक लागत और आवर्ती अनुरक्षण और परिचालनिक प्रभारों के एक बार भी पूंजीगत लागत को वहन करने की विधिवत सहमति दी हो, द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, रेलवे की नीति के अनुसार, मौजूदा लाइनों पर चौकीदार रहित समपार की अनुमति नहीं होती।

नई रेल लाइनें

48. श्री पी. करूणाकरन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत रेल बजट के दौरान प्रस्तावित नई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन रेल लाइनों की स्थिति क्या है; और

(ग) इन रेल लाइनों का कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेल बजट 2008-09 में निम्नलिखित नई लाइन परियोजनाओं को शामिल किया गया था:

क्र.सं.	परियोजना(ओं) का नाम	लंबाई (किमी. में)
1.	वर्धा-नांदेड़	270
2.	आरा-भबुआ रोड	122
3.	अररिया-सुपौल	92
4.	डेहरी ऑन सोन-बंजरी	36.4
5.	गया-छत्रा	97
6.	गया-रफीगंज के रास्ते डाल्टनगंज	136.88
7.	कुरसेला-बिहारीगंज	57.35
8.	मुजफ्फरपुर-दरभंगा	66.9

क्र.सं.	परियोजना(ओं) का नाम	लंबाई (किमी. में)
9.	मुजफ्फरपुर-कटरा-ओरई-जनकपुर रोड	66.55
10.	नवादा-लक्ष्मीपुर	137
11.	सीतामढ़ी-जयनगर-सुसंद के रास्ते निर्मली	188
12.	अगरतला-सबरूम	110
13.	भैराबी-सैरंग	51.38
14.	जलालगढ़-किशनगंज	50.077
15.	भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी	63.1
16.	बनगुरम-रास	27.8
17.	कुड्डापाह-बंगलुरु (बंगारापेट)	255.4
18.	अट्टीपट्टु-पुट्टुर	88.3
19.	चेन्नै-महाबलीपुरम के रास्ते कुड्डालोर	179.28
20.	इरोड-पलानी	91.05

सिवोक-रंगपो (53 किमी.) नई लाइन परियोजना को अनुपूरक बजट 2008-09 में शामिल किया गया था।

(ख) प्रारंभिक गतिविधियां जैसे अंतिम स्थान सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

(ग) परियोजनाओं का पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता और अन्य कारकों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

देवास और ग्वालियर से तीव्रगामी रेलगाड़ियां

49. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में देवास-माकसी और गुना-शिवपुरी-ग्वालियर खण्ड के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की गति कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देवास-माकसी और गुना-शिवपुरी-ग्वालियर खण्ड के बीच तीव्रगामी रेलगाड़ियां चलाने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां। अधिकतम अनुमेय गति निम्नानुसार हैं:-

(i) देवास-मक्सी-75 कि.मी. प्र.घ.

(ii) गुना-शिवपुरी-ग्वालियर

गुना-शिवपुरी-75 कि.मी. प्र.घ.

शिवपुरी-ग्वालियर-65 कि.मी. प्र.घ.

(ख) इन खंडों पर यातायात घनत्व बहुत कम है। इसलिए गति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त साधन सामग्री देने हेतु अतिरिक्त खर्च करना औचित्यपूर्ण नहीं है।

(ग) फिलहाल, इन खंडों पर उच्च गति वाली गाड़ियां चलाने की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

हरिहर रेलवे स्टेशन का उन्नयन

50. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास कर्नाटक के हरिहर रेलवे स्टेशन का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) आधुनिकीकरण तथा सौंदर्यीकरण के लिए कर्नाटक में हरिहर रेलवे स्टेशन का मॉडर्न स्टेशन के रूप में चयन किया गया है।

(ग) और (घ) हरिहर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन भवन के सौंदर्यीकरण तथा ढांचे में परिवर्तन, परिचालन क्षेत्र में सुधार, ढकी हुई प्लेटफार्म सतह में सुधार आदि सहित महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर दिए गए हैं।

इसके अलावा, इस स्टेशन पर पैदल पार पुल की व्यवस्था का कार्य 31-03-2010 तक पूरा करने की योजना है।

उपर्युक्त कार्य की अनुमानित लागत 190.55 लाख रु. है।

इस स्टेशन पर पूरे किए गए अन्य सुधार कार्यों में लंबी गाड़ियों को समायोजित करने के लिए प्लेटफार्म का विस्तार, प्लेटफार्म की सतह ऊंची करना तथा शारीरिक रूप से विकलांग यात्रियों के लिए सुविधाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस का निर्यात

51. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कतिपय देशों को प्राकृतिक गैस का देश-वार और कंपनी-वार, कितनी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) भारत से प्राकृतिक गैस का कोई निर्यात नहीं किया जाता है।

(ख) ऊपर (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्य पार्क

52. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में खाद्य पार्क की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जिले में खाद्य पार्क के लिए प्रवर्तकों को क्या प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम का विस्तार छोटे तथा मध्यम शहरों में करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम के तहत, 8वीं से 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान खाद्य पार्कों की स्थापना की गई। इस स्कीम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, विशेषतया लघु एवं मध्यम उद्यमों को सामान्य बुनियादी ढांचा विकास सुविधाएं उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तक तथा दुर्गम क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड में 33.33% सहायता अनुदान प्रदान किया गया है जिसकी अधिकतम सीमा 4.00 करोड़ रुपये है।

11वीं पंचवर्षीय योजना में, सुदृढ़ बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज वाले समेकित दृष्टिकोण उपलब्ध कराने पर विचार करते हुए, सरकार ने बुनियादी ढांचा विकास के अंतर्गत मेगा खाद्य पार्क की एक नई स्कीम शुरू की है। नई स्कीम के तहत, सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50% तक तथा दुर्गम क्षेत्रों में 75% तक सहायता अनुदान उपलब्ध होगा जिसकी अधिकतम सीमा 50.00 करोड़ रुपये है। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 30 मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें से 10 पार्क स्थापित

करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। यह स्कीम मांग प्रेरित तथा समूह आधारित है जिसमें मेगा खाद्य पार्कों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को बनाये रखने के लिए समूह में कच्चे माल की उपलब्धता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

विमान यात्रियों को क्षतिपूर्ति

53. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दुर्घटना अथवा इनमें सामान एवं कार्गो की क्षति के मामले में कुल कितनी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई है;

(ख) क्या मांट्रियल अभिसमय के अनुसार देश की विमान कंपनियों को उक्त मामले में अधिक क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या विमान कंपनियों को यात्रियों, सामान अथवा कार्गो को ले जाने में विलंब के कारण क्षति का भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सरकार द्वारा ऐसी सूचना नहीं रखी जाती चूंकि क्षतिपूर्ति के भुगतान संबंधी मामला न्यायालयों द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसका निपटान संबंधित पक्षों के बीच होता है।

(ख) से (च) जी, हां। मांट्रियल अभिसमय में भारत के शामिल होने के बाद, मृत्यु अथवा शारीरिक गंभीर चोट के कारण प्रतिपूर्ति की राशि 20000 अमरीकी डालर से बढ़कर 1,40,000 अमरीकी डालर, चैक्ड बैगेज की क्षति के लिए 20 अमरीकी डालर से 1400 अमरीकी डालर प्रति किलोग्राम प्रति यात्री, कार्गो को हुई क्षति के लिए 20 अमरीकी डालर से 24 अमरीकी डालर प्रति किलोग्राम हुई है। जहां तक यात्रियों उनके सामान, अथवा कार्गो के वहन में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति का संबंध है, विमान वाहक प्रति यात्री 5180 अमरीकी डालर तक की क्षति के लिए उत्तरदायी है।

विमान कंपनियों को हो रहा घाटा

54. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक आर्थिक मंदी तथा इसके परिणामस्वरूप घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में विमान यातायात में काफी कमी के कारण इस उद्योग को वर्ष 2008-09 में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उद्योग को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; अथवा किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) जी, हां। विमानन टरबाईन ईंधन (ए.टी.एफ.) की बढ़ती लागत के साथ-साथ आर्थिक मंदी तथा कम लोड फैक्टर की वजह से यह घाटा रहा।

सरकार ने निम्नानुसार उपाय किए हैं-

(1) ए.टी.एफ. के आयात पर कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी गई है।

(2) राज्य सरकारों से ए.टी.एफ. पर बिक्री कर कम करने को कहा गया है। आन्ध्र प्रदेश सरकार और कुछ मामलों में राजस्थान सरकार ने ए.टी.एफ. पर बिक्री कर को घटाकर 4 प्रतिशत तक कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी पुणे तथा मुंबई को छोड़कर अन्य हवाईअड्डों से आरम्भ होने वाली उड़ानों के लिए ए.टी.एफ. पर बिक्री कर को 25 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है।

(3) एयरलाइनों की भावी मांग को पूरा करने के लिए हवाई अड्डों पर अवसंरचना और हवाई यातायात नियंत्रण व दिक्चालन सुविधा का निरंतर स्तरोन्नयन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय गैस राजमार्ग

55. श्री आनंदराव अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की तर्ज पर राष्ट्रीय गैस राजमार्गों की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीय गैस राजमार्गों के निर्माण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय गैस राजमार्ग नेटवर्क के निर्माण के वित्तपोषण के लिए प्राकृतिक गैस पर लघु उपकर लगाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) देश में प्राकृतिक गैस की ढुलाई का नेटवर्क है। इस नेटवर्क की 9,000 किलोमीटर से अधिक ट्रंक पाइपलाइनें हैं। ये पाइपलाइनें केन्द्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी कंपनियों के स्वामित्व की हैं और इनके द्वारा चलाई जाती हैं। इस पाइपलाइन नेटवर्क को, स्वदेशी गैस और पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आर.एल.एन.जी.) को नए स्रोतों से नए क्षेत्रों/राज्यों के उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए और बढ़ाया जाना है। क्योंकि प्राकृतिक गैस ट्रंक पाइपलाइन बिछाने से प्राकृतिक गैस आधारित उद्योगों की वृद्धि होती है इसलिए उस क्षेत्र में आर्थिक विकास तेजी से होता है। इसलिए हालांकि आज की स्थिति के अनुसार, इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई है, तो भी देश में प्राकृतिक गैस के परिवहन के नेटवर्क को और विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

कृष्णा-गोदावरी तथा कावेरी बेसिन में तेल एवं गैस का उत्पादन

56. श्री टी.आर. बालू:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
डा. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृष्णा-गोदावरी बेसिन से वर्ष-वार कुल कितनी मात्रा में तेल एवं गैस का उत्पादन किया गया;

(ख) कृष्णा-गोदावरी तथा कावेरी बेसिन से गैस एवं तेल का अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बंबई उच्च न्यायालय ने केजी बेसिन गैस के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्य से काफी कम मूल्य का आदेश दिया है/निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा कृष्णा-गोदावरी (के.जी.) बेसिन में कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न प्रकार किया गया:

वर्ष	कच्चे तेल का उत्पादन (एम.एम.टी.)	प्राकृतिक गैस उत्पादन (एम.एम.एस.सी.एम.)
2006-07	2.6296	2313.2
2007-08	2.641	2416.3
2008-09	2.37	2512.9

एम.एम.टी. - मिलियन मीट्रिक टन

एम.एम.एस.सी.एम. - मिलियन मानक घन मीटर

(ख) केजी तथा कावेरी बेसिनों से कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से ओ.एन.जी.सी. ने कदम उठाए हैं जिनमें जल अन्तःक्षेपण योजनाएं आरंभ करना, कूपों की साइड ट्रैकिंग, जहां आवश्यक हो दोहरे कम्पलीशन्स, जलबंदी कार्य, टाइट रिजर्वायर्स में हाइड्रो-फ्रैक्चर कार्य शामिल हैं और साथ ही, नई खोजों पर यथा संभव शीघ्र उत्पादन करने के प्रयास किए जाते हैं।

उपर्युक्त बातों के अलावा, 11वीं योजना के अंतर्गत अन्वेषण प्रयासों से भंडार आधार में सुधार होने की संभावनाएं हैं जिससे अंततः इन बेसिनों से उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

(ग) और (घ) इस ब्लाक के लिए प्राकृतिक गैस का मूल्य उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के प्रावधानों के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुरूप है।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

57. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुल कितने रेल मार्गों का आमान परिवर्तन अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार कितने लंबे रेल मार्ग को ब्रॉड-गेज में बदला गया तथा इस पर कितना व्यय किया गया;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में आमान परिवर्तन के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) उन रेल मार्गों का ब्यौरा क्या है जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा किया जाएगा;

(ङ) क्या रेलवे का विचार परियोजना को त्वरित करने के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) 01-04-2009 को मीटर आमान/छोटा आमान रेलपथ लगभग 11000 किमी. था।

(ख) 10वीं योजना अवधि के दौरान, मीटर आमान/छोटे आमान के 4289 किमी. को बड़े आमान में परिवर्तित कर दिया गया था। योजना अवधि के दौरान आमान परिवर्तन परियोजनाओं पर कुल 6525 करोड़ रु. खर्च किया गया था। परियोजनाओं पर राज्यवार खर्च का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 10,000 किमी. की मीटर/छोटे आमान की लाइनों को बड़े आमान में परिवर्तित करने का लक्ष्य है। राज्यवार लक्ष्य निर्धिरत नहीं किए गए हैं।

(घ) संसद में रेल बजट 2009-10 प्रस्तुत होने के बाद ही चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरे किए जाने वाले प्रस्तावित खंडों का पता चल पाएगा।

(ङ) और (च) गैर बजटीय उपायों जैसे सार्वजनिक/निजी भागीदारी, राज्य सरकार तथा अन्य लाभार्थियों द्वारा वित्तपोषण के जरिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कई पहल कदमियां की गई हैं ताकि चालू परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाई जा सके।

[अनुवाद]

रेलवे की भूमि का अतिक्रमण

58. डा. एम. तम्बिदुरई:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण रेलवे सहित देश के विभिन्न भागों में रेलवे के बड़े भूखंडों का अतिक्रमण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) 1023 हेक्टेयर रेलवे भूमि अतिक्रमण के अधीन है, जिसमें अतिक्रमणों की कुल संख्या 140177 है. दक्षिण रेलवे पर, 9316 अतिक्रमण है तथा 63 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमणाधीन है। ये अतिक्रमण बहुत लम्बे समय से हैं। रेलें, रेलवे भूमि से अतिक्रमणों को हटाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

कोंकण रेलवे लाइन का दोहरीकरण

59. श्री एम.के. राघवन:
श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कोंकण रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या शोरनुर-मंगलौर रेल लाइन के दोहरीकरण के निष्पादन में अत्यधिक विलंब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) शोरुवण्णूर-मंगलौर मार्ग का दोहरीकरण पहले ही पूरा किया जा चुका है और नेत्रावती और कंकानाडी (मंगलौर) के बीच 3 किमी. लम्बे सेक्शन को छोड़कर जिसमें नेत्रावती नदी के ऊपर प्रमुख पुल का कार्य शामिल है, शुरू कर दिया गया है। संविदाओं के खत्म होने के कारण इस भाग की प्रगति प्रभावित हुई थी। कार्य कार्यान्वित करने के लिए नई एजेंसी निर्धारित करने में काफी कठिनाई थी। स्थल पर कतिपय तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिन्हें अब दूर कर दिया गया है। यह कार्य 2009-10 के दौरान पूरा होने की संभावना है।

खुर्दा-बोलांगीर रेल लिंक

60. श्री रूद्रमाधव राय:

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में खुर्दा-बोलांगीर रेल लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त लाइन के निर्माण में अत्यधिक विलंब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त रेल लाइन का निर्माण कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) कि.मी. 0 से 36 तक मिट्टी संबंधी तथा पुलों का कार्य प्रगति पर है। इस खंड में, अधिकांश भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा मिट्टी संबंधी कार्य की प्रगति लगभग 80% है। सभी बड़े पुलों तथा 51 छोटे पुलों में से 15 पुलों का कार्य पूरा हो गया है।

(ख) और (ग) परियोजना के कार्य को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगे बढ़ाया गया है।

(घ) परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य तिथि संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

अवकाशकालीन विशेष रेलगाड़ियों के लिए रसोई यान

61. श्री नामा नागेश्वर राव:

श्री बाल कुमार पटेल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने ग्रीष्म ऋतु के दौरान यात्रियों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए अवकाशकालीन विशेष रेलगाड़ी शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश रेलगाड़ियों में रसोई यान की कोई व्यवस्था नहीं है और इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों में रसोई यान की व्यवस्था करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। भारतीय रेलवे ग्रीष्मऋतु के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़-भाड़ को कम करने के लिए प्रतिवर्ष विशेष गाड़ियां चलाती हैं। इस वर्ष ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियों के लगभग 7500 फेरे चलाए गए हैं।

(ग) और (घ) रसोई यानों की सीमित उपलब्धता के कारण, सभी विशेष गाड़ियों में रसोई यानों की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं है। बहरहाल, यात्रियों हेतु ट्रेन साइड वेडिंग तथा स्टेशनों पर खानपान इकाइयों के माध्यम से खानपान सेवाएं उपलब्ध हैं।

पेट्रो-उत्पादों के लिए मूल्य नियंत्रण तंत्र

62. श्री गुरूदास दासगुप्त:

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के लगभग चार दशक पुराने मूल्य नियंत्रण तंत्र को बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) सरकार ने 1 अप्रैल, 2002 से प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) समाप्त कर दी थी और निर्णय लिया था कि पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. को छोड़कर, सभी पेट्रोलियम उत्पादों का निर्धारण मूल्य बाजार द्वारा तय किया जाएगा। पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. को वहनीय मूल्यों पर मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने राजसहायता योजनाएं बनाई थी जो अप्रैल, 2002 से लागू हैं। तथापि, उपभोक्ता तथा अर्थव्यवस्था को तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की अस्थिरता और अनिश्चितता से बचाने के लिए सरकार चार संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों नामत: पेट्रोल, डीजल, घरेलू एल.पी.जी. और पी.डी.एस. मिट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्य आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा रही है।

महाराष्ट्र में रेल नेटवर्क का विस्तार

63. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में निर्माण हेतु कई रेल परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है और इन पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) आज की स्थिति के अनुसार प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 50:50 लागत में साझेदारी के आधार पर निम्नलिखित नई लाइन परियोजनाओं को शुरू करने हेतु अनुरोध किया है:-

(i) मनमाड़-इंदौर

(ii) वडसा-देसाईगंज-गदचिरोली

(iii) पुणे-नासिक

मनमाड़-इंदौर के लिए सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है। वडसा-देसाईगंज-गदचिरोली के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है और पुणे-नासिक के लिए सर्वेक्षण स्वीकृत नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन/रियायतें

64. श्री अशोक कुमार रावत:
डा. मुरली मनोहर जोशी:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में सहकारी समितियों तथा अन्य संबद्ध संगठनों के लिए कार्यरत हथकरघा बुनकरों के लिए अधिक प्रोत्साहन/रियायत के लिए सरकार को राज्य-वार कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इन समितियों तथा संगठनों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों/रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हथकरघा उद्योग सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे विद्यमान प्रोत्साहनों का पूरा लाभ नहीं उठा सके हैं;

(ङ) यदि हां, तो कताई, बुनाई तथा संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत लोगों तक उक्त लाभ पहुंचाने के लिए क्या तंत्र तैयार किया गया है; और

(च) उक्त प्रस्तावित प्रोत्साहनों/रियायतों के अंतर्गत कितनी राशि खर्च किए जाने का लक्ष्य है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) हथकरघा बुनकरों के लिए कार्यरत सहकारी समितियों तथा अन्य संबद्ध संगठनों के लिए और अधिक प्रोत्साहन/रियायतों के बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं। व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर समितियों/संगठनों को धनराशि जारी की गई है।

(ग) हथकरघा क्षेत्र के विकास तथा हथकरघा समितियों और संगठनों सहित बुनकरों के कल्याण के लिए भारत

सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच योजनाओं - (i) एकीकृत हथकरघा विकास योजना; (ii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना; (iii) विपणन और निर्यात संवर्धन योजना; (iv) मिल गेट कीमत योजना; और (v) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना, को कार्यान्वित कर रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) हथकरघा क्षेत्र के लिए अनुमोदित और प्रयुक्त धनराशि इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये)

2007-08		2008-09		2009-10
सं.अ.	वास्तविक	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.
294.52	292.58	325.98	324.44	340.00

[अनुवाद]

रेल कोचों के आयात पर व्यय

65. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रेलवे के कल-पुर्जों, कोचों, इंजनों तथा अन्य संबंधित सामग्रियों के आयात पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान उक्त मदों के आयात पर कुल कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त मदों का विनिर्माण देश में करने तथा इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) आयात पर वर्षवार खर्च निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ रु.)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08
आयात पर व्यय	421	594	614

(ख) कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है क्योंकि रेलवे उस नीति को अपनाता है कि सामाग्रियों का आयात तभी किया जाए जब सामाग्रियां देश में उपलब्ध न हों।

(ग) स्वदेशीकरण एक सतत प्रयास है। स्वदेशी स्रोत तैयार करने के लिए, स्वदेशी फार्मों को परीक्षण/विकासात्मक आदेश दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

निर्माणाधीन/लंबित रेलवे परियोजनाएं

66. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड तथा बिहार सहित देश में आज की स्थिति के अनुसार चल रही तथा लंबित रेलवे परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक चल रही तथा लंबित रेलवे परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी चल रही तथा लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) योजना शीर्ष नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण के अंतर्गत चालू परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	चालू कार्यों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	22
2.	असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	17
3.	बिहार	51
4.	चंडीगढ़	1
5.	दिल्ली	4
6.	गुजरात	13
7.	हरियाणा	8
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू-कश्मीर	2
10.	झारखंड	16
11.	कर्नाटक	22
12.	केरल	13
13.	मध्य प्रदेश	11
14.	महाराष्ट्र	15
15.	उड़ीसा	18
16.	पंजाब	6
17.	राजस्थान	16
18.	तमिलनाडु	25
19.	उत्तर प्रदेश	35
20.	उत्तराखंड	4
21.	पश्चिम बंगाल	25
	कुल	327

नोट: एक से अधिक राज्यों में पड़ने वाली परियोजनाएं प्रत्येक राज्य के सामने दर्शाई गई हैं।

(ख) चालू परियोजनाओं को तीव्र गति से पूरा करने हेतु सार्वजनिक निजी साझेदारी, राज्य भागीदारी, रक्षा मंत्रालय से निधियां राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजटीय समर्थन के जरिए सृजन करने हेतु बहुत सी गैर-बजटीय पहल की जा चुकी है।

(ग) वर्ष 2009-10 के लिए चालू परियोजनाओं हेतु रेलवे द्वारा खर्च की जाने वाली प्रस्तावित निधियों का ब्यौरा संसद में रेल बजट पेश होने के बाद ही ज्ञात होगा।

[अनुवाद]

एअर इंडिया के कर्मचारियों को वेतन तथा प्रोत्साहनों के भुगतान में विलंब

67. श्री शक्ति मोहन मलिक:
श्रीमती सुस्मिता बाउरी:
श्री महेन्द्र कुमार राय:
डा. अनूप कुमार साहा:
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया अपने 31,500 कर्मचारियों के जून महीने के वेतन तथा उत्पादकता-संबद्ध प्रोत्साहनों का भुगतान करने में विलंब कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) एअर इंडिया को इस स्थिति से उबारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। एअर इंडिया के समक्ष आई लिक्विडिटी कठिनाई के दृष्टिगत जून 2009 के महीने के लिए दिए जाने वाले वेतन उत्पादकता-संबद्ध प्रोत्साहनों (पी.एल.आई.) के भुगतान को आस्थगित कर दिया गया है तथा इनका भुगतान 15 जुलाई, 2009 तक किया जाएगा।

(ग) नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इक्विटी इन्डक्शन तथा ऋणों के प्रावधान के लिए एक ठोस प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी गई है।

नए उर्वरक एककों/संयंत्रों की स्थापना

68. श्री अधीर चौधरी:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में नए एककों/संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि का निवेश किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) देश में यूरिया की मांग और आपूर्ति में बढ़ते अंतर को देखते हुए सरकार देश में नए यूरिया संयंत्र लगाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही है। इस उद्देश्य के लिए यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा 4 सितम्बर, 2008 को एक नई मूल्य निर्धारण योजना घोषित की गई है। देश में एक नई इकाई/संयंत्र को लगाने का निर्णय पूर्णत: निवेशक के निर्धारण पर निर्भर होगा जो बढ़ती मांग और उत्पादन के मध्य अंतर और आकर्षक निवेश नीति को देखते हुए इस क्षेत्र में निवेश करने का इच्छुक होगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पूर्ण अनुबंधित पुनरुद्धार प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने की शर्त पर तत्कालीन फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड की बंद पड़ी इकाइयों का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है जिनमें पश्चिम बंगाल स्थित उनकी बंद पड़ी दुर्गापुर और हल्दिया इकाइयां भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में बंद पड़ी इकाइयों सहित इन इकाइयों के पुनरुद्धार के विभिन्न संभव विकल्पों की जांच करने हेतु सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में सचिवों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

ऐसा अनुमान है कि एक मिलियन टन यूरिया संयंत्र लगाने में लगभग 4500-5000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

लग्जरी ट्रेन

69. श्री वैजयंत पांडा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में लग्जरी ट्रेन पर्यटन में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी ट्रेनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेल व्यवस्था में शुरू किया गया है; और

(ग) उड़ीसा में बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्व-तटीय रेलवे प्रणाली में ऐसी ट्रेन शुरू करने हेतु रेलवे ने क्या कार्य-योजना बनाई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेलवे, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के सहयोग से "पैलेस ऑन व्हील्स" और "रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स", महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के सहयोग से "डेक्कन ओडिसी" और कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से "गोल्डन चेरिएट" चला रही है।

(ग) लग्जरी पर्यटन गाड़ी को संबंधित राज्य/राज्य पर्यटन विकास निगम की पहल पर तथा उनके सहयोग से शुरू की जाती है। इस मंत्रालय में उड़ीसा राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

इस्पात की मांग

70. श्री गणेश सिंह: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कंपनी-वार इस्पात का कितना उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या देश में इस्पात की मांग तेजी से बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) वर्ष 2008-09 और अप्रैल-मई, 2009-2010 की अवधि के दौरान देश में प्रमुख उत्पादकों (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) और टाटा स्टील लिमिटेड) बड़े उत्पादकों (इस्पात

इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एस्सार स्टील लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड और जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड) तथा अन्य उत्पादकों द्वारा किए गए अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन (मिलियन टन)

श्रेणी	2008-09*	अप्रैल-मई, 2009-10*
सेल	13.41	2.186
आर.आई.एन.एल.	2.96	0.498
टाटा स्टील लिमिटेड	5.65	0.988
एस्सार स्टील लिमिटेड	3.26	0.642
इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2.20	0.290
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	1.57	0.313
जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड	3.17	0.782
अन्य उत्पादक	22.30	3.575
योग	54.52	9.274

स्रोतः संयुक्त संयंत्र समिति (जे.पी.सी.);

*=अनंतिम

(ख) और (ग) नीचे तालिका में गत तीन वर्षों के दौरान देश में परिसज्जित इस्पात की कुल खपत के दर्शाए गए आंकड़े यह इंगित करते हैं कि वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 में इस्पात की मांग बढ़ी है लेकिन वर्ष 2008-09 में मांग कुछ कम हो गई है तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम दो महीनों के इस्पात खपत संबंधी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार मांग गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बढ़ी है:-

वर्ष	कुल परिसज्जित इस्पात खपत (मिलियन टन में)	
	योग	गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में % परिवर्तन
1	2	3
2006-07	46.78	12.9
2007-08	52.12	11.4

1	2	3
2008-09*	52.06	-0.1
अप्रैल-मई 2009-10*	08.22	5.9

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जे.पी.सी.);

*=अनंतिम

(घ) विद्यमान नीति तंत्र के अंतर्गत सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होती है और सरकार देश में अनुमानित मांग के अनुरूप इस्पात उत्पादन समेत इस्पात उद्योग के समग्र विकास हेतु उपक्रम नीति तैयार करती है। तथापि, सरकार ने इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड क्षमता विस्तार के जरिए इस्पात के उत्पादन की सुविधा के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें से कुछेक पहल निम्नलिखित हैं:-

(i) क्षमता उपयोग को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए हैं ताकि घरेलू और विदेशी स्रोतों से आदान सामग्री की निर्बाध आपूर्ति की जा सके। अधिकतर महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों पर शुल्क दरें शून्य कर दी गई हैं।

(ii) इस्पात दर आयात शुल्क कम करते हुए 5 प्रतिशत कर दिया गया है और हॉट-रोल्ड स्टील जिसे सस्ते आयातों से अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, को छोड़कर इस्पात आयात को नियंत्रणमुक्त बना दिया गया है।

(iii) केंद्र/राज्य सरकारों के संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयीय समूह (आई.एम.जी.) गठित किया गया है जो प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अवसंरचना, कच्ची सामग्री की आपूर्ति, पर्यावरणीय स्वीकृति और अन्य संसाधनगत बाधाओं के संबंध में देश में बड़े इस्पात निवेशकों से जुड़े मामलों की निगरानी और समन्वय करेगा।

छपरा और बनारस के बीच रेल सेवा

71. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास देवरिया जिले के बरहज बाजार होते हुए छपरा और वाराणसी के बीच रेल सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्तावित मार्ग पर परिचालन संबंधी परेशानियों के अलावा, छपरा और वाराणसी के बीच बलिया के रास्ते एक सीधा मार्ग 105 कि.मी. तक छोटा, पहले ही उपलब्ध है।

छोटे निवेशकों की सुरक्षा

[अनुवाद]

72. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनियों द्वारा देश में छोटे निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा छोटे निवेशकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) मंत्रालय में प्राप्त निवेशकों की शिकायतों का संबंध कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन न करना जैसे लाभांश/डुप्लीकेट शेयर की गैर-प्राप्ति, आवेदन शुल्क की गैर वापसी, परिपक्व जमाराशियों तथा उस पर ब्याज की गैर-अदायगी, ऋण पत्र एवं उस

पर ब्याज की क्षतिपूर्ति न देना आदि से है। मंत्रालय इन शिकायतों का निपटारा संबंधित कम्पनी रजिस्ट्रारों के माध्यम से करता है। यह ऐसी शिकायतों के लिए भी, जो मंत्रालय को प्राप्त होती है परंतु भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक कार्य विभाग तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जैसी एजेंसियों से संबंधित होती हैं, उनसे समन्वय स्थापित करता है।

(ख) मंत्रालय में दिनांक 01-04-2008 से 31-03-2009 की अवधि के दौरान प्राप्त निवेशकों से शिकायतों की संख्या 986 थी।

(ग) सरकार ने छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इस उद्देश्य के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं जैसे धारा 252(i), 58कक, 58क(1) तथा 399(4) के तहत उपयुक्त उपबंध बनाए गए हैं। कम्पनी (छोटे शेयरधारकों के निदेशक की नियुक्ति) नियम, 2001 में छोटे शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक का चयन नियमों में निर्धारित तरीके से करने का प्रावधान है। कम्पनियों द्वारा निक्षेपों की पुनर्भुगतान में चूक की सूचना कम्पनी विधि बोर्ड (सी.एल.बी.) को मासिक आधार पर दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त चूक के मामले में, कम्पनी विधि बोर्ड कम्पनियों को निर्धारित समय के अंदर तथा अपने आदेश में निर्दिष्ट तरीके द्वारा पुनर्भुगतान का निर्देश दे सकती है। मंत्रालय द्वारा छोटे निवेशकों के संरक्षण के लिए उठाए गए अन्य कदमों में एम.सी.ए. 21 का कार्यान्वयन, सार्वजनिक क्षेत्र में कारपोरेट सूचना की आसान उपलब्धता के लिए एक ई-गवर्नेंस कार्यक्रम; तीन वेबसाईट www.watchoutinvestors.com, www.investorhelpline.in, www.iepf.gov.in की शुरुआत करना ताकि, आर्थिक चूककर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदान की जा सके; निवेशकों की शिकायतों के निपटारे के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार करना एवं आम जनता को वित्तीय शिक्षा प्रदान करना आदि शामिल है। ये सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त निवेशकों को शिक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा मीडिया अभियान, कार्यशाला आदि का भी आयोजन किया गया है।

तेल शोधनशालाओं का उन्नयन

73. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का विचार निकट भविष्य में अपनी तेल शोधनशालाओं का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित नई तेल शोधनशालाओं द्वारा उत्पादन शुरू करने में काफी समय लगेगा;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपर्युक्त नई तेल शोधनशालाओं को निर्धारित समय-सीमा में शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां, क्षमता विस्तार और अर्थतंत्र, प्रदूषण स्तर और उत्पाद की मांग पर आधारित मूल्य वर्द्धित उत्पादों के उत्पादन को इष्टतम करने के लिए रिफाइनरी उन्नयन परियोजनाओं का कार्य हाथ में लेती रही हैं।

(ख) रिफाइनरियों की उन्नयन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) बठिंडा, पंजाब में 9 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता की एच.पी.सी.एल.-मित्तल एनर्जी लिमिटेड (एच.एम.ई.एल.) की रिफाइनरी और बीना, मध्य प्रदेश में 6 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता की भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड (बी.ओ.आर.एल.) रिफाइनरी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर हैं और उनको क्रमशः सितंबर, 2001 और दिसंबर, 2009 में चालू किए जाने की संभावना है। बी.ओ.आर.एल. के मामले में, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने में हुए विलंब के कारण प्रारंभिक अवस्थाओं में विलंब हुआ है।

जहां तक पारादीप रिफाइनरी परियोजना का संबंध है, यद्यपि उड़ीसा सरकार के साथ बिक्री कर प्रोत्साहनों जैसे मुद्दों को निपटाने के कारण विलंब हुआ था, तथापि आई.ओ.सी.एल. के निदेशक मंडल ने 29,777 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 15 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता की रिफाइनरी को फरवरी, 2009 में अनुमोदन प्रदान कर दिया है। पारादीप रिफाइनरी को मार्च, 2012 में चालू करने का कार्यक्रम है।

विवरण

परियोजना का नाम	ब्यौरे	अनुमोदित लागत (रु. करोड़)	चालू होने की संभावित तारीख
1	2	3	4
(I) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली			
पानीपत में नैफ्था क्रैकर इकाई	मूल्य योजित उत्पादों को तैयार करने के लिए पेट्रोरसायन परियोजना	14,439.00	नवम्बर, 2009
गुजरात रिफाइनरी में अपशिष्ट श्रेणी उन्नयन तथा एम.एस./ एच.एस.डी. गुणवत्ता सुधार परियोजना	बी.एस.-III/IV गुणवत्ता एम.एस. व एच.एस.डी. का उत्पादन आस्रुत प्राप्ति को 68% से बढ़ाकर 75% तक सुधार करना हाई सल्फर क्रूड की 26% से 58% तक बढ़ी हुई मात्रा का प्रसंस्करण	5882.00	जनवरी, 2010
हल्दिया रिफाइनरी का 6 से 7.5 मि.मी.ट. प्र. वर्ष तक रिफाइनरी विस्तार के साथ डीजल गुणवत्ता और आस्रुत प्राप्ति (हाइड्रोक्रैकर) परियोजना में सुधार	बी.एस.-III/IV गुणवत्ता एम.एस. व एच.एस.डी. का उत्पादन आस्रुत प्राप्ति को 64% से बढ़ाकर 67.3% तक सुधार करना रिफाइनरी का 6 से 7.5 मि.मी.ट.प्र. वर्ष तक क्षमता विस्तार	2869.00	दिसम्बर, 2010
पानीपत रिफाइनरी का 12 मि.मी.ट. प्र. वर्ष से 15 मि.मी. ट.प्र. वर्ष तक अतिरिक्त विस्तार परियोजना	12 से 15 मि.मी.ट. प्र. वर्ष तक कम लागत क्षमता विस्तार	1007.83	दिसम्बर, 2009 -गुणवत्ता भाग (डीएचडीटी) अप्रैल, 2010 - अन्य सुविधाएं व पुनर्गठन कार्य
पानीपत रिफाइनरी में एम.एस. गुणवत्ता श्रेणी उन्नयन परियोजना	बी.एस.-III/IV गुणवत्ता एम.एस. व एच.एस.डी. का उत्पादन	1131.00	दिसम्बर, 2009
मथुरा रिफाइनरी में एम.एस. गुणवत्ता श्रेणी उन्नयन परियोजना के तहत एफ.सी.सी. गैसोलीन डिसल्फराइजेशन इकाई की स्थापना	बी.एस.-IV गुणवत्ता एम.एस. का उत्पादन	348.00	दिसम्बर, 2009
बरौनी रिफाइनरी में एम.एस. गुणवत्ता श्रेणी उन्नयन परियोजना	बी.एस.-III गुणवत्ता एम.एस. का उत्पादन	1492.00	जून, 2010
गुवाहाटी रिफाइनरी में एम.एस. गुणवत्ता श्रेणी उन्नयन परियोजना	बी.एस.-III गुणवत्ता एम.एस. का उत्पादन	372.00	जून, 2010

1	2	3	4
डिग्बोई रिफाइनरी में एम.एस. गुणवत्ता श्रेणी उन्नयन परियोजना	बी.एस.-III गुणवत्ता एम.एस. का उत्पादन	356.00	जून, 2010
डीजल हाइड्रो ट्रीटमेंट (डीएचडीटी) परियोजना, बोंगाई-गांव रिफाइनरी	बी.एस.-III गुणवत्ता एच.एस.डी. का उत्पादन	1646.39	जून, 2010
बोंगाईगांव रिफाइनरी में एम.एस. गुणवत्ता सुधार	बी.एस.-III गुणवत्ता एम.एस. का उत्पादन	293.60	जून, 2010
(II) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.), मुंबई			
कोच्चि रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना	परिशोधन क्षमता का 7.5 मि.मी.ट. प्र. वर्ष से 9.5 मि.मी.ट. प्र. वर्ष तक विस्तार	3941	2009 के अंत तक
(III) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), मुंबई			
	(क) मुंबई रिफाइनरी		
हरित ईंधन व उत्सर्जन नियंत्रण परियोजना (जी.एफ.ई.सी.)	एम.एस. गुणवत्ता को यूरो III व IV तक श्रेणी उन्नयन करना	1850	मई, 2009 से प्रारम्भ
एल.ओ.बी.एस. परियोजना	समूह-I के मौजूदा स्तर से एल.ओ.बी.एस. गुणवत्ता समूह-II/समूह-III तक श्रेणी उन्नयन करना	1030	मई, 2010
न्यू एफ.सी.सी. परियोजना	1.45 मि.मी.ट. प्र. वर्ष क्षमता की न्यू एफ.सी.सी. की स्थापना	900.50	मई, 2010
डीजल हाइड्रो ट्रीटर परियोजना	यूरो-III/IV एच.एस.डी. का श्रेणी उन्नयन/ उत्पादन	3284	सितम्बर, 2011
	(क) विशाख रिफाइनरी		
हरित ईंधन परियोजना	एम.एस. गुणवत्ता को यूरो III व IV तक श्रेणी उन्नयन करना	2147.80	जुलाई, 2009
डीजल हाइड्रो ट्रीटर परियोजना	यूरो-III/IV एच.एस.डी. का श्रेणी उन्नयन/ उत्पादन	3597	सितम्बर, 2011
(IV) मैंगलोर रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (एम.आर.पी.एल.), मैंगलोर			
क्षमता श्रेणी उन्नयन परियोजना	परिशोधन क्षमता का 9.69 मि.मी.ट.प्र. वर्ष से 15 मि.मी.ट. प्र. वर्ष तक विस्तार	12,412	अक्तूबर, 2011

1	2	3	4
(V) चैन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सी.पी.सी.एल.), मनाली			
आटो ईंधन गुणवत्ता श्रेणी उन्नयन परियोजना	यूरो-II/यूरो-IV विनिर्देशों को पूरा करने वाले एम.एस./एच.एस.डी. का उत्पादन	2615	जुलाई, 2010
रेसिड श्रेणी उन्नयन परियोजना	रिफाइनरी की आस्रुत प्राप्ति में सुधार	3350	2012 के अंत तक
एकल स्थल मूरिंग परियोजना	क्रूड ऑयल आयातों के लिए एक एस.पी.एम. ऑफ एन्नौर की स्थापना	850	-
(VI) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एन.आर.एल.), नुमालीगढ़			
डीजल गुणवत्ता श्रेणी उन्नयन परियोजना	यूरो-III एच.एस.डी. तथा यूरो-IV एच.एस.डी. की सीमित मात्राओं का उत्पादन	434.94	अप्रैल, 2010

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस के बिक्री मूल्य में वृद्धि

74. श्री जगदीश शर्मा:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्राकृतिक गैस के बिक्री मूल्य में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मूल्य में वृद्धि करने के लिए क्या मानदंड विकसित किए गए हैं; और

(ग) देश में प्राकृतिक गैस के बिक्री मूल्य के निर्धारण हेतु फिलहाल किस सूत्र को अपनाया जाता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) प्राकृतिक गैस के मूल्य में वृद्धि करने के लिए अभी सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) गैस का मूल्य सरकार द्वारा पिछली बार दिनांक 1-7-05 से संशोधित किया गया था, इसे तदर्थ आधार पर 3200 रुपये/एम.एस.सी.एम. (हजार मानक घन मीटर) निर्धारित किया गया था। जहां तक नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) क्षेत्रों से प्राप्त गैस का संबंध है, वह सूत्र या आधार जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के संबंध में सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होता है। एन.ई.एल.पी.-पूर्व संविदाओं के अंतर्गत उत्पादित गैस का मूल्य, सरकार और संयुक्त उद्यम परिसंघ के बीच हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) के उपबंधों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। संविदाओं के निबंधन के अंतर्गत आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) का मूल्य एल.एन.जी. विक्रेता और क्रेता के बीच बिक्री-खरीद करार (एस.पी.ए.) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तत्स्थान एल.एन.जी. पोत भार, परस्पर सहमत वाणिज्यिक शर्तों पर खरीदे जाते हैं।

[अनुवाद]

रंगनाथ मिश्र आयोग

75. श्री एम.आई. शानवास: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रंगनाथ मिश्र आयोग की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखने और दलित मुस्लिमों का पुनःवर्गीकरण करके उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (एन.सी.आर.एल.एम.) का कार्यकाल 15 मई, 2007 को समाप्त हो गया था।

(ख) आयोग की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण

76. श्री प्रेमचन्द गुड्डू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने मध्य प्रदेश सहित देश में कुछ नए रेलवे स्टेशनों के निर्माण की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रेलवे स्टेशनों का कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जो परिचालनिक तथा अन्य आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। 2008-09 के दौरान रेलवे ने 13 नए स्टेशनों को स्वीकृत किया है जिनमें से एक मध्य प्रदेश में है। 2008-09 में स्वीकृत स्टेशनों की राज्य-वार सूची का विवरण तथा उनकी स्थिति नीचे दी गई है:

क्र. सं.	राज्य	कार्य का नाम	स्टेशनों की सं.	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	पोटलापडु, सत्यावली और नुदुरपडु - नए क्रासिंग स्टेशन	3	योजना को स्वीकृत कर दिया गया है। विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है। निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
2.	आंध्र प्रदेश	नन्दीपल्ली-नया क्रासिंग स्टेशन	1	योजना को स्वीकृत कर दिया गया है। विस्तृत अनुमान को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
3.	आंध्र प्रदेश	चीकटीगापलम-नया क्रासिंग स्टेशन	1	योजना को स्वीकृत कर दिया गया है। विस्तृत अनुमान को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
4.	आंध्र प्रदेश	संगमजगलमुडी-नया क्रासिंग स्टेशन	1	कार्य प्रारंभ हो गया है।
5.	आंध्र प्रदेश	मोटुमरी-जगयापेट टाउन के बीच - मानक नक्सा वाला नया क्रासिंग स्टेशन	1	कार्य प्रारंभ हो गया है।
6.	आंध्र प्रदेश	मुंगलीपट्टु-मानक नक्सा वाला नया क्रासिंग स्टेशन	1	योजना को स्वीकृत कर दिया गया है। विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है। निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
7.	आंध्र प्रदेश	लक्कावरपुकोटा - नया क्रासिंग स्टेशन	1	योजना को स्वीकृत कर दिया गया है। निविदा जारी कर दी गई है।

1	2	3	4	5
8.	कर्नाटक	बिन्कादकट्टी - अतिरिक्त क्रासिंग स्टेशन	1	कार्य प्रारंभ हो गया है।
9.	कर्नाटक	कोटपल-गिनिगेरा के बीच - अतिरिक्त क्रासिंग स्टेशन	1	भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।
10.	मध्य प्रदेश	अशोकनगर ओर नया क्रासिंग स्टेशन	1	योजना को स्वीकृत किया जा रहा है। अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है। कार्य दे दिया गया है।
11.	राजस्थान	नीम का खेड़ा - नया क्रासिंग स्टेशन	1	योजना अनुमोदनाधीन, स्वीकृत, कार्य दे दिया गया है।
		जोड़	13	

[अनुवाद]

उर्वरक पर राजसहायता

77. श्री पूर्णमासी राम:

श्री संजय निरूपम:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किसानों को उर्वरकों पर कितनी राजसहायता दी गई है;

(ख) क्या किसानों को उर्वरकों संबंधी राजसहायता का अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार किसानों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार सीधी राजसहायता प्रदान करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा निर्धन और सीमांत किसानों को राजसहायता का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उर्वरक पर दी गई राजसहायता की मात्रा तथा वर्तमान वर्ष में 29-6-2009 तक राजसहायता पर किया गया व्यय नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपए)

मद	वितरित राजसहायता (सकल) राशि			
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (29-06-09 तक व्यय)
1	2	3	4	5
आयातित यूरिया	5071.06	9934.99	12971.18	464.36
स्वदेशी यूरिया	12650.37	12950.37	17968.74	5210.60
नकद बांड	-	3500.00	3000.00	

1	2	3	4	5
आयातित पी एंड के	3649.95	5100.00	23847.69	8637.41
नकद बांड	-	1500.00	8750.00	
स्वदेशी पी एंड के	6648.16	7833.80	24707.10	3835.80
नकद बांड	-	2500.00	8250.00	
योग	28019.54	43319.16	99494.71	18148.17

इसके अलावा, वर्तमान वर्ष में 77,425.19 करोड़ रुपए (सकल) की उर्वरक राजसहायता की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) चूंकि उर्वरक राजसहायता किसानों को राजसहायता प्राप्त अधिकतम खुदरा मूल्यों (एम.आर.पी.) के रूप में अंतरित की जाती है जो उत्पादन की मानकीय लागत तथा फार्मगेट स्तर पर राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की सुपुर्दगी से काफी कम होती है, अत: किसानों को उर्वरकों पर राजसहायता का अपेक्षित लाभ मिल रहा है।

(घ) और (ङ) चूंकि उर्वरक राजसहायता किसानों को राजसहायता प्राप्त अधिकतम खुदरा मूल्यों पर अंतरित की जाती है अत: छोटे और सीमांत किसानों को भी अपने खेतों में उर्वरकों का इस्तेमाल करने की सीमा तक लाभ मिलता है। इसके अलावा, सरकार किसानों को उर्वरक राजसहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न संभावनाओं की तलाश कर रही है। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ राजसहायता के वितरण की किसी वैकल्पिक प्रणाली पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है जिसमें किसानों का उनकी आर्थिक स्थिति या छोटे और सीमांत किसानों को लक्षित राजसहायता के अनुसार सीधे राजसहायता देना शामिल हो।

[हिन्दी]

सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन

78. योगी आदित्यनाथ: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को गोरखपुर और कोलकाता के बीच सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) श्री योगी आदित्यनाथ, संसद सदस्य से प्राप्त एक अभ्यावेदन सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

इस्पात के मूल्य में वृद्धि

79. श्री संजय सिंह चौहान: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात के मूल्यों में वृद्धि के कारण देश में इस्पात की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई है;

(घ) क्या सरकार घरेलू बाजार में मूल्यों को कम करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण देश में इस्पात की कीमतें वर्ष दर वर्ष आधार (मई, 2009 बनाम जून, 2008) पर कम हुई हैं। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी के कारण देश में इस्पात की खपत पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान मामूली कम हुई है और चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2009-10 के प्रथम दो माह के दौरान इसमें मामूली वृद्धि हुई है। ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान दिल्ली के खुदरा बाजार में इस्पात मदों की प्रतिनिधि श्रेणी की बाजार कीमतों का तिमाही आधार पर रुख संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इस्पात की कीमतें बाजार द्वारा मांग और आपूर्ति की स्थिति, आयात की उतराई तक की लागत, आदान लागतों और प्रतिस्थानी का मूल्य और उपलब्धता आदि जैसे घटकों के आधार पर निर्धारित होती है और सरकार की भूमिका मात्र सुविधाप्रदाता की है। इसके बावजूद घरेलू बाजार में इस्पात की कीमतों और आपूर्ति को स्थिर करने के लिए सरकार विभिन्न आवश्यक नीतिगत पहल कर रही है।

विवरण-I

उत्पादन, आयात, निर्यात और खपत: 2008-09 बनाम 2007-08

(मिलियन टन)

परिसज्जित इस्पात	2007-2008	2008-2009	% परिवर्तन
उत्पादन	56.08	56.42	0.6%
आयात	7.03	5.72	-18.7%
निर्यात	5.07	3.66	-27.9%
वास्तविक खपत	52.13	52.05	-0.1%

स्रोत: जे.पी.सी. (आंकड़ें अनंतिम हैं)

विवरण-II

उत्पादन, आयात, निर्यात और खपत: अप्रैल-मई 2009-10 बनाम अप्रैल-मई 2008-09

(मिलियन टन)

परिसज्जित इस्पात	अप्रैल-मई 2008	अप्रैल-मई 2009	% परिवर्तन
उत्पादन	9.024	9.240	2.4%
आयात	0.925	0.978	5.7%
निर्यात	0.709	0.426	-39.9%
वास्तविक खपत	7.762	8.222	5.9%

स्रोत: जे.पी.सी. (आंकड़ें अनंतिम हैं)

विवरण-III

दिल्ली में इस्पात की चुनिंदा मदों की बाजार कीमतों का रुख

(रु./टन)

अवधि	टी.एम.टी.	वायर रॉड्स	राउंड्स	प्लेट्स	एच.आर. क्वायल	सी.आर. क्वायल	जी.पी. शीट
	10 एम.एम.	8 एम.एम.	16 एम.एम.	12 एम.एम.	2.5 एम.एम.	0.63 एम.एम.	0.63 एम.एम.
1	2	3	4	5	6	7	8
2008-09							
मई 2009	35438	34762	34697	35247	33689	36568	40588
मार्च 2009	34285	37427	35179	34143	34818	36608	39628
दिसम्बर 2008	36634	37927	38363	37533	36174	36039	39158
सितम्बर 2008	41934	43664	43788	46250	45327	48700	51662
जून 2008	47451	45925	43875	45200	50045	49492	52986
2007-08							
मार्च 2008	43775	43225	42875	45000	43800	48000	56000
दिसम्बर 2007	32200	32200	29800	35400	34700	38000	42500
सितम्बर 2007	29900	30500	27000	36175	35500	39550	46750
जून 2007	36925	30950	31250	36925	35350	39000	48050
2006-07							
मार्च 2007	29650	29325	28300	35150	33275	38475	48750
दिसम्बर 2006	27250	27050	26525	33275	32750	36925	44500
सितम्बर 2006	25800	26000	24950	33275	32750	34325	42125
जून 2006	24950	25475	23925	33800	31625	34850	39525

स्रोत: जे.पी.सी.

[अनुवाद]

बल्क औषधियों के मूल्यों को कम करना

80. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा 184 बल्क औषधियों के लिए नया सूत्र शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में बल्क औषधियों के मूल्यों में कमी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी बल्क औषधियों का ब्यौरा क्या है और इसका दवाइयों की लागत पर क्या प्रभाव पड़ा है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एन.पी.पी.ए. ने वर्ष 2008-09 में 9 बल्क औषधों और वर्ष 2009-10 (जून 2009 तक) में 6 बल्क औषधों के मूल्य घटाए हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मूल्य घटाने से इन बल्क औषधों वाली दवाइयों के मूल्यों में भी कमी आएगी।

विवरण

एन.पी.पी.ए. द्वारा 2008-09 एवं 2009-10 (जून 2009 तक) में अनुसूचीबद्ध बल्क औषधों/व्युत्पादों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन

क्र. सं.	2008-09 औषध का नाम	वर्तमान मूल्य (रु.)	संशोधित मूल्य (रु.)	प्रतिशत परिवर्तन	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
2008-09					
1.	फ्रूसेमाइड	1442	1225	-15.05	घटे
2.	पोटैसियम पेनिसिलिन जी	1106	629	-43.13	घटे
3.	पोटैसियम पेनिसिलिन वी	1001	569	-43.16	घटे
4.	सालबूटामोल सल्फेट	4748	4478	-5.69	घटे
5.	क्लोरोक्वीन सल्फेट	1692	1248	-26.24	घटे
6.	क्लोरीक्वीन फास्फेट	874	871	-0.34	घटे
7.	क्लोरोक्वीन सल्फेट	1248	1244	-0.32	घटे
8.	क्लोरोक्वीन फास्फेट	871	861	-1.15	घटे
9.	क्लोरोक्वीन सल्फेट	1244	1230	-1.13	घटे
2009-10 (जून 2009 तक)					
1.	टॉलनाफ्टेट	4121	2500	-39.34	घटे
2.	गिलीपीजाइड	29244	26114	-10.70	घटे

1	2	3	4	5	6
3.	बीटामेथासोन एल्कोहल माइक्रोनाइज्ड	181	167	-7.73	घटे
4.	बीटामेथासोन 17 वालरेट	171	160	-6.43	घटे
5.	बीटामेथासोन डाइसोडियम फास्फेट	145	133	-8.28	घटे
6.	बीटामेथासोन डाइप्रोपीनेट	106	90	-15.09	घटे

[हिन्दी]

विमान किराए में वृद्धि और यात्री सुविधाएं

81. श्री पशुपति नाथ सिंह:

श्री ए. सम्पत:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयरलाइनों ने हाल ही में विमान किरायों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूछताछ सेवा और यात्री सुविधाओं में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ खर्च की गई/खर्च की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां। यह देखा गया है कि सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों ने फरवरी के पहले सप्ताह में विमान किराए में वृद्धि की।

(ख) घरेलू विमान किराये सरकार द्वारा विनियमित नहीं किए जाते। घरेलू एयरलाइनें बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार विमान किराए वसूल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) और (घ) एयरलाइनों से सभी एयरलाइनों के लिए रेलवे पूछताछ (139) की तर्ज पर एक सिंगल कामन इन्क्वायरी सिस्टम तैयार करने के लिए कहा गया है। इससे विमान यात्री इस नंबर के जरिए वास्तविक समय आधार पर किसी भी एयरलाइन की उड़ानों के समय संबंधी सूचना प्राप्त कर पाएंगे।

सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों को अपनी-अपनी वेबसाइट पर यात्रियों को प्रदर्शित की जाने वाली नि:शुल्क तथा सशुल्क दोनों प्रकार की सुविधाओं का ब्यौरा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने की सलाह दी गई है ताकि यात्री हवाई टिकटें बुक करने से पहले वे इनसे अवगत हो सकें।

सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों ने अपनी-अपनी वेबसाइट पर सिटीजन चार्टर प्रदर्शित किए हैं जिनमें जनता को उपलब्ध कराई गई विभिन्न सुविधाओं तथा यात्रियों द्वारा हवाई टिकटों को रद्द कराए जाने तथा/अथवा एयरलाइन द्वारा उड़ानों के रद्द किए जाने की स्थिति में रिफंड की निर्धारित समय सीमा के साथ हवाई टिकट के रिफंड से संबंधित शर्तों का विवरण भी दिया जाता है।

[अनुवाद]

सेलम में विमानपत्तन

82. श्री एस. सेम्मलई: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में सेलम में विमानपत्तन को प्रचालन योग्य बनाने और विकसित करने का कोई प्रस्ताव अनुमोदनार्थ लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) तमिलनाडु में सेलम हवाईअड्डा एक प्रचालनिक हवाई अड्डा है जो इस समय ए.टी.आर.-72 प्रकार तक के विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने ए.बी.-321 प्रकार के विमानों के प्रचालन हेतु सेलम हवाई अड्डे के विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस उद्देश्य के लिए, तमिलनाडु सरकार से 563 एकड़ अतिरिक्त भूमि अधिगृहीत करके उसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निशुल्क एवं सभी दायित्वों से मुक्त करा करके उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया है। यह मामला राज्य सरकार के पास अभी भी लंबित है।

[हिन्दी]

एयर इंडिया की सेवाएं

83. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों और शहरों का ब्यौरा क्या है जहां के लिए वर्तमान में एयर इंडिया की सेवाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन सेवाओं का विस्तार और अधिक शहरों/नगरों में करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया के माध्यम से अमरीका के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कब तक शुरू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) इस समय, एअर इंडिया निम्नलिखित शहरों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रचालन करती है:-

मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनन्तपुरम, कोच्चि, कोझीकोड, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, अमृतसर, गया, जयपुर, वाराणसी, गोवा, लघनऊ और तिरुचिरापल्ली।

भारत के उक्त शहरों से निम्न देशों के शहरों के लिए प्रचालन करती हैं:-

1.	यू.एस.ए.	–	न्यूयार्क, न्यूजर्सी एवं शिकागो
2.	कनाडा	–	टोरंटो
3.	यू.के.	–	लंदन
4.	जर्मनी	–	फ्रैंकफर्ट
5.	फ्रांस	–	पेरिस
6.	जापान	–	टोकियो एवं ओसाका
7.	हांगकांग		
8.	मलेशिया	–	क्वालालाम्पुर
9.	थाईलैंड	–	बैंकाक
10.	यू.ए.ई.	–	आबू धाबी, दुबई, शरजाह
11.	कुवैत		
12.	बहरीन		
13.	कतर	–	दोहा
14.	ओमान	–	मस्कट
15.	साउदी अरब	–	जेद्दाह, दम्माम एवं रियाद
16.	चीन	–	शंघाई
17.	श्रीलंका	–	कोलंबो
18.	अफगानिस्तान	–	काबुल
19.	माले		
20.	म्यांमार	–	यांगून
21.	कीनिया	–	नैरोबी
22.	नेपाल	–	काठमांडू

उपरोक्त के अतिरिक्त, एअर इंडिया कोड शेयर के माध्यम से यू.एस.ए. (डेनेवर, डेट्राएट, लास एंजिल्स, सेन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन), जर्मनी (बर्लिन, स्टुगार्ट, डुसेलडोर्फ, म्यूनिख), नीदरलैंड (एम्सटर्डम), रूस (मास्को), आस्ट्रिया (वियना), डेनमार्क (कोपेनहेगेन), नार्वे (ओस्लो), स्वीडन (स्टाकहोम), तुर्की (इस्तांबुल), स्विटजरलैंड (ज्यूरिख), दक्षिण अफ्रीका (जोहान्सबर्ग, डरबन, कैपटाउन), मारीशस, आस्ट्रेलिया (सिडनी, मेलबर्न, ब्रिसबेन) के लिए भी प्रचालन करती है। उपरोक्त के अतिरिक्त, एअर इंडिया की सहयोगी (बजट) एयरलाइन अर्थात एअर इंडिया एक्सप्रेस भी मंगलौर, नागपुर, पुणे, और श्रीनगर से यू.ए.ई. (एल.-ऐन.) और ओमान (सालालाह) के लिए उड़ान प्रचालित करती है।

(ख) और (ग) जी, हां। ज्यों ही नए विमान खरीदे गए हैं, वे सेवा में लगा दिए जाते हैं। तथापि, एयरलाइन द्वारा वास्तविक प्रचालनों को इनके वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार गाइड किया जाएगा।

(घ) और (ङ) एयर इंडिया ने मुंबई और दिल्ली से, यू.एस.ए. के लिए न्यूयार्क तथा वहां से वापसी के लिए सीधी उड़ानें आरंभ की हैं।

विमानपत्तनों पर धुंध रोधी प्रौद्योगिकी

84. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विमानपत्तनों पर धुंध रोधी प्रौद्योगिकी की संस्थापना के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कितनी धनराशि आबंटित एवं उपयोग की गई है;

(ख) क्या अधिकतर एयरलाइन्स अपने विमानों को इन प्रौद्योगिकी से सुसज्जित करने, उनका उन्नयन करने तथा पायलटों के प्रशिक्षण पर धनराशि नियत करने की इच्छुक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी एयरलाइन्सों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) कैट III बी आई.एल.एस. प्रणाली हवाई अड्डे पर कुहरे के मौसम में, जब रनवे दृश्यता सीमा (रनवे विजुअल रेंज) 50 मीटर से 200 मीटर के बीच होती है, हवाई अड्डे पर लैंडिंग की अनुमति देती है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आई.जी.आई. हवाई अड्डा दिल्ली के रनवे 28 पर 55 करोड़ रुपए की लागत से कैट III बी आई.एल.एस. का ग्राउंड कम्प्लीमैंट और उन्नत भूतल संचलन मार्गदर्शन एवं नियंत्रण प्रणाली (ए.एस.एम.जी.सी.एस.) और नए रनवे (20/11) पर 20.47 करोड़ रुपए की लागत से दूसरे एस.एम.आर. तथा ए.एस.एम.जी.सी.एस. के आवर्धन सहित कैट III बी आई.एल.एस. का ग्राउंड कम्प्लीमैंट मुहैया कराया है।

(ख) से (घ) एयरलाइनों के लिए धुंध रोधी प्रौद्योगिकी का संस्थापन अनिवार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, एयरलाइनों के लिए अपने पायलटों को कैट III बी स्थितियों में प्रचालन हेतु प्रशिक्षित करवाया जाना भी कोई अनिवार्य अपेक्षा नहीं है।

नकली उर्वरकों की आपूर्ति

85. कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान देश में विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में नकली उर्वरकों की आपूर्ति की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) जी नहीं। उर्वरकों की बिक्री, उत्पादन आदि का विनियमन उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, (एफ.सी.ओ.) 1985, जो अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक आदेश है, के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न उर्वरकों की विशिष्टियां एफ.सी.ओ., 1985 की अनुसूची में दी गई हैं। यह आदेश उन उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाता है जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है।

गुणवत्ता की जांच एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए देश में 68 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोगशालाएं हैं जिनमें भारत सरकार की चार प्रयोगशालाएं नामत: केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण व प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में स्थित है और मुम्बई, कल्याणी तथा चेन्नई में तीन क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। राज्य सरकारें इनको लागू करने वाली एजेंसियां हैं और उन्हें कदाचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए एफ.सी.ओ., 1985 के प्रावधानों के तहत पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं, जिनमें उर्वरकों की गुणवत्ता का उल्लंघन, यदि कोई हो, भी शामिल है।

हाल ही में अव-मानक उर्वरकों के उत्पादन संबंधी कोई रिपोर्ट उर्वरक विभाग, भारत सरकार को नहीं मिली है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय भेषज नीति

86. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महत्वपूर्ण दवाओं के मूल्यों के विनियमन हेतु एक नई राष्ट्रीय भेषज नीति को अंतिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक प्रभावी हो जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 का प्रारूप मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल ने अपनी 11-1-2007 की बैठक में इस नीति पर विचार किया। यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम इस मामले पर मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) द्वारा विचार किया जाए। जी.ओ.एम. की चार बैठकें हुई थीं, लेकिन इसने अपनी सिफारिशें मंत्रिमंडल को नहीं दीं।

पेट्रोल पम्पों द्वारा कप माप किया जाना

87. श्री निशिकांत दुबे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में बहुत से पेट्रोल पंप उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत की तुलना में कम मात्रा में पेट्रोल दे रहे हैं और ज्यादा मूल्य वसूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त दोषी पेट्रोल पंपों का कोई समीक्षा/निरीक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन पेट्रोल पंपों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) कुछ बेईमान तत्वों द्वारा मौद्रिक लाभ के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र पर पेट्रोल/डीजल की कम सुपुर्दगी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) ने रिपोर्ट दी है कि वर्ष 2008-09 के दौरान उन्होंने दिल्ली में 1993 निरीक्षण किए हैं, जिनमें से पेट्रोल/डीजल की कम सुपुर्दगी के 16 मामलों का पता लगाया गया है। ओ.एम.सीज द्वारा विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एम.डी.जी.)/डीलरशिप करार के प्रावधानों के आधार पर चूक करने वाले डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

विभिन्न स्तरों पर कम सुपुर्दगी, अधिक प्रभार लेने तथा अन्य कदाचारों की जांच करने के लिए ओ.एम.सीज के अधिकारियों द्वारा पेट्रोल पंपों के नियमित/औचक निरीक्षण किए जाते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार का भार और माप तौल विभाग भी कम सुपुर्दगी का पता लगाने के लिए औचक निरीक्षण करता है और उचित कार्रवाई करता है। साथ ही, राज्य सरकारों को अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सरकार द्वारा जारी नियंत्रण आदेशों के प्रावधानों के तहत चूक करने वाले डीलरों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्त बनाया गया है।

एल.पी.जी. वितरकों की कमी

88. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में रसोई ईंधन/एल.पी.जी. की आपूर्ति की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या एल.पी.जी. वितरकों की कमी अनियमित आपूर्ति का एक मुख्य कारण है;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है कि प्रत्येक दस हजार राशन कार्ड धारकों के लिए कम से कम एक गैस वितरक की सेवा उपलब्ध होनी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने रिपोर्ट दी है कि वर्तमान में देश में, महाराष्ट्र राज्य सहित कहीं भी एल.पी.जी. की कोई कमी नहीं है तथा तेल विपणन कंपनियों द्वारा एल.पी.जी. वितरकों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुरूप

स्वदेशी उत्पादन और आयात के माध्यम से वितरकों को एल.पी.जी. की आपूर्तियां की जा रही हैं।

दिनांक 01-06-2009 के अनुसार, तेल विपणन कंपनियां महाराष्ट्र राज्य में 999 एल.पी.जी. वितरकों के माध्यम से 140.34 लाख एल.पी.जी. ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रही है, जोकि अनुमानित जनसंख्या का लगभग 71.7% है। एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना को राशन कार्ड धारकों की संख्या से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नए डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए नए स्थलों की पहचान करना और उसके पश्चात् नए डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना करना एक सतत प्रक्रिया है। तेल विपणन कंपनियों ने देश में नए एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के लिए मुख्यत: ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण (अर्ध-शहरी) स्थलों के लिए एक साझा उद्योग विपणन योजना को अंतिम रूप दिया है जिसके अंतर्गत 1340 स्थल शामिल हैं, जिनमें महाराष्ट्र राज्य के 112 स्थल भी हैं।

नया रेलवे मंडल

89. श्री रायापति सांबासिवा राय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत काजीपेट जंक्शन को इसकी महत्वपूर्ण अवस्थिति तथा यात्रियों, माल ढुलाई और राजस्व आय के मद्देनजर, एक नया रेलवे मंडल बनाने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) काजीपेट में मंडल की स्थापना करना व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

रेलवे की खान-पान नीति

90. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आई.आर.सी.टी.सी.) को खान-पान का नियंत्रण सौंपने की नीति/निर्णय की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष/टिप्पणियां क्या हैं तथा इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रेलवे को देश की विभिन्न खान-पान एसोसिएशनों से रेलवे की खान-पान नीति में उनकी मांगों/आवश्यकताओं को शामिल करने के संबंध में अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन मांगों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) रेलवे खानपान नीति की जांच की जा रही है।

भिलाड़ी-समधारी के बीच आमान परिवर्तन

91. श्री हरिन पाठक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विकास निगम लिमिटेड ने गुजरात राज्य में भिलाड़ी-समधारी के बीच आमान परिवर्तन का कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) आमान परिवर्तन कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) इस कार्य में भिलाड़ी और समदड़ी के बीच 223 कि.मी. का आमान परिवर्तन शामिल है। कार्य की वर्तमान स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है:-

(i) लूप लाइनों सहित मीटर आमान खंड की लाइन को उखाड़ने का कार्य पूरा हो चुका है।

(ii) 3 पुलों को छोड़कर जहां कार्य प्रगति पर है, सभी पुलों पर बड़े आमान के मानकों के अनुरूप पुलों को मजबूत करने का कार्य पूरा हो चुका है।

(iii) सभी 23 स्टेशनों पर प्लेटफार्मों एवं स्टेशन भवनों का निर्माण अंतिम चरण पर है।

(iv) 23 में से 9 स्टेशनों पर प्लेटफार्म लाइटिंग के लिए केबल बिछाने और खम्भों को खड़ा करने का कार्य पूरा हो चुका है और शेष स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है।

(ग) कार्य का दिसम्बर, 2009 तक पूरा होने की संभावना है।

डिब्बों में साइड मिडल बर्थ

92. श्री प्रदीप माझी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को यात्रियों द्वारा रेल के डिब्बों में साइड मिडल बर्थ के कारण हो रही असुविधा के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त शिकायतों का जोन-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार शयनयान डिब्बों से साइड मिडल बर्थ हटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां, स्लीपर और वातानुकूल 3 टियर सवारी डिब्बों में अतिरिक्त बर्थों के बारे में शिकायतें मुख्यत: बढ़ी हुई भीड़भाड़ और अपर्याप्त स्थान की वजह से हुई असुविधा और परेशानी के कारण थी। इस आधार पर मध्य (18), पूर्व मध्य (7), पूर्व तट (2), उत्तर (3), उत्तर मध्य (4), उत्तर पश्चिम (2), दक्षिण (16), दक्षिण मध्य (55), दक्षिण पूर्व मध्य (44), दक्षिण पश्चिम (9), पश्चिम (8), और पश्चिम मध्य (5) क्षेत्रीय रेलों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) जी हां। नीति की पुनरीक्षा की गई है और अब यह विनिश्चिय किया गया है कि स्लीपर और 3 वातानुकूलित सवारी डिब्बों में लोंगीटयूडनल साइड मिडल बर्थों की व्यवस्था की योजना को समाप्त कर दिया जाए। आशोधित सवारी डिब्बों में पहले से ही मुहैया कराई गई ऐसी बर्थों को धीरे-धीरे हटाया जाएगा।

एयर केरल का परिचालन

93. श्री ए. सम्पत: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से एयर केरल के परिचालन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने केरल सरकार को सस्ते एयरलाइन के रूप में एयर केरल के गठन और इसके परिचालन हेतु अनुमति स्वीकृति नहीं दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) यद्यपि सरकार के समक्ष "एयर केरल" नामक किसी एयरलाइन के सृजन का कोई प्रस्ताव क्लीयरेंस के लिए लम्बित नहीं है तथापि केरल सरकार ने सूचित किया था कि एक पब्लिक लि. कम्पनी, "एयर केरल इंटरनेशनल सर्विसिज लि." को एक बजट एयरलाइन परियोजना के लिए एक स्पेशल परपोज व्हीक्ल के रूप में पंजीकृत किया गया है। केरल सरकार ने इस मंत्रालय से इस प्रस्तावित एयरलाइन को, अन्तरराष्ट्रीय प्रचालनों के लिए विचार किए जाने हेतु एयरलाइन के विमान बेड़े के आकार तथा घरेलू सेक्टर में प्रचालन की लंबाई से संबंधित निर्धारित शर्तों से, छूट प्रदान किए जाने संबंधी अनुरोध किया है। अंतरराष्ट्रीय सेवा प्रचालित करने के लिए भारतीय अनुसूचित वाहक को अनुमति प्रदान करने के लिए न्यूनतम 20 विमानों के बेड़े तथा घरेलू क्षेत्र में 5 वर्ष के निरन्तर अनुभव संबंधी सरकार की मौजूदा नीति के आलोक में इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में विमानपत्तनों का विस्तार

94. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के विमानपत्तनों पर लिया जाने वाला शुल्क तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है, जिससे वहां केवल छोटे विमान ही उतर सकते हैं तथा जिसके कारण राज्य में पर्यटन प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश में धावन पट्टियों के विस्तार तथा विमानपत्तनों के उन्नयन हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या पूर्वोत्तर राज्यों की तरह विमान किरायों को कम रखने का कोई प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सभी घरेलू हवाई अड्डों के लिए हवाई अड्डा प्रभार समान हैं। बहरहाल, 80 सीटों से कम क्षमता वाले सभी छोटे विमानों के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कोई अवतरण प्रभार नहीं लगाए जाते हैं। 10000 कि.ग्रा. तक के भार वाले विमानों पर सामान्य दर के 20% की दर से मार्ग दिक्चालन तथा सुविधा प्रभार (आर.एम.एफ.सी.) वसूले जाना है तथा 2000 कि.ग्रा. तक के भार वाले विमानों पर सामान्य दर के 40% की दर से मार्ग दिक्चालन तथा सुविधा प्रभार (आर.एम.एफ.सी.) वसूला जाता है।

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, कुल्लू तथा शिमला हवाई अड्डों पर विभिन्न विकास कार्य या तो पूरे हो गए हैं या प्रगति पर हैं। ए.टी.आर.-72 प्रकार के विमान प्रचालन के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का स्तरोन्नयन किया गया है। भू-प्रकाशन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

100 यात्रियों के लिए नए टर्मिनल भवन, एप्रन, लिंक टैक्सी-वे, अग्निशमन स्टेशन तथा आपातकालीन चिकित्सा केन्द्र के निर्माण सहित ए.टी.आर.-72 प्रकार के विमान प्रचालन के लिए कुल हवाई अड्डे का विस्तार व्यावहारिक नहीं है क्योंकि वह हवाई अड्डा रनवे के दोनों छोरों पर गहरी खाईयों से घिरा हुआ पहाड़ के ऊपर स्थित है। भू-प्रकाशन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य सरकार ने मूल पट्टी के रिस्टोरेशन तथा मिट्टी के बहाव को रोकने का कार्य आरम्भ किया है ताकि 4100 फीट की पूर्ण रनवे लंबाई को बनाए रखा जा सके।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया द्वारा विमानों का अनुरक्षण एवं रख-रखाव

95. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के पास कुल कितने नए तथा पुराने विमान हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने विमान खरीदे गए और इनकी लागत कितनी थी;

(ख) इनमें से कितने विमान प्राप्त हो गए हैं;

(ग) क्या सभी विमानों को विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुरूप इस्तेमाल किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस्तेमाल हो रहे विमानों की उपलब्ध संख्या का प्रतिशत कितना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) पूर्ववर्ती एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के विमानों (स्वामित्व वाले तथा पट्टे पर) की कुल संख्या क्रमशः 53 तथा 102 है। पूर्ववर्ती एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा खरीद के लिए आदेश किए गए 111 विमानों में से अब तक 49 विमान ही प्राप्त हो पाए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीदे गए विमानों की संख्या व उनकी लागत निम्नानुसार है:-

पूर्ववर्ती एअर इंडिया: 1935.538 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से 25 विमान।

पूर्ववर्ती: 4738 करोड़ रुपए की लागत पर 24 विमान।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 5 विमानों (3 ए 300 तथा 2 डी.ओ. 228), जिन्हें विमान बेड़े से अलग कर दिया गया तथा वे निपटान के लिए ग्राऊंडिड किए गए हैं, को छोड़कर, शेष सभी विमान प्रयोग में हैं।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पेट्रोलियम खुदरा बिक्री केन्द्र

96. शेख सैदुल हक: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर में निजी क्षेत्र के पेट्रोलियम खुदरा बिक्री केन्द्रों के प्रचालन की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र के पेट्रोलियम खुदरा बिक्री केन्द्र और सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक मूल्य वसूल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) 08 मार्च, 2002 के संकल्प के अनुसार, सरकार ने चार निजी कंपनियों, नामतः मैसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.), मैसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड (ई.ओ.एल.), मैसर्स शैल इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (एस.आई.एम.पी.एल.) तथा मैसर्स रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेड (आर.पी.एल.), के लिए परिवहन ईंधनों के विपणन का प्राधिकार प्रदान किया है।

दिनांक 01-04-2009 को आर.आई.एल., ई.ओ.एल. तथा एस.आई.एम.पी.एल. ने देश में क्रमशः 1432, 1285 तथा 69 खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर.ओज) को स्थापित किया है। इन कंपनियों द्वारा स्थापित खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

आर.पी.एल. ने सूचित किया है कि उन्होंने देश में किसी खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना नहीं की है।

(ग) से (ङ) निजी क्षेत्र की तेल कंपनियां वाणिज्यिक आधार पर मूल्य निर्धारण के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और वे सरकार के 8 मार्च, 2008 के संकल्प के अनुसार राजसहायता हिस्सेदारी व्यवस्था के तहत नहीं आती हैं।

विवरण

दिनांक 01-04-2009 को देश में निजी क्षेत्रों द्वारा स्थापित खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आर.आई.एल.	ई.ओ.एल.	एस.आई.एम.पी.एल.
आन्ध्र प्रदेश	129	77	08
बिहार	60	62	0
दिल्ली	46	54	0
गुजरात	246	198	05
कर्नाटक	80	71	22
केरल	44	39	0
मध्य प्रदेश	111	107	0
महाराष्ट्र	160	172	12
उत्तर-पश्चिमी राज्य	35	45	2
उड़ीसा	42	33	0
पंजाब	85	45	0
राजस्थान	107	97	0
तमिलनाडु	95	63	20
उत्तर प्रदेश	143	190	0
पश्चिम बंगाल	49	32	0
योग	1432	1285	69

वस्त्र मिलों का बन्द होना

97. श्री संजय निरूपम: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र मिलों के बंद होने के कारण कुल कितने कामगार बेरोजगार हुए हैं;

(ख) उनके पुनर्वास हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) अब तक कितने कामगारों को वित्तीय सहायता दी गई है;

(घ) कितने कामगारों को वित्तीय सहायता नहीं दी गई है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बेरोजगार हो चुके प्रत्येक कामगार तक इस सहायता को पहुंचाने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) रिकार्डों के अनुसार मई, 2004 से अप्रैल, 2009 की अवधि के दौरान 74 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों (गैर एस.एस.आई.) को बंद किया गया था। इन मिलों की नामावली में 23187 कामगार थे।

(ख) पिछले सरकार वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टी.डब्ल्यु.आर.एफ.एस.) के तहत वस्त्र इकाई के किसी विशेष हिस्से अथवा संपूर्ण वस्त्र इकाई के स्थायी रूप से बंद होने के फलस्वरूप बेरोजगार हुए वस्त्र कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करती है। इस योजना के तहत सहायता केवल पात्र कामगारों को उन्हें किसी अन्य रोजगार पाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से देय है। कोई भी कामगार पात्र है बशर्ते वह किसी बंद वस्त्र इकाई में इसके बंद होने की तिथि से लगातार पांच वर्षों अथवा उससे अधिक समय से कार्यरत हो और वह 6-6-1985 से 1-4-1993 के बीच बंद हुई मिलों के लिए 2500 रु. प्रति माह के समतुल्य अथवा उसके बाद 3500 रु. अथवा उससे कम मजदूरी अर्जित कर रहा हो। उनके द्वारा संबंधित राज्य के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा चलाई जा रही भविष्य निधि में अंशदान किया गया हो।

(ग) और (घ) इस योजना के प्रारंभ से नामावली में दर्ज 1,32,130 कामगारों में से कुल 102711 कामगारों को इस योजना के तहत उपलब्ध निधियों के अनुसार 31-5-2009 तक वित्तीय सहायता दी गई है।

(ङ) बंद वस्त्र मिलों के विस्थापित कामगारों को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न शिकायत निवारण बैठकों जिनकी अध्यक्षता वस्त्र मंत्री/वस्त्र आयुक्त/संयुक्त वस्त्र आयुक्त आदि द्वारा की गई/की जाती है, का आयोजन कर सतत् प्रयास किए गए/किए जाते हैं। ऐसी बैठकों में विभिन्न राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों/संगठनों श्रम संघों और कामगारों के प्रतिनिधि थे/हैं।

कर्नाटक में गैस एवं तेल भंडारों का अन्वेषण

98. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के विभिन्न जिलों में गैस एवं तेल के भंडारों का अन्वेषण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जहां सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा अब तक गैस एवं तेल के कितने बड़े भंडारों का अन्वेषण किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में तेलशोधक कारखाने की स्थापना करने की किसी योजना को अंतिम रूप दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजना के लिए किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) कर्नाटक राज्य में कोई तृतीयक तलछटीय बेसिन नहीं है जहां तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण की आवश्यकता है। इसलिए, कर्नाटक राज्य में कोई अन्वेषण ब्लॉक प्रदान नहीं किए गए हैं।

(ग) से (ङ) कर्नाटक राज्य में तेल रिफाइनरी स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स (एम.आर.पी.एल.) की कर्नाटक के मैंगलोर में पहले ही एक तेल रिफाइनरी है।

गुजरात में नई रेल लाइन

99. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से नई

रेल लाइनों, वर्तमान रेल लाइनों को चौड़ा करने तथा इनके दोहरीकरण के कार्य को आरम्भ करने और इस हेतु धनराशि प्रदान करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) वर्ष 2009-10 के दौरान किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) संपूर्ण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभवाना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। राजस्व, आपदा प्रबंधन, सड़क एवं भवन, कैपिटल परियोजना, महिला और बाल कल्याण मंत्री गुजरात सरकार ने फरवरी, 2008 में एक पत्र भेजा था, जिसमें चालू परियोजनाओं के लिए निधियां मुहैया कराने और कुछ नई लाइनें शुरू करने, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण का कार्य शुरू करने का अनुरोध किया गया था।

(ग) शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों और निधियों का आबंटन संबंधी ब्यौरा संसद में 2009-10 का रेल बजट पेश करने के पश्चात ही ज्ञात होगा।

(घ) परियोजनाओं को पूरा करने हेतु समय-सीमा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

सड़क उपरि पुल

100. श्री पी. करूणाकरन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले रेल बजट में शामिल किए गए सड़क उपरि पुलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि तक राज्यवार कितने सड़क उपरि पुलों का कार्य पूरा किया जा चुका है;

(ग) केरल में सड़क उपरि पुलों की क्या स्थिति है; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) ऊपरी सड़क पुलों के 139 कार्य पिछले रेल बजट तथा अनुदान की पूरक मांगों में शामिल किए गए थे। रेलवेवार विवरण निम्नानुसार है :

मध्य रेलवे-4	पूर्व रेलवे-1	पूर्व मध्य रेलवे-4	उत्तर रेलवे-28
उत्तर मध्य रेलवे-23	पूर्वोत्तर रेलवे-11	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे-1	उत्तर पश्चिम रेलवे-6
दक्षिण रेलवे-27	दक्षिण मध्य रेलवे-18	दक्षिण पूर्व रेलवे-1	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे-1
दक्षिण पश्चिम रेलवे-1	पश्चिम रेलवे-3	पश्चिम मध्य रेलवे-5	पूर्व तट रेलवे-5

(ख) वर्ष 08-09 के दौरान पूरे किए गए 38 ऊपरी सड़क पुल निम्नानुसार है:

पश्चिम बंगाल-3	बिहार-1	आन्ध्र प्रदेश-5
झारखंड-2	छत्तीसगढ़-3	गुजरात-1
मध्य प्रदेश-1	तमिलनाडु-10	केरल-2
हरियाणा-4	पंजाब-4	उत्तर प्रदेश-1
राजस्थान-1	कुल-38	

(ग) केरल राज्य में आने वाले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के 61 कार्य लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत हैं। इस राज्य में 8 कार्य पूरे कर दिए गए हैं तथा 9 कार्य प्रगति पर हैं। 31 कार्यों के लिए समान्य व्यवस्था आरेखण भी अनुमोदित कर दिए गए हैं लेकिन भूमि अधिग्रहण की समस्या, राज्य सरकार से पहुंच मार्गों के अनुमान प्राप्त नहीं होने अथवा निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने आदि के कारण ये कार्य वास्तविक रूप से शुरू नहीं किए जा सके हैं। 4 कार्यों के लिए समान्य व्यवस्था आरेखण पर राज्य सरकार द्वारा सहमति नहीं दी गई है तथा 9 मामलों में राज्य सरकार द्वारा संरेखण के ब्यौरे नहीं दिए गए हैं।

(घ) कार्यों को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि रेलें पुल विशेष (रेलपथ पर) का निर्माण करती है तथा पहुंच मार्गों का

निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। कार्य का वास्तविक रूप से पूरा होना रेलों तथा राज्य सरकारों/प्राधिकारियों द्वारा समान्य व्यवस्था आरेखण, अनुमानों के संयुक्त अनुमोदन, पहुंच मार्गों के लिए अतिक्रमण मुक्त भूमि की उपलब्धता, ठेकों को अंतिम रूप देने तथा एजेंसियों द्वारा स्थल पर वास्तविक निर्माण पर निर्भर करता है। रेलवे, राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे पहुंच मार्गों के निर्माण के कार्य के साथ-साथ अपने हिस्से का कार्य पूरा करने का हर संभव प्रयास करती है।

[हिन्दी]

इंदौर में विमानपत्तन का विस्तार

101. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होल्कर विमानपत्तन का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध भूमि तथा विस्तार हेतु आवश्यक भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस समय, इंदौर हवाई अड्डे के विकास के लिए 729.63 एकड़ भूमि उपलब्ध है। राज्य सरकार से रनवे का 3505 मीटर तक विस्तार, कार्गो परिसर की स्थापना तथा दूसरे रनवे का निर्माण करने के लिए इस हवाई अड्डे का और विस्तार करने हेतु नि:शुल्क तथा ऋण भारों से मुक्त 2345.2 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

विमान दुर्घटनाएं

102. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विमान दुर्घटनाओं को रोकने हेतु एक कार्य योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश विमान दुर्घटनाएं मानव चूक और निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने के कारण होती हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके समाधान हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है; और

(ङ) क्या तेज गति वाले वाहन यातायात के कारण धावन पट्टियों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कोई निवारणात्मक कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) विमान यातायात तथा सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मानक प्रचालन प्रक्रियायें नियमित रूप से निरूपित तथा संशोधित की जाती हैं। रिपोर्ट की गई सभी दुर्घटनाओं की जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती हैं तथा दुर्घटना की जांच के पश्चात की गई सिफारिशों के आधार पर निवारक कार्रवाई की जाती है ताकि इस प्रकार की दुर्घटना की आवृति से बचा जा सके।

(ग) और (घ) मानवीय चूक तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने की वजह विमान दुर्घटनाओं के प्रमुख कारक हैं। इन्हें न्यूनतम करने के लिए, सभी संबंधितों को मानव संसाधन प्रबंधन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

(ङ) प्रचालनिक क्षेत्र में अग्निशमन तथा बचाव वाहन, एम्बुलैंस तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल त्वरित कार्य दल के वाहन आदि के अतिरिक्त, अन्य सभी वाहनों के लिए अधिकतम गति प्रतिबंधित करने के लिए विमान सुरक्षा परिपत्र के रूप में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

उर्वरकों की तस्करी

103. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से बांग्ला देश और नेपाल तक बड़े पैमाने पर उर्वरकों की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कार्रवाई की है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) भारत से बांग्लादेश और नेपाल को उर्वरकों की तस्करी की ऐसी कोई पुष्ट रिपोर्ट राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, उर्वरक विभाग द्वारा राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें और भूमि तथा समुद्री मार्गों के जरिए भारत से अन्य पड़ोसी देशों को होने वाली उर्वरकों की तस्करी को रोकें।

इसी प्रकार, केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने भी सीमा की सुरक्षा करने वाले बलों नामतः सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल तथा तट-रक्षक बल को सचेत किया है कि वे उर्वरकों की तस्करी, यदि होती है, को रोकने के लिए सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखें। इसके अलावा, केन्द्रीय गृह सचिव ने भी अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों को सम्बोधित किया है कि वे पड़ोसी देशों को होने वाली उर्वरकों की तस्करी, यदि कोई होती है, को रोकने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को सजग करें।

[अनुवाद]

पूर्व तटीय रेलवे जोन के अन्तर्गत रेलवे स्टेशनों का विस्तार और आधुनिकीकरण

104. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का पूर्व तटीय रेलवे के अन्तर्गत बोलंगीर और तितिलागढ़ सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों का विस्तार करने और उन्हें आधुनिक बनाने तथा बोलांगीर को एक आदर्श स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे को उड़ीसा में बोलांगीर रेलवे स्टेशन पर असंतोषजनक यात्री सुविधाओं की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) आधुनिकीकरण तथा सौंदर्यीकरण के लिए बोलंगीर तथा टिटलागढ़ सहित पूर्व तटीय रेलवे के 29 स्टेशनों का मॉडल स्टेशन के रूप में चयन किया गया है। बोलंगीर को आदर्श स्टेशन बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) बोलनगीर एक "डी" कोटि का स्टेशन है जहां दैनिक यात्री औसत 1459 है। बोलंगीर स्टेशन पर वहां सम्हाले जाने वाले यात्रियों की संख्या के अनुरूप मानदंडों के अनुसार न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं पहले ही मुहैया कर दी गई हैं। इस स्टेशन पर मुहैया की गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं निम्नानुसार हैं:

1. यात्री आरक्षण प्रणाली
2. दूसरी श्रेणी का एक संयुक्त प्रतीक्षालय
3. ऊंची श्रेणी का एक प्रतीक्षा कक्ष (महिलाओं तथा पुरुषों के लिए अलग-अलग)
4. दो वी.आई.पी. लाऊंज
5. चार पलंग वाली एक डोरमेट्री
6. दो पलंग वाला एक प्रतीक्षालय
7. ऊंची सतह वाला प्लेटफार्म
8. ए.टी.एम. की व्यवस्था; तथा
9. जलपान कक्ष।

विमान किराया ढांचा का ब्यौरा

105. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में अनेक विमान कंपनियां अपने विज्ञापनों में और वेबसाइटों पर अपने विमान किरायों के विभिन्न घटक नहीं दर्शा रही हैं जिसके कारण उपभोक्ताओं के समक्ष भ्रामक स्थिति पैदा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विमान कंपनियों को करों सहित

किराये ढांचे के ब्यौरों को पारदर्शी रूप से दर्शाने को अनिवार्य बनाने संबंधी कोई निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विमान कंपनियों ने कितना अनुपालन किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) जी हां। सरकार को यह जानकारी है कि कई एयरलाइनें किरायों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन दे रही थीं। इस स्थिति को दुरुस्त करने के लिए, वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार एयरलाइनों को अपनी दर-सूची को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा ताकि यात्री द्वारा देय कुल-राशि तथा इस कुल राशि का पूर्ण विवरण, किराया, टैक्स, शुल्क अथवा कोई अन्य प्रभार, यदि कोई हो, की जानकारी अलग-अलग मिल सके।

सभी अनुसूचित एयरलाइनों को इसका अनुपालन करने के निदेश दे दिए गए हैं।

कच्ची सामग्री के आयात के लिए नौवहन संबंधी प्रबंध

106. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) को कच्ची सामग्री के आयात के लिए अपना स्वयं का नौवहन संबंधी प्रबंध करने हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों के समक्ष कच्ची सामग्री के आयात हेतु पोतों को किराए पर लेते समय मौजूदा प्रणाली में कोई समस्या आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार की शक्तियों का प्रत्यायोजन इन कंपनियों के लिए किस हद तक लाभदायक रहेगा?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) और (ख) कच्ची सामग्रियों का आयात करने के लिए अपनी पोत परिवहन व्यवस्था करने की अनुमति देने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) से (ङ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप ट्रांसचार्ट द्वारा चार्टर किए गए वैसलों के जरिए अपनी कच्ची सामग्री आयात करते हैं। सेल और आर.आई.एन.एल. दोनों ने अभ्यावेदन दिया है कि मै. ट्रांसचार्ट के जरिए उनके कार्गों के रूटिंग की नीति अस्थिर पोत परिवहन परिवेश तथा उनकी अपनी-अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सदैव उनके वाणिज्यिक हित में नहीं होती। उन्होंने यह अभ्यावेदन भी किया है कि यदि उन्हें अपने शिप चार्टर करने की अनुमति दे दी जाती है तो वे शिपिंग मार्किट डायनामिक्स का मुकाबला करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे और बल्क कच्ची सामग्रियों की ढुलाई में माल भाड़े की लागत में बचत होगी।

विमानन सुरक्षा के लिए नई प्रणाली का शुरू किया जाना

107. श्री आनंदराव अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देशों की विमान कंपनियों का विमानन सुरक्षा संबंधी रिकार्ड असंतोषजनक है जिससे सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिमी देश इस प्रकार की संदेहास्पद विमान कंपनियों के विमानों की नियमित रूप से जांच करते हैं और रखरखाव उचित स्तर का न होने पर उनके प्रचालन पर प्रतिबंध लगाते हैं;

(ग) क्या भारत में भी इस प्रकार की प्रणाली शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) नागर विमानन मंत्रालय में ऐसे रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के मानकों व संस्तुत पद्धति तथा विनियमों के अनुसार, सभी एयरलाइनों का नियमित आधार पर निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। भारत इकाओं का कांट्रेक्टिंग देश होने के नाते, इन पद्धतियों व विनियमों का अनुसरण कर रहा है।

तमिलनाडु में आमान परिवर्तन

108. श्री टी.आर. बालू:
डा. एम. तम्बिदुरई:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में करूर और सेलम सहित चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं के कार्य में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और कितनी धनराशि वास्तविक तौर पर खर्च हुई है; और

(घ) उक्त कार्य को समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सीमित संसाधनों के साथ चालू परियोजनाओं का भारी थ्रोफार्वड है। इस दृष्टि से, उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्य की प्रगति हो रही है। बहरहाल, चालू आमान परिवर्तन को लगभग 5 वर्षों की अवधि में पूरा होने की संभावना है। करूर-सेलम नई लाइन को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय रखकर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

विवरण

तमिलनाडु राज्य में पूरी तरह/आंशिक रूप से पड़ने वाली चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं पर पिछले तीन वर्षों अर्थात 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान आबंटित निधियों तथा किए गए वास्तविक खर्च का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	कार्य का नाम	2006-07		2007-08		2008-09	
		बजट अनुदान	वास्तविक खर्च	बजट अनुदान	वास्तविक खर्च	बजट अनुदान	वास्तविक खर्च
1.	नागापट्टिनम-वेल्लानकानी-तिरूतुरैपुंडी बरास्ता थिरूकुवली तक विस्तार सहित तिरुच्चिरापल्लि-नागोर-करैक्कल	9.00	40.42	36.00	64.62	50.00	63.38
2.	कोलन-तिरूनेलवेली-तिरूचेनदूर तथा तेनकासी-विरूद्धनगर (357 किमी.)	50.69	86.06	90.02	93.25	92.00	61.44
3.	विल्लुपुरम-काटपाडी	25.00	39.10	80.00	128.54	121.00	168.57
4.	त्रिची-मनमदुरै	50.02	116.16	80.00	126.22	19.99	38.41
5.	मनमदुरै-विरूद्धनगर	1.00	0.10	25.00	2.90	60.00	38.55
6.	डिंडीगुल-पोलाची-पालघाट तथा पोलाची-कोयम्बटूर	1.00	0.01	30.00	6.17	65.00	48.01
7.	मइलादुतुरै-तिरूवयुर-करैकुडी तथा तिरूतुरैपुंडीं-अगस्तियमपल्लि (224 किमी.)	-	-	10.00	0.18	50.00	14.00s
8.	तंजावूर-विल्लुपुरम (192 किमी.)	100.00	143.00	75.00	160.58	10.00	117.17
9.	मदुरै-बोडीनयाकन्नूर	-	-	-	-	0.01	0.00
	कुल	236.71	424.85	426.02	582.46	468.00	549.53

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में शिरडी तक विमान सुविधा

109. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में तीर्थ केन्द्र शिरडी तक विमान सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में जन प्रतिनिधियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(घ) शिरडी तक विमान सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) महाराष्ट्र तथा एम.आई.डी.सी. के बीच विगत में शिरडी में हवाई अड्डा स्थापित करने के संबंध में चर्चा हुई है। सरकार को शिरडी में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए स्थल निरीक्षण के बारे में एम.ए.डी.सी. से एक औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) यह प्रस्ताव प्रारम्भिक स्तर पर है। बहरहाल, शिरडी का निकटतम हवाई अड्डा नासिक है जो शिरडी से 84 कि.मी. की दूरी पर है और यह मुंबई के लिए/से अनुसूचित विमान सेवाओं द्वारा जुड़ा हुआ है।

वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देना

[अनुवाद]

110. डा. एम. तम्बिदुरई: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के वस्त्रों का विनिर्माण किया गया और निर्यात किया गया;

(ख) सरकार द्वारा वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई और उपयोग में लाई गई;

(ग) वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में ऐसी योजनाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) उत्पादित वस्त्र की मात्रा और मूल्य का संकलन मिल क्षेत्र, हथकरघा क्षेत्र, विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र, विकेन्द्रीकृत हौजरी क्षेत्र तथा खादी, ऊन और रेशम के उत्पादन के आधार पर किया जाता है। 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान सम्मिलित उत्पादन आंकड़े और निर्यात किए गए वस्त्र एवं कलोदिंग का मूल्य नीचे दिया गया है:-

वर्ष	उत्पादन (कपड़ा मिलियन वर्ग मीटर)	निर्यात बिलियन अमरीकी डालर)
2006-07	52665	19.15
2007-08	55257	22.13
2008-09	54198	18.52 (अप्रैल-फरवरी)

(ख) सरकार स्वत: वस्त्र निर्यात के संवर्धन के लिए कोई निधि आबंटित नहीं कर रही है।

(ग) से (ङ) फोकस मार्किट स्कीम (एफ.एम.एस.) को विदेश व्यापार नीति 2004-09 (एफ.टी.पी. 2004-09) के भाग के रूप में अप्रैल-2006 में शुरू किया गया था जिसके तहत 83 विदेशी बाजारों को फोकस बाजारों के रूप में अधिसूचित किया गया था। इन बाजारों के लिए सभी वस्त्र उत्पादों का निर्यात, निर्यात को एफ.ओ.बी. मूल्य के 2.5% पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए पात्र हैं। इसी प्रकार फोकस उत्पाद स्कीम (एफ.पी.एस.) को एफ.टी.पी. 2004-09 के भाग के रूप में अप्रैल 2006 में शुरू किया गया था जिसके अनुसार रेशम यार्न को 1-4-2008 से निर्यात के 1.25% पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हस्तनिर्मित कालीनों और अन्य वस्त्र फ्लोर कवरिंग को भी 23-2-2009 से निर्यात पर 5% प्रोत्साहन के साथ इस योजना के तहत शामिल किया गया है। बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद योजना 1-4-2008

को शुरू की गई थी और आस्ट्रेलिया, जापान तथा ब्राजील को परिधानों के निर्यात के लिए 1-1-2009 से निर्यात पर 2.5% प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अलावा ई.यू.-27 और यू.एस.ए. को निर्यात किए गए परिधान 1-4-2009 से 30-9-2009 तक एफ.ओ.बी. मूल्य पर निर्यात के 2% प्रोत्साहन के पात्र हैं। सरकार द्वारा प्रश्नगत अवधि के दौरान वस्त्र के निर्यात के लिए प्रदान किए गए अन्य प्रोत्साहनों में विशेष कृषि एवं ग्रामीण उद्योग योजना (वी.के.जी.यू.वाई.) जो कृषि, मेरिन, फोरेस्ट्री और ग्रामीण मूल के उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए बनाई गई योजना है, के तहत 71 हस्तशिल्प मदें शामिल हैं। कच्ची कपास के निर्यात को भी 1-4-2008 से 30-6-2009 तक की अवधि के लिए वी.के.जी.यू.वाई. योजना के तहत प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। सरकार ने 2009-14 तक की अवधि के लिए तैयार किए जा रहे एफ.टी.पी. दस्तावेज में कवरेज की वृद्धि को शामिल करने के उद्देश्य से मौजूदा वैश्विक, आर्थिक स्थिति के आलोक में उपर्युक्त योजनाओं का मूल्यांकन किया है।

राजसहायता प्राप्त एल.पी.जी. सिलिंडरों की आपूर्ति

111. श्री नाना नागेश्वर राव:
श्री विलास मुत्तेमवार:
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक उपभोक्ता को एक वर्ष में राजसहायता प्राप्त एल.पी.जी. सिलिंडर के 8-12 बार तक पुनर्भरण को सीमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपभोक्ताओं को 8-12 सिलिंडरों से अधिक उपलब्ध कराए गए सिलिंडरों की दरों में कितना अंतर रहने की संभावना है; और

(घ) उपभोक्ताओं को एक वर्ष में 8-12 राजसहायता प्राप्त एल.पी.जी. सिलिंडरों की आपूर्ति सीमित करने के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) श्री बी.के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति सहित विभिन्न समितियों जिन्होंने तेल कम्पनियों की वित्तीय स्थिति की पुनरीक्षा की थी, ने सिफारिश की है कि एल.पी.जी. घरेलू कनेक्शन धारक को आपूर्ति किए जाने वाले राजसहायता प्राप्त सिलिंडरों की संख्या सीमित की जाए। तथापि, वर्तमान स्थिति के अनुसार, ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है जिसमें राजसहायता प्राप्त एल.पी.जी. सिलिंडरों की संख्या एक वर्ष में 8-12 तक सीमित की गई हो।

भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना

112. श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि 7 बिलियन डॉलर ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन परियोजना पर ईरान और पाकिस्तान के साथ चर्चाओं में कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ईरान और पाकिस्तान इस परियोजना के लिए हस्ताक्षर कर चुके हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस परियोजना पर अभी तक कुल कितना व्यय हुआ है; और

(छ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) भारत, ईरान-पाकिस्तान-भारत (आई.पी.आई.) गैस पाइप परियोजना के माध्यम से ईरान से प्राकृतिक गैस का आयात करने का प्रयास कर रहा है। गैस के मूल्य निर्धारण, गैस के सुपुर्दगी स्थल, परियोजना के स्वरूप, पाकिस्तान के रास्ते प्राकृतिक गैस के मार्ग के लिए परिवहन प्रशुल्क तथा परिवहन शुल्क के भुगतान आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रतिभागी देशों के बीच विचार-विमर्श किया जा रहा है।

ऐसी बहुपक्षीय परियोजनाओं में गंभीर विचार-विमर्श करना पड़ता है क्योंकि प्रत्येक देश के हितों की रक्षा करने के लिए और परियोजना के सफल प्रचालन में भविष्य में किन्हीं समस्याओं से बचने के लिए प्रतिभागी देशों की संतुष्टि हेतु सभी पहलुओं की ध्यानपूर्वक जांच करनी होती है।

(घ) और (ङ) सरकारी वक्तव्यों और समाचार माध्यमों के अनुसार, आई.पी.आई. गैस पाइपलाइन परियोजना के समर्थन के लिए अंतर-सरकारी ढांचागत घोषणा (आई.जी.एफ.डी.) पर ईरान और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर हो गए हैं। इसके अलावा, ईरान और पाकिस्तान के बीच गैस की बिक्री तथा खरीद करार (जी.एस.पी.ए.) भी संपन्न हो गया है। आई.जी.एफ.डी. अथवा जी.एस.पी.ए. में से किसी के भी विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

(च) आई.पी.आई. परियोजना से संबंद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम गेल (इंडिया) लि. तथा इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड परियोजना-पूर्व कार्य-कलापों पर लगभग 5.25 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं।

(छ) परियोजना पर कार्य प्रतिभागी देशों के बीच विचाराधीन मुद्दों के संतोषजनक समाधान के बाद ही आरंभ किया जा सकता है। अतः, इस परियोजना के पूरा होने की अवधि इस अवस्था में निर्धारित नहीं की जा सकती है।

भेषज क्षेत्र में निवेश

113. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत को वर्ष 2020 तक वैश्विक भेषज खोज में अग्रणी बनाने के प्रयासस्वरूप 1 बिलियन डॉलर से 2 बिलियन डॉलर के निवेश की योजना के लिए निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.के. अलागिरि): (क) से (ग) औषध निर्माण विभाग ने एक परामर्शदात्री फर्म के सहयोग से भारतीय औषध उद्योग को वर्ष 2020 तक अनुसंधान एवं विकास तथा नवोन्मेष केंद्र बनाने के लिए एक "श्वेत पत्र" तैयार किया है। औषध निर्माण विभाग ने इस "श्वेत पत्र" को सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया है।

भारत भारी उद्योग निगम लि. की स्थिति

114. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत भारी उद्योग निगम लि. की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) निगम की गत तीन वर्षों के लाभ/हानि की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की भारत भारी उद्योग निगम लि. को आधुनिक बनाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कंपनी के आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है/किए जाने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) भारत भारी उद्योग निगम लि. (बी.बी.यू.एन.एल.) को 1986 में निगमित किया गया था, जिसकी दस सहायक कंपनियां हैं। इन कंपनियों में से, भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स लि. (बी.पी.एम.ई.एल.), वेबर्ड इंडिया लि. (डब्ल्यू.आई.एल.), रेरोल बर्न लि. (आर.बी.एल.) और भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लि. (बी.बी.वी.एल.) बंद हो गई हैं तथा लगान जूट मशीनरी कं. लि. (एल.जे.एम.सी.) और जेसप एंड कं. लि. (जे.सी.एल.) का विनिवेश कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 13-8-2008 को भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कं. लि. (बी.डब्ल्यू.ई.एल.) को रेल मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में बी.बी.यू.एन.एल. की तीन सहायक कंपनियां अर्थात बर्न स्टैंडर्ड कं. लि. (बी.एस.सी.एल.), ब्रेथवेट एंड कं. लि. (बी.सी.एल.), बी.बी.जे. कंस्ट्रक्शन कं. लि. (बी.बी.जे.) हैं जो प्रचालन में हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निगम के निवल लाभ/(हानि) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रु.)

	2006-07/वास्त.	2007-08/वास्त.	2008-09/अन.
बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि. (बी.एस.सी.एल.)	(151.87)	(151.29)	(199.92)
ब्रेथवेट एंड कंपनी लि. (बी.सी.एल.)	0.56	0.55	1.42
बी.बी.जे. कंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (बी.बी.जे.)	1.23	1.62	1.38
बी.बी.यू.एन.एल. (धारक)	0.25	0.26	0.07
बी.बी.यू.एन.एल. (समूह)	(149.84)	(148.87)	(197.06)

(ग) उत्पादन सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान भारत सरकार ने बी.एस.सी.एल. को 8.38 करोड़ रुपए, बी.सी.एल. को 3.76 करोड़ रुपए, बी.बी.जे. को 3.50 करोड़ रुपए और बी.बी.यू.एन.एल. (धारक) को 0.10 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

(घ) उत्तर "ग" के अनुसार।

(ङ) इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान 15.74 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।

[हिन्दी

सेल द्वारा बाहरी/सामुदायिक विकास

115. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और इसकी प्रत्येक सहायक कंपनी, विशेषकर बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा बाहरी/सामुदायिक विकास के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, बाढ़ राहत तथा अन्य क्षेत्रों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इसके फलस्वरूप लाभान्वित गांवों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सेल की प्रत्येक सहायक कंपनी, विशेषकर बोकारो इस्पात संयंत्र के अंतर्गत सामुदायिक विकास के लिए आबंटित धनराशि में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र तथा सेल की सहायक कंपनी महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मैल्ट लिमिटेड (एम.ई.एल.) सहित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा परिसरीय/सामुदायिक विकास के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, बाढ़ राहत तथा अन्य क्षेत्रों पर खर्च की गई धनराशि निम्नानुसार है:-

(लाख रुपए)

वर्ष	सेल (बोकारो सहित)	बोकारो इस्पात संयंत्र	सहायक कंपनी (एम.ई.एल.)
1	2	3	4
2006-07	1013	204	0
2007-08	4903	1575	0.79

1	2	3	4
2008-09	6133	1200	24
2009-10*	231	0	0

*अनंतिम (क्यू-1)

(ख) उन गांवों/स्थानों की संख्या निम्नानुसार है जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, बाढ़ राहत और सामुदायिक विकास से संबंधित कार्यकलाप शुरू किए गए हैं:-

(क) इकाइयां		गांवों/स्थानों की संख्या
1.	बी.एस.पी., भिलाई, छत्तीसगढ़	77
2.	डी.एस.पी., दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	10
3.	आर.एस.पी., राउरकेला, उड़ीसा	120
4.	बी.एस.एल., बोकारो, झारखंड	183
5.	आई.एस.पी., बर्नपुर, पश्चिम बंगाल	26
6.	ए.एस.पी., दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	1
7.	एस.एस.पी., सेलम, तमिलनाडु	20
8.	वी.आई.एस.पी., भद्रावती, कर्नाटक	5
9.	केंद्रीय विपणन संगठन, (सी.एम.ओ.), कोलकाता, पश्चिम बंगाल	166
10.	कच्चा माल प्रभाग (आर.एम.डी.), कोलकाता, पश्चिम बंगाल	10
11.	सेंट्रल कोल सप्लाई आर्गनाइजेशन (सी.सी.एस.ओ.), धनबाद	1
12.	रिसर्च् एंड डवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील (आर.डी.सी.आई.एस.), रांची, झारखंड	1
	(ख) सहायक कंपनी	
1.	महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मैल्ट. लि. (एम.ई.एल.), चंद्रपुर, महाराष्ट्र	14

(ग) और (घ) सेल बोर्ड ने निर्णय लिया गया है कि पिछले वर्ष के बजटेड वितरण योग्य अधिशेष लाभ के 2 प्रतिशत लाभ को सामुदायिक विकास सहित सी.एस.आर. कार्यकलापों के लिए आबंटित किया जाएगा। इस प्रकार बजट के आबंटन में बढ़ोतरी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हुए सेल के लाभ पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र को दिए गए ऋण माफ करना

116. श्री वैजयंत पांडा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में हथकरघा क्षेत्र को दिए गए ऋण माफ करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना से अभी तक कितने हथकरघा बुनकरों को लाभ पहुंचा है;

(ग) क्या सरकार का विचार चीन से कड़ी स्पर्धा से बुरी तरह प्रभावित वस्त्र उद्योग की सहायता के लिए कोई कार्य-योजना तैयार करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) हथकरघा क्षेत्र को आक्रांत करने वाली ऋण की समस्या के समाधान संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। वित्तीय पैकेज में 3,000 करोड़ रुपये की राशि समाहित है। प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ, (i) शीर्ष और प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के तुलन पत्र का परिमार्जन; (ii) बुनकरों/प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों/शीर्ष समितियों के अधिदेय ब्याज और अधिदेय ऋण की माफी; (iii) ब्याज परिदान सहित 7% ब्याज दर पर हथकरघा बुनकरों/समितियों की ऋण आवश्यकताओं का वित्तपोषण, शामिल है।

(ग) और (घ) विपणन और निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत हथकरघा निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सहायता की व्यवस्था की जा रही है जिसमें अन्य बातों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता तथा निर्यात - योग्य हथकरघा उत्पादों का विकास सम्मिलित है।

वाणिज्य विभाग द्वारा ड्यूटी इंटाइटिलमेंट पास बुक, बाजार विकास सहायता, बाजार पहुंच पहल, फोकस उत्पाद योजना, फोकस बाजार योजना आदि जैसी अनेक निर्यात संवर्धन योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में एल.पी.जी. की उपलब्धता

117. श्री गणेश सिंह:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने के उद्देश्य से "ग्रामीण एल.पी.जी. वितरक योजना" नामक एक योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत संपूर्ण देश को शामिल करने के लिए आवश्यक एजेंसियों का क्या नेटवर्क है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या रणनीति तैयार की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) जी हां। ग्रामीण दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से तथा दूरस्थ क्षेत्रों के साथ-साथ कम संभावना वाले क्षेत्रों को कवर करने के लिए, एक नई योजना क्रियान्वित की जानी प्रस्तावित है। योजना के ब्यौरे शीघ्र ही अधिसूचित किए जाएंगे।

[अनुवाद]

मुस्लिम महिलाओं का विकास

118. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मुस्लिम महिलाओं को कौशल विकास और नेतृत्व प्रशिक्षण देने के लिए कोई योजना प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में मुस्लिम महिलाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की एक योजना तैयार की जा रही है।

(ग) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं और एक कोचिंग की योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिनके तहत छात्रवृत्तियों और कोचिंग के लिए 30% स्थान छात्राओं के लिए निर्धारित है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय

की महिला लाभार्थियों/छात्राओं के लिए क्रमशः मेधावी छात्राओं के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना तथा महिला समृद्धि योजना कार्यान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अधिशेष धनराशि

119. श्री जगदीश शर्मा:

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्यमों ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में अपनी अधिशेष पूंजी का निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 मार्च, 2009 तक सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम की कितनी अधिशेष पूंजी है; और

(घ) उन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का ब्यौरा क्या है; जहां यह धनराशि जमा की गई?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री विलास राव देशमुख): (क) लोक उद्यम विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श से समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को अधिशेष कोष का निवेश बैंक जमाओं सहित अन्य वित्तीय संस्थानों के विलेखों में करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(ख) और (ग) लोक उद्यम सर्वेक्षण 2007-08 में उपलब्ध नवीनतम जानकारी 31 मार्च, 2008 तक की है और इसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के पास कुल मिलाकर 2,46,374.60 करोड़ रुपए की नकद राशि तथा बैंक शेष है। इस बारे में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम से सम्बन्धित जानकारी लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड-III में दी गई है। लोक उद्यम सर्वेक्षण एक सरकारी दस्तावेज है और इसे दिनांक 25-2-2009 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कर दिया गया था।

(घ) लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिशेष कोषों का निवेश किसी ऐसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा योजनाओं में किया जा सकता है जिसे भारत में निगमित किया गया हो, जिसकी चुकता पूंजी न्यूनतम 100 करोड़ रुपये हो तथा जो पूंजी पर्याप्तता के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विहित मानदण्डों को पूरा करता हो और अधिशेष कोष का कम-से-कम 60% भाग सिर्फ सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ही रखा जाए।

[अनुवाद]

उर्वरकों की मांग का अध्ययन

120. श्री एम.आई. शानवास: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फर्टिलाइजर और केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ.ए.सी.टी.) अलुवा केरल ने इसके द्वारा उत्पादित विभिन्न उर्वरकों की वार्षिक मांग का अंदाजा लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में एफ.ए.सी.टी. द्वारा विभिन्न उर्वरकों का कुल कितना वार्षिक उत्पादन किया गया; और

(घ) उर्वरकों की भारी कमी का सामना कर रहे केरल के किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने कौन-कौन से उपाय किए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी नहीं। फैक्ट उर्वरकों के लिए मांग का मूल्यांकन पिछले खपत आंकड़ों तथा केरल एवं अन्य राज्य सरकारों द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

वर्तमान में, केरल सरकार के कृषि विभाग द्वारा उर्वरक विभाग, भारत सरकार को सभी उर्वरकों की आवश्यकता के बारे में सूचित किया जाता है। इसके आधार पर भारत सरकार आवश्यकता को पूरा करने के लिए फैक्ट तथा अन्य उत्पादों से आपूर्ति का आबंटन करती है।

(ग) वर्तमान वर्ष तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

(मी. टन)

उत्पाद	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (1 अप्रैल से 29 जून, 09 तक)
फैक्टमफॉस	721.20	425.53	605.05	139.03
अमोनियम सल्फेट	183.49	30.48	128.84	33.11

(घ) जहां तक केरल राज्य का संबंध है, वर्ष 2008-09 हेतु डी.ए.पी. की उपलब्धता में थोड़ी कमी रही है। तथापि, इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य में उर्वरकों की अन्य श्रेणियों में अधिक आपूर्ति की गई है। इसके अतिरिक्त, फैक्ट केरल राज्य में मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उचित उपाय कर रहा है। वर्ष 2008-09 के दौरान आकलित आवश्यकता को पूरा करने के लिए केरल में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त रही है।

[हिन्दी]

इंदौर-दाहुत रेल लिंक

121. श्री प्रेमचंद गुड्डू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समयानुसार इंदौर-दाहुत रेलवे लाइन का काम शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य की प्रगति का विवरण क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना को पूरा करने की कोई समय-सीमा निर्धारित की गई; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है और इस परियोजना पर लगने वाली कुल अनुमानित राशि कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां। इंदौर-दाहोद का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ख) दाहोद-कटवारा तथा सागौर-इंदौर (49-72 किमी.) के बीच कुछ भाग पर कार्य शुरू कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण तथा पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) कार्य आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा। मौजूदा अनुमानों के अनुसार इस परियोजना पर कुल 948.80 करोड़ रु. की राशि खर्च किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

जीवनरक्षक औषधियों की कीमतें

122. श्री पूर्णमासी राम:

श्री के.एस. राव:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बल्क ड्रग्स की कीमतों में संशोधन के लिए तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ भेषज कंपनियों द्वारा औषधियों और नुस्खों पर बिना किसी नियंत्रण/रोक-टोक के अत्यधिक कीमत वसूली जा रही है;

(ग) यदि हां, तो औषधियों आदि की कीमतों की निगरानी के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान औषध नियामक द्वारा कीमत के उल्लंघन संबंधी कितने मामलों का पता लगाया गया और चूककर्ता भेषज कंपनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) देश में उचित मूल्य पर जीवन रक्षक औषधियों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 1995) के पैरा 3 के अनुसार अलग-अलग विनिर्माताओं से उचित मूल्य पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के क्रम में, बल्क औषधों के मूल्य निर्धारित/संशोधित करने के लिए

प्रणाली/प्रक्रिया के आधार पर, एन.पी.पी.ए. द्वारा अनुसूचित बल्क औषधों के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। बल्क औषधों के मूल्य निर्धारित/संशोधित करने में बल्क औषध की पहचान, आंकड़ों का संग्रहण, वास्तविक लागत विवरण तैयार करना, तकनीकी मानदण्ड तैयार करना, आकलित लागत तैयार करना, बल्क औषध के उचित मूल्य की गणना करना, औषध के अधिकतम विक्रय मूल्य को निर्धारित सरकारी राजपत्र में बल्क औषध के मूल्य को अधिसूचित करना आदि विभिन्न कदम शामिल हैं।

(ख) और (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 1995) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध एवं उन पर आधारित फॉर्मूलेशन, मूल्य नियंत्रण के अधीन आते हैं और राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा, डी.पी.सी.ओ., 1995 के प्रावधानों के अनुसार, उनके मूल्य निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं।

गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के मूल्य निर्माताओं द्वारा विभिन्न घटकों जैसे; उत्पादन लागत, विपणन/विक्रय खर्चों, आर एंड डी व्ययों, व्यापार कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पाद नवीयन, उत्पाद गुणवत्ता आदि को ध्यान में रखते हुए स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। जहां पर जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता पाया जाता है वहां सरकार सुधारात्मक उपाय करती है।

मूल्य नियंत्रण के अधीन आयातित अनुसूचित फॉर्मूलेशनों सहित सभी फॉर्मूलेशनों के मूल्यों को एन.पी.पी.ए. मॉनीटर करता है। डी.पी.सी.ओ. के अधीन कोई भी व्यक्ति एन.पी.पी.ए./सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर, यदि किसी भी फॉर्मूलेशन (दवाई) को जो कि मूल्य नियंत्रण के अधीन है, नहीं बेच सकता। यदि कोई कंपनी, एन.पी.पी.ए./सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर दवाई बेचते हुए पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध डी.पी.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। एन.पी.पी.ए. द्वारा दवाईयों के मूल्यों की सतत मॉनीटरिंग के परिणामस्वरूप कई कंपनियां, एन.पी.पी.ए. द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य पर दवाइयां बेचते हुए पायी गई हैं। ऐसे मामलों में एन.पी.पी.ए., डी.पी.सी.ओ., 1995 के प्रावधानों के अनुसार कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों (2006-07 से 2008-09) एवं चालू वर्ष में 15 जून, 2009 तक के दौरान एन.पी.पी.ए. ने विभिन्न कंपनियों को डिमांड नोटिस जारी किए हैं एवं नीचे दर्शाये अनुसार राशि वसूल की है :

क्र.सं.	वर्ष	मामलों की सं.	डिमांड नोटिस की राशि (करोड़ रु.)	वसूल की गई राशि (करोड़ रु.)
1.	2006-07	67	38.01	0.96
2.	2007-08	118	820.31	4.51
3.	2008-09	135	435.62	51.41
4.	2009-10	22	21.39	7.54

एन.पी.पी.ए. ने पैरा 10(ख) के अधीन 27 गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन पैकों के मामले में मूल्य निर्धारित किए हैं एवं 60 फॉर्मूलेशन पैकों के मामले में कंपनियों ने स्वेच्छा से मूल्य घटाये हैं। इस प्रकार, एन.पी.पी.ए. के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप समग्र रूप से गैर-अनुसूचित औषधों के 87 पैकों के मूल्य में कमी आई है।

(ङ) एन.पी.पी.ए. को औषधों की उपलब्धता एवं अपर्याप्तता, यदि कोई है, को मॉनीटर करने एवं औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाने का कार्य भी सौंपा गया है। जब और जहां कहीं देश के किसी भी भाग में किसी खास औषध की अपर्याप्तता की रिपोर्ट मिलती है, संबंधित कंपनी को शीघ्रता से वहां स्टॉक पहुंचाने एवं औषध उपलब्ध करवाने को कहा जाता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में आमान परिवर्तन कार्य

123. योगी आदित्यनाथ: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आमान परिवर्तन कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गोरखपुर-नौतनवा-गोंडा रेल लाइन पर आमान परिवर्तन की क्या स्थिति है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में पूरी तरह/आंशिक रूप से पड़ने वाली चल रही आमान परिवर्तन परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई किमी. में
1.	औंडिहार-जौनपुर	59
2.	भोजीपुरा-पीलीभीत-टनकपुर	101.79
3.	गोंडा-बहराइच	60
4.	आनंद नगर-नौतनवां सहित गोंडा-गोरखपुर लूप	260
5.	कानपुर-कासगंज-मथुरा-बरेली तथा बरेली-लालकुआं	544.50
6.	कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा	233.5
7.	मथुरा-अचनेरा	35

उपर्युक्त उल्लिखित परियोजनाओं में से कानपुर-कासगंज-मथुरा तथा थावे-सिवान खण्डों के आमान परिवर्तन पहले ही पूरा हो चुका है तथा यातायात के लिए खोल दिया गया है। गोरखपुर-आनंदनगर-नौंतनवां भी पूरा हो चुका है लेकिन इसे अभी चालू नहीं किया गया है।

(ग) गोंडा-गोरखपुर, आनंदनगर-नौंतनवां परियोजना पर गोरखपुर-आनंदनगर-नौंतनवां (81.28 किमी.) पूरा हो चुका है। अवशेष कार्यों के पूरा होने तथा रेलवे संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण करने के बाद परिवर्तित मार्ग को चालू किया जाएगा। आनंदनगर-गोंडा खण्ड के शेष हिस्से (178.89 किमी.) पर मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी कार्य आदि शुरू कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

इस्पात क्षेत्र को प्रोत्साहन

124. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव आर्थिक मंदी के मद्देनजर इस्पात क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस्पात के उत्पाद शुल्क पर उर्ध्वगामी संशोधन करने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) से (ग) सरकार वैश्विक आर्थिक मंदी से पैदा हुई स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और इस्पात उद्योग के साथ लगातार बातचीत कर रही है। मौजूदा मंदी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय पहले ही कर लिए गए हैं:-

(i) सभी इस्पात मदों (मैल्टिंग स्क्रैप को छोड़कर) पर निर्यात शुल्क दिनांक 31-10-2008 से समाप्त कर दिया गया है।

(ii) इस्पात मदों पर डी.ई.पी.बी. दिनांक 14-11-2008 से बहाल कर दी गई है।

(iii) लोहा और गैर-मिश्र इस्पात मदों पर दिनांक 18-11-2008 से 5 प्रतिशत आयात शुल्क पुनः लगा दिया गया है।

(iv) हॉट-रोल्ड क्वॉयल को दिनांक 21-11-2008 से आयात की प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल किया गया है।

(v) दिनांक 7-12-2008 से इस्पात मदों पर सैनवैट 14 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

(vi) टी.एम.टी. बार्स तथा स्ट्रक्चरल्स पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सी.वी.डी.) दिनांक 2-1-2009 से पुनः लागू की गई है।

(घ) और (ङ) इस्पात मंत्रालय के पास इस्पात पर उत्पाद शुल्क में वृद्धिपरक संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

विज्ञापनों पर किए गए व्यय

125. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा आज तक प्रत्येक सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापनों पर कितने रुपये खर्च किए गए;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को कोई दिशा-निर्देश दिया/देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन देने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए/अपनाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की गई धनराशि निम्नानुसार है:

(रु. लाख)

	2006-07	2007-08	2008-09
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन	4735.00	1458.00	1291.00
ऑयल इंडिया लिमिटेड	250.27	462.85	803.21
इंडियन ऑयल कारपोरेशन	6624.61	9227.58	6037.24
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन	4141.09	5067.34	1412.57
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	613.00	459.00	457.00
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन	3643.00	2887.00	673.00

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां अपनी आवश्यकतानुसार और अपने आंतरिक दिशा-निर्देशों के अनुसार विज्ञापन जारी करती हैं।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा अखबारों/इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के परिचालन, स्थान तथा पहुंच और लोकप्रियता, आवश्यकताओं के आधार पर प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन जारी किए जाते हैं।

इस्पात क्षेत्र में निवेश

126. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में इस्पात क्षेत्र में निवेश के लिए विभिन्न राज्य सरकारों तथा निजी कंपनियों के मध्य कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही बड़ी परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) इस्पात क्षेत्र में प्रस्तावित स्थापित किए जाने वाले प्रत्येक संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) इस्पात मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खनिज समृद्ध राज्यों झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लोहा और इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए कंपनियों के नाम सहित हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों, परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति, उनका राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) देश में कुछ प्रमुख इस्पात निवेशकों के संबंध में संभावित उत्पादन क्षमता निम्नानुसार है:-

(मिलियन टन अपरिष्कृत इस्पात)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	मौजूदा उत्पादन क्षमता	वर्ष 2011-12 तक हासिल की जाने वाली संभावित क्षमता	वर्ष 2019-20 तक कुल प्रस्तावित क्षमता
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	12.84	24.84	60.0
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	2.9	6.3	6.3
3.	एन.एम.डी.सी. लि.	–	–	3.0
4.	टाटा स्टील लि.	6.8	13.0	33.5
5.	एस्सार स्टील लि.	4.6	14.50	20.5
6.	जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लि.	4.1	11.0	31.0
7.	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	2.4	10.45	26.5
8.	इस्पात इंडस्ट्रीज लि.	3.0	5.0	17.0
9.	पोस्को इंडिया प्रा. लि.	–	–	12.0
10.	आर्सलर मित्तल इंडिया लि.	–	–	24.0

विवरण

उन इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए उड़ीसा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये गए हैं

क्र.सं.	कंपनी का नाम	स्थिति	क्षमता : एम.टी.पी.ए.		निवेश करोड़ रुपये में	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तिथि	वर्तमान स्थिति एवं प्रगति
1	2	3	4		5	6	7
1.	मै. पटनायक स्टील एंड एलॉय लि.	पूरनपानी, जोडा, क्योंझर	0.27		337.42	04-05-2005	उत्पादन शुरू होने की संभावना
2.	मै. राठी उद्योग लि.	पोटापाली-सिकरीडी, संबलपुर	0.30		272.85	04-05-2005	भूमि अधिग्रहण के चरण में
3.	मै. विराज स्टील एंड एनर्जी लि.	कुरूपाडी पांडालोई, संबलपुर	0.30		207.00	04-05-2005	स्पंज लोहे इस्पात का उत्पादन शुरू
4.	मै. दीपक स्टील्स एंड पावर लि.	टोपोडीह, बारबिल, क्योंझर	0.25		195.31	04-05-2005	स्वंज लोहे का उत्पादन शुरू
5.	मै. कोणार्क इस्पात लि.	हीरमा, झारसुगुडा	0.25		196.50	04-05-2005	भूमि अधिग्रहण के चरण में
6.	मै. बी.के. स्टील एंड पॉवर लि.	उलीबुरू, बारबिल, क्योंझर	0.28		319.80	04-05-2005	स्वंज लोहे का उत्पादन शुरू
7.	मै. बी.आर.जी. आयरन एंड स्टील कं. (प्रा.) लि.	खुरूंटी, धेनकानाल	0.25		228.05	04-05-2005	स्वंज लोहे का उत्पादन शुरू
8.	मै. जैन स्पंज (प्रा.) लि.	डुरलागा, झारसुगुडा	0.30		251.77	04-05-2005	उत्पादन शुरू होने की संभावना
9.	मै. जिंदल स्टैनलैस लि.	डुबुरी, जाजपुर	चरण-I	0.8	1,612.00	09-06-2005	फैरो क्रोम का उत्पादन शुरू
			चरण-II	0.8	5,016.00		

10.	मै. रूंगटा माईन्स लि.	कमाण्डो, निकट कोईरा, सुंदरगढ़ व झाराबंद धेनकानाल (प्रत्येक 1 एम.टी.पी.ए.)		2.00	2275.00	3-11-2005	भूमि अधिग्रहण के चरण में
11.	मै. ब्रांड एलॉय लि.	पालसपान्गा, क्योंझर		0.27	307.54	3-11-2005	भूमि अधिग्रहण के चरण में
12.	मै. ईस्टर्न स्टील्स एंड पॉवर लि.	लेहांडाबुड, झारसुगुडा		0.25	254.0	3-11-2005	स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू
13.	मै. जय बालाजी ज्योति स्टील्स लि.	तानीसर, निकट लाठीकाटा, सुंदरगढ़		0.33	321.14	3-11-2005	स्पंज लोहे और इस्पात का उत्पादन शुरू
14.	मै. वेलस्पून पॉवर एंड स्टील्स लि.	भादरक जिला या कटक या राज्य में कोई और उचित स्थान		3.00	5828.15	01-10-2006	भूमि अधिग्रहण के चरण में
15.	मै. उत्तम गालभा स्टील्स लि.	स्थान अभी तक निश्चित नहीं		3.00	6103.80	3-10-2006	भूमि अधिग्रहण के चरण में
16.	मै. एस.एस.एल. इनर्जी लि.	नौहाटा निकट बनरपाल, अंगुल	चरण I	3.00	4339.00	21-12-2006	भूमि अधिग्रहण के चरण में
			चरण II		4270.00		
17.	मै. एम.जी.एम. स्टील्स लि.	नीमडीह, मोटागांव, धेनकनाल		0.25	208.10	22-12-2006	भूमि अधिग्रहण के चरण में
18.	मै. सुरेन्द्र माईनिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	ब्रहामुस नीमडीह, मोटागांव, धेनकनाल, बोनाई, सुंदरगढ़		0.25	221.62	22-12-2006	स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू
19.	मै. क्रैकर्स इंडिया (एलॉयज) लि.	गोबर्धनपुर, क्योंझर		0.25	236.39	22-12-2006	स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू

1	2	3	4	5	6	7
20.	मै. ब्राहमनी रीवर पेल्लेट लि.	टोंटो, नाल्दा क्योंझर एंड डुबुरी जाजपुर में	4.0 (पैलेट संयंत्र)	1485.00	15-03-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
21.	मै. प्रधान स्टील एंड पॉवर (प्रा.) लि.	डुरूसिया, आथागाड, कटक	0.50	606.00	29-01-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
22.	मै. टेक्टोन इस्पात प्रा. लि.	टारकाबेडा धेनकनाल	0.25	291.00	29-01-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
23.	मै. आथा माईन्स प्रा. लि.	टारकाबेडा धेनकनाल	0.25	227.13	29-01-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

उन मेगा स्टील प्लांट परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए उड़ीसा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं

क्र.सं.	कंपनी का नाम	स्थिति	क्षमता : एम.टी.पी.ए.	निवेश करोड़ रुपये में	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तिथि	वर्तमान स्थिति एवं प्रगति
1.	मै. एस्सार स्टील उड़ीसा लि.	पारादीप	4.00	10,721	21-04-2005	भूमि अधिग्रहण के चरण में
2.	मै. पोस्को इंडिया प्रोजेक्ट (प्रा.) लि.	पारादीप	12.00	51,000	22-06-2005	भूमि अधिग्रहण के चरण में
3.	मै. जिंदल स्टील एंड पॉवर लि.	दियोझर, क्योंझर में सज्जीकरण संयंत्र और अंगुल में इस्पात संयंत्र	6.00	13,135.02	3-11-2005	भूमि अधिग्रहण के चरण में
4.	मै. भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लि.	मीरामुंडली, धेनकनाल	3.00	5,828.15	3-11-2005	स्पंज लोहे और इस्पात बिलेटों का उत्पादन शुरू
5.	मै. मित्तल स्टील कं. लि. एन.वी.	पटना, क्योंझर	12.00	40,000	21-12-2006	भूमि का पता लगा लिया गया है। डी.पी.आर. प्रस्तुत नहीं की गयी है।

उन आयरन एण्ड इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची जिनके लिए झारखण्ड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं

क्र.सं.	कंपनी का नाम	स्थान-स्थिति	क्षमता एम.टी.पी.ए.	निवेश करोड़ रुपये	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तारीख	वर्तमान स्थिति और प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै. बी.एम.डब्ल्यू. इंडस्ट्रीज लिमिटेड	बोकारो	क. स्पंज आयरन 0.21 ख. स्टील 0.5 ग. पिग आयरन 0.5	591.00	12-04-05	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
2.	मै. अनिन्दीता ट्रेडर्स एण्ड इन्वेसटमेंट लिमिटेड	रामगढ़	क. स्पंज आयरन 0.334	300.00	12-04-05	पहला फेस चालू हो गया है
3.	मै. नारभराम गैस पोइंट प्राइवेट लिमिटेड	जमशेदपुर	क. स्पंज आयरन 0.135 ख. स्टील 0.045	100.00	12-04-05	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
4.	मै. गोयल स्पंज प्राइवेट लिमिटेड	डब्लू सिंघभूम	क. स्पंज आयरन 0.115 ख. स्टील 0.09	67.00	12-04-05	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
5.	मै. रूंगटा माईंस लिमिटेड	चाइबासा	क. स्पंज आयरन 0.51	517.00	12-04-05	पहला फेस चालू हो गया है
6.	मै. राज रैफ्रेक्टरीज (प्राइवेट) लिमिटेड	बुंदू	क. स्पंज आयरन 0.6 ख. स्टील 0.06	68.50	12-04-05	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
7.	मै. कॉनटी स्टील लिमिटेड	चांडिल	क. स्पंज आयरन 1.2	1560.00		
			ख. स्टील 1.4	410.00	18-07-05	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
			ग. लिक्विड स्टील 1.25			

1	2	3	4	5	6	7
8.	मै. कोहिनूर स्टील प्राइवेट लिमिटेड	बुलादीह चांडिल के पास	क. स्पंज आयरन 0.225 ख. पिग आयरन 0.12	410.00	18-07-05	पहला फेस चालू हो गया है
9.	मै. जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड	घाटशीला	क. स्पंज आयरन 5.0 (ख) स्टील 5.0	11500.00	05-07-05	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
10.	मै. भूषण पावर स्टील लिमिटेड	पोटका, जमशेदपुर	क. स्पंज आयरन 1.5 ख. स्टील 3.0	10500.00	23-07-05	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
11.	मै. कल्याणी स्टील लिमिटेड	सिल्ली, रांची	क. स्पंज आयरन 0.23 ख. स्टील 1.0	1843.00	23-07-05	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
12.	मै. टाटा स्टील लिमिटेड (ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट)	मनोहरपुर/चांडिल	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 12.0	42000.00	08-09-05	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
13.	मै. टाटा स्टील लिमिटेड (विस्तार)	जमशेदपुर	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 5.0	11000.00	08-09-05	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
14.	मै. वी.एस. डेम्पो एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	मनोहरनपुर	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 0.5	1016.00	04-10-05	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
15.	मै. आर्सलर मित्तल लि.	निर्णय नहीं लिया गया	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 12.0	40000.00	08-10-05	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
16.	मै. जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड	हैसलोंग, निमदीह	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 10.0	35000.00	09-11-05	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
17.	मै. रांची इंटीग्रेटिड स्टील लिमिटेड	सिल्ली मुरई के पास	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 1.5	5452.00	30-12-05	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

18.	मै. एस्सल माइनिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जगनाथपुर वेस्ट सिंघभूम	इंटिग्रेडिट स्टील प्लांट 1.0	1900	05-05-06	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
19.	मै. सेसा गोआ लिमिटेड	साराईकेला खरसवान	इंटिग्रेडिट स्टील प्लांट 0.5	1242	07-09-06	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
20.	मै. मुकंद स्टील	बारलंगा, हजारीबाग	इंटिग्रेडिट स्टील प्लांट 2.0	4335	07-07-06	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
21.	मै. फीग्रेड एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	गुरा एण्ड रंगामाटी वेस्ट सिंघभूम	इंटिग्रेडिट स्टील प्लांट 0.3	688.8	11-09-06	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
22.	मै. बोनाई इंडस्ट्रीयल कंपनी लिमिटेड	कुन्दूबेरा एण्ड सिंह पोखारिया, वेस्ट सिंघभूम	इंटिग्रेडिट स्टील प्लांट 0.25	819	11-09-06	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
23.	मै. रूंगटा माईंस लिमिटेड	चैबासा	इंटिग्रेडिट स्टील प्लांट 4.5	11320	11-09-06	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
24.	मै. वीनी आयरन एण्ड स्टील उद्योग लिमिटेड	लूपुंगधी, चांडिल, सरायकेला खारसवान	इंटिग्रेडिट स्टील प्लांट 0.6	880.64	14-09-06	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
25.	मै. नरसिंहघ इस्पात लिमिटेड	खुन्ती, चांडिल, सरायकेला खारसवान	मिन्नी स्टील 0.25	610	14-09-06	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
26.	मै. कोर स्टील एण्ड पावर लिमिटेड	मुसाबानी, घाटसिला	मिन्नी स्टील 1.0	3300	29-12-06	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
27.	मै. इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड	नन्दपुर/मनोहरपुर	इंटिग्रेडिट स्टील प्लांट 2.8	6750	12-01-07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
28.	मै. मां चंडी दुर्गा इस्पात लिमिटेड	नाजा ब्लाक जामतारा	इंटिग्रेडिट स्टील प्लांट 1.1	1500	09-02-07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7
29.	मै. जगदम्बा फिसकल सर्विस लिमिटेड	रानेशवर, सैयकारीपारा धुम्का	इंटिग्रेडिट स्टील प्लांट 1.1	1500	09-02-07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
30.	मै. ब्रह्मी इम्पैक्स लिमिटेड	अफजलपुर, बालाब्लाक, जामतारा	इंटिग्रेडिट स्टील प्लांट 1.1	1500	09-02-07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
31.	मै. आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड	कुमाराबाद, धुमका	इंटिग्रेडिट स्टील प्लांट 1.1	1500	09-02-07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
32.	मै. ट्राइएंग्ल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	पठानमारा	स्टील प्लांट 0.24	300	14-02-07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
33.	मै. प्रीमियर फेरो एलॉइस एण्ड सिक्यूरिटिस लिमिटेड	बारलंगा	स्टील प्लांट 1.0	1830	23-02-07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
34.	मै. पुष्प स्टील एण्ड माइनिंग (प्रा.) लिमिटेड	गौरीदीह और रुगरई न्यू चौयका	स्टील प्लांट 0.25	361	24-02-07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
35.	मै. सारथक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	राजखारस्वन	स्टील प्लांट 2.2	6300	26-02-07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
36.	मै. जिंदल स्टील एंड पावर लि.	पट्राटु	स्टील प्लांट 6.0	18560	08-11-07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
37.	मै. भूषण स्टील लि.	गलूडीह, ईस्ट सिंहभूमि	इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट-3.1	7000	–	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
38.	मै. मां छिन्नमंस्किा स्पंज आयरन लि.	रामगढ़	इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट-1.0	1840	–	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

39. मै. मां छिन्नमंस्किा सीमेंट एंड इस्पात प्रा. लि.	रामगढ़	इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट-0.128	353.53	–	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
40. मै. वी.एम. सलगांवकर एंड ब्रदर्स प्रा. लि.	घाटशिला	इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट-0.5	847	–	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
41. मै. रामगढ़ स्पंज आयरन प्रा. लि.	होसिर, हजारीबाग	स्टील प्लांट-0.25	785	–	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
42. मै. एस.के.एस. इस्पात एंड पावर लि.	कांची बुंडू, रांची	स्टील प्लांट-1.3	655	–	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
43. मै. जुपीटर आयरन इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	रामगढ़	स्टील प्लांट-0.25	655	–	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

उन इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये गए हैं

क्र.सं.	कंपनी का नाम	स्थान	क्षमता एम.टी.पी.ए.	निवेश करोड़ रुपये	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तारीख	वर्तमान स्थिति और प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै. जिंदल स्टील एंड पावर	रायगढ़	(क) इस्पात गलन शाला-1.25 (ख) धमन भट्टी-1.25 (ग) वायर रॉड/रोलिंग मिल-07	2595.00	07-1-2005	आंशिक रूप से चालू
2.	मै. छत्तीसगढ़ इलैक्ट्रिसिटी कं. लि.	रायपुर	(क) स्पंज लोहा-0.6 (ख) स्टील प्लांट 1.0	2010.00	7-1-2005	आंशिक रूप से चालू
3.	मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	चंपा	(क) स्पंज लोहा 0.4 (ख) इस्पात गलन शाला 0.9 (ग) कच्चा लोहा 0.25 (घ) रोलिंग/रॉड मिल 0.6	1017.00	7-1-2005	आंशिक रूप से चालू
4.	मै. छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर	जंजगीर, चंपा	स्पंज लोहा 0.38	464.88	07-01-2005	आंशिक रूप से चालू
5.	मै. पूष्प स्टील एंड माइनिंग प्रा. लि.	बोराज ग्रोथ सेंटर, दुर्ग	स्पंज लोहा 0.315	380.00	07-01-2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
6.	मै. सालासर स्पंज एंड पावर लि.	रायगढ़	(क) स्पंज लोहा 0.165 (ख) स्टील 0.1	287.51	07-01-2005	आंशिक रूप से चालू
7.	मै. श्री राधे इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	बिलासपुर	(क) स्पंज लोहा 0.26	232.50	07-01-2005	आंशिक रूप से चालू

		(ख) इस्पात गलन शाला 0.05			
8. मै. सत्यार्थ स्टील एंड पावर लि.	रायपुर	(क) स्पंज लोहा-0.22 (ख) प्रेरण भट्टी-0.182 (ग) रि-रोल्ड उत्पाद 0.0314	175.00	07-01-2005	आंशिक रूप से चालू
9. मै. ए.पी.आई. इस्पात एंड पावर टैंक प्रा. लि.	रायपुर	(क) स्पंज लोहा-0.315 (ख) स्टील इन्गट-0.0864	158.00	07-01-2005	आंशिक रूप से चालू
10. मै. टापवर्थ स्टील प्रा. लि.	बोराज ग्रोथ सेंटर, दुर्ग	(क) स्पंज लोहा-0.21 (ख) इस्पात गलनशाला-0.1	129.00	07-01-2005	आंशिक रूप से चालू
11. मै. क्रैस्ट स्टील एंड पावर प्रा. लि.	दुर्ग	स्पंज लोहा-0.231	116.5	07-01-2005	आंशिक रूप से चालू
12. मै. टाटा स्टील लि.	बस्तर	एकीकृत इस्पात संयंत्र-5.00	10000 (लगभग)	04-06-2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
13. मै. एस्सार स्टील छत्तीसगढ़ लि.	बस्तर	एकीकृत इस्पात संयंत्र-3.2	7000 (लगभग)	05-07-2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
14. मै. इण्ड सिनर्जी लि. (विस्तार परियोजना)	रायगढ़	स्पंज लोहा-0.40	960.00	06-10-2006	आंशिक रूप से चालू
15. मै. श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लि. (विस्तार परियोजना)	रायपुर	स्पंज लोहा-0.60 धमन भट्टी-0.231	1400.00	06-10-2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
16. मै. एस.के.एस. इस्पात लि. (विस्तार परियोजना)	रायपुर	स्पंज लोहा-0.33 लघु धमन भट्टी-0.5	1175.00	06-10-2006	आंशिक रूप से चालू

1	2	3	4	5	6	7
17.	मै. रायपुर अलायस एंड स्टील लि. (विस्तार परियोजना)	रायपुर	स्पंज लोहा-0.50 स्टील-0.24	720.00	06-10-2006	आंशिक रूप से चालू
18.	मै. श्री बजरंग मैटलिक्स एंड पावर लि. (विस्तार परियोजना)	रायपुर	कच्चा लोहा-0.060	109.41	21-10-2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
19.	मै. राजेश स्ट्रिप्स लि. (विस्तार परियोजना)	रायपुर	इस्पात गलनशाला-0.30	120.00	18-05-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
20.	मै. जिन्दल स्टील एंड पावर लि. (विस्तार परियोजना)	रायगढ़	धमन भट्टी-0.32	8000.00	18-05-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
21.	मै. भूषण पावर एंड स्टील लि.	राजनंदगांव	एकीकृत इस्पात उत्पादन सुविधा-1.2	5500.00	06-10-2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
22.	मै. मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि. (विस्तार परियोजना)	नाहरपल्ली, रामगढ़	धमन भट्टी-1.0 निजी उपयोग के लिए स्पंज लोहा-0.40	2087.00	04-05-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
23.	मै. वन्दना इस्पात लि.	बोराई, दुर्ग, अजनोरा, राजनंदगांव	एकीकृत इस्पात संयंत्र-0.83 इस्पात गलनशाला-0.75	1310.00	04-05-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
24.	मैं टॉपवर्थ स्टील्स प्रा. लि. (विस्तार परियोजना)	बोराई, दुर्ग	धमन भट्टी-0.50	1225.74	04-05-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
25.	मै. एम.एस.पी. स्टील एंड पावर लि. (विस्तार परियोजना)	रायगढ़	कच्चा लोहा-0.40 निजी उपयोग के लिए स्पंज लोहा 0.3	1400.00	04-05-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

26.	मै. सालासर स्पंज एंड पावर लि. (विस्तार परियोजना)	रायगढ़	इस्पात संयंत्र-0.10	230.00	04-05-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
27.	मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. (विस्तार परियोजना)	चंपा जांजगीर	एकीकृत इस्पात संयंत्र 1.2	2145.00	18-06-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
28.	मै. सिंघल एन्टरप्राईजेज प्रा. लि. (विस्तार परियोजना)	रायगढ़	स्पंज लोहा-0.2 इस्पात-0.3	500.00	23-06-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
29.	मै. अंजनी स्टील प्राईवेट लिमिटेड (विस्तार परियोजना)	रामगढ़	एकीकृत इस्पात संयंत्र-0.25	410.00	02-08-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
30.	मै. एच.ई.जी. लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	दुर्ग	स्पांज लोहा 0.35	280.00	02-08-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
31.	मै. मंगल स्पांज एण्ड स्टील लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	बिलासपुर	स्पांज लोहा 0.12	445.00	02-08-2007	आंशिक रूप से चालू
32.	मै. एस.के.सारावागी एण्ड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	बिलासपुर	स्पांज लोहा 0.21 इस्पात 0.15	330.00	02-08-2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
33.	मै. आरती स्पांज एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड	–	स्पांज लोह 0.105 इस्पात गलनशाला 0.09	305.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
34.	मै. ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राईवेट लिमिटेड	–	स्पांज लोहा 0.525	1000	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
35.	मै. जय बालाजी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	–	डी.आर.आई. संयंत्र 0.6 इस्पात गलनशाला 1.0	1450.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7
36.	मै. बलदेव एलोइस प्राईवेट लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	–	स्पांज लोहा 0.54 एस.एम.एस. संयंत्र 0.2	430.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
37.	मै. क्रेस्ट स्टील एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	–	स्पांज लोहा 0.75 इस्पात गलनशाला 0.5 इ.ए.एफ. 0.32	1536.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
38.	मै. गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड	- -	डी.आर.आई. 0.6 इस्पात बिल्लेट 0.6	1570.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
39.	मै. जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	–	डी.आर.आई. 5.1	18300.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
40.	मै. खेतान स्पांज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	–	स्पांज लोहा 0.09 प्रेरण भट्टी 0.06	209.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
41.	मै. नालवा स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	–	डी.आर.आई. (कोयला आधारित) 0.33 इस्पात गलनशाला 0.336 डी.आर.आई. (गैस आधारित)-2.0	3100.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
42.	मै. जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	–	स्पांज लोहा 0.6 इस्पात बिल्लेट 0.7	2020.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
43.	मै. नोवा आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	बिलासपुर	स्पांज लोहा 0.6	606.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

44. मै. रायपुर पावर एण्ड स्टील लिमिटेड	–	स्पांज लोहा 0.135 प्रेरण भट्टी 0.09	135.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
45. मै. रशमी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	- -	स्पांज लोहा 0.315 इस्पात गलनशाला 0.21	550.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
46. मै. रियल इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	–	स्पांज लोहा 0.30	720.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
47. मै. आर.एल. स्टील एण्ड एनर्जी लिमिटेड	–	स्पांज लोह 0.4	293.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
48. मै. सत्या पावर एण्ड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	–	स्पांज लोहा 0.24	376.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
49. मै. श्री श्याम स्पांज एण्ड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	–	स्पांज लोहा 0.135	205.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
50. मै. एस.के.एस. इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड	–	स्पांज लोहा 1.2 धमन भट्टी 0.27	3611.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
51. मै. सूर्या ग्लोबल स्टील एण्ड जेनपावर लिमिटेड	–	डी.आर.आई. 1.4 धमन भट्टी पी.सी.एम. के साथ-0.6	3000.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
52. मै. वीसा स्टील लिमिटेड	–	धमन भट्टी सिंटर के साथ 1.5 स्पांज लोहा 1.0	4750.00	08-08-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
53. मै. एन.एम.डी.सी. लिमिटेड	–	इंटीग्रेटिड इस्पात संयंत्र 3.00	10000.00	03-09-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7
54.	मै. के. एनर्जी लिमिटेड	–	स्पांज लोहा 0.21 प्रेरण भट्टी 0.192	469.00	12-09-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
55.	मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	–	धमन भट्टी 1.15 स्पांज लोहा 1.6 इस्पात गलनशाला 2.0	2750.00	12-09-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
56.	मै. सिंघल स्टील प्राइवेट लिमिटेड	–	धमन भट्टी 0.3 स्पांज लोहा 0.2 प्रेरण भट्टी 0.3 इ.ए.एफ. 0,3	700.00	01-10-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
57.	मै. एम.एस.पी. स्टील एण्ड पावर लिमिटेड	–	स्पांज आयरन 0.9 धमन भट्टी 0.7 इस्पात गलनशाला 1.5	4930.00	01-10-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
58.	मै. महेन्द्रा स्पांज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड	–	स्पांज लोहा 0.27 इस्पात बिल्लेट 0.15	485.00	01-10-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
59.	मै. हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिसियेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	–	स्पांज लोहा 0.405 इस्पात गलनशाला 0.216	505	03-10-2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के लिए विमान सेवाएं

127. डा. विनय कुमार पाण्डेय: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती को वायु मानचित्र पर लाने का है जिससे भगवान बुद्ध के विदेशी श्रद्धालु/अनुयायी आसानी से पहुंच सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती का निकटतम हवाई अड्डा लखनऊ है जो 125 कि.मी. दूरी पर है और वह दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तथा वाराणसी के लिए/से अनुसूचित विमान सेवाओं से जुड़ा हुआ है।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों में दुर्घटनाएं

128. श्री निशिकांत दुबे: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष देश में विभिन्न इस्पात संयंत्रों में संयंत्रवार हुई दुर्घटनाओं की प्रकृति और संख्या क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति घायल हुए/मारे गए;

(ग) क्या ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(च) प्रत्येक मामले में घायलों/मृतकों के परिजनों को कितनी मुआवजा राशि दी गई है; और

(छ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) से (छ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) के इस्पात संयंत्रों से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

I. सेल:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सेल के संयंत्रों/इकाइयों में हुई दुर्घटनाओं की संयंत्र-वार संख्या नीचे दी गई है:

संयंत्र/ईकाई	हुई दुर्घटनाओं का स्वरूप और संख्या							
	2006		2007		2008		2009 (जनवरी-मई)	
	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक
भिलाई इस्पात संयंत्र	3	4	2	4	2	6	4	0
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	24	3	8	0	2	1	0	0
राउरकेला इस्पात संयंत्र	35	3	31	1	14	4	6	2
बोकारो इस्पात संयंत्र	14	5	16	4	21	4	5	5
इस्को इस्पात संयंत्र	120	2	17	4	20	4	3	1
एलॉय इस्पात संयंत्र	10	2	2	1	3	2	1	0
सेलम इस्पात संयंत्र	3	0	7	1	3	0	0	0
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लि.	14	0	13	1	21	0	4	0
महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मैल्ट लि.	11	0	22	2	10	0	1	0
कच्ची सामग्री विभाग	9	1	2	3	10	3	2	1
बी.एस.पी. खानें	47	1	37	0	36	0	15	0
आई.एस.पी. कॉलिरीज	10	2	32	0	18	0	4	0
सी.एम.ओ. स्टॉकयार्डस	0	0	0	1	1	1	0	1
कुल	300	23	189	22	161	25	45	10

दुर्घटनाओं का स्वरूप

उपर्युक्त अवधि के दौरान हुई घातक दुर्घटनाओं की जांच से निम्नलिखित तत्काल कारणों का पता लगा था:-

- ऊंचाई से गिरना
- चलायमान वस्तुओं/मशीनों द्वारा हिट करना/पकड़ में आना/दबना
- रेल-सड़क से घायल होना
- जलना/विस्फोट
- गैस से जहर फैलना
- इलैक्ट्रोक्यूशन
- दम घुटना/नीचे दब जाना

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन दुर्घटनाओं में घायल हुए/मारे गए व्यक्तियों की संख्या:-

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या	
	घायल (प्रतिवेद्य)	मारे गए (घातक)
2006	300	23
2007	189	22
2008	161	25
2009 (मई तक)	45	10

(ग) इस प्रकार की दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने और सिफारिश करने के लिए संयंत्र स्तर की जांच समिति द्वारा जांच की जाती है।

(घ) संयंत्रों/इकाइयों द्वारा सिफारिशों के कार्यान्वयन स्थिति की मानिटरिंग की जाती है और उनके समय पर अनुपालन के लिए उपयुक्त स्तर पर समीक्षा की जाती है।

(ङ) सुरक्षा मानदण्डों का उल्लंघन करने, जिससे दुर्घटना हुई, वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध जहां कहीं संयंत्र जांच समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। ठेका कर्मचारियों के मामले में ठेके की शर्तों के अनुसार मौजूदा दण्ड प्रावधानों के अनुसार इसी तरह की कार्रवाई की जाती है।

(च) ठेका श्रमिक के मामले में क्षतिपूर्ति को कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई.एस.आई.) के अंतर्गत शामिल किया गया है और इसका भुगतान ई.एस.आई. कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। नियमित कर्मचारियों के साथ घातक दुर्घटना होने के मामले में मुआवजा कम्पनी की नीति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

(छ) चिंता के अभिज्ञात क्षेत्रों में दुर्घटना होने से बचने के लिए सेल के संयंत्रों/यूनिटों द्वारा उठाये जा रहे कुछेक कदम निम्नवत हैं:-

- सभी संबंधितों द्वारा कार्य विशेष संबंधी पर्सनल प्रोएक्टिव इक्विपमेंट (पी.पी.ई.) का उपयोग कराना और सेफ्टी बेल्टों के स्थान पर फुल बॉडी हार्नेश का इस्तेमाल अनिवार्य बनाना;
- रेल एवं सड़क सुरक्षा के संबंध में अभियान व प्रशिक्षण;
- लिक्विड मेटल के उपयोग के समय अग्निरोधी पोशाक का इस्तेमाल;
- खतरे वाले स्थानों में ऑटोमेटिक गैस लीक डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम का प्रावधान करना तथा योजना के अनुसार आवधिक मॉक ड्रिल करना;
- इंटर प्लांट सेफ्टी स्टैंडर्ड पद्धतियों का कड़ाई से पालन करना;
- सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग कराना; और
- सुरक्षा पद्धतियों, मेडिकल फिटनेस और हाईट पास का कड़ाई से पालन करना।

II. आर.आई.एन.एल.

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में आर.आई.एन.एल. में हुई दुर्घटनाओं की संख्या निम्नवत है:

वर्ष	कुल
2009-10 (मई तक)	8
2008-09	49

वर्ष	कुल
2007-08	58
2006-07	64

दुर्घटनाओं का स्वरूप:-फिसलना व गिरना, बिजली का करंट लगना, किसी चीज से टकरा जाना, चलती हुई चीज से चोट लगना, चीजों के बीच दब जाना।

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान घायल हुए/मारे गये व्यक्तियों की संख्या निम्नवत है:-

वर्ष	घायल	मारे गये
2009-10 (मई तक)	8	-
2008-09	44	5
2007-08	56	2
2006-07	60	4

(ग) i. सभी सूचित दुर्घटनाओं की जांच व विश्लेषण संबंधित विभाग के सुरक्षा इंजीनियरी विभाग द्वारा किया जाता है।

ii. सभी घातक दुर्घटनाओं की जांच महाप्रबंधक की अध्यक्षता वाली एक स्टैंडिंग फैटल एक्सिडेंट इन्क्वायरी कमेटी द्वारा की जाती है।

(घ) सुझाये गये सभी उपचारी उपायों का क्रियान्वयन किया जाता है। दुर्घटनाओं की स्थिति और उपचारी उपायों के क्रियान्वयन की समीक्षा कार्यकारी निदेशक (वर्क्स) द्वारा प्रति माह की जाती है। इसके परिणामस्वरूप कुछ वर्षों से दुर्घटनाओं में कमी हुई है।

(ङ) सुरक्षा मानकों की अवहेलना सिद्ध होने की दशा में चूककर्ता ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(च) ठेका श्रमिक के मामले में क्षतिपूर्ति को कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई.एस.आई.) के अंतर्गत शामिल किया गया है और इसका भुगतान ई.एस.आई. कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। नियमित कर्मचारियों के साथ घातक दुर्घटना होने के मामले में मुआवजा कम्पनी की नीति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

(छ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आर.आई.एन.एल. ने विभिन्न उपचारी उपाय किये हैं, इनमें से कुछेक निम्नवत हैं:

- सुरक्षा मानकों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना
- बड़े पैमाने के मरम्मत कार्यों के दौरान बचाव कार्मिकों द्वारा चौबीस घंटे निरंतर निगरानी
- मरम्मत वाले स्थानों में अस्थाई बेरिकेड लगाना, गिरने वाली चीजों को थामने के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट का प्रावधान
- संयंत्र के भीतर सभी कार्मिकों द्वारा सेफ्टी गियर पहनने के नियम की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना
- कर्मचारियों के लिए ऑन-साइट मॉक ड्रिल और सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

राष्ट्रीय यात्री परामर्शदाता बोर्ड की स्थापना

129. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया ने यात्रियों की शिकायत को दूर करने के लिए हाल में ही राष्ट्रीय यात्री परामर्शदाता बोर्ड की स्थापना का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। एअर इंडिया ने यात्री संबंधी आवश्यकताओं और उनके आराम से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय यात्री सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। इससे यात्रियों की देखभाल की प्रक्रिया को बल मिलेगा और यात्रियों की पहुंच से बाहर विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो पाएंगे।

गुजरात में नई रेल लाइन

130. श्री हरिन पाठक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार

ने राज्य में कई रेल लाइनों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की क्या स्थिति है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। फरवरी, 2008 में राजस्व, आपदा प्रबंधन, सड़क एवं भवन, कैपिटल परियोजना, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री, गुजरात सरकार द्वारा एक पत्र भेजा गया है जिसमें गुजरात में 10 नई रेल लाइनों के लिए अनुरोध किया गया है। प्रस्तावित नई रेल लाइनों का ब्यौरा तथा उनकी स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	प्रस्ताव	स्थिति
1.	वीरामगाम-संखेश्वर	इन लाइनों के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किए गए हैं।
2.	दमन-नासिक	
3.	नाडियाड-तारापुर-खोडा-मतार	
4.	गोधरा-दाहोद-इंदौर-देवास	इंदौर-देवास तथा दाहोद-गोधरा के बीच पहले से ही रेल लाइन उपलब्ध है। इंदौर-दाहोद से नई लाइन का निर्माण शुरू हो चुका है।
5.	तारापुर-महेमदाबाद	कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।
6.	अहमदाबाद-खेडब्रह्मा-अम्बाजी	अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर से मीटर आमान लाइन पहले से ही मौजूद है। इस लाइन का आमान परिवर्तन शुरू कर दिया गया है। अम्बाजी से होते हुए आबू रोड तक विस्तार सहित हिम्मतनगर-खेडब्रह्मा का आमान परिवर्तन सर्वेक्षण शुरू हो चुका है।
7.	मेहसाणा-हारिज-राधांपुर	सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इस लाइन का अलाभप्रद होने, चल रही परियोजनाओं का भारी थ्रोफार्वर्ड होने तथा संसाधनों की कमी के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।
8.	वेजलपुर-बोटाड	इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।
9.	राजकोट-जयपुर-मारवाड़	यहां पहले से ही एक रेल लाइन मौजूद है जो राजकोट, जयपुर तथा मारवाड़ को जोड़ती है।
10.	पोरबंदर-पोरबंदर पत्तन	सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

रेलगाड़ियों में जनता भोजन

131. श्री प्रदीप माझी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का प्रस्ताव रेलगाड़ियों और प्लेटफार्मों पर सस्ते और बढ़िया किस्म के जनता भोजन की सुविधा को फिर से शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेल यात्रियों को जनता भोजन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी का नाम क्या है; और

(घ) इसको कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) गाड़ियों तथा प्लेटफार्मों में जनता भोजन की आसानी

से उपलब्धता में तेजी लाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एजेन्सी तथा तौर-तरीकों की समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी शहर में गैस की खोज

132. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी शहर में गैस की खोज का काम काफी दिनों से जारी है और हाल में ही वहां काफी बड़ी मात्रा में गैस के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थान पर गैस के वाणिज्यिक उत्पादन के कब तक शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) वर्तमान में ओ.एन.जी.सी. के पास हिमाचल प्रदेश में दो पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी.ई.एल.) हैं। एक नामांकन ब्लॉक जो कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर तथा मंडी जिलों में पड़ता है। जिसके लिए पी.ई.एल. 10-11-1997 को प्रदान किया गया था, जबकि दूसरा पी.ई.एल. 10-06-2003 को एन.ई.एल.पी.-III (जिसकी परिधि में सिरमौर, सोलन और शिमला जिले आते हैं) के तहत ब्लॉक एच.एफ.-ओ.एन.एन.-2001/1 के लिए प्रदान किया गया था।

किसी भी ब्लॉक में अभी तक कोई वाणिज्यिक खोजें नहीं हुई हैं।

किसानों को राजसहायता पर व्यय

133. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों के लिए उर्वरकों का उत्पादन, बिक्री और उनकी आपूर्ति के लिए राजसहायता पर सरकार का व्यय कितना है; और

(ख) राजसहायता पर खर्च कम करने और राजसहायता का लाभ किसानों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) विगत तीन वर्षों के लिए उर्वरक राजसहायता पर व्यय नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपए)

मद	वितरित राजसहायता (सकल) की राशि		
	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4
आयातित यूरिया	5071.06	9934.99	12971.18
स्वदेशी यूरिया			
नकद	12650.37	12950.37	17968.74
बांड		3500.00	3000.00
आयातित पी एंड के नकद बांड	3649.95	5100.00	23847.69
		1500.00	8750.00

1	2	3	4
स्वदेशी पी एंड के			
नकद	6648.16	7833.80	24707.10
बांड		2500.00	8250.00
योग	28019.54	43319.16	99494.71

इसके अलावा, वर्तमान वर्ष में 77,425.19 करोड़ रुपए की उर्वरक राजसहायता की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

(ख) राजसहायता पर व्यय में वृद्धि मुख्यत: विगत कुछ वर्षों में उर्वरक आदानों और तैयार उर्वरकों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के कारण है। सरकार उर्वरक क्षेत्र में विदेशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि उर्वरक आदानों और तैयार उर्वरकों की भावी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके तथा इन आपूर्तियों को अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के उतार-चढ़ाव से भी बचाया जा सके। सरकार उत्पादन की दक्षता को प्रोत्साहित करने तथा दी जाने वाली राजसहायता को कम करने के लिए सभी गैर-गैस आधारित इकाइयों को परिवर्तित करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। उर्वरक क्षेत्र को केजी बेसिन से प्राकृतिक गैस के आबंटन में उच्चतम प्राथमिकता दी गई है, और यूरिया इकाइयों को गैस की आपूर्ति में मौजूदा कमी को केजी बेसिन से आपूर्तियों को पूर्णतया: पूरा कर लिया गया है।

इससे गैस-आधारित यूरिया इकाइयों में नेफथा के स्थान पर प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल हो रहा है जिससे वर्ष 2009-10 में लगभग 3000 करोड़ रुपए की राजसहायता में बचत होने की संभावना है।

वर्तमान उर्वरक राजसहायता व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को राजसहायता का लाभ राजसहायता प्राप्त एम.आर.पी. के रूप में प्राप्त हो रहा है जो उत्पादन/आयात की मानकीय लागत तथा फार्म स्तर पर उर्वरकों की सुपुर्दगी से काफी कम है।

[अनुवाद]

बंद/रुग्ण भारी उद्योगों का पुनरुद्धार

134. शेख सैदुल हक: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में कतिपय बंद/रुग्ण भारी उद्योगों के पुनरुद्धार का है;

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्गापुर के माइनिंग और अलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लि. और कोल इंडिया लि. तथा दामोदर वैली कार्पोरेशन के संयुक्त उद्यम द्वारा पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री विलासराव देशमुख): (क) जहां तक भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का संबंध है, लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार और इनके भविष्य के संबंध में अपनी सिफारिश देता है। बी.आर.पी.एस.ई. की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सरकारी क्षेत्र के 15 उद्यमों के मामले में पुनरूद्धार/पुनर्गठन पैकेजों के कार्यान्वयन का अनुमोदन किया है।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि., दामोदर वैली कार्पोरेशन और भारत अर्थ मूवर्स लि. के कंसोर्टियम द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के माध्यम से एम.ए.एम.सी. (परिसमापनाधीन) के पुनरुद्धार की योजना विचाराधीन है, जो कोलकाता उच्च न्यायालय की अनुमति मिलने पर लागू की जाएगी।

16-5-2002 को एम.ए.एम.सी. को बंद करने का आदेश दिया गया था और कंपनी की परिसंपत्तियों की नीलामी के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी परिसमापक नियुक्त किया गया था। दिनांक 5 अक्तूबर, 2007 को कंपनी की परिसंपत्ति की नीलामी होनी थी लेकिन सी.आई.एल. और डी.वी.सी. ने कंपनी के अधिग्रहण की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। कोलकाता उच्च न्यायालय ने सी.आई.एल. और डी.वी.सी. द्वारा अधिग्रहण के संबंध में दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया और उचित

कार्रवाई के लिए 14 सप्ताह का वक्त दिया। समय-समय पर न्यायालय जवाब दाखिल करने के लिए समय-सीमा बढ़ाता रहा है।

इस बीच बी.ई.एम.एल. कंसोर्टियम में प्रमुख भागीदार के रूप में सी.आई.एल. और डी.वी.सी. के साथ शामिल हो गया है।

उर्वरकों की कीमत निर्धारण के लिए नियामक तंत्र

135. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों की कीमत निर्धारण के लिए नियामक तंत्र गठित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) मूल्यों का निर्धारण करने के लिए उर्वरक उद्योग में विनियामक तंत्र गठित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

फास्ट ट्रैक कोर्ट को सहायता

136. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2006 के बाद सरकार ने राज्यों में कार्यरत फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना की स्थिति को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है;

(ग) क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट को दी गई अनुदान सहायता काफी कम है और आवर्ती और अनावर्ती व्यय काफी अधिक है;

(घ) यदि हां, तो उपलब्ध कराए गए सहायतानुदान एवं इस पर होने वाले आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) फास्ट ट्रैक कोर्ट को दिए जाने वाले सहायतानुदान में वृद्धि करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ङ) जी नहीं। त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए राज्यों की केन्द्रीय सहायता की स्कीम को बंद नहीं किया गया है। वास्तव में जब 31-3-2005 के परे स्कीम को पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाते समय अनावर्ती व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता में सरकार ने वृद्धि की थी और 31-3-2005 के पश्चात पहले दो वर्षों के लिए राज्यों को दिए जाने के लिए प्रत्येक न्यायालय को 8.60 लाख रुपए की अतिरिक्त रकम के लिए उपबंध किया है।

स्कीम के अधीन राज्यों को आवर्ती व्यय के रूप में अनुमोदित सन्नियम के आधार पर अर्थात् 4.80 लाख रुपए प्रति न्यायालय, केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। कुछ राज्यों ने उनको दी जाने वाली सहायता से अधिक व्यय की रिपोर्ट की है। वर्ष 2007-08 के दौरान राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता और उनके द्वारा उपगत व्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

वर्तमान में त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता की दर को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

त्वरित निपटान न्यायालय की स्कीम के अधीन वर्ष 2007-08 के दौरान उपगत राज्यवार दिया गया केन्द्रीय अनुदान और राज्यों द्वारा उपगत वास्तविक व्यय संबंधित विवरण

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	दिया गया केन्द्रीय अनुदान	राज्यों द्वारा उपगत व्यय
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	412.80	568.58

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.40	22.07
3.	असम	96.00	136.58
4.	बिहार	720.00	1238.60
5.	छत्तीसगढ़	129.60	247.95
6.	गोवा	24.00	75.67
7.	गुजरात	571.2	1006.89*
8.	हरियाणा	67.20	138.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0	प्राप्त नहीं
10.	झारखंड	190.17	426.63
11.	कर्नाटक	230.40	598.90
12.	केरल	148.80	563.85
13.	मध्य प्रदेश	259.80	522.11
14.	महाराष्ट्र	782.40	2232.23
15.	मणिपुर	9.60	17.14
16.	मेघालय	0	20.70
17.	मिजोरम	14.40	14.40
18.	नागालैण्ड	9.60	9.60
19.	उड़ीसा	158.40	300.69
20.	पंजाब	51.20	117.64
21.	राजस्थान	398.40	1232.17
22.	तमिलनाडु	235.20	634.87
23.	त्रिपुरा	0	8.30
24.	उत्तर प्रदेश	495.52	1258.00
25.	उत्तरांचल	129.60	70.82
26.	पश्चिमी बंगाल	571.20	1662.01
	कुल	5719.89	13124.40

*अप्रैल 2007 से सितम्बर 2007 तक व्यय

[हिन्दी]

माल ढुलाई से आय

137. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी से माल ढुलाई से रेलवे को प्राप्त आय पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे के माल ढुलाई में कितनी कमी हुई है;

(ग) इस शीर्ष के अन्तर्गत रेलवे को 2008-09 और 2009-10 के दौरान कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) यदि हां, तो इस हानि से उबरने के लिए रेलवे द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) यद्यपि 2007-08 की तुलना में 2008-09 के दौरान समग्र माल आमदनी में 12.6% की वृद्धि हुई जो वर्ष 2007-08 की तुलना में 5998.50 करोड़ रु. की वृद्धि दर्शाती है तथापि इस वित्त वर्ष के बाद के 6 महीनों में आई आर्थिक मंदी के कारण 2008-09 के लिए संशोधित बजटीय लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका। वर्ष 2008-09 के 55293 करोड़ रुपए के संशोधित बजटीय लक्ष्य की तुलना में वास्तविक मात्र 53433 करोड़ रु. हैं। वर्ष 2008-09 में लदान में समग्र वृद्धि दर 4.9% थी। वर्ष 2008-09 के पूर्वार्द्ध में लदान की वृद्धि दर 8.5% थी जो 2008-09 के उत्तरार्द्ध में घटकर 1.8% हो गई। मौजूदा वित्त वर्ष 2009-10 के दो माह में लदान की वृद्धि दर 2.8% है। यातायात की मांग को पूरा करने और अधिक आमदनी वाले लंबी दूरी के यातायात को बढ़ावा देने के लिए माल यातायात दरों को समायोजित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली से कोरापुट तक राजधानी एक्सप्रेस

138. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का दिल्ली से विभिन्न राज्यों तक के लिए कुछ और राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा में बोलांगीर और तितिलागढ़ होते हुए दिल्ली से कोरापुट तक राजधानी एक्सप्रेस आरंभ करना भी रेलवे के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) मामले की जांच की जा रही है।

भर्ती की नई प्रणाली

139. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भर्ती की वर्तमान प्रणाली पुरानी हो गई है और रेलवे को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भर्ती की नई प्रणाली विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नई प्रणाली कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) मामले की जांच की जा रही है।

गायब हो जाने वाली कम्पनियां

140. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 100 से ज्यादा गायब होने वाली कम्पनियों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितनी कम्पनियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए हैं; और

(घ) देश में इन कम्पनियों की इस प्रकार की गतिविधियों

की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) वर्ष 1992 से 2001 के दौरान आई.पी.ओ. के साथ आई कम्पनियों में से कुल 238 कम्पनियों की पहचान गायब होने वाली कम्पनियों के रूप में की गई थी। इस मंत्रालय के सतत प्रयासों से 117 कम्पनियों की खोज कर ली गई हैं जिसके फलस्वरूप गायब होने वाली कम्पनियों की संख्या घटकर 121 हो गई है। इसके अतिरिक्त कोई भी कम्पनी जो वर्ष 2001 से 2005 की अवधि के दौरान आई.पी.ओ. के साथ आई थीं, गायब होने वाली कम्पनियों की श्रेणी में नहीं आती हैं।

(ग) सरकार ने गायब होने वाली कम्पनियों तथा उसके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन के लिए 110 मामलों में अभियोजन दायर किए गए हैं।

(ii) भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) के तहत 112 मामलों में एफ.आई.आर. दायर किए गए हैं।

(iii) सेबी ने 100 कम्पनियों तथा 378 निदेशकों को सेबी अधिनियम की धारा 11ख के तहत 5 वर्षों की अवधि के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने से वंचित कर दिया है।

(घ) सरकार ने एम.सी.ए.21 ई-गवर्नेंस परियोजना की शुरुआत कर दी है जिसके तहत कम्पनियों द्वारा सभी सांविधिक फाइलिंग ई-गवर्नेंस तरीके से की जाती है। इस परियोजना में अनिवार्य निदेशक पहचान संख्या (डी.आई.एन.) का प्रावधान है जिसके तहत प्राधिकृत निदेशकों एवं व्यावसायिकों की पहचान एक सुरक्षित तरीके से होती है। सरकार ने कम्पनी रजिस्ट्रारों (आर.ओ.सी.) को कम्पनियों के तुलन पत्रों की तकनीकी संवीक्षा का कार्य करने के लिए निदेश जारी किए हैं जिससे आई.पी.ओ. प्राप्तियों का अंतिम उपयोग ढूंढा जा सके। उपरोक्त के अलावा सेबी ने सूचीबद्ध करार के खंड 49 में संशोधन किया है जो मुख्य रूप से प्रवर्तकों से संबंधित प्रकटीकरण अपेक्षाओं को सुदृढ़ बनाएगा तथा जनता से प्राप्त निधियों के उपयोग की निगरानी की भी व्यवस्था करेगा, परिणामस्वरूप कोई भी कम्पनी जो वर्ष 2001 से 2005 की अवधि के दौरान आई.पी.ओ. के साथ आई थीं, गायब होने वाली कम्पनियों की श्रेणी में नहीं आती हैं।

नवी मुम्बई स्थित विमानपत्तन

141. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने नवी मुम्बई विमानपत्तन के स्थान में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नवी मुम्बई विमानवत्तन परियोजना को पर्यावरण और वन मंत्रालय ने स्वीकृति नहीं दी है;

(घ) यदि हां, तो पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इस संबंध में क्या आपत्ति की है; और

(ङ) इस पर नागर विमानन मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) नवी मुम्बई अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के पर्यावरण संबंधी अनुमति के बारे में मै. सिटी एंड इंडस्ट्रीयल डेवलपमैंट कार्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड के प्रस्ताव पर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस परियोजना से तटीय विनियमन जोन वाले क्षेत्र को निकालकर एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है। चूंकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने तटीय विनियमन जोन अधिनियम 1991 में, तटीय विनियमन जोन में ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों को अनुमति प्रदान करते हुए, संशोधन किया है। सी.आई.डी.सी.ओ. (सिडको) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन संबंधी विचारार्थ विषय के बारे में अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगा है।

चेन्नई विमानपत्तन का आधुनिकीकरण

142. श्री टी.आर. बालू: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई विमानपत्तन का आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो परियोजना में नियत से अधिक समय और लागत आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) नियत समय-सीमा में कार्य पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) नए टर्मिनल भवन के निर्माण तथा अन्य संबंधित कार्यों जैसे रनवे का विस्तार, पुल का निर्माण कार्य सहित चेन्नई हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण से संबंधित सभी कार्य प्रगति पर हैं और शेड्यूल के अनुसार चल रहे हैं।

(ग) इस परियोजना के जनवरी, 2011 तक पूरा होने की संभावना है।

(घ) और (ङ) इस परियोजना को पूरा करने में अतिरिक्त समय लगने की संभावना नहीं है। बहरहाल, कार्य प्रदान किए जाने के समय सामग्रियों का उच्च मूल्य होने के कारण परियोजना की लागत अधिक हो गई।

(च) परियोजना के गुणवत्ता नियंत्रण तथा मानिटरिंग के लिए एक नामी परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए सर्वेक्षण

143. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का वर्तमान में पूरे देश में पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए किसी प्रकार का विशेष सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वैसे, एक उपाय के रूप में देश के विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल तथा झारखण्ड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु सरकार द्वारा सर्वेक्षण/अध्ययन/मूल्यांकन कराए गए हैं।

संवर्धनात्मक कार्यकलापों संबंधी स्कीम के तहत, मंत्रालय के पास खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु राज्य सरकारों द्वारा संबंधित राज्य में कराए जाने वाले सर्वेक्षण/अध्ययनों हेतु आवश्यकता पर आधारित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तदनुसार, मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन हेतु क्षेत्रीय तथा सेक्टोरल आधार पर विभिन्न अध्ययनों/सर्वेक्षणों हेतु वित्तपोषण कर रहा है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपने राज्यों में किसी सक्षम सलाहकार के जरिए ऐसे अध्ययनों/सर्वेक्षणों को व्यापक एवं सकारात्मक रूप से सक्रिय तरीके से कराएं और उन्हें योजना स्कीम के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी।

[अनुवाद]

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले

144. श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री संजय सिंह चौहान:
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं;

(ख) मामलों के लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) काफी समय से लंबित मामलों का निपटारा तेजी से करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) तारीख 31-3-2009 को उच्चतम न्यायालय में 50163 मामले लंबित थे। उच्च न्यायालयों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तारीख 31-12-2008 को उच्च न्यायालयों में 39,14,669 मामले लंबित थे।

(ख) जबकि न्यायालयों में मामलों के लंबित रहने के कई कारण हैं उनमें कुछ वरिष्ठ न्यायालयों में लंबित रहने के कुछ सुसंगत कारण निम्न प्रकार हैं:-

(i) जनसंख्या और मुकदमेबाजी का विस्तार।

(ii) नए मामलों का संस्थापन।

(iii) पुराने मामलों के निपटान में पूर्विकता की कमी।

(iv) निर्वाचन अर्जियों के कारण अतिरिक्त भार।

(v) प्रथम अपीलों का संचय।

(vi) कुछ उच्च न्यायालयों में आरंभिक मूल सिविल अधिकारिता का बना रहना।

(vii) न्यायाधीशों की संख्या की अपर्याप्तता।

(viii) उच्च न्यायालयों में रिक्तियों के भरने में विलंब।

(ix) उच्च न्यायालयों से जुड़े कर्मचारियों की कमी।

(x) अनावश्यक स्थगनों का मंजूर किया जाना।

(ग) मामलों के निपटान में लिया जाने वाला समय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है। तथापि, सरकार ने न्यायालयों में मामलों के शीघ्रतर निपटान को सुकर बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं:

(1) सरकार सावधिक रूप से उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का पुनर्विलोकन करती है और यह सुनिश्चित करती है कि रिक्तियां तत्काल भरी जाएं जिससे कि न्याय प्रशासन को न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या से न जूझना पड़े। इन पुनर्विलोकनों के आधार पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 163 पद स्वीकृत किए गए हैं। यह प्रत्याशा की जाती है कि न्यायाधीशों की यह संख्या बढ़ने से उच्च न्यायालयों में बकाया मामलों की कमी करने में सहायता मिलेगी। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी गई है।

(2) सरकार ने एक "त्वरित निपटान न्यायालय" स्कीम लागू की है जिसे 31 मार्च, 2010 तक बढ़ा दिया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार इन न्यायालयों द्वारा उन्हें अंतरित 31.01 लाघ मामलों में से 25.07 लाख मामले निपटाए जा चुके हैं।

(3) मध्यकता, बातचीत और माध्यस्थम समेत निपटान के आनुकल्पिक तरीकों को प्रोत्साहित किया गया है। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करने और न्यायालयों में सिविल और आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कई विधायी उपाय भी किए गए हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता को अन्य बातों के साथ-साथ स्थगनों की संख्या जो किसी पक्षकार को दी जा सकती है, सीमित करते हुए, संशोधित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से समुचित परिवर्तन किए गए हैं जो अन्य बातों के साथ साथ "अभिवाक् सौदेबाजी" की अवधारणा को प्रस्तुत करता है।

(4) विधि के समान प्रश्नों वाले मामलों के समूहीकरण, विशिष्ट न्यायपीठों का गठन, विशेष न्यायालयों की स्थापना और नियमित अंतरालों पर लोक अदालतों के आयोजन जैसे अन्य उपाय भी किए गए हैं।

(5) न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के माध्यम से न्यायिक अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए भी कदम उठाए गए हैं। सरकार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के उन्नयन के लिए एक स्कीम का क्रियान्वयन कर रही हैं।

(6) सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) का अधिनियमन किया है जो लगभग 5067 ग्राम न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करता है।

[हिन्दी]

उच्च न्यायालयों में कार्य दिवस

145. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च न्यायालयों के कार्य दिवस की संख्या निचली अदालतों से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उच्च न्यायालयों के कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (घ) उच्च न्यायालयों में कार्य-दिवसों को संबंधित न्यायालयों द्वारा विरचित किए गए नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में सभी उच्च न्यायालयों में सामान्यतया एक वर्ष में 210 कार्यदिवस हैं और जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यदिवसों की संख्या संबद्ध उच्च न्यायालय द्वारा विनियमित की जाती है।

वर्ष 2002 और 2003 में इस विभाग ने न्यायालयों में कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाए जाने के विषय की परीक्षा की थी। उच्च न्यायालयों में विद्यमान बड़ी संख्या में लंबित मामलों में कमी करने के लिए इस विभाग ने सभी उच्च न्यायालयों से दीर्घावकाश की अवधि को इस प्रकार नियत किए जाने का अनुरोध किया था कि सामान्यतया उच्च न्यायालयों के कार्य-दिवसों की संख्या एक वर्ष में 222 दिन से कम न हो।

सरकार द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अन्य विभिन्न उपाय भी किए गए हैं जिनमें न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति की आवधिक रूप से निगरानी करना, विधि के समान प्रश्न वाले मामलों को समूहबद्ध करना, विशेष न्यायपीठों का गठन करना, समय से न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरना, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना, नियमित अंतराल पर लोक अदालतें आयोजित करना, विवादों के समाधान के अनुकल्पिक तरीकों जैसे वार्ता को उत्साहित करना, विशेष अधिकरण जैसे केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों, राज्य प्रशासनिक अधिकरणों, आयकर अपील अधिकरणों, परिवार न्यायालयों, श्रम न्यायालयों आदि की मध्यकता और मध्यस्थता तथा उनकी स्थापना करना, त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करना और न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण करना भी सम्मिलित है।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों के लिए अपर्याप्त उड़ानें

146. श्री पी. करूणाकरन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी देशों से और खाड़ी देशों के लिए अपर्याप्त उड़ानों के कारण छुट्टियों के दौरान अपने घर आने के लिए खाड़ी देशों के अनिवासी भारतीयों, विशेषकर केरलवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में केरल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) इस समय, विदेशों की नामित एयरलाइनें तथा भारतीय विमान वाहक केरल के विभिन्न हवाई-अड्डों से खाड़ी क्षेत्र के लिए प्रति सप्ताह क्रमश: लगभग 163 तथा 226 सेवाएं प्रचालित कर रहे हैं। समय-समय पर अप्रवासी भारतीय निकायों, राज्य सरकारों तथा यात्रियों की ओर से खाड़ी क्षेत्र से केरल के लिए यात्री उड़ानों में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। त्यौहारों के दौरान, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खाड़ी-केरल सेक्टर पर अतिरिक्त सेक्शन उड़ानें लगाई जाती हैं।

निजी क्षेत्र में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

147. श्री असादूद्दीन ओवेसी:

श्री एम.आई. शानवास:

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की अधिक भागीदारी के संबंध में सच्चर समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों में सच्चर समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए कोई विशिष्ट तंत्र विकसित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों और अभ्यर्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने की दृष्टि से जुलाई, 2007 में कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना शुरू की गई थी ताकि वे सरकारी

सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें।

(घ) और (ङ) सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सरकार के निर्णय केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित हैं तथा इनका कार्यान्वयन उन्हीं के माध्यम से होता है।

चौकीदार रहित समपार

148. श्री पूर्णमासी राम:

श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में चौकीदार रहित समपारों की संख्या क्या है;

(ख) पिछले छह महीनों के दौरान चौकीदार रहित समपार पर कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ग) चौकीदार रहित समपारों पर चौकीदार के लिए रेलवे ने क्या उपाय किए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) 1-4-2009 को देश में 16976 चौकीदार रहित समपार हैं।

(ख) पिछले 6 महीने के दौरान, चौकीदार रहित समपारों पर 24 अदद दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ग) रेलें निर्धारित मानदंडों के अनुसार अर्हक पाए जाने वाले चौकीदार रहित समपारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए सतत प्रयास करती हैं। इसके अलावा, समपार संबंधी कार्यों के लिए परिव्यय भी बढ़ा दिया गया है।

तेल और गैस कीमतों में वृद्धि

149. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

श्री संजय सिंह चौहान:

श्री संजय निरूपम:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों पर दी जा रही राजसहायता और राजसहायता से तेल विपणन कंपनियों को वर्तमान में हो रही हानि का मदवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ग) आज की तारीख तक पिछले दो वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है;

(घ) कीमत वृद्धि का देश की अर्थव्यवस्था और राजसहायता ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत तय करने का अधिकार पेट्रोलियम कंपनियों को देने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) नामत: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को राजकोषीय बजट से पी.डी.एस. मिट्टी तेल पर 0.82 रुपये प्रति लीटर और प्रति 14.2 कि.ग्रा. घरेलू एल.पी.जी. सिलिंडर पर 22.58 रुपये की राजसहायता देती है। पेट्रोल और डीजल पर कोई राजकोषीय सहायता नहीं दी जाती है। तथापि 2008-09 के दौरान पेट्रोल, डीजल, पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. की बिक्री पर ओ.एम.सीज को हुई अल्पवसूलियों के लिए ओ.एम.सीज की प्रतिपूर्ति करने के लिए सरकार ने ओ.एम.सीज को 71,292 करोड़ रुपये के तेल बांड जारी किए जबकि अपस्ट्रीम तेल पी.एस.यूज नामत: ओ.एन.जी.सी., ओ.आई.एल. और गेल ने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य छूट में 32,000 करोड़ रुपये का अंशदान किया।

प्रथम जुलाई, 2009 के लिए लागू रिफाइनरी द्वारा मूल्यों के आधार पर ओ.एम.सीज पेट्रोल पर 5.82 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 3.62 रुपये प्रति लीटर, पी.डी.एस. मिट्टी तेल पर 15.26 रुपये प्रति लीटर और प्रति 14.2 कि.ग्रा. घरेलू एल.पी.जी. सिलिंडर पर 92.96 रुपये की अल्पवसूलियां झेल रही हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और 26-06-2009 तक कच्चे तेल की भारतीय बास्किट का औसत मूल्य नीचे दिया गया है:

	अमरीकी डालर प्रति बैरल	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि/कमी
2006-07	62.46	-
2007-08	79.25	27%
2008-09	83.57	5%
2009-10 (30-06-09 तक)	59.46	(-)29%

(ख) से (च) चूंकि तेल मूल्यों में वृद्धि का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर डालने से घरेलू मूल्यों में तीव्र वृद्धि होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए अल्पवसूलियों के बोझ में सभी पणधारकों नामतः सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों और उपभोक्ताओं की बराबर हिस्सेदारी हो, सरकार समान बोझ हिस्सेदार व्यवस्था का अनुपालन कर रही है।

सरकार ने प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति (ए.पी.एम.) को 01 अप्रैल, 2002 से समाप्त कर दिया और निर्णय लिया कि पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. के अतिरिक्त सभी पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण बाजार-निर्धारित होगा। पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने राजसहायता योजनाएं तैयार की जो अप्रैल, 2002 से प्रचालन में हैं। तथापि उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के उतार-चढ़ाव और अनिश्चितता से संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार चारों संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों नामतः पेट्रोल, डीजल, घरेलू एल.पी.जी. और पी.डी.एस. मिट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्यों को ठीक बनाती रही है। सरकार अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्य स्थिति की ध्यानपूर्वक निगरानी कर रही है और उपभोक्ताओं विशेषकर समाज के गरीबतर और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए समुचित निर्णय लेना जारी रखेगी।

दिसम्बर, 2008 से कच्चे तेल की भारतीय बासकेट में लगभग 75% की मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 1/2 जुलाई, 2009 की मध्य रात्रि से देश भर में तदनुरूपी वृद्धि करते हुए (दिल्ली में) पेट्रोल के खुदरा बिक्री मूल्य में 4 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। तथापि, पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. के खुदरा बिक्री मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

रायल्टी संबंधी नुकसान

150. श्री चन्द्रांत खैरे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस उद्योग कृष्णा-गोदावरी बेसिन गैस मुद्दे पर मुम्बई उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में सरकार को रायल्टी की भारी राशि का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) और रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड (आर.एन.आर.एल.) के बीच अदालती मामला, दोनों कंपनियों के बीच का व्यावसायिक मामला है। जहां तक रायल्टी सहित सरकार के हिस्से का संबंध है, यह सरकार और उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनी के बीच हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के द्वारा शासित होता है। पी.एस.सी. के प्रावधानों के अनुसार ही सरकार को रायल्टी का भुगतान किया जाना होता है।

[हिन्दी]

बंद पड़ी उर्वरक इकाइयों को पुनः चालू करना

151. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में बंद पड़ी उर्वरक इकाइयां पुनः चालू करने के लिए राजसहायता रोकने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बंद पड़ी इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए निधियां जुटाने हेतु कोई योजना तैयार की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड और फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सभी यूरिया इकाइयों के पुनरुद्धार के विभिन्न व्यवहार्य विकल्पों की जांच करने का निर्णय लिया है। इन इकाइयों के पुनरुद्धार के विभिन्न व्यवहार्य विकल्पों और इनके लिए अपेक्षित निवेश की जांच करने के लिए सचिवों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (ई.सी.ओ.एस.) का गठन किया गया है।

ई.सी.ओ.एस. के निदेशानुसार, पुनरुद्धार के विभिन्न व्यवहार्य विकल्पों और पुनरुद्धार परियोजना के निधियन का सुझाव देने के लिए दोनों कंपनियों द्वारा तकनीकी और वित्तीय परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है। इस मामले में परामर्शदाताओं की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

[अनुवाद]

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना

152. श्री निशिकांत दुबे: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार न्यायपालिका हेतु अवसंरचना के विकास के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को कितनी वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है; और

(ग) इस उद्देश्य से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को मुहैया कराई गयी निधियों के समुचित उपयोग की निगरानी हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2006-07, 20007-08 और 2008-09 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) निधियों के उपयोग की निगरानी, प्रगति रिपोर्ट, व्यय के विवरण और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्रों द्वारा की जाती है।

विवरण

वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए)

राज्य	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	386	595	913
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
असम	443.11	0	1047
बिहार	0	436	330
छत्तीसगढ़	114	233.58	722
गोवा	0	162	33
गुजरात	190	1006	1035

1	2	3	4
हरियाणा	80	161	306
हिमाचल प्रदेश	0	0	0
जम्मू-कश्मीर	0	0	324
झारखंड	70	0	756
कर्नाटक	200	516	423
केरल	128	118.26	255
मध्य प्रदेश	205	1000	53
महाराष्ट्र	416	1330	1517
मणिपुर	0	0	0
मेघालय	0	0	0
मिजोरम	0	53.7	51
नागालैंड	550	635.6	502
उड़ीसा	503	687	0
पंजाब	105	1100	268
राजस्थान	0	0	1256.75
सिक्किम	542	0	0
तमिलनाडु	245	924	170
त्रिपुरा	0	0	0
उत्तराखंड	0	0	275
उत्तर प्रदेश	642	1222	1290
पश्चिमी बंगाल	0	0	728.05
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
चंडीगढ़	0	200	720
दादरा और नगर हवेली	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0
दिल्ली	0	0	0

1	2	3	4
लक्षद्वीप	0	0	0
पुडुचेरी	0	0	272.52
कुल	4819.11	10380.14	13247.32

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न दर्जा

153. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने हाल ही में सरकार से उन्हें "महारत्न" दर्जा प्रदान करने को कहा है ताकि उन्हें उभरते हुए तथा नए नवरत्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से अलग किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री विलासराव देशमुख): (क) लोक उद्यम विभाग को हाल में सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम से "महारत्न" का दर्जा प्रदान किए जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सांध्यकालीन न्यायालय

154. श्री हरिन पाठक: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नवस्थापित सांध्यकालीन न्यायालयों को अनुदान प्रदान करने के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार से भी इस प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (घ) भारत सरकार को सांध्यकालीन न्यायालयों के लिए 5.00 करोड़ रुपयों की विशेष निधि उपलब्ध कराने के लिए गुजरात सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि न्याय प्रशासन प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों से संबंधित है और ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अधीन सांध्यकालीन न्यायालयों के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

इस्पात उद्योग का संवर्धन

155. श्री प्रदीप माझी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में इस्पात उद्योग के संवर्धन हेतु कोई एजेंडा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में लौह-मिश्र धातु संयंत्र के संवर्धन/विकास हेतु अन्य विभिन्न कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) और (ख) सरकार राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 पहले ही तैयार कर चुकी है जिसमें देश में इस्पात उद्योग का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नीतिगत पैरामीटर बताये गये हैं। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 के अंतर्गत वर्ष 2019-20 तक भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता 110 मिलियन टन अनुमानित की गई है। तथापि, इस्पात क्षेत्र में निवेश परिदृश्य के आधार पर आगे यह अनुमान लगाया गया है कि देश में इस्पात उत्पादन क्षमता के वर्ष 2011-12 तक 124.06 मिलियन टन होने की संभावना है।

देश में बड़े इस्पात निवेशों के त्वरित क्रियान्वयन को सुगम बनाने के मद्देनजर देश में बड़े इस्पात निवेशों से संबंधित मुद्दों की निगरानी एवं समन्वय करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समूह (आई.एम.जी.) का गठन किया गया है। अंतर मंत्रालयीन समूह में इस्पात मंत्रालय, रेल मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, खान मंत्रालय, पर्यावरण

एवं वन मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। अंतर मंत्रालयीय समूह के विचारार्थ विषयों में मुख्य रूप से देश की इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के उपायों की समीक्षा एवं समन्वय करना तथा अवसंरचना, कच्ची सामग्रियों की उपलब्धता, पर्यावरण एवं वन स्वीकृति और भूमि व जल जैसे अन्य संसाधनों की उपलब्धता आदि से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान करना शामिल है।

(ग) और (घ) विद्यमान नीति के अनुसार इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात यूनिटों की स्थापना में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। तथापि, मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल) ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के साथ ग्राम-नन्दिनी, भिलाई (छत्तीसगढ़) में सेल-मॉयल फैरो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी स्थापित की है। मॉयल ने बोबली (आन्ध्र प्रदेश) में एक फैरो एलॉय प्लांट की स्थापना करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) के साथ एक संयुक्त उद्यम करार भी किया है।

एल.पी.जी. सिलेण्डरों पर रेडियो टैग

156. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कम्पनियों द्वारा आपूर्त एल.पी.जी. सिलेण्डरों पर रेडियो टैग लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप वाणिज्यक स्थापनाओं में किस हद तक राजसहायता प्राप्त रसोई गैस के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा; और

(घ) देश में सभी घरेलू सिलेण्डरों पर कब तक रेडियो टैग लगा दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) वर्तमान में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) अपने नासिक एल.पी.जी. संयंत्र में एल.पी.जी. सिलिंडरों पर आर.एफ.आई.डी. टैग लगा कर एक प्रायोगिक परियोजना चला रही है।

एल.पी.जी. सिलिंडरों पर आर.एफ.आई.डी. टैग लगाने से सिलिंडरों को तत्काल और प्रभावी ढंग से पहचानने में मदद मिलेगी लेकिन केवल इन टैगों से राजसहायता प्राप्त रसोई गैस को वाणिज्यिक इस्तेमाल के दुरुपयोग को रोका नहीं जा सकता। तथापि, एल.पी.जी. सिलिंडरों पर इन टैगों के लगाने से एल.पी.जी. भरण संयंत्र का प्रचालन सुव्यवस्थित हो जाएगा।

वर्तमान स्थिति के अनुसार, ओ.एम.सीज द्वारा बेचे जा रहे सभी एल.पी.जी. सिलिंडरों पर आर.एफ.आई.डी. टैगों के लगाने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

वस्त्र उद्योग का संवर्धन

157. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय वस्त्र और परिधान उद्योग पर वैश्विक मंदी के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले वर्ष के दौरान वैश्विक मंदी के परिणामस्वरूप निर्यात में कितनी गिरावट आई तथा सरकार द्वारा वस्त्र और परिधान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए; और

(घ) सरकार द्वारा वस्त्र निर्यात तथा भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए आरंभ किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता के नवीनतम उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के वस्त्र एवं क्लोदिंग निर्यात ने पूर्व वर्ष

की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-फरवरी 2008-09 के दौरान भारतीय रुपये के रूप में 7% से अधिक की वृद्धि दर्शाई है। तथापि, यू.एस. डालर के रूप में इसने 5.31% की गिरावट दर्ज की है। सरकार ने वस्त्र उद्योग सहित घरेलू उद्योग को राहत प्रदान करने के लिए वैश्विक आर्थिक मंदी के पश्चात पहले ही राहत उपायों के अनेक पैकेज शुरू किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के समग्र बैक लॉग को निपटाने के लिए 1400 करोड़ रु. का अतिरिक्त आबंटन।

(ii) हस्तशिल्प की सभी मदों को "विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना" (वी.के. एवं जी.यू.वाई.) में शामिल करना।

(iii) 31-3-2009 तक एड-वेलोरम सेनवेट दर में 4% की कटौती।

(iv) पूर्व एवं पश्च शिपमैंट निर्यात ऋण पर 31-3-2009 तक न्यूनतम 7% प्रति वर्ष के अध्यधीन 2% की ऋण सहायता (केन्द्रीय बजट 2009-10 में 30-9-2009 तक बढ़ा दिया गया है।

(v) टर्मिनल उत्पाद शुल्क/केन्द्रीय बिक्री कर की पूर्ण वापसी के लिए अतिरिक्त निधियों का प्रावधान।

(vi) दुर्लभ बाजारों/उत्पादों को निर्यात के लिए ई.सी.जी.सी. को बढ़ी हुई बैक अप गारंटी।

(vii) निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 10% तक विदेशी एजेंट कमीशन संबंधी सेवा कर और साथ ही साथ शुल्क वापसी योजना के तहत लाभ लेते समय आउटपुट सेवा पर सेवा कर की वापसी।

(viii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण लक्ष्यों को संशोधित कर बढ़ाया गया है ताकि अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को परिलक्षित किया जा सके।

(ix) एम.एस.एम.ई. के ऋण मामलों के हल के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैठकें आयोजित करेगी।

(x) ऋण गारंटी योजना के तहत गारंटी कवर को 50% कवर के साथ दुगुना कर 1 करोड़ कर दिया गया है।

(xi) डी.ई.पी.बी. दरों को नवम्बर 2008 के पूर्व की दरों पर पुन: निर्धारित कर 31-12-2009 तक बढ़ाया गया है।

(xii) नीटिड फैब्रिक्स पर शुल्क वापसी को 1-9-2008 के पूर्व प्रभाव से बढ़ा दिया गया है।

कांचीपुरम में विमानपत्तन की स्थापना

158. श्री टी.आर. बालू: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मौजूदा चेन्नई विमानपत्तन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ की आवश्यकताओं को पूरा करने के मद्देनजर कांचीपुरम जिले में दूसरे विमानपत्तन के निर्माण हेतु नीतिगत निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

159. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों और सत्र न्यायालयों में न्यायाधीशों के कुल कितने पद हैं और इनमें से कितने पद रिक्त हैं तथा ये कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) उक्त रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उच्च न्यायालयों में और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ताकि उक्त न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या को घटाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ङ) रिक्त पदों की संख्या और उक्त पदों की रिक्ति की

तारीखों सहित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या को अंतर्विष्ट करने वाला विवरण संलग्न है।

सरकार ने लंबित मामलों को कम करने के लिए उच्च न्यायालयों में सभी रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव किया है। वर्तमान में, विभिन्न उच्च न्यायलयों में 42 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव, सरकार के विचाराधीन है। बार और न्यायिक सेवा दोनों में आने वाली शेष 191 रिक्तियों को भरने के लिए उच्चतम न्यायालय के उनकी 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय के अनुसार संबंध उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा प्रस्ताव आरंभ किए जाने हैं। सरकार समय-समय पर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अगले छह मास के दौरान अनुमानित रिक्तियों के साथ विद्यमान रिक्तियों को भरे जाने के लिए प्रस्ताव आरंभ करने का अनुरोध करती रही है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों का है। अतः जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के रिक्त पदों का भरा जाना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों का उत्तरदायित्व है। सरकार विभिन्न राज्यों में सेशन न्यायालय के न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों और रिक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखती है।

विवरण

क्र. सं.	उच्च न्यायालय का नाम	30-06-2009 को यथा अनुमोदित संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्तियां	रिक्तियों की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद	160	88	72	1-4-2007 (48 नए सृजित पद) 15-06-2007 10-09-2007 05-09-2007 01-01-2008 30-01-2008 14-09-2008 01-04-2007 10-06-2007 01.07.2007 07-07-2007 01-10-2007 01-01-2008

1	2	3	4	5	6
					21-01-2008
					01-02-2008
					25-05-2008
					22-07-2008
					27-07-2008
					03-10-2008
					06-10-2008
					19-11-2008
					04-03-2009
					07-04-2009
					11-05-2009
					26-06-2009
2.	आन्ध्र प्रदेश	49	30	19	20-03-2005
					03-05-2005
					12-01-2007
					01-11-2006 (10 नए सृजित पद)
					01-06-2007
					15-03-2008
					14.05.2008
					01-07-2008
					20-07-2008
					01-07-2009
3.	मुम्बई	75	66	9	01-11-2006 (1 पद नया बनाया गया)
					15-08-2008

1	2	3	4	5	6
					07-11-2008
					18-11-2008
					25-12-2008
					17-03-2008
					28-03-2008
					06-01-2009
					23-05-2009
4.	कोलकाता	58	41	17	01-11-2006 (4 नए सृजित पद)
					05-03-2005
					15-07-2005
					09-09-2005
					24-11-2005
					15-12-2006
					03-05-2007
					31-10-2008
					17-12-2008
					01-02-2009
					11-02-2009
					27-02-2009
					19-03-2009
					20-04-2009
5.	छत्तीसगढ़	18	10	8	01-11-2006 (7 नए सृजित पद)
					25-07-2008
6.	दिल्ली	48	44	4	01-11-2006 (2 नए सृजित पद)

1	2	3	4	5	6
					02-08-2008
					20-10-2008
7.	गुवाहाटी	24	21	3	09.04.2008
					01.05.2008
					01-02-2009
8.	गुजरात	42	29	13	
9.	हिमाचल प्रदेश	11	10	1	12-11-2007
10.	जम्मू-कश्मीर	14	11	3*	14-05-2009 (2 न्यायाधीशों का बाहर स्थानान्तरण हुआ)
11.	झारखंड	20	14	6	01-11-2006 (5 नए सृजित पद)
					06-08-2008
12.	कर्नाटक	41	38	3	01-04-2007
					08-09-2008
					17-12-2008
13.	केरल	38	33	5	01-11-2006 (2 नए सृजित पद)
					20-05-2008
					01-06-2008
					13-05-2009
14.	मध्य प्रदेश	43	37	6	02-10-2008
					18-04-2008
					07-10-2008
					31-12-2008
					11-05-2009
					30-06-2009

1	2	3	4	5	6
15.	मद्रास	60	56	4	01-09-2008 (3 नए सृजित पद)
					16-04-2009
16.	उड़ीसा*	22	16	6	02-01-2007
					16-10-2008
					19-02-2007
					20-02-2008
					02-10-2008
					09-01-2009
17.	पटना*	43	23	20	08-01-2004 (2 नए सृजित पद)
					02-10-2005
					31-01-2006
					12-07-2006
					04-08-2006
					26-12-2006
					16-06-2007
					12-11-2007
					06-03-2005
					01-01-2006
					28-02-2006
					12-02-2008
					10-06-2008
					08-07-2008
					27-10-2008
					03-11-2008

1	2	3	4	5	6
					02-01-2009
					20-01-2009
					01-02-2009
18.	पंजाब और हरियाणा	68	46	22	22-03-2006
					02-01-2007
					25-12-2007
					12-10-2007
					01-11-2006 (14 नए सृजित पद)
					20-01-2008
					31-05-2008
					03-06-2009
19.	राजस्थान*	40	30	10	01-01-2006
					27-10-2006
					20-02-2007
					12-11-2007
					03-03-2008
					11-10-2008
					17-12-2008
					09-08-2008
					01-09-2008
					01-07-2009
20.	सिक्किम	3	3	–	–
21.	उत्तराखंड	9	8	1	01-07-2008
	कुल	886	654	232	

[अनुवाद]

राजकोट विमानपत्तन का उन्नयन

160. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने राजकोट विमानपत्तन का उन्नयन करने के उद्देश्य से रेलवे प्राधिकरण से भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ए.ए.आई. ने राजकोट विमानपत्तन के उन्नयन हेतु कोई विकास योजना तैयार की है; और

(घ) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) रेलवे प्राधिकरण ने इस शर्त के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उनके द्वारा अनुरोध की गई भूमि को बाजार मूल्य पर पट्टे पर अंतरित करने पर सहमति व्यक्त की है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने खर्च पर ही प्रभावित आवासीय इकाइयों का पुनर्वास करेगा। इस प्रस्ताव से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वहन करनी पड़ेगी। वित्तीय तंगी के कारण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने रियायती दर पर उक्त भूमि सौंपे जाने के लिए रेलवे बोर्ड के समक्ष मुद्दा उठाया है।

(ग) जी, हां।

(घ) रेलवे द्वारा भूमि हस्तांतरित किए जाने के पश्चात् ही विकास कार्य आरंभ किए जाएंगे।

बुनकरों का उत्थान

161. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में बुनकरों के उत्थान के लिए कोई योजना प्रायोजित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उड़ीसा में संबलपुर साड़ी बुनकरों को क्या लाभ दिए गए;

(ग) क्या सरकार का सोनपुर जिले में वस्त्र प्रशिक्षण तथा विपणन इकाई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि राज्य में बड़ी संख्या में वस्त्र बुनकरों को लाभ प्राप्त हो सके है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन, उत्पादकता और दक्षता संवृद्धि और बुनकरों की आय तथा उनके सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं:-

1. एकीकृत हथकरघा विकास योजना।
2. विपणन तथा निर्यात संवर्धन योजना।
3. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना।
4. मिल गेट कीमत योजना।
5. विविधीकृत हथकरघा विकास योजना।

विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत दिए जा रहे लाभ उत्पाद विशिष्ट नहीं हैं बल्कि वे हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए और इसमें लगे हुए बुनकरों के कल्याण के लिए हैं। तथापि, कानूनी संरक्षण प्रदान करने तथा सामान के अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के ध्येय से भारत सरकार विपणन तथा निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर भौगोलिक संकेतन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत वस्तु पंजीकृत करने के लिए 1.50 लाख प्रति उत्पाद तक सहायता देती है।

(ग) और (घ) वर्तमान में सोनपुर जनपद में वस्त्र प्रशिक्षण और विपणन इकाई स्थापित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। तथापि, उड़ीसा सरकार ने रिपोर्ट भेजी है कि सोनपुर और इसके समीप वाले जनपदों के बुनकरों को प्रशिक्षण सुविधा के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने सोनपुर जनपद में प्रशिक्षण-सह-उत्पाद केन्द्र स्थापित करने हेतु कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

घरेलू विमान क्षेत्र में विदेशी एयरलाइन

162. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार घरेलू विमानन क्षेत्र में विदेशी एयरलाइनों को अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव किसी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार को इस संबंध में किन विदेशी एयरलाइनों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कितना लाभ होने तथा घरेलू एयरलाइनों को कितनी हानि होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) विदेशी एयरलाइनों को घरेलू एयरलाइन में निवेश करने की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(घ) ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दवाओं/जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों में वृद्धि

163. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान दवाओं/जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन दवाओं/औषधियों के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) सरकार द्वारा दवाओं/जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में दवाओं/जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों को कम करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने दवाओं के मूल्य नियंत्रण तंत्र की समीक्षा हेतु कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की है/गठन करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ. 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध एवं उन पर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत हैं और उनके मूल्य डी.पी.सी.ओ. 95 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) द्वारा नियंत्रित/संशोधित किए जाते हैं।

गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य - उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान और विकास व्यय, व्यापार कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में सरकार द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

ओ.आर.जी., आई.एम.एस. की रिपोर्टों एवं अलग-अलग विनिर्माताओं द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर एन.पी.पी.ए. सभी फार्मूलेशनों के मूल्यों को मॉनीटर करता है। जहां कही भी 10% प्रति वर्ष (1-4-2007 से पहले 20%) से ज्यादा मूल्य वृद्धि पायी जाती है, वहां विनिर्माता को स्वेच्छा से मूल्य कम करने को कहा जाता है एवं इसमें असफल होने पर विहित शर्तों के अधीन, जन हित में डी.पी.सी.ओ., 1995 के पैरा 10(ख) के अधीन फॉर्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए कार्यवाही शुरू की जाती है। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के आधार पर एन.पी.पी.ए. ने पैरा 10(ख) के अधीन 27 गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन पैकों के मामले में मूल्य निर्धारित किए हैं एवं 60 फॉर्मूलेशन पैकों के मामले में कंपनियों ने स्वेच्छा से मूल्य घटाये हैं। इस प्रकार, एन.पी.पी.ए. के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप समग्र रूप से गैर-अनुसूचित औषधों के 87 पैकों के मूल्य में कमी आई है।

फरवरी, 2009 की ओ.आर.जी. आई.एम.एस. मासिक एस.एस.ए. रिपोर्ट के अनुसार 57249 फार्मूलेशन पैकों के मूल्य निम्नानुसार घटे/बढ़े हैं:

माह के दौरान मूल्य में परिवर्तन	दवाओं की सं. (पैक)	कुल का %
क. मूल्य घटे	19	0.03%
ख. मूल्य बढ़े	11	0.02%
(क) 5% तक	04	0.01%
(ख) 5% से अधिक और 10% तक	05	0.01%
(ग) 10% से अधिक और 20% तक	02	0.00%
(घ) 20% से अधिक	-	-
ग. मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं	57219	99.95%
कुल	57249	100.00%

चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 (28 जून, 2009 तक) के दौरान, एन.पी.पी.ए. द्वारा 481 दवा पैकों के मूल्य निर्धारित/संशोधित किए गए हैं, जिनमें से केवल 42 मामलों में लागत-अध्ययन के उपरांत मूल्य बढ़े थे जो कि वर्ष के दौरान कुल मूल्य निर्धारित/संशोधित मामलों का 8.7% है। शेष मामलों में, मूल्य या तो घटे थे या पहली बार निर्धारित हुए थे या मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

(घ) और (ङ) सरकार, ब्रांडेड दवाओं की तुलना में सस्ते मूल्यों पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में जन औषधि स्टोर्स खोल रही है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 के प्रारूप जिसे जी.ओ.एम. के पास विचार्रा संदर्भित किया गया था, में किए गए प्रस्तावों में दवाओं के मूल्य नियंत्रण तंत्र की समीक्षा शामिल है।

तेल कंपनियों को हानि

164. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेट्रोल उत्पादों की बिक्री पर पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन कंपनियों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार की आम आदमी तथा मुद्रास्फीति पर इसके प्रभाव को कम से कम रखने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी हां। 01 जुलाई, 2009 के लिए लागू रिफाइनरी गेट मूल्यों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पेट्रोल पर 5.82 रुपए प्रति लीटर, डीजल पर 3.62 रुपए प्रति लीटर, पी.डी.एस. मिट्टी तेल पर 15.26 रुपए प्रति लीटर तथा 14.2 कि.ग्राम के घरेलू एल.पी.जी. पर 92.96 रुपए प्रति सिलिंडर की अल्प-वसूलियां हो रही हैं।

(ग) से (ङ) चूंकि उपभोक्ताओं पर तेल मूल्यों में वृद्धि का पूरा दबाव अंतरित करने से घरेलू मूल्यों में तीव्र वृद्धि हो जाती, इसलिए सरकार बराबर भार वहन व्यवस्था का पालन कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो कि अल्प-वसूलियों का भार सभी पणधारियों अर्थात् सरकार, सार्वजनिक तेल कंपनियों और उपभोक्ताओं द्वारा बराबर मात्रा में वहन किया जाए।

वर्ष 2008-09 के दौरान सरकार ने ओ.एम.सीज को 71,292 करोड़ रु. के तेल बांड जारी किए, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के अपस्ट्रीम तेल उपक्रमों अर्थात् ओ.एन.जी.सी., ओ.आई.एल. तथा गेल ने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य छूट में 32,000 करोड़ रुपए का अंशदान किया है।

सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों की स्थिति की तत्परता से निगरानी कर रही है और उपभोक्ताओं, विशेषरूप से अधिक गरीब और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा करने के लिए समुचित निर्णय लेना जारी रखेगी।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नयन

165. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में राज्य सरकारों तथा निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ विदेशी वित्तीय सहायता भी मांगी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार संबंधी स्कीम के तहत सहायता अनुदान के रूप में कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 50.00 लाख रुपये है या दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा 75.00 लाख रुपये है, सहायता प्रदान करती है। मंत्रालय वर्ष-दर-वर्ष बजट प्रावधान के अंतर्गत वित्त की उपलब्धता के आधार पर एजेंसियों/उद्यमियों को सहायता अनुदान के रूप में राशि जारी करता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्य जांच प्रयोगशाला

166. श्री निशिकांत दुबे: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितनी खाद्य जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या ये प्रयोगशालाएं उद्योग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरती हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इन प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितनी प्रयोगशालाओं का उन्नयन/आधुनिकीकरण किए जाने की संभावना है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक इसके लिए कुल कितनी निधियां संस्वीकृत तथा व्यय की गई हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए अध्ययन के अनुसार देश में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में 312 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। इनके राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अध्ययन में पाया गया कि उनमें से केवल कुछ प्रयोगशालाएं ही उद्योग के घरेलू विनियामक परीक्षण तथा निर्यात परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्णत: सक्षम हैं।

(ग) और (घ) हालांकि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना नहीं करता है परन्तु यह अपनी योजना स्कीम के तहत खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन हेतु विभिन्न पणधारियों जैसे केंद्र/राज्य सरकारी संगठनों, भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, निजी क्षेत्र के संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा परिचालित स्कीमें राज्य विशिष्ट नहीं हैं। खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन हेतु राज्यों तथा अन्य

पणधारियों से प्राप्त प्रस्तावों पर इस मंत्रालय के मार्ग-निर्देशों के अनुसार विचार किया जाता है। 11वीं योजना के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का लक्ष्य देश में 74 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन करने का है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन हेतु 18.70 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।

विवरण

देश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	19
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
3.	असम	4
4.	बिहार	3
5.	दिल्ली	27
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	19
8.	हरियाणा	10
9.	हिमाचल प्रदेश	6
10.	जम्मू-कश्मीर	5
11.	झारखंड	2
12.	कर्नाटक	21
13.	केरल	15
14.	मध्य प्रदेश	13
15.	महाराष्ट्र	47
16.	मणिपुर	3
17.	मेघालय	1
18.	नागालैण्ड	1
19.	उड़ीसा	4
20.	पुडुचेरी	1
21.	पंजाब	7
22.	राजस्थान	16
23.	तमिलनाडु	30
24.	त्रिपुरा	1
25.	उत्तर प्रदेश	31
26.	पश्चिम बंगाल	19
27.	चंडीगढ़	5
	कुल	312

सामरिक तेल भण्डार की स्थापना

167. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कच्चे तेल के वैश्विक मूल्यों में वृद्धि के मद्देनजर सामरिक तेल रिजर्व/भण्डार स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने सितम्बर, 2005 में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिसर्च लिमिटेड (आई.एस.पी.आर.एल.), जो तेल उद्योग विकास बोर्ड की 100% सहायक कंपनी है, के माध्यम से तीन स्थानों यथा विजाग (1.0 मि.मी.टन) मैंगलोर (1.5 मि.मी.टन) तथा पाडूर, उडिपि (2.5 मि.मी.टन) में 5 मिलियन मिट्रिक टन क्षमता वाले एक कार्यनीतिक कच्चा तेल भंडार स्थापित करने का निर्णय लिया था। कच्चे तेल का यह कार्यनीतिक भंडार तेल कंपनियों के पास उपलब्ध कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के वर्तमान भंडारों के अतिरिक्त होगा। इन भंडारों से कच्चे

तेल को सरकार द्वारा नियुक्त एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा जारी किया जाएगा ताकि युद्ध जैसी अनिश्चित विश्वस्तरीय घटना आदि के कारण जिससे कच्चे तेल के मूल्यों में असमान्य वृद्धि होती हो, अथवा किसी प्राकृतिक आपदा आदि से होने वाली आकस्मिकता से, कच्चे तेल आपूर्ति की किसी भी अल्प अवधि बाधा से निपटा जा सके।

विशाखापटनम में भूमिगत गुफा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मैंगलोर में भूमिगत सिविल कार्यों के लिए कार्य आदेश सफल बोलीकर्ता को दे दिया गया है। पाडूर में भूमि अधिग्रहण से संबंधित परियोजना पूर्व गतिविधियां और अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है।

समान अवसर आयोग

168. श्री एम.आई. शानवास: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समान अवसर आयोग को फास्ट ट्रैक पर लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो समान अवसर आयोग को क्या उत्तरदायित्व सौंपा गया है;

(ग) क्या विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों ने इस बात को लेकर आपत्तियां उठाई हैं कि समान अवसर आयोग ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा महिलाओं और बच्चों हेतु बनाए गए पैनलों के अधिकार क्षेत्रों का अतिक्रमण किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा समान अवसर आयोग का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 4 जून, 2009 को संसद में दिए गए अभिभाषण में यह पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि समान अवसर आयोग का गठन किया जाएगा। समान अवसर आयोग की संरचना और इसकी कार्यप्रणाली से संबंधित अध्ययन और अनुशंसा करने संबंधी विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की जांच कर ली गई है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

तत्काल योजना

169. श्री अधलराव पाटील शिवाजी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "तत्काल योजना" के तहत यात्रियों को रेल के आरंभिक स्टेशन से लेकर अंतिम स्टेशन तक का पूरा किराया देना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस योजना में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) तत्काल योजना मुख्यत: प्रारंभिक से गंतव्य स्टेशनों तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए है। मध्यवर्ती स्टेशनों से चढ़ने वाले यात्रियों को ऐसी गाड़ियों में प्रारंभिक से गंतव्य स्टेशन तक किराये का भुगतान करके मध्यवर्ती स्टेशनों से चढ़ने की सुविधा के साथ इस सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है। ऐसा उपलब्ध स्थान का अधिकतम इस्तेमाल करने की दृष्टि से किया गया है।

कम मांग वाले खंडों पर, कतिपय मध्यवर्ती स्टेशनों पर भी तत्काल कोटा निर्धारित किया गया है ताकि प्रारंभिक स्टेशन से किसी ऐसे स्टेशन तक जो ऐसे मध्यवर्ती स्टेशन के पास हो, तक यात्रा करने वाले यात्री केवल उस मध्यवर्ती स्टेशन तक किराए का भुगतान करें।

उन गाड़ियों जिनमें शयनयान श्रेणी में तत्काल स्थान का औसत उपयोग 50% से कम हो, में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है तथा अपेक्षित तत्काल प्रभारों का भुगतान करने पर सामान्य कोटे की तरह तत्काल टिकटें बुक कराई जा सकती हैं।

(ग) और (घ) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास

170. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कुशल श्रमशक्ति की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव में देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अवसंरचना को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा सरकार द्वारा देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए और क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) जी हां। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुशल जनशक्ति का अभाव है, लेकिन मंत्रालय में ऐसे अभावों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जी हां। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी ढांचा विकास सुविधाओं के मामले में पिछड़ रहा है।

(घ) और (ङ) आधुनिक बूचड़खानों तथा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की कमी के अतिरिक्त प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों, महत्वपूर्ण विपणन केंद्रों, संग्रह केंद्रों, आपूर्ति श्रृंखला, शीत श्रृंखला ढांचा, बुनियादी ढांचा/मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा जैसे कृषि से संबंधित बुनियादी ढांचे में अंतर है जिसका दुष्प्रभाव खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास पर पड़ता है, परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में अपव्यय होता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट का लक्ष्य अन्यों के साथ-साथ वर्ष 2015 तक प्रसंस्करण स्तर में 6% से 20% तक, मूल्यवर्धन में 20% से 35% तक तथा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार में भारत के हिस्से में 1.5% से 3% तक की बढ़ोतरी करना है। इस संबंध में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण संबंधी बुनियादी सुविधाओं में रणनीतिक पहल की है जिसका लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखला के अंतरालों को भरना, शीतश्रृंखला संबंधी बुनियादी ढांचा विकास, मूल्यवर्धन संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और बूचड़खानों का आधुनिकीकरण करना है ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का समग्र विकास हो तथा अपव्यय में कमी हो सके। खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने मेगा खाद्य पार्क संबंधी एक स्कीम अनुमोदित की है जिसमें मेगा खाद्य पार्क में सहायक बुनियादी सुविधाओं और सुस्थापित सप्लाई श्रृंखला समेत अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं को शामिल करते हुए सुपरिभाषित कृषि/बागवानी प्रसंस्करण अंचल की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं और खुदरा व्यापारियों को एक मंच पर लाने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ना है ताकि अधिकतम मूल्यवर्धन, न्यूनतम अपव्यय और किसानों की आय में सुधार सुनिश्चित हो सके। इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य मूल स्तर पर प्रसंस्करण और अपेक्षित फारवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज द्वारा समर्थित एक समेकित मूल्यश्रृंखला की स्थापना को सुकर बनाना है।

11वीं योजना के दौरान अन्य रणनीतिक पहल में नियंत्रित वातावरण/संशोधित वातावरण शीतागारों, मूल्यवर्धित केंद्रों, पैकेजिंग केंद्रों तथा प्रदीपन सुविधाओं समेत समेकित शीतश्रृंखला और परिरक्षण बुनियादी ढांचा संबंधी स्कीम शामिल है। इस स्कीम के लाभ मूल्यवर्धन/प्रसंस्करण/बागवानी-परिरक्षण, डेरी, समुद्री और मांस क्षेत्र की समेकित परियोजनाओं को भी उपलब्ध होंगे। बुनियादी ढांचा विकास की एक अन्य स्कीम खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन है जिससे स्वदेशी उद्योग, निर्यातक उद्यमी, लघु और मध्यम उद्यम, विद्यमान शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान, खाद्य मानक निर्धारक निकायों समेत सभी पणधारियों को लाभ होगा।

इसके अलावा, मंत्रालय के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन संबंधी अनेक अन्य स्कीमें हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम का उद्देश्य नई प्रसंस्करण क्षमता का सृजन और वर्तमान प्रसंस्करण क्षमताओं का उन्नयन, दूध, फल और सब्जियां, मांस, पॉल्ट्री, मात्स्यिकी, अनाज, उपभोक्ता वस्तुएं, तिलहन, चावल मिलिंग, आटा मिलिंग, दाल आदि को शामिल करते हुए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है।

इसी प्रकार गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान और विकास और संवर्धनात्मक कार्यकलापों संबंधी स्कीम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रेरित करना है कि वे आई.एस.ओ. 14000, आई.एस.ओ. 22000, एच.ए.सी.सी.पी., जी.एम.पी., जी.एच.पी. सहित संपूर्ण गुणता प्रबंधन जैसे खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन तंत्र को अपना सकें और उन्हें इस प्रकार तैयार करना कि वे विश्व व्यापी संगठन प्रणाली के बाद के समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सार्वभौमिक प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें। इस स्कीम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि उत्पादन और प्रसंस्करण विकास, प्रोन्नत पैकेजिंग, मूल्यवर्धन, अनुसंधान एवं विकास कार्य के अंतिम उत्पाद/परिणाम/निष्कर्ष की शर्तों के अनुरूप खाद्य

प्रसंस्करण उद्योगों को लाभ पहुंचे ताकि वाणिज्यिक मूल्य समेत नवोत्पाद उत्पाद और प्रसंस्करण हो सके।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम खाद्य प्रसंस्करण में गुणवत्ता प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकीविदों, प्रबंधकों, उद्यमियों और जनशक्ति के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इस स्कीम का उद्देश्य स्थानीय रूप से पैदा होने वाली कच्ची सामग्री का उपयोग करते हुए इन उत्पादन व प्रशिक्षण केंद्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए ग्रामीण उद्यमशीलता का विकास और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण तथा "व्यावहारिक अनुभव" उपलब्ध कराना है।

संस्थानों के सुदृढ़ीकरण संबंधी स्कीम का उद्देश्य भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान की स्थापना जैसे विद्यमान संस्थानों का सुदृढ़ीकरण करना है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान का उद्देश्य देश और अंतर्राष्ट्रीय निकायों, दोनों में वर्तमान संस्थानों के बीच सहयोग और नेटवर्किंग का संवर्धन, स्वदेशी संसाधनों पर आधारित पूर्ण आंकड़े तैयार करना और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाना है। उपर्युक्त संस्थानों के अलावा, स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय के अंतर्गत दो बोर्ड भी गठित किए गए हैं अर्थात भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड और राष्ट्रीय मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड।

उपर्युक्त उल्लिखित स्कीमों के अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कतिपय राजकोषीय प्रोत्साहन दिए गए हैं। इनमें से कुछ हैं - फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों को आयकर के भुगतान से छूट, पैक किए हुए तैयार खाद्य इंस्टेट फूड मिक्सेज पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 8% किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शतप्रतिशत विदेशी इक्विटी के लिए स्वतः अनुमोदन।

हथकरघा क्षेत्र हेतु पैकेज

171. डा. एम. तम्बिदुरई: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में हथकरघा इकाइयों के सामने बंद होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के हथकरघा क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु पैकेज प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उनके राज्य की हथकरघा इकाइयों के सामने बंद होने का कोई खतरा नहीं है। जबकि असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि कुछ हथकरघा इकाइयों को यंत्रीकृत क्षेत्र, ऋण की अनुपलब्धता, बाजार अपेक्षाओं के अनुकूल न होने आदि के कारण बंद होने का खतरा है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने देश की हथकरघा सहकारी समितियों के अधिदेय ऋणों की माफी और 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए 3000 करोड़ रुपये का एक वित्तीय पैकेज तैयार किया है। इस पैकेज को वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार हथकरघा बुनकरों के विकास और कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

1. एकीकृत हथकरघा विकास योजना।
2. विपणन तथा निर्यात संवर्धन योजना।
3. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना।
4. मिल गेट कीमत योजना।
5. विविधीकृत हथकरघा विकास योजना।

तेल शोधन संयंत्रों का विस्तार/उन्नयन

172. श्री अधीर चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों ने भविष्य में अपना आयात बिल घटाने के लिए अपने-अपने तेल शोधन संयंत्रों का उन्नयन किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निवेश का क्या ब्यौरा है तथा इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(ग) इन कदमों/उपायों के माध्यम से सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का कितना लाभ बढ़ने की संभावना है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितना प्राप्त लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियां क्षमता विस्तार और मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन को इष्टतम करने के लिए रिफाइनरी उन्नयन परियोजनाओं का कार्य हाथ में लेती रही हैं। मूल्य वर्धित उत्पादों के इष्टतमीकरण से आस्रुत के उत्पादन के प्रतिशत में वृद्धि होती है, इस प्रकार आयात बिल में कमी आती है।

(ख) रिफाइनरी उन्नयन परियोजनाओं की अनुमानित लागत के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) रिफाइनरियों के विस्तार और उन्नयन में भारी निवेश होता है, इसलिए अपेक्षाकृत अधिक लाभ होना आवश्यक नहीं है क्योंकि तेल पी.एस.यूज का लाभ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में परिवर्तन, घरेलू बाजार में नियंत्रित उत्पादों (एम.एस., एच.एस.डी., एल.पी.जी., एस.के.ओ.) का खुदरा बिक्री मूल्य, घरेलू मांग, निर्यात की व्यवहार्यता, रिफाइनरी बन्द होना, परिवहन की समस्याएं, मौसमी गड़बड़ सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में रिफाइनरी का उन्नयन इसके लाभप्रद न होने पर भी करना होता है जैसे ऑटो ईंधन नीति के अनुसार ऑटो ईंधन की गुणवत्ता कार्यक्रम को पूरा करने के लिए ईंधन गुणवत्ता सुधार के लिए परियोजनाएं। रिफाइनरियों में किसी विस्तार/उन्नयन कार्यक्रम से होने वाला लाभ, मूल्य, गुणवत्ता उत्पादों, उन्नत वायु गुणवत्ता आदि के रूप में अन्ततः जनता को अन्तरित हो जाता है।

विवरण

परियोजना का नाम	ब्यौरे	अनुमोदित लागत (रु. करोड़)
1	2	3
(I) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली		
पानीपत में नफ्था क्रैकर इकाई	मूल्य योजित उत्पादों को तैयार करने के लिए पेट्रोरसायन परियोजना	14,439.00
गुजरात रिफाइनरी में अपशिष्ट श्रेणी उन्नयन तथा एम.एस./एच.एस.डी. गुणवत्ता सुधार परियोजना	बी.एस.-III/IV गुणवत्ता एम.एस. व एच.एस.डी. का उत्पादन आस्रुत प्राप्ति को 68% से बढ़ाकर 75% तक सुधार करना हाई सल्फर क्रूड की 26% से 58% तक बढ़ी हुई मात्रा का प्रसंस्करण	5882.00
हल्दिया रिफाइनरी का 6 से 7.5 मि.मी.ट.प्र. वर्ष तक रिफाइनरी विस्तार के साथ डीजल गुणवत्ता और आस्रुत प्राप्ति (हाइड्रोक्रैकर) परियोजना में सुधार	बी.एस.-III/IV गुणवत्ता एम.एस. व एच.एस.डी. का उत्पादन आस्रुत प्राप्ति को 64% से बढ़ाकर 67.3% तक सुधार करना रिफाइनरी का 6 से 7.5 मि.मी.ट.प्र. वर्ष तक क्षमता विस्तार	2869.00

1	2	3
पानीपत रिफाइनरी का 12 मि.मी.टन.प्र. वर्ष से 15 मि.मी.टन.प्र. वर्ष तक अतिरिक्त विस्तार परियोजना	12 से 15 मि.मी.टन.प्र. वर्ष तक कम लागत क्षमता विस्तार बी.एस.-III/IV गुणवत्ता एच.एस.डी. का उत्पादन	1007.83
पानीपत रिफाइनरी में एम.एस. गुणवत्ता श्रेणी उन्नयन परियोजना	बी.एस.-III/IV गुणवत्ता एम.एस. का उत्पादन	1131.00
मथुरा रिफाइनरी में एम.एस. गुणवत्ता श्रेणी उन्नयन परियोजना के तहत एफ.सी.सी. गैसोलीन डिसल्फराइजेशन इकाई की स्थापना	बी.एस.-IV गुणवत्ता एम.एस. का उत्पादन	348.00
बरौनी रिफाइनरी में एम.एस. गुणवत्ता श्रेणी उन्नयन परियोजना	बी.एस.-III गुणवत्ता एम.एस. का उत्पादन	1492.00
गुवाहाटी रिफाइनरी में एम.एस. गुणवत्ता श्रेणी उन्नयन परियोजना	बी.एस.-III गुणवत्ता एम.एस. का उत्पादन	372.00
डिग्बोई रिफाइनरी में एम.एस. गुणवत्ता श्रेणी उन्नयन परियोजना	बी.एस.-III गुणवत्ता एम.एस. का उत्पादन	356.00
डीजल हाइड्रो ट्रीटमेंट (डी.एच.डी.टी.) परियोजना, बोंगाईगांव रिफाइनरी	बी.एस.-III गुणवत्ता एच.एस.डी. का उत्पादन	1646.39
बोंगाईगांव रिफाइनरी में एम.एस. गुणवत्ता सुधार	बी.एस.-III गुणवत्ता एम.एस. का उत्पादन	293.60
(II) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.), मुंबई		
कोच्चि रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना	परिशोधन क्षमता का 7.5 मि.मी.टन.प्र. वर्ष से 9.5 मि.मी.टन.प्र. वर्ष तक विस्तार	3941
(III) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), मुंबई		
	(क) मुंबई रिफाइनरी	
हरित ईंधन व उत्सर्जन नियंत्रण परियोजना (जी.एफ.ई.सी.)	एम.एस. गुणवत्ता को यूरो III व IV तक श्रेणी उन्नयन करना	1850
एल.ओ.बी.एस. परियोजना	समूह-I के मौजूदा स्तर से एल.ओ.बी.एस. गुणवत्ता समूह-II/समूह-III तक श्रेणी उन्नयन करना	1030
न्यू एफ.सी.सी. परियोजना	1.45 मि.मी.टन.प्र. वर्ष क्षमता की न्यू एफ.सी.सी. की स्थापना	900.50

1	2	3
डीजल हाइड्रो ट्रीटर परियोजना	यूरो-III/IV एच.एस.डी. का श्रेणी उन्नयन/उत्पादन	3284
	(क) विजाग रिफाइनरी	
हरित ईंधन परियोजना	एम.एस. गुणवत्ता को यूरो III व IV तक श्रेणी उन्नयन करना	2147.80
डीजल हाइड्रो ट्रीटर परियोजना	यूरो-III/IV एच.एस.डी. का श्रेणी उन्नयन/उत्पादन	3597
(IV) मैंगलोर रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (एम.आर.पी.एल.), मैंगलोर		
क्षमता श्रेणी उन्नयन परियोजना	परिशोधन क्षमता का 9.69 मि.मी.ट.प्र. वर्ष से 15 मि.मी.ट.प्र. वर्ष तक विस्तार	12,412
(V) चैन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सी.पी.सी.एल.), मनाली		
आटो ईंधन गुणवत्ता श्रेणी उन्नयन परियोजना	यूरो-II/यूरो-IV विनिर्देशों को पूरा करने वाले एम.एस./एच.एस.डी. का उत्पादन	2615
रेसिड श्रेणी उन्नयन परियोजना	रिफाइनरी की आस्रुत प्राप्ति में सुधार	3350
एकल स्थल मूरिंग परियोजना	क्रूड ऑयल आयातों के लिए एक एस.पी.एम. ऑफ एन्नौर की स्थापना	850
(VI) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एन.आर.एल.), नुमालीगढ़		
डीजल गुणवत्ता श्रेणी उन्नयन परियोजना	यूरो-III एच.एस.डी. तथा यूरो-IV एच.एस.डी. की सीमित मात्राओं का उत्पादन	434.94

[हिन्दी]

रेलवे भर्ती बोर्ड

173. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो कतिपय ऐसी अनियमितताओं की जांच कर रहा है जिसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षाएं आयोजित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के प्रत्येक रेलवे जोन में रेलवे सतर्कता विभाग तथा अन्य जांच एजेंसियों द्वारा कदाचार और भ्रष्टाचार के कुल कितने मामलों को प्रकाश में लाया गया है; और

(घ) प्रकाश में आए मामलों में प्रत्येक श्रेणी के कार्मिक के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा वर्ष 2007 में आयोजित सहायक स्टेशन मास्टर की भर्ती में अनियमितताओं के संबंध में श्री वाई.ए. सिद्दीकी, तत्कालीन सचिव, रेल भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद तथा अन्य के विरुद्ध दिनांक 09-06-2009 के पंजीकृत मामला 0062009ए0022 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

(ग) रेलवे सतर्कता विभाग द्वारा निवारक जांचों द्वारा उजागर किए गए कदाचार तथा भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

रेलवे जोन	2006	2007	2008	2009 (मई तक)
मध्य	471	682	609	187
पूर्व	616	1057	323	148
पूर्व मध्य	642	583	636	103
पूर्व तट	163	92	25	79
उत्तर	961	882	1303	520
उत्तर पश्चिम	144	243	220	108
उत्तर मध्य	148	281	356	143
पूर्वोत्तर	443	1939	1166	442
पूर्वोत्तर सीमा	183	282	252	89
दक्षिण	685	923	895	318
दक्षिण मध्य	1506	1250	1023	599
दक्षिण पूर्व	127	275	314	210
दक्षिण-पूर्व मध्य	190	144	192	119
दक्षिण पश्चिम	106	527	1477	129
पश्चिम	1480	1121	677	331
पश्चिम मध्य	370	386	297	111
जोड़	8235	10667	9765	3636

(घ) रेलवे सतर्कता विभाग द्वारा सफलतापूर्वक की गई निवारक जांचों के परिणामस्वरूप अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्रवाई के लिए बुक किए गए कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:-

रेलवे जोन	2006		2007		2008		2009 (मई तक)	
	राज.	अराज.	राज.	अराज.	राज.	अराज.	राज.	अराज.
मध्य	4	430	11	576	7	971	1	210
पूर्व	5	507	7	420	0	252	3	121
पूर्व मध्य	0	314	3	422	17	599	0	99
पूर्व तट	4	203	1	181	0	95	10	71
उत्तर	5	1396	13	1116	12	1467	6	591
उत्तर पश्चिम	23	152	15	262	27	499	4	95
उत्तर मध्य	0	174	7	211	3	313	0	142
पूर्वोत्तर	2	379	25	816	14	794	7	196
पूर्वोत्तर सीमा	5	151	6	222	3	245	0	70
दक्षिण	5	782	13	886	12	854	6	212
दक्षिण मध्य	7	772	29	606	11	645	2	417
दक्षिण पूर्व	8	86	13	209	5	227	10	184
दक्षिण-पूर्व मध्य	0	152	6	130	4	216	0	108
दक्षिण पश्चिम	2	77	8	423	10	1444	1	104
पश्चिम	19	818	3	725	9	521	4	355
पश्चिम मध्य	0	314	0	316	0	257	0	106
जोड़	89	6707	160	7521	134	9399	54	3081

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.43 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदया** पीठासीन हुईं]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री प्रणब मुखर्जी।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदया, आपकी अनुमति से मैं आर्थिक समीक्षा 2008-2009 की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी. 14/15/09]

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): महोदया, मैं सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 67 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 2/2/2009-सी.एल.-वी, जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश देने की शक्ति प्रदान की गई है कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कंपनी अधिनियम, 1956 का कोई भी उपबंध (क) किसी भी सीमित दायित्व भागीदारी पर लागू होगा अथवा (ख) किसी भी सीमित दायित्व भागीदारी पर ऐसे अपवाद, उपांतरण और अनुकूलन के साथ, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, लागू होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी. 15/15/09]

अपराह्न 12.01 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

40वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिव: मैं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित 'शहरी आवास' विषय पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का 40वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.01½ बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

देश में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में हुई वृद्धि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री गुरुदास दासगुप्त।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: अब आप नोटिस भेजें। मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि वे आपकी बात सुनें।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री गुरुदास दासगुप्त जी बोल रहे हैं, आप शांत होकर उन्हें सुनिये।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): महोदया, हमें इस बात से बहुत आघात लगा है क्योंकि सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय तब लिया जब केवल कुछ ही घंटों में संसद की बैठक होने वाली थी। यह बजट सत्र है। सरकार केवल कुछ घंटे प्रतीक्षा कर सकती थी। वह आज संसद में मूल्य वृद्धि की घोषणा कर सकती थी। महोदया, मेरा विनम्रता से यह कहना है कि ऐसा न करके सरकार ने जानबूझ कर अनुचित संसदीय व्यवहार करने का

---

*यह प्रतिवेदन, अध्यक्ष लोक सभा के निदेशों के निदेश 71क(6) के अंतर्गत 8 अप्रैल, 2009 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष (चौदहवीं लोक सभा) को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

प्रयास किया है। यदि संसदीय भाषा में कहा जाए, तो यह कहा जा सकता है कि बजट सत्र से कुछ घंटे पहले सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना एक गंभीर अनुचित संसदीय व्यवहार है। महोदया, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आवश्यक जिन्सों और वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। सरकार कह रही है कि मुद्रास्फीति शून्य अथवा नकारात्मक है, परंतु यदि हम बाजार जाते हैं - आज मैं बाजार गया था और आलू 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा था - हम पाते हैं कि सभी आवश्यक जिन्स और वस्तुएं बहुत ऊंची कीमतों पर बेची जा रही हैं। इसे उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति कहते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई इस वृद्धि से मैं दोहराता हूं कि इस वृद्धि से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हो जायेगी।

इससे देश के किसानों पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे सिंचाई की लागत बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में जब वर्षा कम हुई है और देश पर सूखे का खतरा मंडरा रहा है, इस कदम से देश के किसानों के हितों पर काफी कुप्रभाव पड़ेगा।

महोदया, मैं नहीं जानता कि मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है या नहीं - यह निर्णय सरकार का है कि वह कैसे कार्य करती है - परंतु समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रिमंडल से मंजूरी नहीं दी गई थी। मैं नहीं जानता। सरकार इसका स्पष्टीकरण दे, परंतु मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): मंत्रिमंडल में इस पर चर्चा नहीं की गई थी।

श्री गुरुदास दासगुप्त: इसका अभिप्राय क्या है। बिना चर्चा के यह निर्णय कैसे पारित किया जा सकता है? मूल प्रश्न यह है कि वित्त मंत्री इस बात के लिए कैसे सहमत हो सकते हैं। हम आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं।

आर्थिक मंदी की स्थिति में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से - रेल मालभाड़े में वृद्धि होगी; इससे परिवहन की लागत बढ़ेगी; और इससे सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं में कीमतों में वृद्धि होगी। यह सरकार का गंभीर जन-विरोधी निर्णय है; यह एक गंभीर संसद-विरोधी कदम है और संसदीय व्यवहार की दृष्टि से अनुचित है। यह जन विरोधी कदम है। सरकार के इस निर्णय की निंदा के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं, और मुझे विश्वास है कि इस सभा का हर पक्ष सरकार को संसद में बिना शर्त क्षमा याचना करने और इस मूल्यवृद्धि को वापस लेने की मांग करेगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, हमने भी नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मैंने भी नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक): अध्यक्ष महोदया, जैसा कि पहले ही कहा गया है - कि आज सभा की बैठक होने के कुछ घंटे पहले की गई पेट्रोलियम उत्पादों में मूल्य वृद्धि अप्रत्याशित है। हमने संसदीय इतिहास में कभी नहीं सुना कि सभा की बैठक शुरू होने से कुछ घंटे पहले कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। यह अप्रत्याशित है...*(व्यवधान)*

महोदया, आपके पूर्ववर्ती लब्ध-प्रतिष्ठित अध्यक्षों ने कई बार टिप्पणी की है कि सभा की बैठक से ठीक पहले इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं के निर्देशित मूल्यों में वृद्धि अनुचित है और इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने इस संबंध में कहा है, और सभा में अन्य कई माननीय सदस्यों ने भी सरकार के इस रवैये पर रोष प्रकट किया है। मैं बीजू जनता दल की ओर से इस सभा में इसका पुरजोर विरोध करता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मूल्य वृद्धि को वापस ले, और महोदया, आपको भी इस प्रकार की मूल्य वृद्धि का अनुमोदन नहीं करना चाहिये...*(व्यवधान)*

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि अथवा यह प्रभार लगाए जाने के समय के संबंध में सभा में बहुत रोष है। अतः, महोदया, मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि इसके समय, संसदीय औचित्य और सभा में सुस्थापित परिपाटियों पर विचार करें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य, आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है। कृपया अपनी बात तीन मिनट तक ही सीमित रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार हेगड़े (उत्तर कन्नड़): महदोया, कल रात पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक किये गये हैं। क्या इस बारे में कैबिनेट और पार्लियामेंट को पता नहीं था? यह अचानक जो प्राइस हाइक किये गये हैं, यह एक प्रकार का अन्याय है। यह देश के किसानों और आम जनता के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है।

महोदया, इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि सभी ऑयल कंपनियां घाटे में हैं, लेकिन मेरे विचार से यह बात तर्कहीन है। 24 फरवरी, 2009 को राज्य सभा में डा. मुरली मनोहर जोशी और श्री शिवानन्द तिवारी जी ने जब इस बारे में प्रश्न पूछे थे कि क्या कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए सरकारी तेल कंपनियों के गत वर्षों में अर्जित लाभ का दो परसेंट सामाजिक सुधार कार्य-कलापों पर व्यय किया है? सरकार ने यह उत्तर दिया था कि पौना प्रतिशत से लेकर एक प्रतिशत तक गत वर्षों में इस हेतु व्यय किया गया है। इसके पूरे आंकड़े मेरे पास हैं। कुल मिलाकर वर्ष 2008-09 में 11 हजार सात सौ इक्यासी लाख रुपए लाभ में थे। उस लाभ में से पौना से लेकर एक प्रतिशत सरकार द्वारा सामाजिक सुधार कार्यों में बांटा गया था। क्या सरकार यह कहना चाहती है कि एक ओर तो ऑयल कंपनियां घाटे में हैं और दूसरी ओर सरकार यह बयान देती है कि पौना या एक प्रतिशत हमने अपने लाभ में से सामाजिक कार्य में दिया है।

क्या सरकार पार्लियामेंट का अपमान करना चाहती है या गुमराह करना चाहती है? मंत्री जी और प्रधान मंत्री से लेकर सभी मंत्रियों को इस सदन में उत्तर देना होगा कि हकीकत क्या है। अगर सचमुच घाटे में है तो इस दुविधा का उत्तर क्यों देना था? अगर यह उत्तर सच है तो आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का प्रयास क्यों किया गया? यह सदन के सामने रखना चाहिए और लोगों के सामने यह विषय जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपका समय समाप्त हो गया है, कृपया बैठ जाइए। श्री बसुदेव आचार्य जी।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, आज बजट सत्र की पूर्व संध्या पर...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया बैठ जाइए। हमने आपको कह दिया है आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी। बसुदेव आचार्य जी, आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, सरकार ने जिस प्रकार संसद के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर पेट्रोल में 4 रुपये और डीजल में 2 रुपये की वृद्धि करके पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, वह इस सभा की मानहानि है और इस संसद की मानहानि है। संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट सत्र की पूर्व संध्या पर ही अचानक सरकार ने दामों में बढ़ोतरी करने और उसे लागू करने का निर्णय लिया हो।

महोदया, अतीत में जब कभी सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ाए इसका अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी का अन्य वस्तुओं और परिवहन जैसे अन्य क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। बस मालिकों के संघ यह मांग कर रहे हैं कि बसों के किराए बढ़ाए जाएं और इससे रेलवे का माल भाड़ा भी प्रभावित होगा। कल, रेल बजट प्रस्तुत किया जाएगा और इससे सिर्फ एक दिन पहले मूल्यों में वृद्धि कर दी गई है।

जब लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं और सरकार सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण रखने में विफल रही है और जब लोग दबाव में हैं तो ऐसे में इस सरकार ने संसद के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं दिखाया। इसे गरीब लोगों और आम आदमी की कोई चिन्ता नहीं है। सरकार यही तरीका अपना रही है। यद्यपि हमने पहले भी सुझाव दिया था कि मूल्यों में बढ़ोतरी करने की बजाय सरकार करों और सीमा शुल्क, जो पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए जाते हैं, को कम करने पर विचार करे। सरकार ऐसा नहीं कर रही है और सरकार हमेशा पेट्रोलियम उत्पादों में बढ़ोतरी करने के उपाय का ही सहारा ले रही है। यह बहुत ही अनुचित बात है।...*(व्यवधान)*

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): आपकी सरकार ने पश्चिम बंगाल में क्या किया?...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही बजट सत्र की ठीक पूर्व संध्या पर यह सब किया गया है। ऐसा पहले भी हुआ है।

अध्यक्ष महोदया: श्री बसुदेव आचार्य। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं मांग करता हूं कि मूल्यों में की गई बढ़ोतरी को वापिस लिया जाए। सरकार को इसकी घोषणा सभा में ही करनी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया बैठ जाइए। अब आपकी बात रिकार्ड नहीं होगी। शैलेन्द्र कुमार जी आप बोलिये।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: यह रिकार्ड नहीं होगा। शैलेन्द्र कुमार जी आप बोलिये।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बड़ी जद्दोजहद के बाद बोलने का अवसर दिया।

महोदया, बजट के पहले सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। यह बहुत गलत है। ** रात के 12 बजे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना गलत है।...(*व्यवधान*)

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): महोदया, यह रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: यह परम्परा पूरे देश के लिए बहुत गलत है। इससे आवश्यक वस्तुओं के दाम, जो कि पहले से ही बढ़े हुए हैं, और बढ़ जाएंगे। सरकार को महंगाई घटानी चाहिए, लेकिन वह घटाने की बजाय बढ़ा रही है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया था कि सौ दिन में महंगाई घटाई जाएगी। लेकिन आपने घटाने के बजाय बढ़ा दी है। यह बहुत शर्मनाक है। आज पूरा देश सूखे की चपेट में है। किसान इस समय परेशानी में हैं। दाम बढ़ने से किसान पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि डीजल से उसके ट्रैक्टर और पम्प चलते हैं। दाम बढ़ने से ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस भी बढ़ेंगे। इससे लघु और मझोले उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ेगा। पूरे देश में बारिश नहीं हो रही है। मानसून में देरी होने के कारण पूरे उत्तर भारत को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। इसकी जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच दल भेजा जाना चाहिए। वहां पेयजल संकट है, सिंचाई का संकट है, इसे सरकार को गम्भीरता से देखना चाहिए।

आज सरकार ने अपने वोटरों से वादाखिलाफी की है, उनसे विश्वासघात किया है। आपने चुनाव में वायदा किया था कि हम महंगाई घटाएंगे। आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा था कि हम सौ दिन में महंगाई घटाएंगे। सरकार को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को तुरन्त वापस ले। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम सदन से लेकर गांव-गलियों, सड़कों तक लड़ाई लड़ेंगे।

महोदया, मैं मांग करता हूं कि सरकार की तरफ से इस पर तुरन्त जवाब आना चाहिए। यह पूरे सदन की भावना है कि बढ़े दामों को वापस लिया जाए। यहां तक कि सत्तापक्ष के सांसद भी यह कहते हैं कि हमने वायदा किया था कि महंगाई घटाएंगे, लेकिन अब वोटरों को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए पूरे सदन की भावना का आदर करते हुए, बढ़े हुए दामों को वापस लिया जाए। क्योंकि पूरा देश सूखे से जूझ रहा है, खासकर यूपी और बुन्देलखण्ड के जिले सूखे से प्रभावित हैं।

अध्यक्ष महोदया: कुछ माननीय सदस्य इसी विषय पर बोलना चाहते हैं, वे अपने को इससे संबद्ध कर लें, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री लालजी टंडन, श्री रामचन्द्र डोम, श्री ए. सम्पत्त।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): महोदया, हमने भी कहा था, लेकिन न हमें बोलने का अवसर दिया और न ही संबद्ध किया है। जो लोग जोर से बोले हैं, उन्हें मौका दिया गया है। हमारी पार्टी से श्री शरद यादव जी हैं,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया।

रामसुन्दर दास जी हैं, जो हमारे लीडर हैं, इन्हें बोलने का मौका दीजिए अथवा हमें बोलने का मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदया: जिनके नोटिस आए हैं, उन्हें बोलने का मौका दिया है अथवा संबद्ध किया है। जिनके नोटिस नहीं आए हैं, उन्हें भी बोलने का अवसर देंगे। आपको भी बोलने का अवसर देंगे। वैसे आपका नोटिस नहीं आया है। लेकिन फिर भी आप बोलिए। लेकिन तीन मिनट से अधिक समय तक बोलने नहीं दिया जाएगा।

श्री मुलायम सिंह (मैनपुरी): महोदया, आप तीन मिनट मत कहिए, दो या चार मिनट कहिए, क्योंकि तीन का अंक खराब होता है।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, दो कह देते हैं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, देश में बिजली का संकट है। पानी से जो बिजली बनती है, उसके बारे में दिल्ली से लेकर देश भर में बिजली का बहुत संकट है। मैं मानता हूं कि अकेले एक सरकार इसमें दोषी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो देश में सरकार का कहना है कि अकाल की स्थिति है, 10-12-15 परसैंट बरसात कम होगी। आज तक मौसम के बारे में वैज्ञानिकों को कोई पक्का इल्म नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में हाहाकार है। बिजली है नहीं, जलाशय सूख गए हैं और एकमात्र एक वाहिद रास्ता डीजल है, जिसके जरिए देश का किसान अपनी मेहनत से अनाज बनाता है। इन्होंने जिस तरह से डीजल के दाम बढ़ाए हैं, मैं मंत्री जी की बात सुन रहा था, ये मशीन जैसे आदमी हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जो डीजल है, यह आपात स्थिति है, संकट का काल है और इसमें आपने डीजल का दाम बढ़ाया है। डीजल हिन्दुस्तान के किसान का अकेले एकमात्र सहारा है। इसलिए सरकार को डीजल पर कोई रास्ता निकाल करके बढ़े हुए दामों को वापस लेने का काम करना चाहिए, यही मेरी विनती है। सरकार के बकौल इस देश में बरसात कम होगी। मैं कहना चाहता हूं कि इन बढ़े हुए दामों को इसी सदन में सरकार वापस लेने का काम करें। यदि आप यह नहीं मानते हैं तो सदन और देश चलने में बहुत कठिनाई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): अध्यक्ष महोदया, मैंने भी नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: हम अलग विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): जब भी कभी महंगाई बढ़ती है तो कमोबेश आम लोग हमेशा पीड़ित होते हैं। स्वाभाविक है कि किसी भी समय मूल्य वृद्धि से देश के आम लोगों के लिए कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। जहां तक तृणमूल कांग्रेस का संबंध है, हम अपने विचारों और सोच को सभा पटल पर रख रहे हैं और अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करना चाहते हैं। हम इस प्रकार की महंगाई से वास्तव में खुश नहीं हैं। हम जानते हैं कि विश्व में कच्चे तेल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए सरकार को इस स्थिति का सामना करना होता है लेकिन जब कभी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटते हैं तो सरकार इस सभा को आश्वासन दे कि विश्व बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में कटौती के हिसाब से घरेलू बाजार में मूल्य भी घटाए जाएंगे।

महोदया, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यदि आवश्यक हो तो सर्वदलीय बैठक के बाद राज्य सरकार विशेष रूप से पश्चिम बंगाल सरकार के साथ इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए क्योंकि हमारी बार-बार की गई अपीलों के बावजूद यह देश में सर्वाधिक उच्च दर से बिक्री कर वसूल कर रही है। वामपंथी सरकार होने के बावजूद इसने मूल्यों को कम करने के बारे में कभी नहीं सोचा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दे कि राज्य में बिक्री कर में कमी की जाए और केन्द्र सरकार को देश के सभी राज्यों में एक समान बिक्री कर प्रणाली शुरू करने के प्रयास करने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदया: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदया: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**...

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप बैठ जाइए। मुलायम सिंह जी, आप बोलिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, कृपया आप बोलिये।

...(*व्यवधान*)

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदया, यह आज पूरे देश का संकट है। किसान की प्राथमिकता के आधार पर तो है ही, लेकिन यह संकट इतना गहराया है कि किसान की खेती तो अब बर्बाद है। जो खरीफ की फसल समय पर बोनी थी, वह तो लगभग खत्म ही हो गई है और दूसरी तरफ पानी भी नहीं है, न खेत के लिए है, न पीने के लिए है। ताल-तलैया और नदियों में भी कुछ पानी रहता था, वह सारा का सारा खत्म हो गया। यह हम अपने जीवन का कह रहे हैं, हमारे गांव का तालाब, हमारे घर के सामने हमने कभी सूखते नहीं देखा, उसमें इन दिनों में भी 4-5 फुट पानी रहता था, लेकिन इस साल एक बूंद भी नहीं है।

लेकिन अफसोस यह है कि सरकार की तरफ से कोई चिन्ता ही नहीं है। यह भयानक स्थिति कोई एक दल के लिए ही नहीं है या हम लोग, जो बोल रहे हैं, उनकी नहीं है, ये लोग बैठे हैं, इनके सामने संकट है। ठीक कहा है कि कांग्रेस हो या बी.जे.पी. हो, कोई और दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, यह सवाल पूरे देश का है, पूरे दलों का है और इसलिए हम कहेंगे कि माननीय सोनिया जी, आप हस्तक्षेप कीजिए। यह भयंकर संकट है कि पीने के पानी और खेती के लिए पानी का क्या होगा। इस साल भाखड़ा नांगल बांध सूख गया, जब ये सूख गये तो फिर क्या बचा? पानी कहां से आयेगा, लेकिन आपको कम से कम किसानों को छूट देनी चाहिए थी कि आओ, हैण्ड पम्प के लिए पैसा ले जाओ और दो लगाओ, तीन लगाओ, आप पर ब्याज भी नहीं लगेगा और सस्ता भी देंगे। इससे कौन सा फर्क पड़ता है। 100-100, दो-दो सौ करोड़ रुपये पता चलता है, गायब हो गये। अगर किसान के लिए सौ करोड़ रुपये चले जायें तो क्या फर्क पड़ता है।

वह अन्न पैदा करेगा तो आपकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। यह देश की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित मामला है और आप समझते हैं कि हम विपक्ष के लोग इसलिए बोल रहे हैं, हम देश के लिए बोल रहे हैं। इतना गम्भीर संकट होने के बाद तमाम साथियों ने बता भी दिया है, किसान का तो है ही, किसानों के माने देश, किसान आज भी कम से कम 72 फीसदी खेती पर निर्भर हैं। जहां पहले 76-78 पर थे, उससे अब भी 72 फीसदी पर रह गये। आप बताइये, जब 72 फीसदी लोग परेशान हैं और वे लोग पैदा करते हैं तो आपकी सेना का और आपका पेट भरते हैं। जिनके पास खेती नहीं, शहर में रहते हैं, उनका पेट भरता है तो यह सवाल देश का है। देश के सवाल पर हम कहेंगे कि किसी तरह से नेता सदन, अच्छा होता कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए था, इतने महत्वपूर्ण सवाल पर प्रधानमंत्री को आना चाहिए था, चाहे भले ही दूसरे सदन में थे, वहां समय मांग लेते।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: कृपया समाप्त करें।

श्री मुलायम सिंह यादव: प्राइम मिनस्टर को बुलाना चाहिए। मैं तो आपसे अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री जवाब दें। आप प्रधानमंत्री को बुलाइये।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: कृपया समाप्त करें। लालू प्रसाद जी।

श्री मुलायम सिंह यादव: हम सब मान लेंगे। आप बोलेंगी नहीं, बोल तो दिया ही है। जितना बोल दिया, उतना ही करा दें। मैं कहता हूं कि हमें पानी चाहिए।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: अब रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

(*व्यवधान*)*...

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैडम, बढ़ोत्तरी का समय सही नहीं चुना गया। वर्ल्ड मार्केट में पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ज्यों-ज्यों दाम बढ़े हैं तो हर गवर्नमेंट में दाम बढ़ाने को स्वीकार किया गया है, लेकिन यह टाइम देश के लिए ठीक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को लोगों ने एक रिपोर्ट दी थी कि इस साल अनुमान से कम बारिश होगी। अब आद्रा नक्षत्र समाप्त हो गया, खत्म हो गया और इसमें बुआई का, सीड लगाने का भी समय खत्म हो गया। शरद यादव जी ने, मुलायम सिंह जी ने, हमारे सभी नेताओं ने, बासुदेव जी ने, सब लोगों ने ठीक कहा।...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उसमें हमारा टाइम खत्म हो जाएगा।...(*व्यवधान*) नेताओं में सब आ जाते हैं। अखबार में पढ़ा, तो हम लोग भी चौंके। कैबिनेट में मैं भी था, जब इस तरह के सेंसेटिव मामले आते थे, तो चर्चा होती थी। मैडम, डीजल का दाम बढ़ाते-बढ़ाते 35 रुपए प्रति लीटर हो गया है और पेट्रोल का दाम 48 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सिर्फ किसान ही नहीं, किसान के साथ जुड़ा हुआ मजदूर भी है, बसें हैं, जिनमें वह सामान ढुलाई करा रहा है, दो-तिहाई माल रेलवे को छोड़कर रोड सैक्टर से लदान होता है, उसी से माल जा रहा है। आखिर जब पैसा बढ़ेगा, तो दाम या टैक्स के रूप में खून किसका चूसा जाएगा? सरकार ने लोक-उपयोगी कार्यक्रमों की घोषणा की है, 100 दिन का कार्यक्रम बनाया है। एक तरफ से आप लोगों का खून निकाल रहे हैं, उनसे टैक्स वसूल रहे हैं और दूसरी तरफ से राहत देने की बात क्या करिएगा? आज चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। दो-तीन दिनों से हम लोग भले ही कहीं निकल रहे हों, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी बारिश हो रही है, सड़क पर भी लोग अब निकले हैं, लेकिन सब जगह उमस ही उमस है। सारी हालत ठीक नहीं है, ताल-तलैय्या, पोखरा-पोखरी, मनुष्य तो प्रभावित हुए हैं, भैंस धोने का भी पानी नहीं है। आप यह समझ लीजिए। बड़े पैमाने पर पशु भी मर रहे हैं और इन्सान भी मर रहे हैं। इसलिए ज्यादा भाषण न करते हुए यह कहना चाहूंगा कि इसके लिए टाइमिंग ठीक नहीं है। इसको खत्म करना चाहिए। मिडिल क्लास, निम्न मिडिल क्लास जो मोटरसाइकिल से चलते हैं, जो लोग बुलेट से चलते हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। ये सारे पत्रकार धनी नहीं हैं। ये मोटरसाइकिल और स्कूटर में बैठकर आते हैं। इसको 47 रुपए प्रति लीटर करना ठीक नहीं है। एम.पी. की तनख्वाह, एम.एल.ए. की तनख्वाह, फिर लोगों में घूमना, हमको यह चालाकी नहीं करनी चाहिए, इन लोगों ने मैडम को सही सुझाव नहीं दिया है। मैडम को लोग बताये नहीं होंगे।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त कीजिए। आप तीन मिनट से कहीं ज्यादा बोल चुके हैं।

श्री लालू प्रसाद: मैडम, जब मैडम की बात हुयी, तो आप क्यों रोक रही हैं?...(*व्यवधान*) मैं अपनी बात जल्दी ही समाप्त कर दूंगा। मैडम, इसमें पार्टी की बदनामी होती है, सरकार तो है ही, इसलिए इसको रोल बैक करिए और वापस करिए। जब हमारी इकानामी ठीक हो जाए, स्थिति ठीक हो जाए, जब एग्रीकल्चर ठीक हो, किसानों का प्रोडक्शन हो जाए, तो फिर इसे बढ़ाना हो तो बढ़ाइएगा। यह भी बहस चल रही थी कि सरकार इसे अपने जिम्मे न ले, तेल कंपनियों को दे।

अध्यक्ष महोदया: लालू प्रसाद जी, अब आप समाप्त करिए।

श्री लालू प्रसाद: इसलिए इसको रोल बैक करिए, वापस कर लीजिए। आप इसको ज्यादा प्रेस्टीज ईश्यू नहीं बनाइए। हमारे नेताओं ने ठीक कहा है, यह देश का सवाल है, इसको वापस लीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): अध्यक्ष महोदया, आज पूरे देश में सूखे की स्थिति है। आज किसान परेशान हैं और ग्रामीण क्षेत्र में आम आदमी पेयजल से भी त्रस्त है। उनके पास पीने का पानी नहीं है, यह स्थिति है। जब देश में सूखे की स्थिति है, तब आपने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, जिसका सीधा असर माल ढुलाई पर होता है, यातायात पर होता है, आम आदमी पर होता है, किसानों पर होता है। आज पूरे देश में जब सूखे की स्थिति है, किसान परेशान हैं, हमारे यहां पहली बार जो बीज बोए गए, वर्षा न होने के कारण वे धूप से जल गए, आज दोबारा बीज बोने की स्थिति महाराष्ट्र में है। लगभग देश के हर हिस्से में यही स्थिति है कि दोबारा बीज बोने पड़ेंगे। जब किसान परेशान हैं, ऐसी हालत में सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाये हैं। इसका प्रभाव आज जीवनावश्यक वस्तुओं पर हुआ है, जैसे रात में आपने डीजल के दाम बढ़ा दिए, सुबह हर चीज के दाम बढ़ गए। आप किसी भी जीवनावश्यक वस्तु को आज खरीदिए, उसके दाम बढ़े हैं। पूरा देश जब सूखे से लड़ रहा है, ऐसे समय सरकार को जनता को राहत देने की आवश्यकता है, किसान को राहत देने की आवश्यकता है, उसके बजाए आपने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, आम-आदमी और किसानों के ऊपर बोझ बढ़ा दिया है। मैं सदन के माध्यम से आपके द्वारा यह मांग करता हूं कि आज ही के आज यहां सरकार की ओर से बयान दिया जाए कि डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दाम तुरंत वापस लिए जाएं।

अध्यक्ष महोदया, यह मामला केवल सदन से जुड़ा हुआ नहीं है, देश की 70 फीसदी जनता से जुड़ा हुआ है। मुलायम सिंह जी ने सही कहा कि आज देश की 70 फीसदी जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और खेती पर निर्भर है। आज आदमी पीने के पानी के लिए तरस रहा

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

है। कुएं सूख गए, तालाब सूख गए, हमारे बड़े-बड़े डैम सूख गए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: देश का सबसे बड़ा भाखड़ा नांगल जैसा डैम, जहां से चार राज्यों को सिंचाई के लिए पानी जाता है, आज हर राज्य की पानी की कटौती के लिए भाखड़ा नांगल मैनेजमैंट बोर्ड को आदेश दिए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: ऐसी स्थिति में आज जो दाम बढ़ाए गए हैं, सरकार तुरंत पैट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम वापिस ले और किसानों को राहत दे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरूम्बुदूर)**:** महोदया, जहां तक तमिलनाडु का संबंध है प्रत्येक वर्ष 12 जून को मेट्टूर बांध को सिंचाई हेतु खोला जाता है परन्तु आज तक इस विशिष्ट बांध को खोला नहीं गया है क्योंकि यह प्रायः सूख चुका है। इस बांध में 30% पानी भी नहीं है। पानी साथ लगे हुए कर्नाटक राज्य से आता है। परन्तु कर्नाटक भी सूखे की चपेट में है। इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई है।

तमिलनाडु के किसान कुएं से सिंचाई पर निर्भर हैं तथा कुएं से सिंचाई करने हेतु डीजल सबसे महत्वपूर्ण घटक है। परन्तु हमारे मित्रों ने डीजल की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर से वृद्धि की है। निश्चित तौर पर, जैसाकि विपक्ष के कुछ मित्रों तथा हमारे अपने सहयोगियों ने यह कहा है कि डीजल की कीमत में वृद्धि करने का यह उचित समय नहीं है। डीजल की कीमत में वृद्धि करने का यह उचित समय नहीं है। एक बहुत ही खराब समय पर कीमत में वृद्धि की गई है। सरकार यह कहेगी कि इस कीमत में वृद्धि से उसका कोई लेन देना नहीं है और यह तेल कंपनियों द्वारा लिया गया एक व्यावसायिक निर्णय है परन्तु इसके साथ ही हमें अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिये। ए.पी.एम. नहीं है परन्तु साथ ही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ए.पी.एम. है। सरकार निश्चित तौर पर हस्तक्षेप कर सकती थी क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का हिस्सा इन कंपनियों में है। इसलिये यह बात अच्छी तरह से जानते हुए कि आज से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, कल रात्रि में की गई यह वृद्धि कहीं भी न्यायसंगत नहीं है।

महोदया, यह सरकार एक दल की सरकार नहीं है। यह कांग्रेस, तृणमूल, डी.एम.के. तथा अन्य दलों द्वारा बनाई गई सरकार है। यह चिन्ताजनक स्थिति है जहां पर डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार, जिसका मैडम सोनिया गांधी जी और डा. कलाईगनार ने समर्थन किया है इस प्रकार का निर्णय ले रही है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस मामले पर कम से कम दलों के नेताओं के साथ चर्चा की जानी चाहिये अथवा कम से कम मंत्रिमंडल में चर्चा की जानी चाहिये। मैं सरकार की इस कार्यवाही की पुरजोर निंदा करता हूं।

महोदया, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये। कांग्रेस का कनिष्ठ मित्र और सहयोगी होने के नाते, मेरा यह कहना है कि इस तरह की बातें दोहरायी नहीं जानी चाहिये। मैं एक बार फिर से यह अनुरोध करता हूं कि डीजल के मूल्य में की गई वृद्धि को वापिस लिया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी)**:** अध्यक्ष महोदया, आपने हमें मूल्य वृद्धि के बारे में बोलने का मौका दिया, इसलिए हम आपके ध्यान में यह बात लाना चाहते हैं कि आज जिस तरह पूरे देश में सूखे की स्थिति है, यहां के सारे जनप्रतिनिधियों को इस बात का एहसास है कि आज पूरे देश के किसान परेशान हैं। उनकी बुवाई से लेकर सिंचाई तक बाधित रही है। बिजली की समस्या रही है। पानी न होने के कारण देश की बड़ी-बड़ी पनबिजली परियोजनाएं बंद होने के कारण बिजली की समस्या खड़ी रही।

पिछली बार जब इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाये, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां के किसानों को राहत देने के लिए बिक्री कर में कमी करके पूरे प्रदेश को राहत देने का काम किया था। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से इस सरकार ने सदन शुरू होने के ग्यारह घंटे पहले ही देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि करके निश्चित रूप से देश के किसान और आम जनता को धोखा देने का काम किया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज

सरकार किसान हित के लिए, देश हित के लिए सदन में ही इस मूल्य वृद्धि को वापस लेने की घोषणा करे। धन्यवाद।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): अध्यक्ष महोदया, कल जो पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़े, उसका इम्पैक्ट कॉमन मैन पर काफी पड़ रहा है। यह गवर्नमैंट कॉमन मैन के अगेन्स्ट काम कर रही है और उनके वेल्फेयर को दिक्कत में डालने के लिए इस तरह के डिसीजन्स ले रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से समाज के सभी सर्किल में ट्रांसपोर्ट के रेट्स भी बढ़ जायेंगे। इसके कारण फार्मर्स पर इसका भार पड़ेगा और जो चिल्ड्रन्स आटो और स्कूटर में जाते हैं, उन सबके ऊपर भी इसका भार पड़ेगा। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि

[अनुवाद]

"कीमतों में वृद्धि करना आवश्यक हो गया था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिसम्बर के महीने में कच्चे तेल की कीमत प्रति बेरल 70 अमरीकी डॉलर हो जाने से दोगुनी हो गई है।"

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि ऐग्जैक्टली एक साल पहले 4-7-2008 में क्रूड ऑयल का रेट 147 डालर था जो अभी 70 डालर पर आया है। मूल्य कम करने के बजाय, काफी बढ़ा दिये गये हैं। पिछले पांच सालों में यह सरकार एक बार नहीं बल्कि सात-आठ बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा चुकी है। अभी सरकार इस साल में ही आठ बार दाम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एक किसान को ट्रैक्टर में 50-100 लीटर डीजल भरने में परेशानी आ रही है। आंध्र प्रदेश में एयरपोर्ट पर जो ट्रैफिक फ्यूल दिया जा रहा है, वह डीजल से भी सस्ते रेट पर दिया जा रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट यहां से फ्यूल लेकर बाहर जा रही है, उन्हें अपने फार्मर्स से भी कम रेट पर पेट्रोल मुहैया कराया जा रहा है।...(*व्यवधान*) मैं यह मांग करना चाहता हूं कि इस मूल्य वृद्धि को सरकार तुरंत वापस ले।

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाये गये हैं, उन्हें घटाया जाये, क्योंकि यह सिर्फ किसान और मजदूर की ही बात नहीं है, आम जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सरकार जनादेश लेकर सदन में आयी है, तो उसे डर क्यों है? पार्लियामैंट शुरू होने से पहले ही आधी रात को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाये गये। हम जानते हैं कि इससे पार्लियामैंट की गरिमा को भी धक्का लगता है। हम बाहर से आये हैं। हम ऐसा समझते थे कि हर चीज के दाम पार्लियामैंट से पास होकर ही बढ़ते हैं, लेकिन यहां उलटा हो रहा है। सरकार को इतना डर क्यों है? सरकार इस ओर ध्यान दे कि पार्लियामैंट की गरिमा नष्ट न हो और जन साधारण पर जो बोझ बढ़ाया जा रहा है, वह हल्का हो। सरकार ने जो प्रतिज्ञा की थी कि हम सौ दिन में कुछ काम करेंगे, लेकिन वह उसका उलटा करती जा रही है। मैं चाहूंगा कि साधारण लोगों को दुर्व्यवस्था से बचाने के लिए सरकार ने जो प्रतिज्ञा की है, वह उस पर आगे बढ़े। यही आवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला): महोदया, आज जो मसला इस वक्त जेरे गौर है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने के सिलसिले में, इसमें यह स्थिति बन गयी है कि न पाए मंदन, न जाए रफ्तन, अर्थात न एक जगह सरकार बैठ सकती है, न आगे बढ़ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से सरकार की मजबूरियां जेरे गौर हैं। इस तरफ से जो कहा गया है, उसकी हर्फ-ब-हर्फ मैं भी ताकीद करता हूं। लेकिन यह एक इंसानी मसला है, सूखा पड़ा है, पानी की किल्लत है, किसान परेशान हैं, लोग परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई बढ़ ही रही है, आबादी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, परेशानियां बढ़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम सरकार के खुलूस और नेकनीयती पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। मेरा इसमें एक सुझाव है कि सरकार जितनी भी पार्टीज के लीडर्स हैं, उनको कांफिडेंस में लेकर, कमरे में बैठकर बात कर ले, उसके बाद इस बारे में जो सही राय सामने आए, उस पर अमल किया जाए।

हम लोग सरकार की मजबूरियां भी समझ सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े हैं तो सरकार के पास कोई दूसरा चारा नहीं रहा है। यह किसी पार्टी का मसला नहीं है, यह सियासत का मसला नहीं है। यह सारे देश के लोगों को राहत देने का मसला है। इसमें सरकार सबसे आगे चलेगी। सभी लोग बैठ करके, बजाए इसको बहस का मौजूं बनाएं, झगड़े का मौजूं बनाएं, बातचीत करें। कुछ लोगों ने कहा कि इसे लेकर सड़कों पर जाएंगे। ...(*व्यवधान*) सड़कों से आप लोग वापस आए।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप लोग शांत हो जाइए।

श्री शरीफुद्दीन शारिक: सड़कों पर जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सड़कों पर जाकर आपने अपना हाल देख लिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है।

मेरी गुजारिश है कि लीडर्स बैठ कर विचार करें। प्रधानमंत्री जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी की सिन्सियरिटी में कोई परेशानी नहीं है। वे भी चाहेंगे कि इस देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले। मेरा सुझाव है कि सारे नेतागण, सारे लीडर्स इकट्ठे बैठकर, इस पर एक मुशतरका राय कायम करें और वह मुशतरका राय सरकार की पॉलिसी बने।

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर): अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार ने कल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। हमारी पार्टी ए.आई.ए.डी.एम.के. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरुद्ध है। इससे आम आदमी प्रभावित होता है। आम आदमी की सहायता करने के बजाय इस सरकार ने कीमतों में वृद्धि कर दी है, इससे अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ेगा।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जाए और पुरानी कीमतें बहाल की जाए। इसके अतिरिक्त जब बजट सत्र चल रहा है तो उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। यह व्यवस्था को प्रभावित करता है। अत: मैं एक बार फिर सरकार से निवेदन करता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जाए जिससे कि आम आदमी प्रभावित न हो।

***डा. रतन सिंह अजनाला** (खडूर साहिब): माननीय अध्यक्ष महोदया आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज बजट सत्र का पहला दिन है। केन्द्र में नई सरकार आयी है। परन्तु सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि कर लोगों के कल्याण की अनदेखी की है। इस वर्ष कम वर्षा होने की भविष्यवाणी की गई है। मानसून असफल हो सकता है। इन परिस्थितियों में, डीजल की कीमत में दो रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। किसान पहले ही विकट परिस्थितियों में हैं ...(*व्यवधान*) माननीय अध्यक्ष महोदया यह कांग्रेस पार्टी की पुरानी परम्परा है। यह अनुचित समय पर ऐसे उपहार देशवासियों को देती हैं। एक ओर निर्धन और असहाय किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए। कृपया बैठ जाइये।

श्री जे.एम. आरुन रशीद (थेनी): महोदया, आपत्तिजनक शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाना चाहिए। वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? (*व्यवधान*) उन्हें इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। इस शब्द को कार्यवाही से निकाला जाए।

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाएं। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

अध्यक्ष महोदया: डा. अजनाला जो कह रहे हैं केवल उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

[हिन्दी]

डा. रतन सिंह अजनाला: मैडम, कांग्रेस की पुरानी आदत है तोहफे देने की। ये हिन्दुस्तान के लोगों को हमेशा अच्छे तोहफे देते हैं। यह भी बहुत बड़ा तोहफा दिया है। एक तरफ किसान मर रहे हैं, खुदकुशी हो रही है, दूसरी तरफ सरकार ने डीजल की कीमत बढ़ा दी है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइये। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

(*व्यवधान*)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अजनाला जी, आप बोलिए।

डा. रतन सिंह अजनाला: मैडम, मैं दूसरी बार इस सदन में आया हूं। जब भी मैं बोलता हूं, कांग्रेस पार्टी के लोगों को बहुत तकलीफ होती है, हमेशा ही होती है। जो ये कहते हैं, वह मानते नहीं हैं।...(*व्यवधान*) आज लोग पानी

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के लिए तरस रहे हैं। किसान पानी और बिजली के अभाव में मर रहे हैं, उस पर सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, तो यह उनके साथ बहुत ज्यादती है। मैं अपने सभी साथियों के साथ हूं, जिन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने की निंदा की है। हमारी पार्टी की राय है कि ये बढ़े हुए दाम तुरंत वापस लिए जाने चाहिए।

[अनुवाद]

श्री नरहरि महतो (पुरूलिया): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। आज सत्र का पहला दिन है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी की है। जहां तक एक आम आदमी का संबंध है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण विद्यार्थी कारोबारी और विभिन्न वर्गों के व्यक्ति अत्यंत कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके माध्यम से मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जाए और इस वृद्धि को वापस लिया जाए।

[हिन्दी]

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): मोहतरमा, मैडम स्पीकर, आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, तो मैं आपके चेम्बर में आपसे मिलने गया था। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप मुझे बोलने का मौका दें, क्योंकि कल जब मैं अपने क्षेत्र पलामू से आ रहा था, जो चतरा के नजदीक है, मैं आपको बताना चाहता था कि वहां के हजारों किसानों ने राष्ट्रपति जी के पास इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन किया है। इच्छा मृत्यु यानी कि हमें मरने की इजाजत दी जाए। पलामू के छतरपुर के तीन हजार किसानों ने राष्ट्रपति जी को आवेदन देकर इच्छा मृत्यु मांगी है, क्योंकि वहां तीन साल से बारिश नहीं हुई है। इस वजह से वहां हजारों जानवर मर गए और लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं।

श्री लालू प्रसाद: क्या कोई परमीशन लेकर भी मरता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: नामधारी जी, अभी जो विषय चल रहा है, वह पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: मैडम, यह विषय उसी के साथ है। मैं उसी के साथ कोरिलेट कर रहा हूं। जब वहां के किसान सुनेंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं, तो यह उनके लिए जले पर नमक छिड़कने के समान होगा। इसलिए सरकार को निश्चित रूप से यह सोचना चाहिए। आपको याद होगा कि चुनाव के पहले मुरली देवरा जी ने ही दाम घटाए थे, मुस्कराते हुए घटाए थे। क्या आज आपको जनता की मुस्कराहट देखने की इच्छा नहीं है? हम उन किसानों को क्या कहेंगे जो मरना चाहते हैं? अभी तो घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे, मरकर भी न चैन पाया तो किधर जाएंगे। मरने के बाद भी चैन न मिला तो क्या करेंगे। मुरली जी, आप मार्केट में जाएं, तब आपको पता चलेगा कि आटा और दाल का क्या भाव है। तब आप खुद कहेंगे कि पहले ज्यादा का दाम था, अब थोड़े का दाम है। पहले जो दर्जन का दम था, अब जोड़े का दाम है। पहले जो घोड़े का दाम था, अब कोड़े का दाम है। कोड़ा यानी चाबुक, उसकी अब इतनी कीमत हो गई है, जितनी पहले घोड़े की हुआ करती थी। इसलिए आप जनता के जले हुए जख्मों पर नमक न डालें और बढ़े हुए दामों को वापस लेने का कष्ट करें। मैडम सोनिया जी इस विषय पर इंटरवीन करें। जैसा गुरुदास दासगुप्त जी ने कहा कि यह संसद का अपमान है कि बजट सत्र शुरू होने के कुछ घंटे पहले दाम बढ़ा दिए। यह कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट है। इसलिए इसे वापस लेकर इस गलती की क्षतिपूर्ति कीजिए। अगर ऐसा करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इससे जनता राहत महसूस कर सकेगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): सभापति महोदया, कल रात सरकार ने मनमाने तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला किया। महोदया, इसके तीन पहलू हैं जिन्हें मैं सदन में रखना चाहती हूं। पहला पहलू संसदीय शिष्टाचार की अवहेलना का है। सरकार को मालूम था कि कल सुबह संसद का सत्र शुरू हो रहा है और माननीय सांसद यहां इकट्ठा होने वाले हैं, लेकिन संसद के फर्श का उपयोग न करते हुए बाहर ऐलान करने का काम जो सरकार ने किया है सरकार ने संसदीय औचित्य के सिद्धांत का उल्लंघन किया है।

दूसरा पहलू आम आदमी के साथ विश्वासघात का है। आम आदमी के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार ने दाम बढ़ाकर पहला उपहार आम आदमी को दिया है। हाथ के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार ने पहला काम आम आदमी की जेब पर हाथ डालने का किया है। मध्यम वर्ग के

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

लिए मोटर-साईकिलों की बात की गयी, किसान के जेनरेटर के डीजल की बात की गयी। उन दोनों के साथ स्वयं को सम्बद्ध करते हुए मैं उस गरीब की बात करना चाहती हूं जो न मोटर-साईकिल चलाता है न स्कूटर चलाता है, जिसके पास न जेनरेटर है न मोटर है, जो केवल प्याज से रोटी खाता है, ये दाम उसकी जिन्दगी को प्रभावित करने वाले हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम अप्रत्यक्ष रूप से हर उस चीज के दाम को बढ़ाते हैं जोकि ढुलकर आती है। इसके कारण माल-ढुलाई और माल-भाड़े के दाम बढ़ेंगे, इसलिए नमक और चटनी से रोटी खाने वाला गरीब भी इससे प्रभावित होगा।

महोदया, इसका तीसरा पहलू संदेह का है। माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर किन कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने ये दाम बढ़ाए हैं? अभी हमारी ओर से माननीय अनंत कुमार हेगड़े जी ने बोलते हुए आपके सामने आंकड़े रखे कि सरकारी ऑयल कंपनियां घाटे में नहीं मुनाफे में हैं। उन्होंने यह बात कोई अपनी तरफ से गढ़कर नहीं कही, बल्कि सरकार की ओर से दिये गये उत्तर में से आंकड़ा निकालकर उन्होंने दिया है। वे तमाम कंपनियां आपको डिविडेंट देती हैं। आप बताइये कि जब सरकारी कंपनियां घाटे में नहीं चल रहीं, इंटरनेशनल मार्किट में दाम नहीं बढ़े, तो आप लोगों ने ये दाम बढ़ाने का फैसला क्यों किया और गुपचुप तरीके से क्यों किया? नेता सदन यहां बैठे हुए हैं और मैं मांग करती हूं कि इस पूरी बहस के बाद नेता सदन स्वयं खड़े होकर जवाब दें या माननीय प्रधान मंत्री जी दूसरे सदन से आयें और वे हमारा समाधान करें और समाधान केवल तब होगा, जब इन दामों को वापस लेने की घोषणा सरकार करेगी। जैसा मैंने कहा कि आज पूरे हिंदुस्तान में त्राहि-त्राहि मची हुई है। गरीब, मजदूर, किसान से लेकर आम आदमी आज त्रस्त है। इसलिए मैं मांग करती हूं कि नेता सदन स्वयं या माननीय प्रधान मंत्री जी इन दामों को वापस लेने की घोषणा करें, तभी संतोषजनक समाधान हो सकेगा। धन्यवाद।

डा. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): यह नेता सदन की राय से ही हुआ होगा या उनके बजट के घाटे को छुपाने के लिए हुआ होगा, इसलिए उनका उत्तर तो बहुत आवश्यक है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: क्या सरकार इसका उत्तर देना चाहती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): जी हां, महोदया।

महोदया, आपकी अनुमति से मैं इस विवरण को पढ़ना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : कृपया थोड़ा जोर से बोलिये।

श्री मुरली देवरा: ठीक है। आपकी आवाज जोर से सुनी तो कान में दर्द हो गया। अब आप प्लीज हमारी बात भी सुन लीजिए।

[अनुवाद]

जब जून 2008 में भारत में कच्चे तेल की कीमत अपने सर्वाधिक ऊंचे स्तर 142/बी.बी.एल. डॉलर से गिरकर दिसंबर, 2008 में 40 डॉलर प्रति बैरल हो गई, तो सरकार ने इस गिरावट को ध्यान में रखते हुए दो महीने की अवधि के भीतर दो चरणों में पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए प्रति लिटर और डीजल की कीमत में 4 रुपए प्रति लिटर की कटौती की। तत्पश्चात्, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत दिसंबर, 2008 में 40 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर आज लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। दिसंबर माह से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 75 प्रतिशत की वृद्धि है, किन्तु संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा विक्रय मूल्यों में तदनुसार वृद्धि नहीं किए जाने के फलस्वरूप ओ.एम.सी. का घाटा बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2009-10 के दौरान, भारत में कच्चे तेल की कीमत औसतन 70 डॉलर प्रति बैरल होने पर ओ.एम.सी. की भरपाई पूरी नहीं हो सकी जो अनुमानत: 70,200 करोड़ रुपए थी।

अपराह्न 1.00 बजे

मूल्य संशोधन में किसी भी विलंब से ओ.एम.सी. की नकदी की स्थिति में संकट उत्पन्न हो गया होता जिसके परिणामस्वरूप देश भर में सुचारू आपूर्ति और अनिवार्य ईंधन के वितरण पर प्रभाव पड़ता।

तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हो रही, निरंतर वृद्धि

को ध्यान में रखते हुए और चूंकि देश अपनी तेल की आवश्यकताओं का 75 प्रतिशत से अधिक आयात करता है, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सीमांत वृद्धि अपरिहार्य हो गई थी...(*व्यवधान*)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): यह सीमांत वृद्धि नहीं है...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य: यह सीमांत वृद्धि नहीं है...(*व्यवधान*)

श्री मुरली देवरा: आपने कितनी बार वृद्धि की है और आपने कितनी कीमत बढ़ाई थी, मैं आपको इसके आंकड़े दूंगा।

तथापि, मूल्य वृद्धि पर विचार करते समय, सरकार ने 'आम आदमी' और समाज के कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखा है। तद्नुसार, 6.94 रुपए प्रति लिटर की वांछित वृद्धि की तुलना में, पेट्रोल की खुदरा कीमत में केवल 4 रुपए प्रति लिटर की वृद्धि की गई। इसी प्रकार, जैसा कि आप जानते हैं कि 4.11 रुपए प्रति लिटर की वांछित मूल्य वृद्धि की तुलना में डीजल के खुदरा मूल्य में केवल 2 रुपए प्रति लिटर की वृद्धि की गई...(*व्यवधान*)

गरीबों और मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत देने के लिए सरकार ने पी.डी.एस. मिट्टी के तेल और घरेलू एल.पी.जी. के खुदरा मूल्यों में एक रुपए या एक पैसे की भी वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया है। प्रति लिटर पी.डी.एस. मिट्टी तेल पर सरकार 15.26 रुपए और घरेलू एल.पी.जी. के प्रत्येक सिलेंडर पर सरकार 92.96 रुपए का भार वहन करती है। इन दो उत्पादों की रियायती मूल्यों पर अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार वर्ष 2009-10 में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित राजसहायता भार का वहन करने के लिए तैयार है। एल.पी.जी. और पी.जी.एस. केरोसीन पर एक पैसे की भी वृद्धि न हो इसके लिए सरकार 30,000 करोड़ रुपए का बोझ वहन करेगी...(*व्यवधान*)

महोदया, हम माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखेंगे और यदि कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आती है तो हम इस पर उपयुक्त कार्रवाई करेंगे...(*व्यवधान*) साथ ही मैं राज्य सरकारों से अपील करूंगा कि वे अपनी ओर से पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए बिक्री कर में संशोधन करके इसमें कटौती करने का प्रयास करें। महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न दो बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष जी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें वापस कराइये।...(*व्यवधान*) सरकार ने जो जवाब दिया है, वह स्पष्ट नहीं है।...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): उपाध्यक्ष जी, पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ाये गये हैं, उन्हें वापस लेंगे या नहीं, यह नहीं बताया गया है, यह बताना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर सरकार ने जो गलत काम किया है, वह उन्हें घटा रही है या नहीं। यह घटाने पड़ेंगे। ...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य: यह दाम घटाने ही पड़ेंगे, यह हमारी मांग है, सरकार इसे वापस ले।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: अभी नियम 377 के अधीन मामलों का टाइम है। मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: आइटम नम्बर 6, नियम 377 के अधीन मामले, श्री एन.एस.वी. चित्तन आप बोलिये।

...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, 377 बाद में ले लीजिए। ...(*व्यवधान*)

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह देश और सदन की भावना है कि पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि वापस हो।...(*व्यवधान*) यह सदन की अवमानना है। ...(*व्यवधान*)

अपराह्न 2.03 बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामले सदन में पढ़े जाते हैं, यह कोई बहस नहीं।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपने स्थानों पर जाएं और वहीं से बात करें तो अच्छा होगा।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपने स्थानों पर जाएं।

...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, 377 टेबल पर ले कर दीजिए।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: 377 में माननीय सदस्यगण अपनी बात रखते हैं, आपको भी चान्स मिलेगा, तब आप भी अपनी बात रखियेगा।

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 2.54 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) ई.आई. टैन्ड लेदर पर निर्यात शुल्क समाप्त किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): महोदय, तमिलनाडु के डिंडीगुल और त्रिच्ची भारत में ई.आई. टैन्ड लैदर (शोधक चमड़े) (सेमी-फिनिश्ड लैदर) के अकेले उत्पादक हैं। यह उद्योग दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाता है।

भारत सरकार ने ई.आई. टैन्ड लैदर के निर्यात पर 15 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है। यूरोपीय और अन्य विदेशी देश जो भारत से ई.आई. लैदर खरीदते थे अब वे कम मूल्य पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हमारे पड़ौसी देशों से खरीदते हैं क्योंकि इन देशों में इस लैदर पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाता है।

ई.आई. टैन्ड लैदर का निर्माण अकेले डिंडीगुल और त्रिच्ची में किया जाता है और इस लैदर का समग्र उत्पादन भारत में कम है। इसलिए वास्तविक निर्यातों के मामले में भी निर्यात आय बहुत कम है।

इसलिए ई.आई. टैन्ड लैदर पर निर्यात शुल्क की समाप्ति से भारत सरकार को कोई राजस्व हानि नहीं होगी। यही नहीं, लघु विनिर्माताओं जो इस पारंपरिक व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं, को भी व्यवसाय संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और उनको बहुत लाभ होगा।

इसलिए, मैं हमारी सरकार से ई.आई. टैन्ड लैदर (सेमी फिनिश्ड लैदर) पर यह 15 प्रतिशत का निर्यात शुल्क हटाने और लघु विनिर्माताओं के हितों की रक्षा करने का अनुरोध करता हूं...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपने स्थान पर जायें।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर जायें। यहां 377 का मामला उठाया जा रहा है, कोई डिबेट नहीं है।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आप अपनी सीटों पर नहीं जायेंगे तो मैं हाऊस एडजर्न कर दूंगा।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: बाकी बचे नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जायें।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

(दो) सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों पर थोपी गई शुल्क वृद्धि की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

***श्री विलास मुत्तेमवार** (नागपुर): सरकार ने हाल ही में उच्चतम श्रेणी के आजीवन सी.जी.एच.एस. कार्ड का शुल्क 12,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया है। शुल्क में यह वृद्धि बहुत अधिक और मौजूदा सीमा के अनुपात में बहुत ज्यादा है। स्पष्ट है कि इससे सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के समक्ष बहुत विकट कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी जिनको सी.जी.एच.एस. सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इतनी भारी भरकम धनराशि खर्च करनी होगी। लोगों के स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के लिए अधिकतम बजटीय सहायता का आवंटन करने की सरकार की योजना को देखते हुए सी.जी.एच.एस. कार्ड के लिए इस प्रकार की बढ़ोतरी से सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए न केवल भारी परेशानी और वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाएगा अपितु इससे वे मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं से भी वंचित हो सकते हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में यह महसूस किया गया है कि सरकार को सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों के लिए सी.जी.एच.एस. शुल्क में बढ़ोतरी की समीक्षा करनी चाहिए और इसको न्यायोचित और व्यवहारिक बनाना चाहिए ताकि यह सेवानिवृत्त कार्मिकों की वित्तीय पहुंच के अन्दर बनी रहे।

(तीन) शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए बनाई गई योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नि:शक्तता अधिनियम, 1995 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

***श्री जय प्रकाश अग्रवाल** (उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदय, हमारे देश की 5-6 प्रतिशत जनसंख्या मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम है। केन्द्र सरकार द्वारा उनके कल्याण एवं प्रगति के लिए अशक्त अधिनियम 1995 बनाया गया है। अशक्त लोगों को राहत देने के लिए यह अपने आप में एक अच्छा कदम है। लेकिन इस अधिनियम को बने कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, परन्तु इसको अभी तक पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। इसलिए समय की मांग को देखते हुए अक्षम लोगों के लिए सामाजिक ढांचे में परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता है एवं साथ ही साथ इस अधिनियम में परिवर्तन करके उसमें कुछ साकारात्मक गतिविधियों से संबंधित नीतियां भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

उदाहरणार्थ, आंकड़ों के अनुसार भारत में 3 प्रतिशत सरकारी नौकरियां शारीरिक रूप से अशक्त लोगों हेतु आरक्षित हैं। लेकिन लगभग 70 मिलियन लोगों में से मात्र एक लाख लोग ही अब तक सरकारी नौकरी पाने में समर्थ हुए हैं। हमारे देश में 75 प्रतिशत अक्षम लोग पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं लेकिन इनमें से 49 प्रतिशत लोग ही शिक्षित हैं तथा प्राथमिक आवश्यकताओं के अनुसार भारत के ज्यादातर सार्वजनिक स्थान अक्षम व्यक्तियों के लिए सहयोगी नहीं है एवं अब तक ऐसी कोई समिति भी नहीं बनायी गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इससे संबंधित प्राधिकरण इस कानून की नीतियों को पूरी तरह लागू कर सके।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह एक समिति बनाकर अक्षम व्यक्तियों के और अधिक कल्याण हेतु एवं इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके इसे और अधिक प्रभावी बनाए जाने हेतु समुचित कदम उठाये।

(चार) उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय पूल से अतिरिक्त बिजली का आवंटन किए जाने की आवश्यकता

***श्री जगदम्बिका पाल** (डुमरियागंज): महोदय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रिड से उत्तर प्रदेश को विद्युत आपूर्ति समुचित मात्रा में दिये जाने के बावजूद पूरे राज्य में गंभीर विद्युत संकट पैदा हो गया है। केन्द्र के निर्देश के बावजूद राज्यों द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु जो प्रयास किये जाने चाहिए उस दिशा में विगत बीस वर्षों से कोई नया विद्युत गृह स्थापित नहीं हुआ है। बार-बार घोषणाओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को चार घंटे भी विद्युत उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पीने के पानी का भी संकट हो गया है। स्थिति अत्यंत विस्फोटक है। जनता में रोष है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राज्य में बिजली संकट के समाधान के लिए राष्ट्रीय ग्रिड से अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा माना गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा माना गया।

(पांच) केरल में तुरावूर में काल्लीक्काविला के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर दो लेन वाले बाईपास का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्री के.सी. वेणुगोपाल** (अलप्पुझा): मैं अलप्पुझा बाईपास परियोजना, जो कि वर्ष 1980 में शुरू की गई अलप्पुझा जिले की स्वप्निल परियोजना है, के संबंध में सभा के ध्यान में यह महत्वपूर्ण मुद्दा लाना चाहता हूं। इस परियोजना के दूसरे चरण को दिनांक 30 जून, 2008 को पूरा किया गया था। इसमें कुल 7005 मीटर प्रस्तावित सड़क परियोजना में से 2502 मीटर सड़क तथा दो रेल उपरि पुलों का पूरा होना शामिल है। इसके साथ ही उक्त परियोजना हेतु आवश्यक शेष भूमि को अलप्पुझा समुद्रतट पर अभी तक अधिग्रहीत नहीं किया गया है। एन.एच.ए.आई. को तुरावूर से काल्लीक्काविला तक राष्ट्रीय राजमार्ग-47 के चार लेन वाली परियोजना हेतु अलप्पुझा समुद्रतट पर 1040 मीटर लंबी तथा 45 मीटर चौड़ी भूमि की आवश्यकता है। यह भूमि यदि अधिग्रहीत की जाती है तो इससे ऐतिहासिक प्रसिद्ध अलप्पुझा समुद्रतट की प्राकृतिक सुंदरता नष्ट हो जायेगी। अलप्पुझा में लोगों के मनोरंजन के लिए एकमात्र क्षेत्र यही है। एक विशेष मामले के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर प्रस्तावित चार लेन वाले बाई-पास की बजाए दो लेन वाले बाई-पास का निर्माण बेहतर है। यह परियोजना अलप्पुझा हेतु बहुत जरूरी मानी गई है। लोग विगत 29 वर्षों से इस परियोजना के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः, सरकार को इस परियोजना को तात्कालिक आधार पर लेना चाहिये तथा उक्त कार्य हेतु निधियां जारी करनी चाहिये।

(छह) हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरिपार (जौनसार बाबर) क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

***श्री वीरेन्द्र कश्यप** (शिमला): महोदय, हिमाचल प्रदेश के शिमला संसदीय क्षेत्र के जिला सिरमौर के गिरिपार (जौनसार बाबर क्षेत्र) को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग हिमाचल प्रदेश के जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय जनता कई वर्षों से करती आ रही है, लेकिन अभी तक इसे जनजातीय क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा माना गया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि उक्त क्षेत्र से मिलता हुआ क्षेत्र उत्तराखंड में भी पड़ता है, लेकिन उत्तराखंड में पड़ने वाले क्षेत्र को भारत सरकार ने जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले क्षेत्र को, जिसकी सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति बिल्कुल एक समान है, जनजातीय क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। इसके कारण वहां जनता में रोष और क्षोभ व्याप्त है। वहां नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और न वहां का आर्थिक विकास हो रहा है। यह एक विसंगति है। अतः मेरा निवेदन है कि गिरिपार (जौनसार बाबर) के चहुंमुखी विकास हेतु भारत सरकार तत्काल प्रभाव से उसे जनजातीय क्षेत्र घोषित करे।

(सात) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

***योगी आदित्यनाथ** (गोरखपुर): महोदय, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख व्यापारिक और शिक्षा का केन्द्र भी है। लगभग 3 करोड़ से ऊपर आबादी के बीच एकमात्र विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 1956-57 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश अपितु बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति का एकमात्र केन्द्र है। राज्य सरकार के संसाधन सीमित होने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और सम्पूर्ण क्षेत्र के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में विश्वविद्यालय की जो महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए वह अत्यंत ही सीमित रह गई है।

कृपया गोरखपुर के धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाये।

(आठ) हिमाचल प्रदेश में भानुपल्ली-बिलासपुर-बेर, घनौली-बद्दी, नांगल-तलवाड़ा और बिलासपुर-मंडी-मनाली-लेह रेल लाइन परियोजनाओं पर कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

***श्री अनुराग सिंह ठाकुर** (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश पर्वतीय एवं सीमावर्ती प्रदेश है। आजादी के

*भाषण सभा पटल पर रखा माना गया।

62 वर्षों में अब तक केवल 33 किलोमीटर रेल लाइनें प्रदेश में बनी हैं। भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण की घोषणा वर्ष 2008-09 के बजट में की गयी, किन्तु अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। घनौली बद्दी बड़ी रेल लाइन निर्माण की घोषणा वर्ष 2007-08 के बजट में की गयी थी, किन्तु केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध न कराए जाने के कारण पंजाब के जिला रोपड़ के घनौली से उक्त रेल लाइन का लिंक हिमाचल प्रदेश के बद्दी औद्योगिक क्षेत्र से दिए जाने के रेलवे के वैकल्पिक प्रस्ताव पर अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। निर्माणाधीन नंगल-तलवाड़ा बड़ी रेल का कार्य दो वर्ष में पूर्ण करने हेतु इस वर्ष के बजट में पर्याप्त धन आबंटित किया जाए और बिलासपुर-मंडी-मनाली-लेह/लद्दाख बड़ी रेल लाइन का निर्माण सामरिक महत्व, पर्यटन और क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है। अतः इस रेल लाइन के निर्माण को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए।

(नौ) आगरा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन शहर के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

***प्रो. रामशंकर** (आगरा): आगरा शहर में पांच विश्वस्तरीय स्मारक हैं जिनको देखने के लिए दुनियाभर से वी.आई.पी., लोग आते हैं। किन्तु 25 लाख की आबादी वाले आगरा शहर का कोई ऐसा स्वरूप नहीं है जिसे देखकर कोई भी पर्यटन प्रसिद्ध शहर कह सके। दुनिया में सर्वाधिक पर्यटक आगरा में आते हैं। यहां पर आने वाले विदेशी मेहमान जिनमें राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री एवं अन्य वी.वी.आई.पी. शामिल हैं उन पर इस शहर में फैली गन्दगी का बुरा प्रभाव पड़ता है। सन् 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं जिसमें दुनियाभर के लोग जो दिल्ली आयेंगे, वे सभी सम्भवतः आगरा भी आयेंगे। यहां पानी, बिजली, सड़क, सफाई की समस्या तथा पर्यटकों के लिए अन्य मनोरंजन का कोई साधन नहीं है जिससे यहां कोई पर्यटक रुकता नहीं है। ताजमहल की सुरक्षा के लिए बैराज बहुत जरूरी है जिससे ताजमहल के नीचे की लकड़ी और पत्थर सुरक्षित रह सके। यहां कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा का साधन नहीं है। अतः यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना आवश्यक हो गया है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा दर्शनीय शहर आगरा को केन्द्र शासित शहर चण्डीगढ़ की तरह इंटरनेशनल सिटी के रूप में विकसित करने हेतु तथा विकास के लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज दिया जाए।

(दस) उत्तर प्रदेश के सूखा प्रभावित कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

***श्री शैलेन्द्र कुमार** (कौशाम्बी): महोदय, देश में सूखे की स्थिति व्याप्त है। समय से मानसून न आने के कारण यह स्थिति बनी है। मेरे संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी प्रतापगढ़ में सूखे से नलकूप सिंचाई एवं पेयजल हैण्डपम्प कार्य करना बन्द हो गए हैं जो कि जल स्तर 15 मीटर नीचे गिरने से हुआ है। सम्पूर्ण कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी व प्रतापगढ़ जिलों के कुण्डा व बाबागंज विधान सभाओं में नहरों तथा माइनर रजबाहों में पानी नहीं आ रहा है। बहुत सी नहरों की सफाई भी नहीं हुई है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र को सूखा क्षेत्र घोषित करते हुए भारत सरकार एक जांच दल भेजे तथा उपरोक्त एरिया के सभी जगहों पर लगान की नहरों व नलकूपों की वसूली रोकते हुए माफ किए जाएं तथा विशेष पैकेज देकर सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कृषकों को आर्थिक मदद करें तथा जानवरों के चारे तथा पेयजल की व्यवस्था तत्काल हो।

(ग्यारह) बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

***श्री कौशलेन्द्र कुमार** (नालंदा): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा में तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा स्वीकृत रेल परियोजनाओं के मंद गति से चलने की ओर, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पटना-इस्लामपुर वाया फतुहां रेलवे लाइन पर रेल परिचालन हो रहा है लेकिन इस्लामपुर से नटेसर रेलवे लाइन का कार्य प्रारंभ है लेकिन पच्चीस प्रतिशत मिट्टी का काम भी नहीं हुआ है और कार्य बहुत ही धीरे-धीरे चल रहा है। राजगीर-नटेसर रेलवे लाइन बनकर लगभग तैयार है, लेकिन हॉल्ट और स्टेशन का कार्य बहुत ही धीरे चल रहा है। फलस्वरूप रेलवे लाइन, परिचालन का कार्य रुका हुआ है। दनियावां-शेखपुरा रेलवे लाइन का काम अधूरा है।

रेल कोच फैक्ट्री, हरनौत (नालंदा) का काम भी अभी

*भाषण सभा पटल पर रखा माना गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा माना गया।

[श्री कौशलेन्द्र कुमार]

अधूरा है और कार्य बहुत ही मंद गति से चल रहा है। इस फैक्ट्री का शिलान्यास, माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. कलाम के हाथों हुआ था। बख्तियारपुर-राजगीर रेलवे लाइन का दोहरीकरण भी बहुत ही धीरे-धीरे चल रहा है, जिससे रेलवे परिचालन में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि उपरोक्त सभी योजनाओं को तीव्र गति से कार्यान्वयन के लिए यथाशीघ्र कार्रवाई करें ताकि परियोजनाएं अपने निर्धारित समय में ही बनकर तैयार हो जाये।

(बारह) कोलकाता विश्वविद्यालय के पात्र चिकित्सकों (रेडियोथेरेपिस्ट) को एम्स, नई दिल्ली में डी.एम. मेडिकल ऑनकोलॉजी का अध्ययन करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***डा. रत्ना डे** (हुगली): मेरे क्षेत्र के कुछ लोगों ने यह बात मेरे ध्यान में लायी है कि कोलकाता विश्वविद्यालय से एम.डी. रेडियोथेरेपी करने के पश्चात उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से डी.एम. मेडिकल ऑनकोलॉजी में अध्ययन करने की अनुमति नहीं है जबकि उन्हें टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई में अध्ययन की अनुमति है। कोलकाता विश्वविद्यालय का एम.डी. रेडियोथेरेपी पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है। कोलकाता के अनेक डाक्टर टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के बजाय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, संस्थान नई दिल्ली से अध्ययन करने को प्राथमिकता देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करती हूं कि वे इसमें पहल करें जिससे कि वे डाक्टर जिन्होंने कोलकात्ता विश्वविद्यालय से रेडियोथेरेपी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से डी.एम. मेडिकल ऑनकोलॉजी का अध्ययन कर सकें।

(तेरह) तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में रह रहे बीड़ी कर्मकारों के लिए पर्याप्त कल्याणकारी उपाय किए जाने की आवश्यकता

***श्री डी. वेणुगोपाल** (तिरुवन्नामलाई): धूम्रपान की आदत जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है को निरूत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनेक उपाय जैसे विधेयक लाने, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पाबंदी लगाने, विज्ञापनों पर प्रतिबंध, धूम्रपान के दुष्प्रभाव को दर्शाने वाले प्रतीक और दंडात्मक उपाय जैसे शास्ति आदि लगाने जैसे कदम उठाए गए हैं। इससे तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन और बेचने में लगे लाखों लोगों की आजीविका को प्रभावित किया है। बीड़ी उत्पादन करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को कल्याणकारी उपायों के अभाव में गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया है। बीड़ी में तम्बाकू भरने, तेंदू पत्ते में तम्बाकू भरने, लेबल लगाना और छोटी ईकाइयों में बीड़ी के बंडल बनाने जैसे कार्यों में लगे हजारों बीड़ी कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को हानिकारक तम्बाकू से खतरा पैदा हो रहा है। बीड़ी कामगारों को चिकित्सा सुविधा के अभाव में उनमें से अधिकांश अनेक बीमारियों से ग्रस्त हैं। यद्यपि उन्हें चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने और बीड़ी कामगारों के बच्चों को गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए योजनाएं हैं परन्तु वे अधिकांश कागजों पर ही हैं। उनके पास कौशल विकास और प्रशिक्षण के अवसर नहीं है, इसके कारण उन्हें अन्य नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बीडी कामगारों के परिवारों के लिए आवास की सुविधा अभी भी एक सपना है।

इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा यह आग्रह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरूवन्नामलाई के आस-पास जैसे वेल्लूर, तिरूपत्तूर, वनियामपडी के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हजारों बीड़ी कामगारों तथा गांवों तथा छोटे उपनगरीय कस्बों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को केन्द्र प्रायोजित आवासीय योजनों में कवर किया जाए। मेरा सरकार से यह भी आग्रह है कि इसे एक प्रयोगिक परियोजना के रूप में मेरे लोक सभा क्षेत्र तिरूवन्नामलाई से आरम्भ किया जाए।

(चौदह) मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र बनाने संबंधी पर्सी मिस्त्री समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

***श्रीमती सुप्रिया सुले** (बारामती): वर्ष 2005-06 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते समय, मुंबई को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के मुद्दे पर विचार किया गया था। तद्नुसार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने श्री पर्सी मिस्त्री, अध्यक्ष, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल ग्रुप की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति गठित

*भाषण सभा पटल पर रखा माना गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा माना गया।

की। समिति ने 10 फरवरी, 2007 को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना होगा। राज्य सरकार ने राज्य सरकार से संबंधित सिफारिशों पर कार्रवाई आरंभ कर दी है। केंद्र सरकार से संबंधित मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:-

1. विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय रुपया बांड बाजार को खोलना;
2. 'स्पॉट करेंसी' मार्केट की रचना करना;
3. विद्यमान विभाजित दृष्टिकोण से अलग एक वित्तीय बाजार का एकीकरण करना;
4. वर्तमान अधिक रूढ़िगत नियम आधारित विनियमों से सिद्धांत आधारित विनियमों की दिशा में बदलाव करना;
5. केवल आर्थिक सेवाओं पर सामान्य बिक्री कर (जी.एस.टी.) लगाना, अन्य करों को समाप्त किया जाए;
6. अंतरराष्ट्रीय कानून संबंधी फर्मों को देश में कार्य करने की अनुमति देना।

महाराष्ट्र सरकार ने पर्सी मिस्त्री समिति की सिफारिशों का समयबद्ध कार्यान्वयन करने के लिए भारत सरकार के समक्ष कार्यबल, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व हो गठित करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है।

अत:, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया इस प्रस्ताव पर विचार करें और पर्सी मिस्त्री समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन करें।

(पन्द्रह) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर अनाईकराई में कोल्लीडैम नदी पर सड़क पुल का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता

***श्री ओ.एस. मणियन** (मईलादुतुरई): मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर अनाईकराई में कोल्लीडैम नदी पर एक नया सड़क पुल निर्माण करने की नितांत आवश्यकता है। यह सड़क तमिलनाडु में यात्री और वाहन यातायात की जीवन-रेखा है। कोल्डीडैम पुल सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से भी जलाशय के रूप में कार्य करता है। वर्तमान पुल का रख-रखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। पुल में दरार आने के कारण इस 150 वर्ष पुराने पुल को दुपहिया वाहनों के अलावा बाकी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। अब वाहनों को चेन्नै पहुंचने के लिए मईलादुतुरई और चिदंबरम के रास्ते घुमावदार मार्ग से 100 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करना पड़ता है। इस मार्ग पर भीड़ के कारण यातायात भी बहुत धीमीगति से चलता है। यह अनुमान है कि अनाइकराई में नए पुल के निर्माण के लिए 128 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस धनराशि को तुरंत मंजूर किया जाए। इस बीच, यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए पुल के समीप सेतुपथ का निर्माण किया जाए।

(सोलह) दिल्ली और हरिद्वार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

***श्री संजय सिंह चौहान** (बिजनौर): महोदय, उत्तर प्रदेश के दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य को शुरू हुए दो वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन आज भी इस मार्ग का कार्य पूरा होने में काफी समय लगने की पूरी संभावना है। देश का सबसे बड़ा महाकुंभ का आयोजन वर्ष 2010 में आयोजित किया जा रहा है; दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात का काफी दबाव है, लेकिन इस राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य समय पर पूरा नहीं किया जा रहा है। प्रतिदिन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। केन्द्र इस मार्ग को शीघ्र पूरा करने की जिम्मेदारी स्वयं अपने हाथों में लें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा कल 3 जुलाई, 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.07 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 3 जुलाई, 2009/12 आषाढ़, 1931(शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा माना गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा माना गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री मधु गौड यास्खी	1
2.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	2
3.	श्री एस.एस. रामासुब्बु	3
4.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	4
5.	डा. एम. तम्बिदुरई श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	5
6.	श्री एम.के. राघवन श्री के.सी. वेणुगोपाल	6
7.	श्री रूद्रमाधव राय श्री बृजभूषण शरण सिंह	7
8.	श्री नामा नागेशवर राव श्री जगदीश शर्मा	8
9.	श्री गुरुदास दासगुप्त श्री पी.टी. थॉमस	9
10.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	10
11.	श्रीमती सुप्रिया सुले	11
12.	श्री अशोक कुमार रावत	12
13.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार श्री नृपेन्द्र नाथ राय	13
14.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम श्री एन. चेलुवरया स्वामी	14
15.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	15
16.	श्री अधीर चौधरी श्री पशुपति नाथ सिंह	16
17.	श्री पी. करुणाकरन	17
18.	श्री वैजयंत पांडा	18
19.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव श्री भर्तृहरि महताब	19
20.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	20

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आदित्यनाथ, योगी	21, 78, 123
2.	अडसुल, श्री आनंदराव	55, 107, 141, 157
3.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	26, 83, 125
4.	एंटोनी, श्री एंटो	31
5.	बालू, श्री टी.आर.	56, 108, 142, 158
6.	बाउरी, श्रीमती सुस्मिता	67
7.	चौहान, श्री संजय सिंह	22, 79, 144, 149
8.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	5, 84, 126, 151, 165
9.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	17
10.	चौधरी, श्री अधीर	68, 172
11.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	62, 112, 144
12.	दुबे, श्री निशिकांत	32, 87, 128, 152, 166
13.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	54, 106, 140, 156

1	2	3
14.	गांधी, श्रीमती मेनका	20
15.	गुड्डू, श्री प्रेमचन्द	16, 76, 121
16.	हक, शेख सैदुल	40, 96, 134
17.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	18, 56, 74
18.	जगन्नाथ, डॉ. मन्दा	41, 111
19.	जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	14, 71
20.	झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा	38, 67
21.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	18, 56, 64
22.	जोशी, श्री प्रहलाद	11, 51, 103, 137, 162
23.	कलमाडी, श्री सुरेश	33, 88
24.	करुणाकरन, श्री पी.	48, 100, 146
25.	खैरे, श्री चंद्रकांत	80, 124, 150, 164
26.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	46, 99, 136, 160
27.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	49, 101, 145
28.	महतो, श्री नरहरि	1, 43, 65, 114
29.	महताब, श्री भर्तृहरि	68, 73
30.	माझी, श्री प्रदीप	36, 54, 92, 131, 155
31.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	43, 65, 114
32.	मलिक, श्री शक्ति मोहन	67
33.	मुत्तेमवार, श्री विलास	58, 111, 117
34.	निरूपम, श्री संजय	42, 77, 97, 149
35.	निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद	27, 85
36.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	72, 117, 118, 147
37.	पांडा, श्री वैजयंत	69, 116
38.	पांडा, श्री प्रबोध	112, 144
39.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	66, 115, 173
40.	पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार	8, 47, 62, 127, 170
41.	पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार	29, 60
42.	पटेल, श्री बाल कुमार	61
43.	पाठक, श्री हरिन	35, 91, 130, 154
44.	राघवन, श्री एम.के.	59
45.	राम, श्री पूर्णमासी	19, 77, 122, 148
46.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	3, 28, 148
47.	राव, डॉ. के.एस.	23, 122
48.	राव, श्री नामा नागेश्वर	13, 61, 111
49.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	34, 89, 129, 153, 167
50.	रावत, श्री अशोक कुमार	64
51.	राय, श्री रूद्रमाधव	60
52.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	4, 42, 86
53.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	23, 90
54.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	43, 65, 114
55.	राय, श्री महेन्द्र कुमार	67
56.	सेम्मलई, श्री एस.	24, 82
57.	साहा, डॉ. अनूप कुमार	67

1	2	3
58.	सम्पत, श्री ए.	37, 81, 93
59.	सेठी, श्री अर्जुन चरण	30
60.	शानवास, श्री एम.आई.	75, 120, 147, 168
61.	शर्मा, श्री जगदीश	74, 119
62.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	55, 107, 141, 157, 169
63.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	10, 50, 102, 149, 163
64.	सिंह, श्री गणेश	6, 15, 17, 70, 117
65.	सिंह, श्री पशुपति नाथ	66, 81, 115, 163
66.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	39, 95, 133
67.	सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	64, 119
68.	सिंह, देव, श्री कालीकेश नारायण	52, 104, 138, 161
69.	सुगावनम, श्री ई.जी.	12, 53, 105, 139
70.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	63, 113
71.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	7, 45, 98, 135
72.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	9, 94, 132
73.	तम्बिदुरई, डा. एम.	58, 108, 110, 171
74.	थॉमस, श्री पी.टी.	25
75.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	59
76.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	57, 109, 143, 159
77.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	2, 44
78.	यास्खी, श्री मधु गौड	54, 106, 140, 156

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	10, 11, 19
नागर विमानन	:	2, 6, 15, 18
कॉर्पोरेट कार्य	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	9
विधि और न्याय	:	3
अल्पसंख्यक मामले	:	20
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	8, 13, 14
रेल	:	4, 5, 7, 12, 16
इस्पात	:	
वस्त्र	:	1, 17

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	1, 68, 77, 80, 85, 86, 103, 113, 120, 122, 133, 135, 151, 163
नागर विमानन	:	3, 20, 21, 23, 25, 32, 33, 38, 41, 53, 54, 67, 81, 82, 83, 84, 93, 94, 95, 101, 102, 105, 107, 109, 127, 129, 141, 142, 146, 158, 160, 162
कॉर्पोरेट कार्य	:	72, 140
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	2, 34, 52, 143, 165, 166, 170
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	114, 119, 134, 153
विधि और न्याय	:	4, 13, 26, 37, 136, 144, 145, 152, 154, 159
अल्पसंख्यक मामले	:	6, 75, 118, 147, 168
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	17, 22, 29, 42, 51, 55, 56, 62, 73, 74, 87, 88, 96, 98, 111, 112, 117, 125, 132, 149, 150, 156, 164, 167, 172
रेल	:	5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49,

50, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 69, 71, 76, 78, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 104, 108, 121, 123, 130, 131, 137, 138, 139, 148, 169, 173

इस्पात : 24, 70, 79, 106, 115, 124, 126, 128, 155

वस्त्र : 18, 45, 64, 97, 110, 116, 157, 161, 171.

———